राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या: 20

बुधवार,

7 मार्च 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। पहले इधर से। इधर संख्या कम है इसलिए पहले इधर से नमस्कार, नमस्कार। प्रश्न काल। श्री घनश्याम महर। बैठिए। बैठिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, मैं तो महिला दिवस की शुभकामना के लिए कह रही हूं कि आज ही दे देते।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। आप प्रश्न काल चलने दीजिए। श्री घनश्याम महर।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत दुखांतिकाओं के पीड़ितों को मुआवजा

205. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर डिस्काम में गत 4 वर्षों में ट्रांसफार्मर फटने, विद्युत लाइनों से घटित हादसों में मरने वालों के नाम-पते-आयु एवं उन्हें दिये गये मुआवजे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ट्रांसफार्मर सप्लायर्स को चिहि्नत नहीं कर उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? हादसों के लिये जिम्मेदार व उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रांसफार्मर दुःखांतिकाओं में सरकार द्वारा जिम्मेवार अधिकारियों व ट्रांसफार्मर सप्लायर्स के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. में गत 4 वर्षों में ट्रांसफार्मर फटने एवं विद्युत लाइनों से घटित हादसों में मृतकों का नाम-पते-आयु एवं उनके आश्रितों को दिये गये मुआवजे का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सभी हादसों की जांच करवायी जाती है एवं दोषी पाये जाने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त प्रकरणों में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। उक्त प्रकरणों में ट्रांसफार्मर सप्लायर्स की गलती पाये जाने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया है।

(3) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर भिजवाया है, वह प्रोपर नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जैसे कोचिंग क्लास के नोट्स भेजते हैं, इस तरह का इन्होंने जवाब भिजवाया है। मैंने इनसे सीधा-सीधा प्रश्न पूछा था कि कितने प्रकरणों में, कितनी अवधि से जांच पैंडिंग है तथा ऐसे प्रकरणों की जांच कितनी अवधि में पूर्ण होनी चाहिए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदेश में ऐसे कितने तकनीकी अधिकारी-कर्मचारी हैं जिनके पास सुरक्षा संबंधी रेगुलेशन के तहत वर्णित इलैक्ट्रिक लाइसेंस नहीं हैं और वे कार्य कर रहे हैं? केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 146 के तहत विद्युत हादसों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रदेश में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? विद्युत हादसों को रोकने के लिए एवं सुरक्षा हेतु सरकार ने पिछले चार सालों में कितने चार्टेड इलैक्ट्रिक इंजीनियर बनाये हैं? टोंक जिले में बाराती यात्री बस विद्युत हादसे में, खातोलाई विद्युत हादसे के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका में सरकार ने क्या जवाब पेश किया है? प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके लिए सरकार की क्या मंशा है, मंत्री महोदय बताएं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके अनुरूप ही हमने जवाब भेजा है। इन्होंने यह पूछा कि गत चार वर्षों में ट्रांसफार्मर फटने, विद्युत लाइनों से घटित हादसों में मरने वालों के नाम-पता-आयु एवं उन्हें दिये गये मुआवजे का विवरण सदन की मेज पर रखें। मैंने पूरा विवरण जयपुर डिस्काम का कि कितने ट्रांसफार्मर फटे हैं, विद्युत लाइनों से घटित हादसों की पूरी लिस्ट आपको दी है। फिर आपने यह पूछा है यह सही है कि उक्त हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व ट्रांसफार्मर सप्लायर्स को चिन्हित नहीं कर उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी इंजीनियर्स थे, उनको हमने सस्पैंड किया है और जो भी ट्रांसफार्मर सप्लायर था, उसका जो बैच था उसमें एक जो ट्रांसफार्मर फटा है, उसके अलावा जो चार ट्रांसफार्मर की सीटें लैप्स हैं, वापस उसका निरीक्षण किया है और एक ट्रांसफार्मर को हमारा जो सैन्ट्रल टैस्टिंग बैंच है, वहां हमने इसको उचित जांच के लिए भेजा है। इसको हमने शो-काज नोटिस भी दे दिया, तीस दिन का। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसके लिए हम उस ट्रांसफार्मर कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। चूंकि हम उसको तीस दिन पहले नोटिस देते हैं और तीस दिन का नोटिस देने के बाद में, उसका जवाब आने के उपरांत ही उसको टर्मिनेट करेंगे। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो पूछा है, उसका तो जवाब मैंने पूरा दिया है और अगर आप पूछना चाहते हो मुझे तो मैं निश्चित रूप से जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): उसमें सज़ा के प्रावधान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद में पास इलैक्ट्रिकल एक्ट, 2003 की धारा 70 के अनुसार सुरक्षा संबंधी जो विधि नियम हैं वह ईसीएस के 2010 और 2011 में बनाये गये हैं। उसमें क्या-क्या प्रावधान हैं? और जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर बनाने की जैसे +++ की फैक्ट्री लगा रखी है, ऐसे किन-किन अधिकारियों ने फैक्ट्री लगा रखी है? उन फैक्ट्री लगाने वाले अधिकारियों ने क्या उनके ट्रांसफार्मर को लगाने की, उनके मेंटिनैंस की जिम्मेदार निभायी है और जो लोग उन पर काम कर रहे हैं, क्या इलैक्ट्रिक से संबंधित अधिनियम के अनुसार वे लोग काम कर रहे हैं या ऐसे ही काम कर रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि परिशिष्ट-1 में जो आपने दिया है, वह गोलमोल जवाब दिया है। उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गयी है। जबकि यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जो आदमी लगाता है, ले जाता है और ट्रांसफार्मर का इंस्टालेशन

(श्री घनश्याम)

करता है, इंस्टालेशन के बाद मेंटिनेंस जो करते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आज प्रदेश में कहीं भी ऐसे जो हादसे हुए हैं, उनमें किसी भी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं की गयी।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): न तो आपने जिम्मेदारी तय की है, न उन अधिकारियों की लिस्ट, जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उनको आपने प्रमोशन देकर उलटे अच्छी जगह पर बैठा दिया। यह तो गलत बात है। मेरा आपसे निवेदन है आप स्पष्ट रूप से बताएं कि कितने हादसे हुए? यह भी आपने नहीं बताया। कितने हादसों में क्या-क्या कार्यवाही हुई? यह भी आप नहीं बता पाये। किस अधिकारी की जिम्मेदारी है और किन-किन अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री लगा रखी है? उन फैक्ट्रियों के कौन-कौन अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके नाम आप सदन की मेज पर बताने की कृपा करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो आदेश पारित किया है, वह सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के विरोध में है। मेरे पास में माननीय अध्यक्ष महोदय, सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की किताब है इसमें यह लिखा हुआ है कि "On primary side for transformers a linked switch with fuse(s) or circuit breaker of adequate capacity." मतलब या तो सर्किट ब्रेकर हो या इसका फ्यूज हो, राजस्थान में जब से हमारी सरकार आयी है और जब से मुख्य मंत्रीजी ने इस विभाग को अपने पास रखा है, पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे जीएसएस हैं, जितनी भी हमारी 11केवी लाइन निकलती हैं, प्रत्येक 11केवी पर हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं। इसमें यह कहा गया है कि या तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होना चाहिए या फ्यूज होना चाहिए। यह बात जरूर है कि हमने पूरे राजस्थान में ऐसी जगह चिन्हित की हैं, जहां सिंगल फेस का लोड थ्री फेस के बराबर आने लगा। राजस्थान में जयपुर डिस्काम में हमारे पास लगभग 4 लाख 45 हजार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं। उसमें से 1 लाख 5 हजार ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको हमने चिन्हित किया है और देखा कि लोग स्पिलिट फेसिंग करने लग गये। थ्री-फेस के ट्रांसफार्मर को सिंगल फेस में कन्वर्ट करके और मैनुअली कन्वर्ट करने से इसमें फेटल एक्सीडेंट भी खूब हो रहे हैं, लोगों की जिन्दगियां भी जा रही हैं और पावर जो तीनों फेस में बराबर चलना चाहिए, वह एकमात्र फेस पर है। मतलब 100 एमपी चलना चाहिए,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

उस 100 एमपी की जगह आज 150-200 एमपी चल रहा है जिससे पावर ट्रांसफार्मर के जलने की भी पूरी गुंजाइश है। पावर ट्रांसफार्मर जल भी गये हैं। इससे फेटल एक्सीडेंट भी, क्योंकि किसान स्वयं इसको थ्री-फेस से सिंगल फेस में स्पिलिट कर रहा है। इस कारण पूरे राजस्थान में फेटल डैथ्स की संख्या बढ़ी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा विवरण है कि 2013 से लेकर अभी तक एम्प्लाइज की जो डैथ हुई है, वह 655 है और पूर्ववर्ती सरकार के समय में, आपके समय में जो एम्प्लाइज की डैथ हुई है, वह 1071 हैं। 1071 और 655, मैं समझता हूं कि हमारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं और हमने जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, वीसीडी लगाना, रोस्टर स्विच लगाना, पूरे जीएसएस को ट्रांसफार्मर को मैन्टेन करना, इससे पूरे राजस्थान में हमारे जो एम्प्लायज की डैथ्स होती हैं, उसमें तो संख्या कम हुई है। परंतु जो पब्लिक मैन हैं, 2009 से 2013 तक इनके कार्यकाल में 2217 फेटल डैथ्स हुई थीं और हमारे कार्यकाल में इसकी संख्या बढ़कर 2933 हो गयी। यह मैं तीनों डिस्काम की बात कर रहा हूं। इससे साफ जाहिर है कि आदमी स्वयं मैनुअली जाकर, खुद जाकर थ्री-फेस को सिंगल फेस में स्पिलिटिंग कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कल की बात बताना चाहूंगा। कल दौसा में ऐसी घटना हुई है जहां थ्री-फेस को सिंगल फेस में स्पिलिटिंग करके एक आदमी की डैथ हो गयी। यह रोज का मामला है। कल दौसा प्रकरण में शाम को 6 बजे एक व्यक्ति की डैथ हो गयी क्योंकि खुद ही थ्री-फेस को सिंगल फेस कर रहा था। इसके कारण डैथ्स हो रही हैं और यह हमने चिन्हित किया है कि जहां-जहां थ्री-फेस के लोड से अधिक सिंगल फेस का लोड बढ़ जाए तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोग सिंगल फेस की मोटर चला रहे हैं।

सिंगल फेस में, मतलब एक फेस में इतना लोड है कि पावर ट्रान्सफार्मर भी जल जाता है। इससे डैथ होने की भी संभावना रहती है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह नहीं पूछा। मैंने तो खातोलाई का मामला पूछा है। +++ का मामला पूछा है। जो फैक्ट्री उन्होंने लगा रखी है उनमें ट्रान्सफार्मर की जिम्मेदारी क्या उस कम्पनी की है जो लगा रहे हैं। खातोलाई के मामले में इस तरह थ्री फेस से सिंगल फेस लगाने का नहीं है। उसमें घटिया ट्रान्सफार्मर सप्लाई हो रहा है, उसके मामले में पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, जवाब आ रहा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं खातोलाई के बारे में पूरा विवरण आपको देना चाहूंगा। 21.10.2017 को दोपहर 1.20 बजे खातोलाई में यह घटना घटित हुई।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): संभागीय आयुक्त ने जांच की है, उसकी रिपोर्ट आप सदन की मेज पर...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर घनश्याम, यह नहीं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह किसान था, उसका नाम श्री रूढ़ा, पुत्र श्री माला सरदार घीसा गुर्जर का कृषि कनेक्शन था। इसका कनैक्टेड लोड 15 एच पी था। हमने 25 केवी का ट्रान्सफार्मर लगा रखा था। यह घटना 21.10 को घटित हुई, उससे पहले हमने इसकी मीटर टैस्टिंग 10.5.2017 को की। इसका सैंक्शन लोड़ 11.44 किलोवाट था, हमने जब मीटर चैक किया तो लोड 22.64 आया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं एक्सैस एनर्जी विदड्रा कर रहा है। 15 एच पी का कनेक्शन है उससे बहुत अधिक, डबल ड्रा कर रहा है। वहां के अधिशासी अभियंता प्यारेलाल यादव को हमने सस्पैण्ड किया है, आर के परेवा एईएन थे उसको भी सस्पैण्ड किया है। फीडर इंचार्ज सुगमचंद चौधरी को भी हमने निलम्बित किया है। अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री जिसने हमको सप्लाई दी है, रिवाइंड, वापस ट्रान्सफार्मर रिपेयर के आये, उस लोड के 5 ट्रान्सफार्मर हमने भेजे थे, उसमें यह ट्रान्सफार्मर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसकी कम्पनी है, कौन फर्जी माल बेच रहा है, कौन बना रहा है, कौन खरीद रहा है। आप बताओ तो सही।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा, डोटासरा का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सदन किसी को बचाने के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जो पूछ रहे हैं जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी अनुमति के बिना पूछ रहे हैं। आप उनका जवाब दीजिए। (व्यवधान) नो, यह नहीं चल सकता।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के प्रति आशंका जाहिर कर रहे हैं, यह उसकी फैक्ट्री

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

नहीं है, उसमें ट्रान्सफार्मर इसका सप्लाई है। (व्यवधान) अभी बता दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको शो-काज नोटिस भी दिया है। इसका लॉट है, चार ट्रान्सफार्मर दूसरे के लगाये थे उसको भी वापस सीटीआई लैब टैस्ट किया। उसके बाद एक ट्रान्सफार्मर को लेकर, सैंट्रल लैब हरडा है, सैंट्रल गवर्नमेंट की लैब है, हमने उसमें भेजा है। इस कम्पनी का नाम श्री भाला फैब्रिकेशन है। आपको पूरा एड्रैस दे देता हूं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि किसकी है। एफ-200, रोड नम्बर 9, वीकेआई जयपुर में इसकी फैक्ट्री है, यह भाला फैब्रिकेशन के नाम से है। हमने इसको तीस दिन का नोटिस भी दे दिया है और बहुत जल्दी इसको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। उसमें से एक हजार ट्रान्सफार्मर सैंट्रल टैस्टिंग लैब हरडा, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की है, वहां भी हमने भेज दिया है।

डिविजनल कमिश्नर की जांच है, तीन बिन्दुओं पर इनकी जांच हुई है। एक में कहा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर ब्लास्ट होने के संभावित कारण तृतीय जांच, उन्होंने यह लिखा कि एक उच्च स्तरीय तकनीकी एजेंसी द्वारा जांच कराई जाए, उसमें हमने सैंट्रल बोर्ड आफ इर्रिगेशन एंड पावर, सीबीआई की टैक्नीकली सबसे अच्छी, पूरे गवर्नमेंट आफ इंडिया का टैक्नीकल पावर एंड इर्रिगेशन में एक एनेलेटिक कम्पनी है, उसके द्वारा हम करा रहे हैं। जांच में एक बिन्दु और रखा, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय बताने जैसे, उन्होंने लिखा है ट्रान्सफार्मर रिपेयर के स्थान पर नया ट्रान्सफार्मर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमने यह डिसीजन ले लिया है कि आज के बाद कोई भी ट्रान्सफार्मर अगर गारंटी पीरियड में भी खराब हो जाता है तो भी हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम उस कम्पनी से नया ट्रान्सफार्मर ही लेंगे। नया ट्रान्सफार्मर लेने का हमने प्रावधान रख दिया है। हम उसको रिपेयर नहीं करेंगे। गारंटी पीरियड में होगा तो भी नया ट्रान्सफार्मर ही लेंगे।

इसके अलवा प्रेशर रिलीज वाल्व लगाने की बात की है। सायरन बजर, लाल रंग का लैम्प, ट्रिपिंग सिस्टम के तेल का लेवल, तरलता को देखने के लिए प्रावधान किया गया है। हमने तीनों डिस्काम में मेजर वैल्यू इंसुलेशन, इसका रिजिस्टेंस है उसको नापने के लिए हमने मेजर वैल्यू खरीदी है, जिससे प्रत्येक ट्रान्सफार्मर, जब वह कम्पनी से निकलेगा, उसका वैल्यू टेस्ट होगा। एक बार इंस्टाल होने के बाद में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आएगा। मिस्टर डोटासरा ...(व्यवधान) इनका एक शब्द अंकित नहीं होगा। बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासरा का एक शब्द अंकित नहीं हो। इसका जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। कल तो श्रेष्ठ विधायक थे, आज अनुशासनहीन विधायक हो रहे हैं ...(व्यवधान) अफसोस है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी ने फाइनैंस बिल पर जो घोषणा की उससे शायद यह बड़े घबराये हुए हैं, इसलिए वह कोई बात नहीं चाहते हैं। यह किसी न किसी बात को बीच में लाकर...

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिए, इधर-उधर मत जाइये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन यह सुनने के लिए भी तो तैयार होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप दीजिए न जवाब।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि इस घटना को रोकेने के लिए क्या किया, स्टेप बताएं। यह सब पाइंट इन्होंने दिये, हमने ले लिये। इससे ज्यादा हमने, मेरे पास पूरी लिस्ट है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): जो अधिकारी जिम्मेदार है उसको सस्पैंड भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। पूरक प्रश्न नम्बर एक, भजनलाल जाटव

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक....

श्री अध्यक्ष: नो, हो गया। मिस्टर घनश्याम, अब जवाब नहीं आएगा। आप करेंगे तो भी जवाब नहीं आएगा। दो सवाल हो गये। तीन-तीन, चार-चार..

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो, आप बैठिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चार-चार सवाल कर लिये आपने। बैठिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप जवाब मत दिलाइये, यह पूरे प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मामला है। आप जवाब मत दिलवाइये, लेकिन आपके सामने बात आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने भजन लाल को पुकार लिया है, बैठिए। भजन लाल जाटव, सवाल करेंगे। (व्यवधान) नो।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ट्रान्सफार्मर निर्मित कम्पनी है, चाहे वह 16 के हो, 25 के हो, 33 के हो, आपने उनका रेट प्राइस रखा है, आपने इस कम्पनी को टैंडर दिया, उस टैंडर में आपने रेट प्रक्रिया, किस रेट पर आपने उनको टैंडर दिये? आपने जो गारंटी पीरियड़ बताया, माननीय मंत्री महोदय, आये दिन हादसे होते हैं। एक तो रेट प्राइस बताएं। मार्केट रेट से उनको जो ठेके दिये गये हैं, वह ज्यादा रेट पर दिये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दूसरी चीज पूछना चाहूंगा कि जो ट्रान्सफार्मर है उनकी जिम्मेदारी किसकी है? जो जमीन पर रख दिये जाते हैं, आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं, पशुओं की मौत हो जाती है। किसान जब खेत में पानी देता है तो करंट आ जाता है। करंट लगने से कई किसानों की मौत हो जाती है। पशुओं की मौत हो जाती है।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछो।

श्री भजन लाल (वैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं का मुआवजा मिलता है, एक भैंस का 50 हजार का मुआवजा है जबकि उसकी कीमत डेढ़ लाख रुपये है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मुआवजे को आप बढ़ाएंगे? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? न तो उपभोक्ता है, न कोई डिपार्टमेंट है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे ट्रान्सफार्मर जो नीचे जमीन पर रखे हुए हैं, वह कितने दिन में जमीन से ऊपर सतह पर रखे जाएंगे। मेरा पहला सवाल रेट प्राइस है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान) हमेशा आप ही आप पूछते हो। वह नया आदमी है, उनको चांस दिया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की ट्रान्सफार्मर की मार्केट रेट और डिस्काम से जो खरीद है उसकी रेट में अंतर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

ट्रान्सफार्मर मैन्युफैक्चरिंग से बाकायदा टैंडर प्रोसेस लेते हैं, ई-टैंडरिंग के माध्यम से बिलकुल खुला है। ई-टैंडरिंग के माध्यम से हम राजस्थान में ट्रान्सफार्मर परचेज करते हैं

अध्यक्ष महोदय, ट्रान्सफार्मर मार्केट वैल्यू और हम जिससे खरीद रहे हैं इसमें ट्रान्सफार्मर मैन्युफैक्चर का पांच साल का गारंटी पीरियड था, इस घटना के बाद हमने उसको तीन साल कर दिया। इस घटना के बाद, ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री जो हमें ट्रान्सफार्मर देती थी, पहले ट्रान्सफार्मर वापस रिपेयर करके उस कम्पनी से लेते थे, आज के बाद में ट्रान्सफार्मर रिपेयर नहीं करेंगे, हम उससे नया ट्रान्सफार्मर लेंगे। गारंटी पीरियड़ में जो ट्रान्सफार्मर जलेगा उससे हम नया ट्रान्सफार्मर लेंगे। रिवाइंड करके वापस ट्रान्सफार्मर नहीं लेंगे।

तीसरा प्रश्न इन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बड़ी महसूस होती है कि यह पहली सरकार है, मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी की सरकार, जिसने फीडर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम किया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): पूछा क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): घनश्यामजी, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप समझ ही नहीं पाओगे।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिये। चेयर को एड्रैस कीजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इन्होंने कहा कि ये ट्रांसफार्मर्स नीचे पड़े रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 40-50 साल से यह पूरा तंत्र लगा हुआ है, यह पहली सरकार है जिसने हाथ में लेकर इस पूरे सिस्टम को सुधारने का, फीडर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। हमने सब स्टेशंस विधुत सुधार, इम्प्रूवमेंट सिस्टम में सुधार किया है। इसके अलावा मुख्य मंत्री विद्युत सुधार प्रोग्राम, जो हमने किया है, जो भी फीडर्स में लोसेज थे, उसमें सब ट्रांसफार्मर्स को वापस ठीक किया है, उनके अंदर मीटर्स लगाये हैं, उनमें ओवर-आयलिंग की है। जहां लाइन ढीली थी, उसको वापस खींची है। जहां पोल टेढ़े थे, उनको सही किया है। जहां पोल्स के बीच में गैप है, वहां नये पोल्स लगाये हैं। जहां कंडक्टर्स पुराने थे उनको हमने चेंज किये हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पूरे राजस्थान में हमने सब जगह कर लिया है। पर आपको यह मालूम होगा कि पूरे राजस्थान में पहली बार इस सरकार ने तीन साल में इस पूरी स्थिति को सुधारा है, जो आपने 40 साल तक कुछ किया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। दूसरा पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमने कुछ नहीं किया, क्या कह रहे हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रद्युम्न सिंहजी ने बहुत कुछ किया है। मान लेते हैं, आपने बहुत कुछ किया है। कोई बात नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, शायद विपक्ष की यह नीति है कि इनके जो पाप हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनको पुकारा है। (व्यवधान) आप सवाल कीजिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वही कर रहा हूं सीधा।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये सीधा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, मेरे यहां का हादसा है, जिसको ये भुना रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं।

मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार सारे पीड़ितों को उसी दिन दस लाख रुपये पेमेंट किया गया। इतना जरूर पूछना चाहूंगा, कि मैं किसान का बेटा हूं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। नहीं, नहीं। अंकित नहीं हो। शकुन्तला जी का अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सुन लीजिये पहले। सुन लीजिये, पहले पूरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) हाथा-जोड़ी कर ली, आप मानती नहीं हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके शासन का, पांच साल का एफ.आर.बी. का सामान कहां है, बताइये न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): +++ के भ्रष्टाचार की बात पूछी, वह तो

(श्री घनश्याम)

आपने बताई नहीं। (व्यवधान) और पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) सी.एम.डी. +++ ने कितना भ्रष्टाचार किया, उसका जवाब नहीं दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्षजी, हादसे के पांच दिन पहले हम तीन विधायक गये थे। उसका जो मुख्य कारण था उसमें जो सुरक्षा मानक थे, एक तो कट आउट होता था, एक फ्यूज होता था, वे दोनों वायर वहां नहीं थे। इसी प्रकार से तीसरी बात, जो गैस लाइन होती है, वह नहीं थी, जो अभी मंत्रीजी ने कहा कि हम लगवा रहे हैं। उन तीनों कारणों को किसके आदेश से हटाया, एक तो यह मेरा प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जितना सुधार अब किया गया है, इस सुधार को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। क्योंकि निश्चित तौर पर मानक हटने के कारण से जो मानव सुरक्षा है, वह कम हुई है। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उस ट्रांसफार्मर के जो मानक थे, सुरक्षा मानक थे, उनको किसके आदेश से हटाया गया। उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक 11 के.वी. लाइन पर हमने वी.सी.बी., वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगा रखा है। उसके अलावा हमारे जी.ओ., डी.ओ. फ्यूज हैं, उनको भी हम लगाते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर से एल.टी. में लाइन जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैण्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी एक्ट क्लीयर कह रहा है, या तो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होना चाहिए या जी.ओ., डी.ओ. फ्यूज होना चाहिए। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई, मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो लोड था, इस पर कनैक्टेड लोड 15 एच.पी. था, इसका जब हमने मीटर टैस्ट किया तो इसका 22.40 आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह आप बता चुके।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): इस ट्रांसफार्मर की क्षमता है उससे ज्यादा, 35 एच.पी. का लोड था। इसके कारण इसमें अचानक आंतरिक फाल्ट आया। फाल्ट के बाद में ट्रांसफार्मर में आयल का डीकम्पोजिशन हुआ।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

डीकम्पोजिशन से हाइड्रोजन एंटीजन गैस में तब्दील करके इसके डायनेमिक प्रेशर के कारण के कारण ट्रांसफार्मर फूटा है। अध्यक्ष महोदय, इस हादसे के बाद में ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये कई ऐसे उपाय रखे हैं। इसकी थिकनैस बढ़ा दी। इसके ऊपर जो इंसुलेशन है, उसके ऊपर भी हम चेंज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): आने वाले टाइम में ट्रासफार्मर्स को रिपेयर नहीं करेंगे। हम तो नया ट्रांसफार्मर ही लेंगे। इसका पूरा, अगर आपने देखा हो तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जयपुर सिटी में दस मामले दर्ज हुए, छह में लिखा कि ये भुगतान योग्य नहीं हैं, क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। पूरे जयपुर सर्किल में 160 केस दर्ज किये, 73 लोगों के खिलाफ लिख दिये कि ये नोट-पेबल हैं। इसी तरह अलवर में 133 मामले दर्ज किये गये, 68 लोगों के खिलाफ, इसका भुगतान योग्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अलवर नहीं, यह डिस्काम जयपुर। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, दौसा वृत्त में 32 मामले दर्ज किये, 32 को ही आपने भुगतान कर दिया। ये लिस्ट आपकी दौसा की पड़ी है। दौसा में आठ सरकारी कर्मचारी थे, आठों का आपने भुगतान कर दिया, कम्पनसेट कर दिया। दौसा वृत्त में सभी सही पाये गये। बाकी जगह आधे से ज्यादा मुकदमे झूठे पाये गये, उनको भुगतान नहीं किया। क्या कारण है कि दौसा में सही पाये गये। बाकी जगह, आधे से ज्यादा का आपने बताया कि पेबल के काबिल नहीं है, भुगतान के काबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जयपुर के सभी सर्किल्स पर 962 ऐसे हादसे हुए हैं, उसमें हमने 378 लोगों को मुआवजा दे दिया। उसमें लगभग 200 लम्बित हैं, अभी भी जांच में लम्बित हैं। मुआवजे के 384 प्रकरणों को हमने खारिज किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का अगर बिजली से देहान्त हो जाए तो डिस्काम उसको पैसा दे। अगर हमारे डिस्काम की गलती है तो निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

को मुआवजे के रूप में मानते हैं, हम पांच लाख रुपये देते हैं, आम व्यक्ति, जो कंज़ूमर है। उसके अलावा जो सर्विसमैन है, हमारी सरकार आने के बाद, जो पहले आपके टाइम में मात्र दस लाख थे, उसको हमने बढ़ाकर बीस लाख कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 200 पेंडिंग हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दो महीने के अन्दर इसकी जांच पूरी करवाकर, जितने भी लम्बित प्रकरण हैं, जल्दी उनका निस्तारण करके, उनको उनका मुआवजा हम जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादडी में नया पुलिस थाना व चौकी की स्थापना

206. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के देलवास पंचायत समिति डूंगला में स्वीकृत पुलिस चौकी के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बांसी पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी में नया पुलिस थाना एवं आसावरा माताजी में नवीन पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया**):** (1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी मे पंचायत समिति डूंगला मे थाना डूंगला के अन्तर्गत स्वीकृत पुलिस चौकी देलवास वर्तमान में ग्राम देलवास के हास्पिटल भवन मे संचालित है। चौकी के लिए डेढ़ बीघा भूमि आबंटित है। आबंटित भूमि पर पुलिस चौकी भवन के निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम बांसी में नवीन पुलिस थाना एवं आसावरा माताजी में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध परिदृश्य, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि यह पुलिस चौकी कब स्वीकृत हुई थी। इस उत्तर में आया है कि यह हास्पिटल भवन में पुलिस चौकी स्वीकृत होने के बाद आज दिन देलवास में कभी कोई पुलिस वाला रात को नहीं रुका है। आज दिन तक देलवास का जो भी स्टाफ है, वह डूंगला थाने में ही रह रहा है। एक तो वहां डेढ़ बीघा भूमि भी आपको अलाट हो चुकी है। इतने साल होने के बाद भी, क्योंकि समय आप बताएंगे ही, तो इतने साल होने के बाद में भी, अभी तक वहां पुलिस चौकी का निर्माण नहीं हुआ है। वहां जिस तरह से घटनाएं होती हैं, उन पर रोक लगाने के लिये वहां पुलिस चौकी का भवन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये, सवाल कीजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): ऐसे ही हमारे दमोतर में, पुलिस थाना दमोतर है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जिले में, वह गांव के बीच में है, दमोतर थाना भी। वह भी जर्जर स्थिति में है। उस गांव के बीच से, जहां साधन भी नहीं जा सकते तो वह भी पुलिस थाना भवन अगर रोड पर आ जाएगा, छोटी सादड़ी-प्रतापगढ़ मुख्य मार्ग पर, तो उससे उस जर्जर भवन से भी मुक्ति मिलेगी और पुलिस थाने का नया भवन बन जाएगा तो लोगों को भी सुविधा रहेगी, पुलिस स्टाफ को भी सुविधा रहेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पुलिस चौकी देलवास के खोलने के आदेश 10.10.2007 को हुए, और जहां अभी पुलिस चौकी चल रही है, यह 18/10, अर्थात खुलने के आठ दिन बाद, जो स्थान वहां उपलब्ध था, उसमें पुलिस चौकी को प्रारम्भ किया गया।

उसमें दो कमरे हैं और कुछ बरामदा है। दस बाई दस, दस बाई बारह के दो कमरे और बीस बाई पांच फीट का बरामदा है। यह सही है कि उसकी हालत निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी नहीं है। देलवास में जो भूखंड है वह हमें उपलब्ध हुआ है 11.12.2017 को अर्थात्, लगभग दो महीने पहले यह जमीन हमें उपलब्ध हो गयी लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण से नए भवन के निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत नहीं कर सके। जहां तक आपने और भी कुछ स्थानों के बारे में बताया वैसे पूरे चित्तौड़ जिले में तीन ही ऐसे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

थाने हैं जो अपने स्वयं के भवन में नहीं हैं। थाना-सदर चित्तौड़ जो जिला परिषद के अस्थाई स्थान पर चल रहा है। थाना-भोपाल सागर है जो चौकी भवन में संचालित है और जावदा है जिसमें वहां पर जो चौकी है उसी में यह चल रहा है। तो तीन थाने, 26 में से यानी अपने स्वयं के भवन में नहीं हैं और इसी तरह से चित्तौड़ जिले में कुल 39 चौकियां हैं, जिनमें 16 चौकियां ऐसी हैं जो अपने स्वयं के भवन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा सवाल करेंगे?

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि जो आपको जानकारी दी गयी है कि पुलिस चौकी वहां पर चल रही है, वह वहां पर नहीं चल रही है। पुलिस चौकी डूंगला से ही संचालित हो रही है। भले ही जब तक भवन नहीं बने तो वहां से ही संचालित है देलवास से। मेरा दूसरा मेरा प्रश्न था बानसी में पुलिस स्टेशन और आवरी माता में पुलिस चौकी के लिए। बानसी के लिए, आपका वह क्षेत्र भी रहा है जब भी आप वहां पर पधारते हैं तो हर बार पर मांग होती है कि बानसी में पुलिस थाना खोला जाए। अभी भी आप जब पधारे थे तो ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए सीधा-सीधा, हां।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): तब आपने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही खुलवाएंगे। तो एक तो वहां पर थाना खुल जाए और आवरी माता, जहां पर हजारों की संख्या में पर्यटक और दर्शनार्थी पधारते हैं तो वहां पर जिस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन जेबकतरी की जेबकतरों के द्वारा और बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं उनको देखते हुए वहां पर पुलिस चौकी नई स्वीकृत करने के लिए भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज आप उस पुलिस चौकी की घोषणा जरूर कर दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्योंकि आप स्वयं वहां पर पधारते हैं, देखते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जिस बानसी के बारे में आप थाने के लिए कह रहे हैं उसका अपराध का जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

फीगर है वह 2015, 2016 और 2017 का, बानसी में 84, फिर उसके बाद 69 और अभी 70 है। कुल ही जो बड़ी सादड़ी थाना है, जिसके अंतर्गत यह चौकी के रूप में बहुत पुराने सालों से है, 300 का अपराध है। मैं सोचता हूं फिर भी जैसे संसाधन होंगे उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। देलवास में जो लोग नहीं रुकते हैं उनको रुकने के लिए निश्चित रूप से मैं तुरन्त आदेश करूंगा कि वहां पर रुकें और अगर उसमें सम्भव हो तो कुछ मदद आप विधायक फंड से करें, कुछ हमारे पास पैसा होगा तो वह हम देकर आपकी चौकी का निर्माण तुरन्त करने के आदेश दे सकते हैं।

दूसरा, जो आवरी माता का है, वहां पर निश्चित रूप से आस-पास के सारे राज्यों से भी लोग आते हैं और सैकड़ों लोग हर समय वहां पर रहते हैं। कई समाजों की वहां पर धर्मशालाएं हैं और इसलिए अस्थाई चौकी तो हमने कर रखी है क्योंकि दोनों नव-रात्रि में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। स्थाई चौकी के बारे में प्रस्ताव वहां से आया हुआ है, उस प्रस्ताव पर विचार करके अबकी बार जो हमको चौकी कुछ मिली है, उसमें एडजस्ट हो सकेगी तो हम जरूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री सुरेश धाकड़, यह बड़ी सादड़ी से संबंधित है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां। मंत्री महोदय ने अभी जावदा का जिक्र किया था उत्तर में, जो गोतमजी ने पूछा उसी में तो मेरा एक सामान्य क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, उसमें केवल एक ग्राम पंचायत है- खारखंदा, उसके तीन गांव हैं। एक का थाना चंदेरिया, दूसरे का राशमी और ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बड़ी सादड़ी में है क्या यह?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हां, वहीं है और तीसरे का इंदौरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य क्वेश्चन है, कोई ऐसा ऊटपटांग नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां, कीजिए। आप ऊटपटांग करेंगे तो भी चलेगा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ठीक है, थैंक यू। मंत्री महोदय, एक मिनट। यह खारखंदा ग्राम पंचायत जिसके तीन गांव हैं। खारखंदा गांव का थाना लगता है राशमी, इंदौरा का थाना लगता है गंगरार और बानिना गांव का थाना

(श्री सुरेश धाकड़)

लगता है चंदेरिया। दो डीवाई.एस.पी. सर्किल हैं और तीन विधायक हैं, तीन विधान सभा क्षेत्र हैं, अभी कल ही माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की नए थाने बनाने की तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस समस्या का समाधान क्योंकि परिसीमन तो सबका नहीं हो पाएगा लेकिन साड़ास जो चौकी है, उसको थाने में क्रमोन्नत करना जरूरी है। क्योंकि वह हाई-वे पर निकलता है, समाप्त कर रहा हूं, वहां पर जो रोड होकर निकलती है वहां पर बजरी और दूसरे गाड़ी-घोड़े का भी ज्यादा लफड़ा है तो वहां पर अगर थाना खुल जाए और अगर संसाधनों का अभाव है तो उस थाना निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर सी.एस.आर. से थाना निर्माण करवाने की व्यवस्था हम कर देंगे। मंत्री महोदय से मैं यह चाहूंगा कि अगर आशीर्वाद हो जाए और घोषणा कर दें तो अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे प्रदेश के सब लोगों की भावनाओं का ध्यान रखकर पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कुछ एरिया चेंज करने से भी कई लोगों को राहत मिल जाती है, वह प्रोसेस में है और मैंने हाउस में कहा था कि मैं चार महीने में, केवल आपका ही नहीं, राजस्थान के जिस-जिस एरिये में भी थानों की सीमा के अंदर कोई दूसरी पंचायत है, कोर्ट कोई दूसरी लग रही है, एस.डी.ओ. कोई दूसरा लग रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जितना सम्भव हो सकेगा, उसको चार महीने में करेंगे।

जहां तक नए थाने खोलने के बारे में हैं तो मैंने जो मापदंड हैं, उन मापदंडों के आधार पर जो आवश्यकता और जितने मेरे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उसी के आधार पर मैं आपकी मदद कर सकूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल जीनगर, दूसरा पूरक प्रश्न, यह बड़ी सादड़ी है, ध्यान रखना।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जी, आपका आदेश शिरोधार्य है। मेरा निवेदन यह है कि मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सांवलियाजी के अंदर आपके आदेशानुसार हमने थाने का भवन बना दिया। अब आप इतनी कृपा करो कि वहां पर इतने पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी लाखों की संख्या में आते हैं, एक तो यह निवेदन। दूसरा यह निवेदन है कि आपके कट मोशन का जो जवाब मुझे मिला है राशमी थाने के जर्जर भवन का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक सैकिण्ड, प्लीज सर, प्लीज सर, मेरा जवाब दे रहे हैं, उस भवन का भी थोड़ा सा देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। नो। बैठिये। अगला सवाल, श्री सुखराम विश्नोई। नहीं, अब बैठिये, अब नहीं।

चितलवाना पंचायत समिति में मनरेगा योजना के स्वीकृत कार्य

207. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चितलवाना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा के तहत पूरे वर्ष में एक भी कार्य जिला परिषद/कलेक्टर द्वारा स्वीकृत नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रत्येक पंचायत से जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजने के उपरान्त भी ग्रेवल सड़कें, रपट व नाड़ी के कार्य स्वीकृत नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों व इसके लिये कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचायत समिति चितलवाना में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राशि रुपये 1376.21 लाख के 163 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य की स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना, जो कि ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाती है, पंचायत समिति एवं जिला परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है, में अनुमोदित कार्यों की एवं योजनान्तर्गत रोजगार की मांग की पूर्ति के अनुरूप किये जाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, पूरक प्रश्न नम्बर-एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, 29.12.2017 को पंचायत समिति, चितलवाना की मीटिंग हुई तब तक एक भी कार्य स्वीकृत नहीं था। मैंने खुद दूरभाष से कलेक्टर से बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि एक भी कार्य नौ महीने तक स्वीकृत नहीं किया, बारहवें महीने तक स्वीकृत नहीं किये, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करना चाहेंगे कि वह क्यों नौ महीने तक बस्ते में लेकर बैठे रहे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर के खण्ड एक में कहा कि 13 करोड़ 76 लाख के काम इस चितलवाना पंचायत समिति में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुए। इसमें रपट के काम हैं 14, 545 लाख के ....(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा सवाल यह है कि 29.12.2017 तक एक भी काम स्वीकृत नहीं किया और मीटिंग के बाद स्वीकृत किये हैं, आप उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि क्यों नहीं स्वीकृत किये नौ महीने तक?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, स्वीकृत तो हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं कि 29.12.2017 से पहले कोई काम स्वीकृत नहीं हुए, मैं इसको नकारता हूं। मैं जो पढ़ रहा हूं यह सारे काम वह हैं जो इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए हैं और यह एक-दो नहीं बल्कि 13 करोड़ 76 लाख के काम, माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि यह दिसम्बर के बाद स्वीकृत हुए, यह सम्भव नहीं है। यह सारे कार्य अगर देखें, अब आपने कहा कि पहले, मैं यह निवेदन करूं कि चितलवाना पंचायत समिति, इसमें 5093 काम ऐसे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज अपूर्ण हैं या प्रगतिरत हैं। 2014-15 के 92 काम, 2015-16 के 56 काम और 2016-17, 2017-18 नहीं, 2016-17 के 2744 काम और 2017-18 के 2201 काम यानी, इतने काम आज की तारीख में, 5093 काम इस पंचायत समिति में नरेगा के अंतर्गत जो पूर्व में स्वीकृत थे, वह आज भी प्रगतिरत हैं और इनके कार्य की पूर्णता की दर 27 परसेंट है, जो कम है। मेरा यह प्रयास रहेगा, माननीय सदस्य, कि यह सारे काम जो अपूर्ण पड़े हैं, वह पूरे हों और मैं यह निवेदन करूं कि जितने लोगों ने रोजगार मांगा, उतने सब लोगों को रोजगार इस पंचायत समिति के अंतर्गत नरेगा के अंदर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है कि गत वर्ष में 467 काम पंचायत समिति चितलवाना ने भेजे, उनमें से 29.12.2017 के बाद में 169 काम स्वीकृत कर दिये, जबकि 268 काम अभी भी स्वीकृति के लिये इनके पास लिस्ट पड़ी है, अभी भी 268 काम

(श्री सुखराम विश्नोई)

स्वीकृत नहीं किये हैं। क्या यह जो काम पैंडिंग पड़े हैं, यह स्वीकृत करवाएंगे और 29.12.2017 तक जो काम स्वीकृत नहीं किये गये, उनके खिलाफ आप जांच करवाएंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस चितलवाना पंचायत समिति में 2017-18 में रोजगार मांगने वाले परिवारों की संख्या थी 13,024 और जो रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं, वह संख्या है 12,986, यानी मैंने निवेदन किया, यह नरेगा है, नरेगा एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट के पीछे जो भावना है कि एक ओर पात्रताधारी लोगों को रोजगार मिले और वहीं दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं को हम सृजित करने का काम करें। यह संख्या यह बता रही है कि जब-जब रोजगार मांगा गया है, तब-तब इस योजना के अन्तर्गत इस पंचायत समिति में रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल, पूरक प्रश्न नंबर एक। चितलवाना से संबंधित है, आप वहीं तक सीमित रहें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): बिलकुल हुकम। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति चितलवाना, सांचौर और रानीवाड़ा में पिछले एक साल में पंचायत समिति के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव जिला परिषद् द्वारा बार-बार आब्जेक्शन लगाकर वापस भेज दिये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला परिषद् जालौर द्वारा कितनी बार आब्जेक्शन लगे? उन आब्जेक्शंस के क्या कारण रहे और इसकी जांच रखने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति रानीवाड़ा के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। रानीवाड़ा में 2017-18 में 149 काम 16 करोड़ 47 लाख के स्वीकृत हुए हैं। जालौर जिले की मैं बात करूं तो पूरे जालौर जिले में अब भी 24,968 काम ऐसे हैं, जो नरेगा में अलग-अलग समय पर स्वीकृत हुए 2014-15 से और यह काम अभी भी अपूर्ण हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि जालौर जिले के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंदर जितने लोगों ने रोजगार मांगा, नरेगा के अन्तर्गत उन सबको रोजगार दिया गया। रोजगार उपलब्ध कराये जाने वाले परिवारों की संख्या जालौर जिले के अंदर 1 लाख 28 हजार है और जालौर जिले में काम पर आये जो परिवार, उनकी संख्या 1 लाख 8 हजार है, यानी लगभग-लगभग 80 फीसदी लोग, जिन्होंने भी रोजगार मांगा, उनको रोजगार उपलब्ध कराये गये और पर्याप्त काम, जिसका निवेदन मैंने किया, कुल जालौर जिले के अंदर 1209 काम इसी 2017-18 में 120 करोड़ 54 लाख के मंजूर किये गये।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री हीरालाल नागर। यह चितलवाना से संबंधित है नागर साहब। इधर-उधर नहीं हो।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): हां-हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर में मनरेगा योजना में बाढ़ बचाओ के कार्य करने के लिये चितलवाना, सांचौर, रानीवाड़ा में सिंचाई विभाग, वन विभाग के रेंजर और पंचायत समिति के अधिकारियों की एक कमेटी बना रखी है। उस कमेटी के बनाने से वहां पर जो कार्य स्वीकृत होते हैं, उनमें बहुत विलम्ब होता है, जबकि पूरे राजस्थान में कहीं भी इस तरह की कोई कमेटी मनरेगा कार्य स्वीकृति के लिये नहीं बना रखी। क्या मंत्री महोदय, इन विभागों की समय पर स्वीकृति नहीं होने से जो समस्या हो रही है, इस कमेटी को भंग करने का विचार रखते हैं जिससे समय पर मनरेगा कार्य की स्वीकृति की जा सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने पहले कहा कि नरेगा एक्ट है और नरेगा एक्ट के सैक्शन 13 के अंदर कार्यों का चयन करने का अधिकार पंचायत राज संस्थानों का है, और इसीलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय का मास्टर परिपत्र जारी किया गया 2017-18 को, उसमें इस चीज का वर्णन किया गया कि कोई भी काम स्वीकृत होगा तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव आते हैं, ग्राम सभा से प्रस्ताव ग्राम पंचायत में आते हैं, ग्राम पंचायत उन सारे प्रस्तावों को समग्र रूप से करके ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति में भेजती है, पंचायत समिति में सीधे आये प्रस्ताव और विभिन्न ग्राम पंचायतों से आये प्रस्ताव को सम्मिलित करके जिला परिषद में भेजते हैं और जिला परिषद में जिला कलेक्टर के माध्यम से यह स्वीकृत होते हैं। इसके इतर अगर कोई कमेटी जालौर जिले में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बनायी गयी है, तो मैं उसका संज्ञान लूंगा और निश्चित तौर पर, क्योंकि यह एक्ट है और एक्ट का प्रोसीजर है। प्रोसीजर को पूरे एक्ट के सैक्शन 13 में निर्धारित किया गया है। अगर इसके इतर भी कोई किसी प्रकार की समिति जिला स्तर पर बनायी गयी है तो उस समिति को विखंडित करने के लिये मैं आज ही आदेश दूंगा।

प्रश्न संख्या 208

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री शुभकरण चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल, डा. फूलचन्द भिण्डा।

विराट नगर में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

209. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गत 8 वर्षों में किस-किस स्थान पर नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजपाल सिंह शेखावत): (1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु विगत 8 वर्षों में निम्नांकित ग्रामों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

1. छितौली
2. सूरजपुरा
3. भाबरू
4. बास उदयसिंह
5. लुहांकना
6. जाजैकलां
7. टोरडा ब्राहम्णान
8. खेलना

(उद्योग मंत्री)

9. लाड़ा का बास (तेवडी)

10. सुन्दरपुरा

11. लाखावाला।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम बयावास में रीको द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना प्रकियाधीन है। प्रारम्भिक रूप से भूमि का चयन कर लिया गया है। भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके पश्चात भूमि आबंटन, नियोजन एवं विकास कार्य करवाये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहता हूं कि विराटनगर में पर्याप्त मात्रा में भूमि है। दो नेशनल हाइवे भी हैं 248 ए और 8 नंबर दिल्ली के नजदीक है, अलवर के नजदीक है, जयपुर के नजदीक है। इस कारण से मेरा आग्रह है कि शीघ्र ही जो बयावास प्रक्रियाधीन है, उसमें नियोजन करें, विकास करें, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कब तक प्रक्रिया शुरू करेंगे? एक तो मेरा यह निवेदन है। दूसरा निवेदन यह है कि इसमें छितौली जो स्थान है, वहां पर मूर्ति कला के 350 परिवार हैं, वहां पर कोई छोटा क्लस्टर, क्योंकि उनको वह लाभ नहीं मिलता जो रियायत मिलती है उद्योग की, तो मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि छितौली में क्या छोटा क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का इरादा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था कि ग्राम बयावास के अंदर जमीन के आरक्षण की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 31.8.2015 को हमने बयावास के लिये कलेक्टर साहब को जमीन को रिजर्व करने के लिये निवेदन किया था। 19.11.2015 को कलेक्टर साहब ने रिजर्व करके 9.5.2016 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जमीन को सैट-अपार्ट करने की परमिशन के लिये लिखा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ क्वेरी रीको से की है। उस क्वेरी का जवाब हम आज भिजवा रहे हैं और उस क्वेरी के जवाब के बारे में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं समझता हूं कि राजस्व विभाग, जिस जमीन को कलेक्टर ने अनमार्क किया है बयावास के इंडस्ट्रियल एरिये के लिये, उस जमीन का अलाटमेंट हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जमीन के अलाटमेंट के बाद में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल एरिया को जमीन के अलाटमेंट के बाद इंडस्ट्रियल एरिया लागू करने के बीच में कई प्रक्रिया हैं और उस प्रक्रिया में समय निश्चित रूप से लगता है। जैसाकि आपने कहा जमीन हमारे कब्जे में आने के तुरन्त बाद उस जमीन की हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के साथ ही हम उस जमीन का डवलपमेंट करेंगे और अलाटमेंट के लिये जल्दी ही शुरू कर देंगे। लेकिन जमीन जब तक हमारे कब्जे में नहीं आये, माननीय अध्यक्ष महोदय, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे नाम पर उस जमीन का म्युटेशन नहीं कर दे, तब तक हम उस जमीन की प्लानिंग का वेट नहीं कर सकते। जहां तक छितौली का ताल्लुक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने निवेदन किया था कि करीबन कई गांवों के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करने के विराटनगर से प्रस्ताव आये, उसमें छितौली का प्रस्ताव भी आया था। लेकिन छितौली के अंदर जो जमीन हमने की, 117 हैक्टेयर जमीन, जिसको हमने एग्जामिन करने की कोशिश की, उसमें सरकारी जमीन केवल 29 हैक्टेयर है और वह 29 हैक्टेयर जमीन भी कंटीग्यूअस नहीं है। इससे छितौली के अंदर केवल 29 हैक्टेयर जमीन का सरकारी जमीन होना, सिवाय चक जमीन होना और उस जमीन का भी वैरियस खसरों के अंदर अलग-अलग सेगमेंट्स के अंदर रहना, किसी का इलाका कंटीग्यूअस नहीं मिल पाये और जहां तक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का ताल्लुकात है, कम से कम 100 हैक्टेयर जमीन जब तक नहीं हो, तब तक वह इंडस्ट्रियल एरिया वाइबल नहीं होता। इसलिये छितौली में जो जमीन अवेलेबल है सरकार की, वह जमीन कंटीग्यूअस नहीं है, वह जमीन केवल 29 हैक्टेयर है। इसलिये छितौली को एग्जामिन करने के बाद हमें लगता है कि छितौली में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है।

जहां तक बयावास का ताल्लुक है, जमीन जिस दिन हमको कब्जे में मिलेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कब्जे में हमको देगा, जिसके लिये हम आज भी पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद निश्चित रूप से उसके प्लानिंग की कार्यवाही, उसके डवलपमेंट की कार्यवाही भी की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां 350 परिवार मूर्ति कला में लगे हुए हैं। उस गांव के सबसे नजदीक जगह सरकारी जमीन है, उसमें छोटा क्लस्टर बना दें तो उनको उद्योग का लाभ मिल जाएगा और वह परिवार और ज्यादा विकसित कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लस्टर डवलपमेंट की हमारी एक योजना जरूर है। क्लस्टर डवलपमेंट के लिए अगर वे सारे लोग सामूहिक रूप से एक क्लस्टर बनाकर एक सर्टेन जमीन को हमसे मांगते हैं और जमीन अगर अवेलेबल हुई, जितनी जमीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम निश्चित रूप से एग्जामिन कर लेंगे। उसको एग्जामिन करने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह यादव। पूरक प्रश्न नम्बर एक, लेकिन यह विराटनगर से सम्बन्धित है। इधर-उधर नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): विराटनगर के सम्बन्ध में ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, वह पूछिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप जब नया इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप करते हैं या सरकारी जमीन आपको मिलती है तो सर्टेन जमीन तक ही जमीन उपलब्ध हो, सौ बीघा हो, उसके बाद भी उस पर आप विचार करते हैं जबकि सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल ही घोषणा की है कि ऐसे जो बहुत पिछड़े जिले हैं, जहां पर हम सौ-सौ वर्ग गज, डेढ़-डेढ़ सौ वर्ग गज जमीन देकर छोटे लघु उद्योग डवलप करने का प्रयास करेंगे। तो क्या अलवर जिला या एनसीआर के पास या विराटनगर में आप ऐसे क्लस्टर डवलप करने के लिए ...(व्यवधान) मेरे सिवाना में यही स्थिति है। वहां भी जमीन दी है।

श्री अध्यक्ष: आप कहां अलवर में आ गये? विराजो। घुमा फिराकर आप ले आये अपनी बात। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बहुत छोटे तबके के लोग अपना उद्योग लगाकर अपने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पैरों पर खड़ा हो पाएं, इस बात की सरकार निश्चित रूप से चिन्ता कर रही है और चिन्ता का ही परिणाम है कल मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की घोषणा की है कि डेढ़ सौ वर्गमीटर या डेढ़ सौ वर्गगज तक के प्लाट्स को हम सस्ती दरों पर उन क्षेत्रों के अन्दर उन लोगों को देंगे जो नया उद्योग लगाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा रीको के इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर हम बैकवर्ड लोगों को, महिलाओं को आलरेडी ईयर मार्क करके रखते हैं। मुख्य मत्रीजी की घोषणा के अनुरूप हर इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर हम निश्चित रूप से एक अलग से ऐसा ब्लाक बनाएंगे जिस ब्लाक के अन्दर इस प्रकार से छोटे लोगों के लिए उद्योग लगाने की व्यवस्था हो। जहां तक क्लस्टर डवपलपमेंट का ताल्लुक है और विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे से सवाल पूछा था, उस सवाल के जवाब में मैंने पहले ही कहा है कि क्लस्टर डवपलपमेंट के लिए हमारे पास लैण्ड अलाटमेंट की अलग से लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजन है। उस प्रोविजन के तहत यदि कोई क्लस्टर डवलपमेंट के लिए आता है, चाहे वह विराटनगर हो, चाहे बाकी के इलाके हों, उस क्लस्टर को डवलप करने की पोटेंशियल उस इलाके में अगर है तो आफ्टर एग्जामिनेशन क्लस्टर डवलप करने में हमारा इन्ट्रेस्ट है। क्लस्टर डवलप करके हमने कई इलाकों में दिये हैं और अलवर के अन्दर क्लस्टर डवलपमेंट के लिए कोई इलाका ऐसा होगा, जहां पर क्लस्टर डवलपमेंट पोसिबल होगा और क्लस्टर डवलपमेंट के लिए जमीन के अलाटमेंट की मांग हमसे कोई की जाएगी तो निश्चित रूप से एग्जामिन करने के बाद हम काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री संदीप शर्मा। विराटनगर के आस पास ही रहना।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, विराटनगर से ही संबंधित है। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें मूलभूत समस्याओं का बड़ा अभाव रहता है क्योंकि इनकी एजेंसी होती है रीको। रीको उसको बजट आबंटित करती है। नगर निगम, यूआईटी और दूसरी एजेंसी उसमें कार्य नहीं कर पाती। यहां पर रोड़ लाइट्स, नियमित सफाई वहां नहीं हो पाती। स्ट्रीट लाइट्स वहां नहीं लगी रहतीं। सड़कें क्षतिग्रस्त रहती हैं। तो क्या सरकार इसके बजट के लिए, मेरा एक निवेदन और माननीय मंत्री महोदय से है कि विराटनगर जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें चूंकि औद्योगिक जगह की हमारे पास कमी है और

(श्री संदीप शर्मा)

जंगलात की जमीनें जो शहर के बिलकुल नजदीक पड़ी हुई हैं, क्या हम किसी प्रक्रिया के तहत ऐसी जमीनों को हस्तान्तरित कराकर, जिससे औद्योगिक विकास हो सके, इस क्षेत्र में हम कोई कार्य कर रहे हैं या ऐसी प्रक्रिया प्रारम्भ करने का हमारा विचार है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विराटनगर के अन्दर तो जब इण्डस्ट्रियल एरिया खुलेगा तब डवलपमेंट का सवाल आएगा, लेकिन विराटनगर के नाम से आपने इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन, उसका रिक्वायरमेंट समय के साथ बदलता रहता है। एक जमाना हुआ करता था, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया में तीस-तीस फुट की सड़कें हुआ करती थीं लेकिन अब इण्डस्ट्रियल एरिया में तीस फुट की सड़कें नहीं हैं, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं। सड़कों के बीच में डिवाइडर हैं। हम नये इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर ग्रीन बैल्ट डवलप करना चाहते हैं। नये इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर के नये आयाम प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेकिन यह बात सही है कि कई इण्डस्ट्रियल के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर जितना एडिकेट होना चाहिए उतना एडिकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के अन्दर क्वालिटी की प्रोब्लम भी है। मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर के जितने भी डवलपमेंट के काम होंगे, उनका हम अनेबल लिबर्टी से थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन का काम कराएंगे जिससे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो पाये। इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की क्वालिटी के बारे जो लगातार सवाल उठते हैं और हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है, इस क्वालिटी का हम बेहतर ढंग से कन्ट्रोल करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। विराटनगर से इधर-उधर मत जाइये आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): संदीपजी ने भी किया है। वही मैं पूछना चाह रही थी।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। अगला सवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जब रीको एरिया स्थापित करने के लिए आप सभी किसानों की जमीन को लेते हैं, तो किसानों के खेतों में जो मकान बने हुए होते हैं, जैसे कि हमारे यहां भी आपने रीको एरिया डवलप किया है, उन खेतों का तो आप मुआवजा दे रहे हैं लेकिन विगत सात साल गुजर जाने के बाद अभी तक, खेतों में जो मकान बने हुए हैं, उनको नहीं मिल पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: यह अलग से सवाल हो गया। मैंने पहले ही कहा था। जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठिए। जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह पूरे प्रदेश का सवाल हो सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक मूलभूत सुविधा, कोटा स्टोन के कटिंग में पानी के बहुत जबर्दस्त आवश्यकता होती है।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रकान्ताजी बैठिए। जवाब नहीं आएगा। देंगे आप जवाब? रेलेवेन्ट सवाल ही नहीं है यह। बैठ जाइये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि रीको के द्वारा खातेदार की जमीन एक्वायर करने के लम्बे समय बाद तक खातेदारों और रीको के बीच में विवाद चलता रहा है। जमीन के मामले में विवाद है। कम्पनसेशन के मामले में विवाद है और जिन जमीनों को एक्वायर कर लिया, उनके अन्दर जो रेजीडेंशियल या अदर स्ट्रक्चर्स के मुआवजे के मामलों में विवाद हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधान सभा सत्र के पूरे होने के बाद जब मैं रीको का रिव्यू लूंगा तो इस मामले को निश्चित रूप से देखूंगा। लम्बे समय तक कम्पनसेशन के जितने भी मामले हैं, उन मामलों को हम प्रायोरिटी के ऊपर डिस्पोज आफ करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न संख्या 210

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री प्रहलाद गुंजल। एब्सेन्ट।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल। श्री हरिसिंह रावत।

प्रदेश के पंचायत समिति मुख्यालयों पर कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना

211. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के कौशल प्रशिक्षण का विकास करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जी हां। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (पूर्व आजीविका कौशल) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की गरीब ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार प्राप्त करने हेतु योजना है। राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 से मार्च 2019 तक एक लाख पन्द्रह हजार आठ ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उक्त योजना की अवधि वर्तमान में मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है। उक्त योजना में 31.01.2018 तक 35284 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया है तथा प्रशिक्षण प्राप्त 35284 प्रशिक्षणार्थियों में से 16802 को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। योजना से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत/नगर पालिका/पंचायत समिति/जिला मुख्यालय स्तर पर कहीं भी स्थापित किये जा सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों, प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता एवं पाठ्यक्रम विशेष के प्रशिक्षण पश्चात् रोजगार उपलब्ध करवाने के अवसरों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने ऐसे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं और किन-किन के द्वारा? दूसरा, जो इन्होंने उत्तर में बताया कि इतने लम्बे चौड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी किये जाते हैं या नहीं? यह थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छी बात पूछी है। कल हमारे बुजुर्ग प्रद्युम्न सिंहजी भी यह बात कह रहे थे बड़े रुतबेदार तरीके से, 2015 से ही हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं और सीएजी के द्वारा भी हर साल इसका आडिट कराते हैं। इसके अन्दर जो हमने सुधार किये हैं, वह यह है कि बायोमैट्रिक, जियोटेक, आधार बेस और अटेंडेंस के आधार पर इनका....

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: अगली सूचनाएं विधायक को लिखित में भिजवा दीजिए। प्रश्न काल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पटवारी एवं ग्राम सेवकों के रिक्त पड़े पदों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से प्रदेश में किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलने एवं अवैध कनेक्शनों के नाम पर किसानों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में निर्माणाधीन 148 डी राजमार्ग के निर्माण में संवेदक द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिए 01 अप्रैल, 2018 से नियम AIS 113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कतिपय ग्रामों को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के लोहावट थाने में दर्ज एफ.आई.आर. 10/2018 में हनुमान सांई हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से सीकर जिले के रामगढ़ सेठान में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जालौर जिले में 47 मेल नर्सों को अधिशेष बताकर मेडिकल कालेज पाली में प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने से जालौर में स्टाफ की कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. राजकुमार शर्मा, श्री हनुमान बेनीवाल, श्री नन्दकिशोर महरिया एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम गोठड़ा में करनानी सोल वैक्स फैक्ट्री के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय सड़कों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में राजकीय भूमि को संभावित खनिज क्षेत्र में दर्ज किये जाने से आ रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से प्रदेश के शारीरिक शिक्षकों की मांगों के निराकरण के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में सड़कों से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राम लाल गुर्जर, सदस्य की ओर से आसींद, बदनौर तथा हुरड़ा तहसील के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चंबल पेयजल योजना से पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री विवेक धाकड़, सदस्य की ओर से राजस्थान में लम्बे समय से घाटे में चल रही स्पिनफेड में कार्यरत श्रमिकों का राजकीय संस्थाओं में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में सेवारत होमगार्ड जवानों की समस्याओं का समाधान किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', सदस्य की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा लाभार्थियों को अन्य मद से चुकायी गयी राशि का पुनर्भरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बाबू सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय बालेसर, शेरगढ़ एवं सेखाला में केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने हेतु केन्द्र सरकार को सिफारिश भिजवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दौसा में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से प्रदेश में 36 इंच की आरा मशीनों के लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के सम्बनध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 07 मार्च, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 37 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, शहरी पेयजल योजना कपासन की स्वीकृति जारी करने एवं राशमी और कपासन में जे.ईएन. व ए.ईएन. के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री घनश्याम, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोतम कुमार, विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (प्रतापगढ़) में सरीपीपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप लाल भील, विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासियों को दिये जाने वाले वन अधिकार पत्रों के सम्बन्ध में।

डा. राजकुमार शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नवलगढ़ में कतिपय मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2013 में अनेक सड़कें स्वीकृत हुई थीं लेकिन जब सरकार बदली तो उसके बाद में समीक्षा के नाम पर उन सड़कों को निरस्त कर दिया और निरस्त करने के बाद लगातार साढ़े चार साल से सरकार मेरे नवलगढ़ क्षेत्र के साथ में भेदभाव कर रही है और भेदभाव भी इस रूप में कर रही है कि पूरे राजस्थान में 199 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर ज्यादातर पंचायतों में गौरव पथ बना दिये लेकिन मेरे नवलगढ़ के अन्दर दस-बारह ग्राम पंचायतों को छोड़कर सारी पंचायतें अभी भी गौरव पथ से वंचित हैं। यह सबसे बड़ा भेदभाव है।

मैं कुछ नाम आपके सामने गिनाना चाहता हूं ताकि सरकार की नींद खुले कि कैसे हम लोग एक विधान सभा क्षेत्र के साथ में भेदभाव कर रहे हैं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं बताना चाहूंगा कि गौरव पथ हमारे पबाना में, गोठड़ा में, देवा की ढाणी, बागोरिया की ढाणी, लोहार्गल, अध्यक्ष महोदय, लोहार्गल हमारा बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, देखा जाए तो हरिद्वार के बाद अगर राजस्थान में शेखावाटी में किसी को गिना जाता है तो लोहार्गल को गिना जाता है, उस लोहार्गल धाम का भी आज तक गौरव पथ नहीं बना पाये। निवाई, सांगासी मांडासी, जाखल, बड़वासी, चेलासी, नवलड़ी, टोड़पुरा, खिरोड़, मोड़वाड़ी, कसेरू ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतें अभी शेष हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप गौरव पथ में तो भेदभाव मत करो। आपका वादा है कि गौरव पथ हर पंचायत के अन्दर बनेगा लेकिन आज तक हमारी ये पंचायतें, यानी 70 परसेंट पंचायतें अभी तक वंचित हैं।

अध्यक्ष महोदय, सड़क नवीनीकरण के नाम पर एक साल पहले बलवंतपुरा से चेलासी होते हुए नवलड़ी, ये पांच किलोमीटर की हमारी मुख्य सड़क है, एकदम टूटी हुई सड़क है, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से नवलगढ़ के दौरे पर आयीं और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी भी साथ में, उस समय उसके ऊपर मिट्टी बिछाकर उसको ऐसा कर दिया कि मुख्य मंत्रीजी को दिक्कत नहीं हो। एक साल पहले टेण्डर कर दिये, वर्क आर्डर दे दिया और दुर्भाग्य है कि एक साल बाद में भी अभी तक उसका नवीनीकरण का कार्य शुरू नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 15-15 सड़कें देने का वादा किया है, अब मुझे नहीं पता कि विधायक के माध्यम से ये प्रपोजल्स मांगेंगे या वहां के बी.जे.पी. के नेताओं से। मैं कह रहा हूं कि चलो हम बी.जे.पी. के विधायक नहीं हैं, लेकिन आप अगर बी.जे.पी. के नेताओं से भी मांगते हो तो कम से कम उसमें तो न्याय करना।

मैं ऐसी सड़कों के नाम गिनाना चाहूंगा जो वास्तव में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत जरूरी हैं। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप परियोजना मिसिंग लिंक सड़क के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आवागमन की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मुख्य सड़कें हैं जिनको इनको वरीयता देनी चाहिए, बिरोल से निकुदास जी की बगीची होते हुए झाझड़ रोड तक, ग्राम बसावा मुख्य चौक से धामाणा होते हुए लाल कुआ खिरोड़

(डा. राजकुमार शर्मा)

सीमा तक, ग्राम चिराना मुख्य बस स्टैण्ड से बागोरिया की ढाणी, सोटवारा से जेजूसर, कसेरू से डूमरा, परसरामपुरा नदी से मुख्य द्वार तक, बाय से पकोड़ी प्याऊ होते हुए ओला की ढाणी तक, ढिगाल से स्वामी की ढाणी तक, झुन्झुनूं रोड से माताजी की ढाणी तक, एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है मेरे क्षेत्र में माताजी की ढाणी भी, वह भी अभी सड़क से वंचित है। कोलसिया से पुजारी की ढाणी तक, कोलसिया से कारी तक, बड़वासी से ढाका का बास होते हुए भगेरा तक, कसेरू रोड से गोगामेड़ी मेघवाल मौहल्ले तक, बड़वासी से कलवानिया होते हुए कोलसिया तक, जाखल सूरपा मूण्ड की ढाणी से भोडकी सीमा तक।

नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर मालानी ढाणी से खिरोड बैरी सीमा तक, खिरोड़ गढ़वालों की ढाणी से थोरी वाली जोड़ी तक, खिरोड़ गढ़वालों की ढाणी से सेवानगर तक, निवाई से कुमावास तक और चारा का बास, जो मेरा गांव है उससे नाडाजोहड़ तक, ये प्रमुख सड़कें हैं जहां पर वास्तव में अभी साधन लोगों के पास बहुत हो गये। मिट्टी का इतना दर्रा पड़ा है, हमारी सरकार के समय हमने पूरी कोशिश की थी, जितनी सड़कें बननी थीं, बनाईं, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई विधान सभा क्षेत्र रहा है तो वह नवलगढ़ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उनके कहने से दे दो, लेकिन जो नवलगढ़ का हक है, उससे हमें वंचित मत करो, हमारे साथ कुठाराघात मत करो। मेरा नवलगढ़ आपको तब वोट देगा, आपको भविष्य में तब जिताएगा, जब मैंने जो सड़कें बोलीं हैं, उन्हें आप बनाओगे। अगर ये सड़कें आपने नहीं बनाईं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजादी के बाद से आज तक आप चुनाव नहीं जीते हो, आगे भी नहीं जीतोगे।

अब ये सारी सड़कें आप बना दोगे, जो मैंने कही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव सैंस मिल जाए, लेकिन ये सड़कें नहीं बनाओगे तो रिकार्ड वोटों से हमेशा हारते रहे हो और हमेशा हारोगे, यही प्रार्थना, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने करना चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोन्ड करेंगे, माननीय मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नवलगढ़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से आने वाले माननीय सदस्य नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कई राजनीतिक बातें कर गये यहां।

अध्यक्ष महोदय, आपका जितना अनुभव है, इस सदन में किसी का नहीं। कौन कब जीतता है, कौन कब हारता है, मुकद्दर में है। मैं समझता हूं इतना गुमान नहीं करना चाहिए। आपने यह कहा कि नवलगढ़ के साथ भेदभाव राजनीतिक आधार पर किया जाता है और किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नवलगढ़ में आज की तारीख में, जब मैं आपके सम्मुख खड़ा होकर निवेदन कर रहा हूं, विभिन्न सड़कों के विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 87 काम स्वीकृत हैं और उनमें 273 किलोमीटर सड़कों के 226 करोड़ की लागत से या तो कार्य पूरे हो चुके हैं या कार्य प्रगति पर हैं।

आपको धन्यवाद देना चाहिए कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार सदन में यह घोषणा कर दी कि हर विधान सभा क्षेत्र में 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक बनाएंगे। आपने यह कहा कि मेरे ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़क से गौरव पथ नहीं दिये। आपके यहां ग्राम पंचायत मुख्यालय...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): उनका स्वरूप क्या होगा, यह बताया क्या आपने?

श्री अध्यक्ष: श्रवण जी, श्रवण जी। श्रवण जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सुनो, पक्की तो कहने दो न। संबंधित एमएलए को देंगे क्या? ये तो बिना, ये ऐरा गैरा, नत्थू खैरा क्या लेगा? (व्यवधान) आप किसको देंगे, यह बताओ न।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर श्रवण कुमार, मिस्टर श्रवण कुमार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसी शिकायत आपको ही क्यों है? राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को कभी शिकायत नहीं रही।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): किसको नहीं रही? इनको शिकायत है, शिकायत है। बोल नहीं रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बोलिए, क्या कह रहे हैं? आप विराजें। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत है, पर बोलकर करें क्या। कोई सुनता नहीं है। अंधी, गूंगी, बहरी सरकार है। हम क्या करें। हम तो 5 साल से कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो, सुनते नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार भेदभाव करती तो नवलगढ़ के अंदर 226 करोड़ के 87 कार्य अभी प्रगतिरत नहीं रहते। आपने मिसिंग लिंक की जो बात कही, पहले 7 मिसिंग लिंक इस नवलगढ़ के अंदर 355 लाख रुपये के कार्य पूर्ण हुए हैं, आपके यहां 18 गौरव पथ के काम चल रहे हैं, 22 गौरव पथ जो शेष रहे हैं, इन गौरव पथों में भी वित्तीय संसाधनों को देखते हुए निश्चित तौर पर सरकार फैसला करेगी।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 40 में से 22.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मंत्री महोदय, एक निवेदन सुन लीजिए मेरा आप। आप मंत्रीजी जवाब दे रहे हो 40 में से 22 गौरव पथ और अब भी आप कह रहे हो कि वित्तीय संसाधनों के हिसाब से करेंगे। 40 में से 22, इससे बड़ा और क्या भेदभाव करोगे आप? इससे बड़ा और क्या कुठाराघात करोगे आप?

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन 22 गौरव पथों में बहुत-से स्थान ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से, रास्ता नहीं मिलने से, विवादित होने के कारण से, और कई मामलों में तो माननीय विधायक महोदय ने भी, क्योंकि जब कभी भी कोई काम नवलगढ़ में स्वीकृत होता है, आपके होड़ लग जाती है उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए, चाहे वह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हों, चाहे दूसरे हों।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने सरकार के द्वारा किये गये एक भी कार्य का उद्घाटन नहीं किया। मैं आपको आज भी कह रहा हूं। आप लोगों ने ज्यादातर वहां जा-जाकर हमारे किए हुए कार्यों का उद्घाटन किया और पूरे नवलगढ़ की जनता जानती है, मेरा एक भी साबित कर दो...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यही मेरा कहना है ...(व्यवधान) हमारे साथ अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): एक भी साबित कर दो कि आपने स्वीकृत किया और मैंने उद्घाटन किया। मैं तो कह ही रहा हूं कि आप बनाइए

(डा. राजकुमार शर्मा)

और हम माला पहनाएंगे आपको, आप करें उद्घाटन। सपने दिखाने का आपको शौक है। पत्थर आप लगाइए, माला मैं पहनाऊंगा आपको। लेकिन जिस प्रकार से मेरे 100 बैड के हास्पिटल को आपने माटी में मिला दिया, नवलगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। आपने चिकित्सा मंत्री रहते हुए आश्वासन दिया था, आप कैसी बात कर रहे हो। एक भी आपके द्वारा कराया गया काम बता दो। पहली बात तो कराया ही नहीं, कराया तो मैंने कौन-सा उद्घाटन किया था, अध्यक्ष महोदय, आप पूछ लो। आप कहोगे जो करने के लिए तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी भी राज्य सरकार के पास जो आपकी नोन-पैचेबल सड़कें हैं, जो 38 किलोमीटर की हैं, 641 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रस्ताव ही हैं बस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): चूंकि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अब राजस्थान में सड़कों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उसके तहत कोई ऐसी सड़क बचेगी नहीं जो नोन-पैचेबल हो और जिसका रेनोवेशन नहीं हो। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा, इन सड़कों को हम करेंगे और 15 किलोमीटर सड़क जो मिसिंग लिंक की है, उसमें अगर आप कोई प्रस्ताव देंगे तो निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एमएलए के द्वारा नहीं बनायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक तो मिस्टर श्रवण कुमार, मिस्टर श्रवण कुमार, यह उचित नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बात तो कमप्लीट करने दो न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। आप बैठिए, यह उचित नहीं है। हर बार आप खड़े हो जाते हो। आप वरिष्ठ विधायक हैं। हर बार इस तरह खड़े हो जाते हैं आप। किसी प्रक्रिया से अपनी बात उठाइए। (व्यवधान) नहीं बैठिए आप। नो, नो, नो, बैठिए आप। (व्यवधान) यह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वरिष्ठ विधायक के नाते मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अनुशासन में रहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल।

जोधपुर के लोहावट थाने में दर्ज एफ.आई.आर. में हनुमान सांई हत्याकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जोधपुर जिले के लोहावट पुलिस थाना क्षेत्र के सामराऊ में 14 जनवरी, 2018 को शराब माफियाओं द्वारा हनुमान सांई नामक युवक की हत्या के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, उक्त हत्या के बाद लोहावट पुलिस थाने में मुकदमा नंबर 10/2018 15 जनवरी को दर्ज हुआ था। अध्यक्ष महोदय, उक्त घटना क्यों घटित हुई, इसके संबंध में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा। लोहवट क्षेत्र अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले माफियाओं का अड्डा बना हुआ है और इसको लेकर पूर्व में कई घटनाएं उस क्षेत्र में हो चुकी हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी माफियाओं से सांठगांठ करके लाइसेंसशुदा शराब ठेकेदारों को सहयोग नहीं करते, जिससे आपको रेवेन्यू का लोस भी हो रहा है और दूसरे शराब के तस्कर पनप रहे हैं।

(12.17 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

जिस युवक हनुमान सांई की हत्या हुई, वह ओसियां क्षेत्र के भेड़ गांव का निवासी था और एक वर्ष से लोहावट में लाइसेंसशुदा शराब की दुकान चला रहा था। इसी क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से, जो सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के संरक्षण से है, माफिया अवैध रूप से शराब की बिक्री करते थे, जिसको लेकर हनुमान सांई और माफियाओं के बीच कुछ समय पूर्व भी झगड़ा हुआ था, जिसकी पूरी जानकारी लोहावट पुलिस स्टेशन और जोधपुर ग्रामीण के वहां के तत्कालीन डीवाईएसपी, एडीशनल एसपी, एसपी, इस तरह के अधिकारियों को थी और जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्यवाही के बजाय उन्हें संरक्षण दिया।

उनके हौसले इतने बुलंद हो गये कि लाइसेंस से शराब की दुकान चलाने वाले हनुमान ने जब अवैध शराब की बिक्री रोकने की कोशिश की और शिकायत की तो सुनियोजित तरीके से मुलायम सिंह और मूल सिंह सहित अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोगों ने हनुमान सांई को फोन पर बात करके मामला सुलझाने का बहाना लेकर सामराऊ बुलाया और हथियारों से लैस

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अभियुक्तों ने दिन-दहाड़े हनुमान सांई पर गाड़ियां चढ़ाई और उसे तब तक गाड़ियों से कुचलते रहे जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो गयी, वह मर नहीं गया।

सभापति महोदय, यह 14 तारीख की घटना है। इस हत्याकांड के बाद दूसरे दिन 15 तारीख को जयपुर के एक न्यायालय में मेरी पेशी थी और मैं यहां से रवाना होता। सभापति महोदय, हम भी चाह रहे थे कि प्रदेश के अंदर जातीय वैमनस्यता नहीं बढ़े, भाईचारा कायम रहे, जो कि राजस्थान में 70 साल से कायम था। मैं भी सभापति महोदय, इसके बाद 7 बजे सामराऊ गांव में पहुंचा था, पर उससे पहले टेलीफोन पर हमको जानकारी मिली थी कि कुछ उपद्रवियों ने सामराऊ में कुछ घर जला दिये, कुछ दुकानें जला दीं।

सभापति महोदय, उसकी तो मैंने वहां भीड़ के अंदर जो 25 हजार की संख्या थी, उसमें निंदा की थी और मैंने वहां लोगों को सौगन्ध दिलायी थी कि आप अपने-अपने घर पर जाओगे, किसी तरह का झगड़ा हमें नहीं करना है, आप को सौगन्ध लगेगी। वह वीडियो भी अगर आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद सब लोग अपने-अपने घर चले गये और हमारी साफ-सुथरी मांगों को लेकर वहां एसपी, ग्रामीण कलेक्टर, आईजी और डीजी से भी टेलीफोन पर वार्ता हुई थी। गृह मंत्रीजी के यहां भी हमने पीएस इनके जो थे, उनसे बात की। हम चाहते थे कि राजस्थान जो कि भाईचारे के लिए मशहूर है, वह भाईचारा राजस्थान में कायम रहे और साफ-सुथरी मांगों का जो ज्ञापन था, उसके अन्दर दो एसएचओ को मौके से एपीओ करने की बात थी सभापति महोदय। एक तो लोहावट के एसएचओ देवेन्द्र सिंह जिनको उसी टाइम एपीओ कर दिया और दूसरे देचू के एसएचओ बाघसिंह थे जिनको भी एपीओ। एक दीपसिंह जो मतोड़ा के एसएचओ थे उनके लिए यह बात तय हुई कि सात दिन के अन्दर जांच करके हम दीपसिंह को हटा देंगे। यह डीजीपी साहब से भी बात हुई, एसपी मौके पर आ गये थे, वहां के कलेक्टर भी मौके पर आ गये थे। सभापति महोदय, इतनी बात होने के दो-तीन दिन बाद ही एक एसएचओ जिसको देचू से हटाया उसको वहीं लगा दिया और दूसरे को उसी अनुसंधान की टीम में लगा दिया। सभापति महोदय, मेरा इसके अन्दर निवेदन था कि हनुमान सांई की हत्या जो की थी जिसमें पांच लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है, मुलायम सिंह ऊर्फ मूल सिंह और तीन तो नामजद आरोपी हैं जिनको आपने पकड़ा और दो आदमियों को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया कि जातीय

(श्री हनुमान बेनीवाल)

समीकरण हमें सैट करना है तो दो निर्दोष किसान के बेटों को भी इस हत्याकांड में जोड़कर आपने जेल के अन्दर डाल दिया। आप यह मैसेज देना चाहते थे कि यह कोई जातीय मामला नहीं था, यह तो शराब माफियाओं का आपसी गैंगवार था और इस तरह दो आदमियों को पुलिस ने गलत तरीके से बन्द किया।

सभापति महोदय, उक्त हत्या के बाद कुछ लोगों ने तनाव व आक्रोश में आगजनी की और उस घटना की निन्दा हमने पहले भी की थी। मेरे पर भी 7 तारीख को शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ये आरोप लगाये थे कि हनुमान बेनीवाल जी ने वहां पर भड़काया। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप पूरा उसका वीडियो मंगवा लें, गृह सचिव की अध्यक्षता में आप जांच करा रहे हैं, अगर मेरा एक परसेंट भी रोल हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा सभापति महोदय। लेकिन उस आगजनी की आड़ के अन्दर हनुमान सांई के एक दर्जन से ज्यादा हत्यारे अगर गिरफ्तार नहीं हों तो हमें फिर से राजस्थान के अन्दर आंदोलन करना पड़ेगा। आगजनी जिन्होंने की है उनको आप गिरफ्तार करो, हमने आगजनी करने वालों को शाबासी नहीं दी है और हम तो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं घटित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पिछले साल भर में कई घटनाएं हुईं, कई बार जातीय संघर्ष बढ़ने की स्थिति आ गयी थी लेकिन हमने हमेशा मौके पर जाकर यह प्रयास किये कि हमारा भाईचारा राजस्थान में कायम रहे और भाईचारा तोड़ने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है लेकिन राजस्थान के अन्दर निर्दोष आदमियों को लड़ाने का काम खींवसर के विधायक ने कभी नहीं किया। हमारे भाई यूनिवर्सिटी की राजनीति से आये हैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और हमारा कोई ऐसा भी नहीं है, 20 साल के लम्बे टाइम से हमारा सम्पर्क भी है लेकिन इन्होंने शायद अपनी राजनीति के लिए वहां ये भाषण दिए होंगे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि घर जला दो, धुआं उठ रहा है, यह हो रहा है, वह हो रहा है। सभापति महोदय, उस दिन मैं था नहीं, तो आज एक तो मैं गृह मंत्रीजी से यह भी मांग करूंगा कि इस मामले में पूरी जांच कराओ और अगर मेरी थोड़ी सी भी लिप्तता है तो मुझे इसके अन्दर आप गिरफ्तार करो। आप छोड़ना मत मुझे, मैं यहां सदन के अन्दर कहकर जा रहा हूं और अगर मैंने वहां शांति करायी तो इसमें

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आप मुझे शाबासी भी देना कि आप मौके पर पहुंचे थे और 25 हजार की भीड़ जो कि आवेश में थी, बाडी वहां रखी हुई थी, सरकार के खिलाफ उनके अन्दर गुस्सा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भाषण थोड़ी करवाना है साहब। इतना ये किस बात को नरेट कर रहे हैं, इन्होंने स्थगन के माध्यम से अपनी बात कह दी, सरकार उत्तर दे देगी।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जिस विषय पर आपका स्थगन था उस विषय पर आप बोलो। (व्यवधान) स्थगन से सम्बन्धित बात बोलिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यही बात तो बोल रहा हूं, और क्या बोल रहा हूं?

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, ये बातें यहां से निकलकर जाती हैं तो दूर तक जाती हैं और मैं समझता हूं इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप कोई अच्छी बात नहीं है।

श्री सभापति: ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए अध्यक्ष महोदय ने कहा है। विराजिये, आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है, मैं खतम करता हूं अपनी बात। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो है वह बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराजें, अपनी बात समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट सर। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से दो-तीन मांग करूंगा कि आपने सामराऊ के अन्दर मुआवजा दिया, आपकी सरकार है और चाहे जैसे मुआवजा दे, नहीं दे, उसके अन्दर हम नहीं जाना चाहते लेकिन हनुमान सांई की भी हत्या हुई है तो आपको बराबर रखना चाहिए। आप वहां सामराऊ तो गये लेकिन हनुमान सांई के घर पर जाना भूल गये और वापस ओसियां आ गये। फिर जब पुलिस के अधिकारियों ने आपको कहा कि यह तो गड़बड़ हो गया तो आप ओसियां से वापस भेड़ गांव गये गृह मंत्रीजी। कम से हमारा भी तो रखो साहब, इस सरकार के अन्दर, राजस्थान के अन्दर हमारे लोगों को भी सहयोग होगा, अकेले किसी एक जाति की सरकार तो राजस्थान में नहीं बनी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं फिर एतराज करता हूं कि सदन का दुरुपयोग करके जातिगत आधार पर कि किस जाति का सहयोग सरकार बनाने में है किसका नहीं है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं ये?

श्री सभापति: विराज जाएं। आप बैठिये एक बार।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सभापति महोदय, हमारी बात भी कहेंगे, हमारा नाम आया है। हमारा नाम आया है तो हम भी हमारी बात कहेंगे।

श्री सभापति: आपको अवसर मिलेगा, आप बैठो।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): हमारा नाम आया है तो मैं भी बात कहूंगा।

श्री सभापति: आप बैठ जाएं पहले, अवसर मिलेगा आपको। आप भी बैठिये। विराज जाएं। माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें। आप अपनी बात कह चुके, अपनी बात को समाप्त करें। इसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी अपनी बात कहेंगे और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पर्सनल एक्सप्लेनेशन के रूप में कुछ कहना होगा तो वह भी कहेंगे लेकिन अभी आप रुकें। अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री भैराराम चौधरी (संसदीय सचिव): ओसियां का मामला है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मदन जी, एक मिनट। सभापति महोदय, मेरी तो इसमें गृह मंत्रीजी से इतनी ही मांग है, एक मिनट राठौड़ साहब, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठें, मैं अभी समाप्त करा देता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं यह कह रहा हूं कि गृह मंत्रीजी सबको समान दृष्टि से देखते हैं और गृह मंत्रीजी के हम खिलाफ नहीं हैं। राजस्थान के अन्दर शायद कांग्रेस के लोग भी इनके खिलाफ नहीं हैं। ये हमेशा काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन नीचे के लेवल पर जो स्टाफ से जानकारी गलत आ जाती है न तो उसमें ये हां भर लेते हैं कि यह सही है जो नीचे से कह दिया इसलिए हमारी भावनाएं आहत होती हैं। सभापति महोदय, मेरा तो गृह मंत्रीजी से 20 साल का सम्बन्ध है, कोई आज का तो है नहीं। तो मैं तो गृह मंत्रीजी से मांग करूंगा कि हनुमान सांई की हत्या के अन्दर जो भी आरोपी हैं उन सबको आप गिरफ्तार करें और दूसरा जो सामराऊ प्रकरण के अन्दर 29 अलग-अलग एफ.आई.आर. लॉज कीं तो साहब, इसके अन्दर एक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एफ.आई.आर. भी हो सकती थी और 250 लोगों को आपने नामजद कर लिया, जो हैं ही नहीं। मैं यह कह रहा हूं वीडियो से आप एक-एक आदमी जो वास्तव में वहां था उनकी गिरफ्तारी करें और हनुमान सांई के परिवार को भी आप मुआवजा दें, पैकेज दें, तब राजस्थान के अन्दर मैसेज जाएगा कि आप हमारा ध्यान भी रखते हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप तो इस तरह दबाव के अन्दर, दिल्ली तक से दबाव आया तो चाहे जो कर लिया। साहब, हमारा तो दिल्ली के अन्दर कोई सुनने वाला नहीं है। गृह मंत्रीजी आप न्याय करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। आप बैठिये न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मदन जी, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये। गृह मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हनुमान सांई के हत्यारों को गिरफ्तार करें, मेरा निवेदन इतना ही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और सामराऊ के अन्दर जिन लोगों के गलत नाम आये हैं उनको भी साहब, आप कम से कम गिरफ्तार नहीं करें, उनकी लाइफ स्पाइल हो जाएगी क्योंकि उसमें कई बच्चों के नाम हैं जो मान लो कोई नागौर में बैठा था, कोई जयपुर में बैठा था उसके ही नाम लिखकर डाल दिये और अब आप आनन-फानन में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रहे हो। ठीक है, वहां हमारी पैरोकारी करने वाला उस जिले के अन्दर कोई है नहीं, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं, अब आपने सब बात कह दी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, नहीं तो फिर हमें भी सड़कों पर आना पड़ेगा। (व्यवधान) हम गलत गिरफ्तारियां राजस्थान के अन्दर नहीं होने देंगे। हनुमान सांई के परिवार को भी मुआवजे की घोषणा करो। आप बड़ा मन रखो। आप यह चाहते हो कि मैसेज आपने पहले भी दिया था और देना चाहते हो कि सबको हम समान रखेंगे तो इस परिवार को मुआवजा मिले और जो दो एसएचओ हटे हैं उनको वापस हटाओ, तीसरे को भी हटाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सत्ता पक्ष के आपके विधायक और मंत्री इस तरह से आडियो-वीडियो वायरल कर रहे हैं कि हथियार उठा लो, अब वक्त आ गया है.... (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठो आप। अब इसको लम्बा मत करो माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस तरह की भावनाएं आप राजस्थान के अन्दर क्यों भड़का रहे हो और क्या चाहते हो आप आखिर राजस्थान के अन्दर? हम तो ठीक करना चाहते हैं और आप..... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाओ। बैठो आप। मैं अंकित नहीं कराऊंगा इसको। बैठ जाएं, हनुमान जी। आप बैठिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाएं। बैठिये आप। बैठिये हनुमान जी। कृपया बैठ जाएं। अंकित नहीं होगा। बैठें, बैठ जाएं, आप बैठो एक बार। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं होगा। आसन पैरों पर है, आप बैठ जाओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, सदन को जातीय अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। आसन इस बात की व्यवस्था रखेगा कि किसी भी कीमत पर जातीय अखाड़ा सदन नहीं बनेगा। माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उन बातों का माननीय गृह मंत्रीजी जवाब देंगे, एक। माननीय गृह मंत्रीजी के जवाब के बाद में शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण तक अपने आपको सीमित रखेंगे। इसके अलावा अन्य किसी माननीय सदस्य को इस पर बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, 14 जनवरी की यह घटना है और 15 जनवरी को इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें हेमाराम की गाड़ी के एक्सीडेंट से और कुचल कर उसकी डैथ हुई है, चौराहे पर हुई है। जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी उसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे हैं और उसके अलावा 8-10 लोग और हैं, ऐसा करके एफ.आई.आर. दर्ज हुई। उस एफ.आई.आर. के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तहत ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसा मैंने 7 फरवरी को ही इस सदन में मैंने अपना जवाब दिया था। मैं सोचता हूं कि इसमें जो मुलजिम हैं, वे भी सब प्रकार के लोग हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं, दूसरे लोग भी इसमें हैं। जो 11 मुलजिम लिखाये हैं उनमें से हमारी तफ्तीश के बाद 6 लोग इसमें मुलजिम बनते हैं। 6 में से 5 को हमने पकड़ लिया और एक मुलजिम हेमाराम है, वह लम्बे समय से फरार चल रहा है। हमारी पुलिस प्रयास कर रही है लेकिन अभी उसको सफलता नहीं मिली।

श्री सभापति: आपको आज धन्यवाद कि आज आप हमारी पुलिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): हमेशा ही करता हूं।

श्री सभापति: नहीं, आप हमेशा मेरी कर देते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं नहीं। आपकी और हमारी सबकी है। आप भी मान लो तो अच्छा ही है।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज आपकी बात का जवाब सही आ रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस घटना के बाद मैंने स्वयं ने जाकर मौका देखा। मेरे अधिकारी भी साथ थे, डीजी भी साथ थे और उस घटना के बाद जिन बेकसूर लोगों के मकान जलाये और जलाये ही नहीं, बिलकुल खाक कर दिये। यहां तक कि जो शादी का सामान था, उसमें से कुछ उठा ले गये होंगे, कुछ जला दिया होगा। ऐसा नंगा नृत्य हुआ है, वास्तव में मेरे लिए भी और मेरे विभाग के लिए भी एक बहुत दु:खद बात है। मैंने उसी दिन स्वीकार किया और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इसलिए हुआ कि एस.पी., एडिशनल एस.पी., हमारी लगभग पुलिस वहां मौजूद होते हुए भी लोग घर और दुकानें जला रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए मुझे निश्चित रूप से उस समय जो भी पुलिस अधिकारी वहां लगा था, उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी ही पड़ी और करना ही मेरा धर्म था, जो मैंने किया। मैंने गिरफ्तारी की दृष्टि से भी, किसी से कोई नहीं है, जो उन्होंने मुलजिम बताये, उन सबको मैंने, अभी भी मुलजिम मेरी तफ्तीश से नहीं आये, जो आये, छह लोग आये हैं। उन छह में से पांच पकड़ लिये, एक अभी हमें पकड़ना शेष है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन अभी भी जांच जारी है। उसके बाद जो दुकानें जलाई हैं, 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन 29 मुकदमों में हमने 139 लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी 139 की है, लोग 39 ही थे। उन्होंने एक ही ने घर वालों ने लिखाया कि यह भी था, यह भी था, तो कई केसेज में एक ही व्यक्ति कई बार रिपीट हुआ था, इसलिए उसमें संख्या की दृष्टि से तो 39 लोग ही गिरफ्तार हुए लेकिन केस की दृष्टि से हमने 139 लोगों को इसमें गिरफ्तारी दिखायी है। मैंने वहां भी यह कहा था कि फुटेज देखने के बाद, जो भी कोई अपराधी और होगा, उसे निश्चित रूप से पकड़ेंगे और हमने उसी दिन, मैंने अपने होम सेक्रेटरी को और सोनीजी, जो आपदा राहत में एडीजे हैं, दोनों को इस जांच के लिए लगाया। उन्होंने सारा रिकार्ड इकट्ठा किया और इसके लिए आगे की प्रक्रिया जो भी करनी है, वह हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों को नुकसान हुआ, उनको लगभग हमने 2.43 करोड़ रुपया मुआवजा देकर, जिनके घर में शादियां थीं, सारा जेवर उन्होंने बच्चियों के लिए खरीद लिया था, उनको हमने दिया है और उसके बाद भी जो नुकसान हुआ, समाज ने भी व्यक्तिगत कुछ उनको सहायता पहुंचाई है। उसमें हमने पकड़ा है। मुलजिम कभी किसी जाति का नहीं होता। दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हमारा चश्मा जाति का चश्मा चढ़ गया। मैं सोचता हूं, यह चश्मा जाति के बनिस्पत मुलजिम मानकर अगर एक्शन करेंगे तो हमें उसमें सफलता मिलेगी और हम सही जगह पहुंच जाएंगे। दुर्भाग्य से हम यह टकराव की स्थिति नहीं लाएं। जो हुआ है, उसको देखकर कोई भी खुश नहीं हो सकता है। जिनके बारे में कहा कि इनकी वीडियो है या वह है, तो हमने वह भी ले रखी है। उसका भी एनेलेसिस कर रहे हैं। अगर उसमें भी आपके शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा वह जांच में अगर आया तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात को भी ध्यान में कर लेना। मैं कोई डरता-वरता नहीं हूं कि आपको कोई इसके कारण से... अगर कोई आया तो? अभी मेरे पास उसका पुख्ता सबूत नहीं है लेकिन वह हमने ली है और वह हमारे पास है कि किसने क्या भाषण दिया और क्या भाषण नहीं दिया वहां पर? अगर उन भाषण में कोई ऐसी बात आयी जो उकसाने वाली बात होगी तो निश्चित रूप से मैं सदन में कह रहा हूं, चाहे कोई मैम्बर हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकूंगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्यवाही करूंगा।

जहां तक रहा सवाल, इन्होंने कि मैं भूल गया। मैं नहीं भूला हूं। मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसके घर जाने के लिए, मैंने पहले ही बताया लेकिन हमारी गाड़ी है न, वह तेजी से आगे निकल गयी। मैंने अपने अधिकारियों को बीच रास्ते में रोका। मैं जिंदगी में असत्य नहीं बोलता हूं और मैंने रोककर पूछा, उसका घर कहां चला गया? उन्होंने कहा, साहब, वह घर तो पीछे रह गया। मैं मुड़ा और मुड़ने के बाद उसके घर जाकर, मैं बैठकर के आया हूं क्योंकि मेरे सामने जिसकी भी मृत्यु हुई है न, वह भी इंसान ही है। किसी न किसी परिवार का व्यक्ति है और मैं जिस जगह हूं, मेरे लिए कोई चश्मे पर यह और वह नहीं है। जो कुछ हुआ है, उसकी संवेदना प्रकट करना मेरा धर्म था। मैंने प्रकट की है और मैं आज भी आपको यह निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मेरे जो दो सबसे अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, वह इस सारे की जांच कर रहे हैं। इसमें जहां से भी जांच में विषय निकलकर आएगा और हेमाराम को अभी हमको गिरफ्तार करना है, वह जब भी पकड़ में आये, चाहे वह किसी भी जाति का हो। मैं उन छह की जाति नहीं बता रहा हूं। इसमें सब प्रकार के लोग होंगे। और भी किसी भी जाति का कोई अपराधी होगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही निश्चित रूप से करूंगा।

हां, एक बात जो इन्होंने उठाई है। उसके बारे में थोड़ा मेहर अभी है कि जिसकी मृत्यु हुई है, उसको भी किसी न किसी तरीके से कम्पन्सेशन जरूर मिलना चाहिए। यह बात मैं स्वीकार करता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से उसको हम कम्पन्सेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो कुछ मदद सम्भव हो सकती है, वह उसे निश्चित रूप से हम करेंगे। केवल आप थोड़ा-सा इंतजार करिये सारी की सारी जांच का और जांच के बाद जो कुछ भी परिणाम आएगा, उसमें न कोई यह जाति है, न वह जाति है। जिसने अपराध किया है, वह अपराधी है और अपराधी के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करूंगा। यह मैं सदन को आपकी इस उपस्थिति में एक तरह से आश्वस्त करता हूं।

श्री सभापति: अब कोई नहीं बोलेगा। सुन लें आप। सुनें आप, माननीय सदस्य, विराज जाएं। आप सुन लें। इन्होंने आपके भाषण का रैफरेंस देकर पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है, नम्बर एक। आप इस घटना के बारे में सदन में बोल चुके हैं, इसलिए इस घटना के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं उसको अंकित नहीं करूंगा। खींवसर से आने वाले माननीय विधायक ने आपके बारे में जो बात कही है, केवल उसका पर्सनल एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री सभापति: नहीं, केवल आपके बारे में जो बात कही है, इस घटना के बारे में कुछ अंकित नहीं होगा किसी माननीय सदस्य का। एक बार सुन लें। माननीय गृह मंत्रीजी के भाषण के पश्चात् इस घटना के बारे में कोई भी बात कही गयी है, वह अंकित नहीं होगी किसी भी माननीय सदस्य की। केवल व्यक्तिगत स्पष्टीकरण आप कर सकते हैं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री सभापति: वह नहीं बोलेंगे आप इस पर। आपके बारे में कोई बात है तो उसका आप स्पष्टीकरण करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री सभापति: इस पर नहीं बोलेंगे। अंकित नहीं होगा। मैंने कहा है, मैं इस सदन को किसी भी जातीय वैमनस्य का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। केवल आप अपने, इन्होंने जो आपके बारे में बात की है, उस पर आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आप बैठ जाएं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री सभापति: मैं कह रहा हूं, यह अंकित नहीं होगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा। केवल आपके बारे में कोई बात कही है तो आप स्पष्टीकरण करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): मेरे बारे में यह बात कही है कि हमने वहां पर भड़काया। हमने तो अपने...

श्री सभापति: नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने आपके बारे में कोई लांछन लगाया हो तो आप व्यक्तिगत स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): लांछन यह लगाया है, मेरे ऊपर आरोप लगाया है। उसमें यह कह रहे हैं कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन वहां पधारे थे तो 4 बजे घर जलने शुरू हुए और घर भी चुन-चुनकर जलाये और आप कह रहे हैं कि मैं 7 बजे पहुंचा...

श्री सभापति: नो, कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आप बैठ जाएं माननीय सदस्य। दोनों का अंकित नहीं होगा। दोनों का अंकित नहीं होगा।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: दोनों का अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठ जाएं। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, बैठ जाएं। (व्यवधान) आप बैठें। आप बैठ जाएं। बैठ जाएं। आप बैठ जाएं। बैठ जाएं माननीय सदस्य। विराज जाएं। विराज जाएं। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद चर्चा समाप्त। और किसी पर चर्चा नहीं होगी। श्री नन्दकिशोर महरिया, अपनी बात कहेंगे।

रामगढ़ सेठान के उपखण्ड अधिकारी व तहसील कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पद

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सीकर जिले का रामगढ़ शेखावाटी उपखण्ड, जिले के अंतिम छोर पर स्थित है। उसमें गत डेढ़ साल से भी ऊपर समय से, लगभग 20 महीने से एसडीएम का पद रिक्त पड़ा है। कार्यालय सहायक का पद रिक्त पड़ा है, स्टेनो का पद रिक्त पड़ा है, सूचना सहायक नहीं है। सहायक कर्मचारी के दो पद हैं, दोनों रिक्त पड़े हैं। आफिस कानूनगो, अतिरिक्त आफिस कानूनगो, इनके पद अब तक स्वीकृत ही नहीं किये गये।

यही हालत वहां तहसील की है। यूडीसी के तीन पद हैं, दो खाली हैं। एलडीसी के चार हैं, चारों खाली हैं। नायब तहसीलदार सैंक्शन नहीं है। बंडल लिफ्टर तीन पद हैं, तीनों खाली हैं। कार्यालय सहायक एक पद है, वह खाली पड़ा है। पटवारी के 13 पद हैं, छह खाली पड़े हैं और चार अनट्रेंड बच्चों को लगा रखा है। गिरदावर के तीन पद हैं, दो खाली पड़े हैं। लगभग 71 प्रतिशत पद हैं, वह डेढ़ वर्ष से खाली पड़े हैं। अब जो स्थिति है, ओलावृष्टि हुई है, अंधड़ आया है। पूरे सीकर जिले में ही 338 में से 169 पटवार सर्किल खाली पड़े हैं। एक पटवारी दूसरे पटवार क्षेत्र में जा नहीं रहा है। उसके लिए उन्होंने आंदोलन कर रखा है कि हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। किस तरह से किसानों का ओलावृष्टि का, अंधड़ का जो नुकसान हुआ है, कैसे आप उसकी व्यवस्था करेंगे कि 15 मार्च तक उनका आंकलन हो जाए और स्थिति सामने आ जाए, किसी को 5 परसेंट नुकसान हुआ है, किसी को 90 परसेंट नुकसान हुआ है। वैसे भी एक पटवारी के पास 7-8 गांव होते हैं और इस समय में हजार से ऊपर खेत एक पटवारी के पास होते हैं।

सभापति महोदय, एक खेत में ओले पड़ते हैं, दूसरे में नहीं पड़ते। कई

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

बार तो एक ही खेत में आधे में पड़ते हैं, आधे में नहीं पड़ते हैं तो हर खेत में जाकर देखना पड़ता है। साथ में उस किसान को भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि पटवारी भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं होता है कि आकलन कर दे, कौनसी फसल में कितना नुकसान हुआ है। तो, यह जो स्थिति हुई है, इस समय अंधड़ और ओलों की वजह से और भी खराब हो गयी है।

वैसे भी एसडीएम 20 महीने से नहीं होने से सारी व्यवस्था ठप्प पड़ी है। राजस्व के जो मामले हैं, जो निपटारे होने हैं, ठप्प पड़े हैं। हमारे कैम्प लग रहे हैं, जगह-जगह, मीटिंगें हो रही हैं, सरकार की इतनी स्कीमें चल रही हैं, इतने आयोजन कराये जा रहे हैं, सब, लगभग पैसा व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि, संभालने वाला है नहीं, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन पदों को तुरन्त भरा जाए।

खास तौर से जो की-पोस्टें हैं, उनको तो इसी सप्ताह भरा जाए तो कम से कम इस आकलन में और जो ओलावृष्टि से नुकसान हुए हैं, इनमें भी लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): न कोई पटवारी है, न कोई ग्राम सेवक हैं। किस पर कर रहे हैं...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, नियम 50 के तहत माननीय महरिया जी ने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके जो उपखण्ड रामगढ़ शेखावटी पर उपखण्ड अधिकारी का पद खाली है, यह बात सही है, चार्ज फतेहपुर एसडीओ को दे रखा है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी का भी आपका एक पद रिक्त है। स्टेनो आपके एक है, कनिष्ठ सहायक का एक है, आपका वहां मौजूद है, सूचना सहायक भी है।

इस प्रकार से रामगढ़ शेखावटी में पदों को भरने के लिए हाल ही में आपको पता है कि 32 लिपिकों को हमने वहां पर आबंटित किया है और जो दूसरे पद हैं, तहसील के अन्दर भी तहसीलदार है, टीआरए है, गिरदावर है, पटवारी है।

आपको मालूम है कि सब-आर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के द्वारा हाल ही में पटवारियों की जो भर्ती हुई थी, हमने 2200 पटवारी एक लिए, 4400 एक और अभी इस बजट के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

(श्री अमराराम)

पटवारियों की ट्रैनिंग करीब-करीब पूरी होने जा रही है। आपके यहां पटवारी के तहसील के अन्दर 15 स्वीकृत पद हैं, उनमें से 13 तो कार्यरत हैं। आपने 6 बताये, लेकिन सिर्फ दो पद रिक्त हैं। आपके वरिष्ठ सहायक के 3 पद हैं, उनमें से 1 कार्यरत है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप पहले सुन लें और गलत अगर देते हैं, तो माननीय सदस्य उसका तरीका है। जिसका आप यूज कर सकते हो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): इस प्रकार से आपके जो पद हैं, वह नये पटवार लगाने के बाद 13 पटवारी, केवल 2 पद ही खाली रहेंगे। सीकर जिले में 32 नये जो लिपिक हमें आबंटित हो गये हैं। मैं आज ही या कल, जहां जिले के अन्दर 32 हैं तो उनमें से आपके जहां सम्भव होगा, वहां भी लगाने का प्रयास करूंगा।

एसडीओ के बारे में 5 दिन के अन्दर-अन्दर इनके एसडीओ लगा देंगे। एसडीओ के लिए वाकई में डेढ़ साल से पोस्ट खाली.. नहीं-नहीं.. ये आपका सवाल नहीं है माननीय...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़ में भी सवा तीन साल से, साढ़े तीन साल से एसीएम का पद खाली है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): देखिए....

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हमारे चितलोई उपखण्ड बनने के बाद आज दिन तक नहीं लगाया एसडीओ, 5 साल से एसडीओ नहीं है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मैं आपको कह रहा हूं, कब से खाली है। ये तारीख मैंने आपको बता दी है..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी आपकी बात मान लेंगे क्या? आपकी बात मान लेंगे? भाषण देने से कुछ नहीं...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ...12.12.2015 से खाली है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मान लेंगी क्या? आपकी बात, मुझे नहीं लगता है, आपकी बात मान लेंगे? मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कहता हूं। आप 5 दिन का नाम ले रहे हैं, 10 दिन में भी नहीं लगा सकते।

श्री सभापति: मंत्री महोदय विश्वास के साथ कह रहे हैं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, यह

(श्री अमराराम)

तब है जब महरिया जी का सवाल है और महरिया जी का मैं जवाब दे रहा हूं...

श्री सभापति: मंत्री महोदय विश्वास के साथ कह रहे हैं, आप विश्वास करो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ...और आपको पता है हमने कितने उपखण्ड अधिकारी लगाये हैं, कितने पटवारी लगाये, कितने गिरदावर लगाये...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एडीएम और एसीएम, सभापति महोदय कोई लगाते ही नहीं हैं, मंत्री थोड़े ही लगाते हैं। राजस्व मंत्री जी थोड़े ही लगा देंगे।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ...हमारे समय के अन्दर आये दिन जो हम कोशिश करके, प्रमोशन करके, नये भर्ती करके लगा रहे हैं और आपके जहां खाली है, उसके लिए मैं कह रहा हूं न, हम पूरा प्रयास करेंगे..

श्री सभापति: मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अभी-अभी माननीय सभापति महोदय, हमने 32 लिपिकों की भर्ती की है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तहसीलदार नहीं लगा सकते, बुहाना में एक साल से तहसीलदार नहीं, क्या बात कर रहे हो आप...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 6-6 महीने से तो गांवों में पटवारी नहीं जा रहे हैं, बस्ते जमा करा रखे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप, ऐसे कैसे सब खड़े हो जाते हैं?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसलिए खड़े हो रहे हैं, आपकी अक्ल खोलने के लिए, उप-चुनाव में निपट गये हो आप लोग। (व्यवधान) 6-6 महीने से गांवों में पटवारी नहीं आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये काम मेरा है। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य, इनका जवाब आने दीजिए।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मामला रामगढ़ शेखावटी का है और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एकमिनट-एक मिनट, मंत्री महोदय। आप उप-सचेतक महोदय, बार-बार आसन का अधिकार, अपने हाथ में जो ले लेते हैं...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं इसलिए...

श्री सभापति: ...नहीं, आप नहीं ले सकते, आप बैठ जाएं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मतलब यह कोई तरीका नहीं हुआ।

श्री सभापति: यह आपका भी कोई तरीका नहीं है। आपका यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठे, आप विराजें, आप भी विराजें। देखिए, अगर आपको कोई आपत्ति लगती है तो आसन का ध्यान खींचिए। आप डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि ये माननीय सदस्य बीच-बीच में व्यवधान कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठ जाएं, विराजें माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप खड़े हो जाते हैं, एक मिनट में ही।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मैं आसन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति: कृपया माननीय नन्दकिशोर जी महरिया की बात का जवाब दीजिए। आपको सुनेंगे आराम से।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि कार्मिकों की उपलब्धता के अनुरूप, आपके पदस्थापनों की कार्यवाही में प्राथमिकता दी जाएगी और तहसील। उपखण्ड कार्यालय में आपकी जो बात है, रिक्त पद हैं, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

(12.47 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

अब आपके तहसील कार्यालय में कुल 40 पद स्वीकृत हैं। 21 पद नियमित रूप से भरे हुए हैं और तहसील कार्यालय रामगढ़ शेखावटी में 19 पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता के अनुरूप पदस्थापन की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। यह मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। एसडीओ के बारे में बहुत जल्दी ही, आपकी इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, लगाने का प्रयास करूंगा।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): बहुत धन्यवाद। आपने एक सप्ताह में एडीएम लगाने का आश्वासन दिया। माननीय सभापति महोदय....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कब तक लगा दोगे? जल्दी का मीन्स नहीं होता है, जल्दी का टाइम नहीं होता है, जल्दी बताओ? कब तक लगा देंगे?

श्री सभापति: आप विराजें, बिना आसन की अनुमति के कोई बोले, उसको अंकन नहीं करना है। माननीय सदस्य विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: श्रवण जी विराजें, आप।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी को इन्होंने एक सप्ताह में एसडीएम लगाने की बात कही है। दूसरा, मैं ध्यान में लाना चाहूंगा बहुत जरूरी बात हैं...

श्री सभापति: विराजें, विराजें। पहले आप बैठे, आसन पैरों पर है, आप पहले विराजे...

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): सभापति जी, एक बहुत जरूरी बात है...

श्री सभापति: परमिशन देंगे न, पहले आप बैठो। पहले आप बैठो, आसन पैरों पर है। हां, अब आप बोलें, क्या कह रहे थे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद। सीकर जिले में 50 परसेंट पटवारियों के पद रिक्त हैं। एक पटवारी दूसरे के क्षेत्र में जा नहीं रहा है। अभी-अभी अंधड़ और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ तो जिन क्षेत्रों में पटवारी नहीं है, नुकसान हुआ है, उनके आकलन की कोई व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य विराजें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मामूली बात।

श्री सभापति: बता दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में यह स्थिति बनी हुई है। पटवारी पिछले चार महीने से हड़ताल पर हैं जिन

(श्री धीरज गुर्जर)

गांवों में अतिरिक्त प्रभार दे रखा है उन पटवारियों ने अपने बस्ते तहसीलों में जमा करा दिये। अब वे गांवों में जा नहीं रहे हैं उससे लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसका हल निकालो आप।

श्री सभापति: थैंक यू। धीरज जी, विराजो। ठीक है। प्लीज। माननीय सदस्य सुखराम जी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: एक सैकिंड। मैंने सुखराम जी का नाम पुकार लिया है।

जालौर में अधिशेष 47 मेल नर्सो की मेडिकल कालेज, पाली में प्रतिनियुक्ति

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरे जालौर जिले के 47 एमएन सैकंड ग्रेड को अधिशेष बता करके मेडिकल कालेज पाली में प्रतिनियुक्त कर दिये। अभी तक न तो मेडिकल कालेज शुरू हुआ है। पाली से, जोधपुर से पहले भी एमएन लगाये हुए हैं न। जालौर हर क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, हर ब्लाक पर दो-दो आदर्श पीएचसी बनी हुई हैं। उनमें 24 घंटे ड्यूटी उन एमएन-II को देनी है। इसके साथ ही स्टाफ कम है। साथ ही केन्द्र सरकार की, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं पीएसपीवाई, जेएसके, नि:शुल्क दवा वितरण योजना, तमाम तरह के कार्य एमएन-II देखते हैं। साथ ही साथ जालौर जिला आईएमएन और एमएमआर में पूरे राजस्थान में दूसरे नम्बर पर है। यह पिछड़ा हुआ है। इतनी सुविधाएं वहां नहीं है। तमाम चीजें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक कालेज चालू नहीं हो, तब तक जो 47 लोगों को आपने अतिरिक्त मान करके वहां डैपुटेशन किया है, उन्हें निरस्त करने की कृपा कराएं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभपति महोदय, आपने 47 मेल नर्सों को अधिशेष बताकर मेडिकल कालेज, पाली में प्रतिनियुक्ति का जो स्थगन प्रस्ताव लगाया है उसका जवाब निम्न प्रकार से है।

निदेशालय के आदेश दिनांक 9.9.2016 के द्वारा नोर्म्स से अधिक सृजित नर्स श्रेणी द्वितीय के 4815 पदों को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप जिला जालौर में 47 पद समाप्त किये गये हैं। इस प्रकार अधिक 47 नर्स

(श्री कालीचरण सराफ)

श्रेणी-द्वितीय अधिशेष हो गये। इनका वेतन आहरण नहीं हो रहा था। इसके विपरीत जिला पाली में नवीन मेडिकल कालेज के संचालन के लिए 120 नर्स श्रेणी-द्वितीय की आवश्यकता होने पर जिला जालौर में अधिशेष 47 नर्स श्रेणी-द्वितीय को नवीन मेडिकल कालेज, पाली में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। जालौर जिले में नर्स-प्रथम 96 पद स्वीकृत हैं तथा 96 ही कार्यरत हैं। नर्स-द्वितीय के 165 पद स्वीकृत हैं उनके विरुद्ध 165 ही कार्यरत हैं। अधिशेष नर्स-द्वितीय को नवीन मेडिकल कालेज, पाली में लगाया गया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो जो पूर्व चिकित्सा मंत्री थे यहां विराजमान हैं, ने पहले यहां घोषणा की थी कि हम 72 हजार मेडिकल कर्मचारियों को लगा रहे हैं चाहे एमएन-I हो, सेकंड हो।

श्री सभापति: सुखराम जी, प्रश्न पूछिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन आपके मार्फत है कि एक तरफ तो नौकरी देने की बात कर रहे हो और अब अधिशेष बता रहे हो। मतलब पद ही समाप्त कर दिये तो पद क्यों समाप्त किये हैं? जब तक कालेज आपका चालू नहीं हो तब तक तो वहां रखा जाए कम से कम। कालेज चालू हो तब भले ही लगा देना। कालेज चालू है क्या? चालू है तो बता दो कालेज चालू है।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चालू है। देखिये जैसा मैंने कहा 4815 पदों को नोर्म्स से अधिक होने के कारण समाप्त किया गया है और उसमें जालौर के 47 पद हैं तो उनका वेतन ही आहरण नहीं होगा। तनख्वाह नहीं मिलेगी और वहां हमें 120 पद चहिए थे पाली मेडिकल कालेज में, इसलिए वहां लगा दिया या तो हम इनको हटा देते।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पद समाप्त किये ही क्यों आपने? एक तरफ तो आप नौकरी की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप पद समाप्त कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सुनिये। हमने तो सदाशयता बरतते हुए इनको हटाया नहीं, अदरवाइज इन 47 को हमें हटाना पड़ता। हमने नहीं हटा करके उनको पाली में लगा दिया जिससे कि ये बेरोजगार नहीं हों।

श्री सभापति: धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्रीमती अंजु देवी धानका, माननीय सदस्या।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: पहले विराजें आप। श्रीमती द्रोपती।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: कोई अंकन नहीं होगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पीलीबंगा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर निवेदन है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के निम्नलिखित गांव अभी तक सड़क मार्ग से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, जिस कारण से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी होती है।

1. गन्धेली से लालपुरा तक 3 किलोमीटर।

2. चक 2 एनजीएम से 99 आरडी तक 1.5 किलोमीटर।

3. केशरदेशर से हरदासवाली पूर्वी तक 4 किलोमीटर।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: कृपया विराजें। कोई अंकन नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): 4. रावतसर से चक 12 केडब्ल्यूडी तक 4 किलोमीटर।

5. खेदासरी से ठेठार तक 3 किलोमीटर।

6. चक 1 टीकेडब्ल्यू से केवलावाली ढाणी तक 4 किलोमीटर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्री सभापति: कृपया विराजें। आप कंटीन्यू करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 000

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): 7. उमेवाला से कुम्हारा वाली ढाणी तक 3 किलोमीटर।

(श्रीमती द्रोपती)

8. रावतसर मेघा हाइवे से चक 27 डीडब्ल्यूडी तक 4 किलोमीटर।

9. चक 32 आरडब्ल्यूडी से चक 1 एनडीडब्ल्यूडी वाया न्योलखी तक 3 किलोमीटर।

10. चक 2 सीएलडी से जैसाभट्टी तक 7 किलोमीटर।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करती हूं कि विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की उपरोक्त सड़कों को शीघ्र बनाकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री छोटू सिंह जी।

जैसलमेर जिले में राजकीय भूमि का संभावित खनिज क्षेत्र में अंकन

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले में राजकीय भूमि को खनिज संभावित दर्ज करने पर अन्य प्रयोजनार्थ अनारक्षित/आबंटित भूमि के कब्जे, रिकार्ड में अंकन एवं नामान्तरण की कार्यवाही में आ रही बाधाओं के निवारण के संबंध में।

महोदय, जैसलमेर जिले में करोड़ों बीघा राजकीय भूमि है तथा उस भूमि में से कई भू-भाग में खनिज क्षेत्र संभावित हैं जो कि राजस्व रिकार्ड में खनिज संभावित दर्ज हैं। राजकीय भूमि के ऐसे खनिज संभावित क्षेत्र दर्ज हैं। राजकीय भूमि के ऐसे खनिज संभावित क्षेत्र को वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सहित अनेक उद्देश्यों के लिए रखा गया है। जिले में क्रेशर प्रयोजनार्थ आरक्षित/आबंटित भूमि भी शामिल है। जिले के ग्राम काहला, बरमसर, जेठवाई, हड्डा, देव, अमरसागर, मूलसागर, पूनमसागर सहित सैकड़ों गांवों की भूमि में ऐसी भूमि आरक्षित की गयी है एवं उसको समय-समय पर आबंटित भी किया जाता है। उक्त भूमि में कई गांवों की ऐसी भूमि भी शामिल रही है, जिसे क्रेशर प्रयोजनार्थ पहले से ही आरक्षित किया गया था तथा उसमें से कई आबंटन भी कर दिये गये थे, परन्तु खनिज विभाग द्वारा उक्त भूमि खनिज संभावित क्षेत्र में दर्ज कर दी गयी है। क्रेशर हेतु ऐसी आबंटित भूमियों के राजस्व विभाग द्वारा कब्जे, नामान्तरण की कार्यवाही एवं रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया है, जिसके कारण क्रेशर संचालन अपना कार्य प्रारम्भ ही नहीं कर पा रहे हैं एवं जिन संचालकों द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं उनके कार्य भी रुके पड़े हैं। इसके अलावा खनिज संभावित क्षेत्र में क्रेशर आबंटन हेतु अन्य आरक्षित

(श्री छोटू सिंह)

भूखंडों का आबंटन रुके होने के कारण उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे क्रेशर आबंटन अथवा क्रेशर हेतु आरक्षित भूमि भूखंडों को खनिज प्रभावित क्षेत्रों की सूची से बाहर किया जाए अथवा आबंटन में खनिज विभाग द्वारा एनओसी जारी की जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती सोना देवी जी।

(13.00 बजे)

शारीरिक शिक्षकों की मांग

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शारीरिक शिक्षक पिछले चार वर्ष से अपनी वाजिब मांगों के लिये आंदोलनरत हैं जबकि सरकार ने सुराज संकल्प यात्रा के घोषणा पत्र में उन मांगों को पूरा करने का विश्वास दिलाया था मगर सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है लेकिन मांगें आज भी जस की तस हैं। इनमें प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:-

1. सीबीएसई की तर्ज पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य तथा कक्षा 11 से 12 तक ऐच्छिक विषय किया जाए।
2. छात्र अनुपात संख्या (120 नामांकन) की बाध्यता को समाप्त करते हुए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक का पद अनिवार्य रूप से दिया जाए।
3. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड प्रथम के पद को इनकैडर करते हुए अविलम्ब द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक से प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति की जाए।
4. न्यू स्टाफिंग पैटर्न के तहत राज्य सरकार के वादे अनुसार द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के पद दिये जाएं।

अत: मैं चाहती हूं कि उक्त प्रकरण के संबंध में यथाशीघ्र समाधान कर अनुगृहीत करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में सड़कों से वंचित राजस्व ग्राम

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने के संबंध में निवेदन है कि पूरे चार वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जो राजस्व गांव सड़क से नहीं जोड़े गये उनका सार्वजनिक निर्माण विभाग से सर्वे करवाकर उन्हें जोड़ने का जल्दी से जल्दी स्वीकृत करने की आवश्यकता है।

कई राजस्व गांव पंचायत हैड क्वार्टर बन गये हैं। जैसे सबलपुरा ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर को योजना से जोड़ें। कई सड़कें ऐसी हैं जिस रूट पर 8-10 गांव ढाणियों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे गढ़ी से राजस्व ग्राम कोठिया होता हुआ आडी गैली रोड तक। सामोता स्टैण्ड़ से खरिया की ढाणी होता हुआ नारायणपुर मेन सड़क तक। मुण्डावर ग्राम पंचायत के सामने से अजबपुरा सड़क तक। पंचायत मुण्डावरा के कानपुरा से लोजडोई वाला तक। ज्ञानपुरा से मदनसिंह की ढाणी से होता हुआ विलाली तक। नारायणपुर रोड से मालोड़ी के आखिरी छोर तक। नर्बद का बास बीच पीपल के पेड़ से राजपुरा सिख रोड तक। भग्गू का बास से छावड़ी बास होता हुआ बबेड़ी तक। रघुराथपुरा से हुणा की ढाणी होता हुआ चूला रोड तक। बामनवास पंचायत से हरसोरा तक। शिवनगर बोडी कोठी मालियों की ढाणी से छिपारी रोड तक। बानसूर रोड से अधोपिया की ढाणी होता हुआ कन्हैया नगर तक। बालावास से सुभाष नगर होता हुआ बानसूर रोड तक। हाजीपुर से बजी पापड़दा होता धामला का बास तक। हमीरपुर क्रसर एवं स्कूल के सामने से मालियों की ढाणी एवं मीण की ढाणी होता हुआ चूला तक। चूला रोड से कीरा की ढाणी तक।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, इसमें जो लिखा हुआ है वही आप पढ़िये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं वही पढ रही हूं। अत: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी कर वहां की जनता को अनुगृहीत करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री रामलाल गुर्जर।

चंबल पेयजल योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति

श्री राम लाल गुर्जर (आसींद): सभापति महोदय, विधान सभा की कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से चम्बल पेयजल योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध करवाने तथा टैंकरों के बकाया पेमेंट का भुगतान एवं नये परिवहन टैंकर चालू करने के संबंध में निवेदन है कि मेरे आसींद विधान सभा क्षेत्र में आसींद, बदनौर तथा हुरड़ा तहसील के ग्रामीण, शहरी व ढाणियां अब तक चम्बल पेयजल योजना से वंचित हैं। जबकि उक्त क्षेत्र में अब तक पेयजल की सप्लाई शुरू हो जानी चाहिये थी जबकि यहां बार-बार पानी की समस्या बनी रहती है व पेयजल हेतु टैंकर लगाने पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग पेयजल हेतु टैंकर का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए चंबल पेयजल योजना के कार्य की गति को तेज करते हुए महीने भर में पेयजल का संकट हल कर राहत प्रदान करें तथा ढाणियों व नये राजस्व गांवों में टैंकरों से पेयजल परिवहन की व्यवस्था करवाए जाये। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जिस गति से कार्य हो रहा है उस गति से हुरड़ा तहसील क्षेत्र में एक वर्ष का समय और लगने की संभावना है। अत: इस कार्य को भी अविलम्ब पूर्ण करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में पानी के टैंकर परिवहनों का पेमेंट अभी भी बाकी चल रहा है। अत: इन टैंकर वालों को पानी का भुगतान करवाया जाए व अब लगने वाले टैंकरों के लिये फंड की व्यवस्था रखकर समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल परिवहन व्यवस्था अविलम्ब शुरू की जाए।

साथ ही चंबल पेयजल योजना अंतर्गत पाइप काफी पुराने हो जाने से खराब हो गये हैं। अत: विभागीय पाइप एवं पीएनटी योजनाओं में चंबल योजना द्वारा 100 प्रतिशत पाइपों को बदलने का कार्य भी किया जाना अपेक्षित है। आसींद शहरी जल योजना में तीन उच्च जलाशय बनाना है जो कि पूर्व में बताया गया है एवं 100 प्रतिशत वितरण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य भी किया जाना शेष है, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री विवेक धाकड़ (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री भंवरसिंह।

बार्डर व अरबन होम गार्ड्स की समस्या

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य में सेवारत बार्डर व अरबन होम गार्ड जवानों की समस्याओं का समाधान करने के संबंध में निवेदन है कि राजस्थान बार्डर होम गार्ड की स्थापना 6 दिसम्बर, 1963 को की गयी थी। राजस्थान के अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती चार जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर व श्रीगंगानगर में चार बटालियन हैं। इनकी कुल नफरी 2664 जवान हैं। बार्डर होम गार्ड के जवानों को उच्च श्रेणी की ट्रेनिंग व आर्मी इंस्ट्रक्टरों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी गयी है और इन जवानों के पास आटोमेटिक हथियार हैं। इन जवानों के द्वारा आर्मी, बीएसएफ, पुलिस, आबकारी, विद्युत विभाग, जेल विभाग, रेल विभाग, खनन विभाग, हाई कोर्ट जयपुर, जोधपुर, चिकित्सालयों, यातायात इत्यादि विभागों में सेवाएं दी जा रही हैं।

वहीं पूरे प्रदेश में राजस्थान अरबन होम गार्डस के जवानों के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। इन जवानों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना व आंदोलन किया जा रहा है। इनकी प्रमुख मांग राजस्थान में होम गार्ड जवानों को अन्य राज्यों की भांति 12 माह नियमित रोजगार दिया जाए। जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, चण्डीगढ़, तेलंगाना, अण्डमान निकोबार आदि में होम गार्ड को नियमित ड्यूटी दी जाती है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए पुलिस समान मानदेय/वेतन लागू किया जाए।

अन्य राज्यों की भांति नवीनीकरण प्रथा को समाप्त करते हुए होम गार्ड जवानों की सेवा अवधि 60 वर्ष की जाए। राजस्थान में अरबन होम गार्ड जवानों को भी बार्डर होम गार्ड की भांति हथियार लाइसेंस दिया जाए तथा दोनों दलों का राजस्थान पुलिस की भांति वेतनमान, भत्ते व सेवा में स्थायीकरण किया जाए ताकि दोनों दलों में सेवा दे रहे स्वयं सेवक सम्मान का जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री बाबू सिंह।

बालेसर व सेखाला में नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जिला जोधपुर के उपखंड व पंचायत समिति मुख्यालय शेरगढ़ उपखण्ड व पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर व पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने हेतु प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान से देश की रक्षा के लिये सर्वाधिक सपूत भेजे जाने वाले जोधपुर जिले का विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ शहीदों व सैनिकों की सरजमीं रहा है। शेरगढ़ की इस वीर प्रसूता धरती की फिजाओं में देश के लिये शहादत देने वाले सपूतों व सैनिकों की पुश्तैनी परम्परा समाहित है। जहां कुल तीन पंचायत समितियां, 84 ग्राम पंचायतों में लगभग 550 राजस्व ग्राम हैं, एवं वर्तमान में लगभग 17 हजार सैन्य कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/शहीद के परिवार निवासरत हैं। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिये कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में संयुक्त परिवार प्रथा के चलते सैनिक देश की सरहदों पर विषम परिस्थितियों में भारत मां की सुरक्षा करते हैं एवं उनकी पत्नी व बच्चे अपने संयुक्त परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। सैनिकों के बच्चे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के अभाव में मुख्य धारा, प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़कर बाहर हो जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय अधिकारी/कर्मचारी यथा- भारतीय डाक सेवा, खाद्य सेवा, दूर संचार सेवा, केन्द्रीय भण्डार निगम, पावर ग्रिड कारपोरेशन, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा सम्पूर्ण भारत के अन्य केन्द्रीय सेवाओं में सेवारत हैं। यहां की कुल जनसंख्या 6.00 लाख है एवं कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विद्यार्थियों को केन्द्रीय विद्यालय की उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक वातावरण में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रतिस्पर्धा के दौर में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होगा। अत: विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड व पंचायत समिति शेरगढ़, उप खंड व पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर व पंचायत समिति मुख्यालय सेखाला पर नवीन केन्द्रीय विद्यालय खुलवाने हेतु केन्द्र सरकार को अनुशंसा भिजवाने का श्रम करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री शंकरलाल शर्मा (अनुपस्थित) माननीय सदस्य श्री जगदीश नारायण जी।

36 इंच की आरा मशीनों का लाइसेंस

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत प्रदेश में 36 इंच की आरा मशीनों के लाइसेंस जारी किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में खाती समाज व अन्य लोगों द्वारा कई सालों से आरा मशीन से लकड़ी काटकर लकड़ी से दैनिक जीवन की आवश्यक उपयोगी चीजें बनाकर अपना जीवन यापन किया जा रहा था। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय से बड़ी आरा मशीनों पर रोक लगा दी गयी तथा 24 इंच तक की आरा मशीनों के लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिये गये। बड़ी मशीनों के बंद होने से खाती समाज के अधिकांश लोग बेरोजगार हो गये हैं तथा जिसके कारण खाती समाज व अन्य व्यक्ति जो लकड़ी का व्यापार करते थे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जिससे उनके परिवार का पालन पोषण करने में उनको गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 24 इंच की आरा मशीनें बहुत छोटी होती हैं, इनसे मोटी लकड़ी की कटाई नहीं हो पाती है। अत: ऐसी स्थिति में खाती समाज के लोगों को 36 इंच की आरा मशीन चलाने का लाइसेंस सरकार द्वारा दिया जाए, जिससे कि खाती समाज के लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें और अन्य समाज को सेवाएं दे सकें।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुददे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि खाती समाज के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 36 इंच की आरा मशीन चलाने के लाइसेंस जारी किए जाएं एवं साथ ही, लाइसेंस जारी करने के नियमों का सरलीकरण भी किया जाए, ताकि आम कुशल कारीगर आसानी से उक्त मशीनों का लाइसेंस ले सकें और अपनी आजीविका चला सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। माननीय सदस्य, श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुददे

शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति और राशमी एवं कपासन में जे.ईएन. व ए.ईएन. के रिक्त पद

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी को ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है। कई बार कहा है। तत्कालीन मंत्री किरण माहेश्वरी के पास यह विभाग था तो वे जब कपासन में चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में आयी थीं, तब उन्होंने कपासन शहर की योजना का विस्तार करने के लिये बामणिया, पारी, उंचा नेवरा, भालोटा, और बारू के लिये घोषणा की थी कि इनकी अतिशीघ्र स्वीकृति कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद दो-ढाई साल हो गये, तीन साल होने के आये, वे चले गये। फिर हमारे मंत्री जी बदल गये। मंत्रीजी बदलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो इस योजना की स्वीकृति हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या?

बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरा-ए-खून निकला।

हालात ये रहे मैं सोच रहा था कि ये तो जल्दी कर देंगे। मैं कम-से-कम बीस-तीस बार आपके पास गया, इस योजना का कुछ करो, हल करो। लगभग एक महीने पहले मैं खुद ही विभाग में गया, चीफ इंजीनियर आफिस, जयपुर में। वहां पर देखा कि मेरे कपासन की पेयजल योजना की जो फाइल पड़ी हुई है, उनको पूछा। चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि अभी दिखवाते हैं तो उन्होंने कहा कि यह आब्जर्वेशन के बाद एक महीने पहले आयी है। मैंने कहा कि इसमें क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ ही नहीं किया है। मैंने कहा, क्या किया, कुछ नहीं किया, मतलब क्या है? फिर मैंने मंत्रीजी को आकर कहा कि एक महीने से पड़ी हुई है, कुछ भी नहीं है, दो-तीन दिन बाद एस.ई. मीटिंग है, आप बुलवा लो, उसमें लगवा दो। आपने फोन कर दिया, आपका फोन जाने के बाद अधिकारियों ने और आब्जर्वेशन लगा दिया। मैंने कहा, ये ठीक हुआ। मैंने कहा, इससे तो अच्छा था कि मंत्रीजी को नहीं कहते, गुपचुप ही लगवा देते तो ही काम हो जाता। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

मेरे क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की कुछ फाइलें और पड़ी हुई हैं। हैंड पम्प स्कीम हैं, उनका जे.जे.वाई. के अंदर परिवर्तन करने के लिए जो नार्म्स के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

अंदर आ रही हैं, 1500 की आबादी से ज्यादा वाली, उनके अंदर पारी है, बारू है, ऊंचा है, नेवरा है, बालोटा की खेड़ी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने पर्ची किसके लिये लगायी है?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पर्ची यही है, पेयजल संकट और रिक्त पदों के बारे में है।

श्री सभापति: जे.ईएन. व ए.ईएन. के पद रिक्त होने से...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप उससे एक लाइन ऊपर पढ़ो। कपासन पेयजल योजना के बारे में है। शहरी पेयजल हो, पानी तो पानी है। शहर का आदमी गांव में नहीं जाएगा और गांव का आदमी शहर में नहीं जाएगा? हम शहर में रह लेंगे या गांव में रह लेंगे। मंत्रीजी, आपके पास जवाब नहीं है तो मैं वैसे ही बैठ जाता हूं। (व्यवधान) आपसे नहीं बोल रहा हूं। आपके राज में पानी का जो भट्टा बैठाया, 50 वर्षों में जो भट्टा बैठाया, उसी का यह परिणाम है। यह तो वही परिणाम है। मेरा निवेदन है कि जे.जे.वाई. की जो स्कीमें हैं, उनको अतिशीघ्र स्वीकृत कराने का काम करें।

दूसरा एक निवेदन है कि आपने अपने विभाग में जे.ईएन. लगा रखे हैं, ए.ईएन. लगा रखे हैं, एक्स.ई.एन. बैठा हुआ है, ए.सी. बैठा हुआ है, एडिशनल चीफ बैठा हुआ है और यहां पर चीफ इंजीनियर बैठा हुआ है। एक-दूसरे की कन्सर्न से, एक-दूसरे को जांचने के बाद फाइलें आगे बढ़ती हैं। फिर वापस आब्जर्वेशन... ये आब्जर्वेशन कब तक लगता रहेगा? इस तरह फाइलों में आब्जर्वेशन लगाकर विभाग को चलाना है तो चलाते रहो। लगातार यह करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी? बार-बार कहने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। उदयपुर में बैठा हुआ करोल, जो कि एडिशनल चीफ इंजीनियर है या तो उसकी डिग्री फर्जी है, या जो जयपुर में बैठा है, उसकी डिग्री फर्जी है, या एस.ई. की डिग्री फर्जी है। आपको पता होना चाहिए, जब नार्म्स बना रखे हैं। इन नार्म्स के आधार पर पेयजल योजना स्वीकृत होती है और उसी के अनुसार तख़मीना बनता है, जब उन तखमीनों में ही गलती निकलती है तो कोई न कोई फर्जी डिग्री वाला बैठा हुआ है। यह आपको देखना पड़ेगा, उनकी जांच कराओ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग में जो लापरवाही का आलम है, यह लापरवाही का आलम रहेगा तो राजस्थान की जनता को अच्छा व शुद्ध पेयजल नहीं मिलेगा। इनके अलावा भी आपने, जब किरण जी थीं, मैं तो वहां

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

से भी कहूंगा, जब 1993 में भंवर लाल जी शर्मा थे, उन्होंने पेयजल योजना स्वीकृत की, सांवर जी ने पेयजल योजना स्वीकृत की, किरण जी ने की, आपने भी की और लेकिन इस प्रकार से सुस्तीवाड़ा चलेगा, इस सुस्तीवाड़े को हटाने की जरूरत है।

मैंने आपसे निवेदन किया था कि उपखण्ड मुख्यालय राशनी में एक लाख की आबादी है। एक लाख की आबादी पर ए.ई.एन. आफिस नहीं है। मैंने ए.ई.एन. आफिस खोलने के लिये निवेदन किया। चलो कोई बात नहीं, ए.ई.एन. नहीं है। (व्यवधान) मदन जी रुको। इस तरह से नहीं चलेगा। मैं यह कह रहा हूं कि जे.ई.एन. के पद भी खाली हैं। एक लाख की आबादी पर जे.ई.एन. नहीं होगा तो पेयजल योजना कौन बनाएगा? राशमी उपखण्ड मुख्यालय है, यह मेरा निजी गांव है। मेरे पीछे आपका आफिस है, वहां पर जे.ई.एन. नहीं है। मैं क्या करूं? गांव वाले मुझे रोज आकर कहते हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं। मैंने कहा कि स्थानान्तरण कर दो। कपासन उपखण्ड मुख्यालय, नगरपालिका की डेढ़ लाख की आबादी है, वहां ए.ई.एन. का पद खाली है। भोपालसागर एक लाख की आबादी, ए.ई.एन. का पद खाली, जे.ई.एन. का पद खाली। समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा? मैं आपसे लगातार बार-बार निवेदन कर रहा हूं। मैंने ट्रांसफर की लिस्ट दी। अपने कहा ट्रांसफर नहीं हो सकता, बैन लगा हुआ है।

आप जिनका करना चाहते हैं, उनके ट्रांसफर आपने किये। मैंने पूछा ये लिस्ट कैसे निकली? यह मैं नहीं जानता। आपके विभाग की आप नहीं जानते हो तो क्या अधिकारी से पूछूं, किससे जाकर के पूछूंगा?

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। आप विराजें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट रुकिये आप। मदन जी, आप रुको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त कीजिए। कृपया समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): प्लीज, प्लीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। मैं आदेश की पालना कर रहा हूं। मंत्रीजी के आदेश की पालना करूंगा लेकिन मेरा निवेदन आप सुनें। मेरा निवेदन है कपासन शहर की पेयजल योजना के आब्जर्वेशन अतिशीघ्र रिमूव कराकर भेजें और हैंड पंप की जो जेजेवाई स्कीम्स लानी है, उनको करें। एक हमारे उपखण्ड मुख्यालय

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

राशमी में जिसकी आबादी ज्यादा है, उपखण्ड कार्यालय खोल दें और जो जेईएन और एईएन की पोस्टें खाली है, उनको भर दें। एक निवेदन और करूंगा टैंडर ..

श्री सभापति: नहीं, नहीं, टैंडर का आपने कोई नहीं दिया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): नहीं, मेरी बात सुनिये। पानी की समस्या है और पंप सैट के टैंडर लगे चार-चार महीने हो गये। उनके अभी वर्क -आर्डर जारी नहीं हुए। मेरे क्षेत्र में दस-दस दिन से पेयजल के पंप सैट जले हुए पड़े हैं। मेरा आग्रह है इनका समाधान करने का काम करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी रैस्पोंड करना चाहेंगे?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): बिल्कुल। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने शहरी पेयजल योजना कपासन का जिक्र किया। उसके साथ-साथ में कई प्रकार की व्यवस्थाओं के नहीं होने के बारे में, खाली पदों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। मैं इनको इतना ही निवेदन कर दूं कि इनकी कपासन शहर की स्कीम 4 करोड़ 99 लाख की आयी हुई है। मैं इसका परीक्षण करवा रहा हूं और परीक्षण के बाद में अगर टैक्निकली फिजिबल होगा तो इस पर स्वीकृति की कार्यवाही करूंगा। जहां तक इन्होंने एईएन और जेईएन के पद खाली होने की बात की है। माननीय सभापति महोदय, राशमी और कपासन में सहायक अभियंता के पद रिक्त होने की स्थिति के संबंध में बताना चाहूंगा कि रतन लाल कुमावत, सहायक अभियंता के दिनांक 30.9.17 को सेवानिवृत्त होने से उपखण्ड कपासन में सहायक अभियंता के रिक्त पद पर श्री दिनेश चंद कूर्मी का पदस्थापन किया जा चुका है, परन्तु उनके द्वारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है। वर्तमान उपखण्ड कपासन में सहायक अभियंता के रिक्त पद पर अतिरिक्त पद भार श्री पीयूष कुमार मोदी, सहायक अभियंता, उपखण्ड भदेसर के पास है। इसी प्रकार उपखण्ड कपासन के अधीन प्रखण्ड राशमी में कनिष्ठ अभियंता श्री चेतन पंवार द्वारा त्यागपत्र देने से पद रिक्त हो गया, उस पर श्री रामप्रसाद जाट का पदस्थापन दिनांक 07.12.17 के द्वारा किया जा चुका है परन्तु उनके द्वारा भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया है। वर्तमान में उपखण्ड राशमी का अतिरक्त पद भार श्री चंपालाल बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, कपासन

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
के पास है। इनको मैं अविलम्ब नवीन पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य घनश्याम जी।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को लाभ

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा योजना, गरीब, समाज से वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, ऐसे लोगों के लिए दो समय के भोजन के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारी माननीय पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर लागू की थी। प्रदेशवासियों के कल्याण एवं कुपोषण से सुरक्षा हेतु यह योजना लागू की गयी थी। लेकिन प्रदेश में इस योजना का लाभ पात्रधारियों को नहीं मिल पा रहा है। अनेक अपात्र व्यक्ति अपनी राजनीतिक पहुंच व प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण लाभान्वित हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो पात्र व्यक्ति हैं, वे दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। एसडीएम कार्यालय, डीएसओ कार्यालय पर जा-जाकर रोज गुहार लगा रहे हैं। अपात्र व्यक्तियों के नाम एक माह की अवधि में एनएफएसए की सूची से हटाए जाने हेतु खाद्य विभाग ने आदेश दिनांक 14.11.2017 को निकाले थे। सभी एसडीओ को निर्देश दिए गये थे, किन्तु प्रदेश में किसी भी एसडीओ ने अपात्रधारियों के नाम नहीं हटाये और हटाये हैं तो कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम हटाये हैं, राजनीतिक द्वेषता से कार्यवाही की गयी है जो निंदनीय है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रधारी व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने हेतु एसडीओ के यहां अपील का प्रावधान है। किन्तु एसडीओ ऐसे पात्रधारियों के नाम नहीं जोड़ रहा है। हजारों अपीलें एसडीएम, डीएसओ, बीडीओ के पास लंबित हैं। सरकार के द्वारा इनकी जांच एवं निस्तारण हेतु कोई समय-सीमा तय नहीं की गयी है। सभापित महोदय, एसडीओ नाम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पात्र निर्धारित 70 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने के टार्गेट पूरे हो चुके हैं। इस टार्गेट का यह पता नहीं है कि यह ग्राम पंचायत लेवल पर टार्गेट पूरे होने हैं, या पंचायत समिति लेवल पर

(श्री घनश्याम)

टार्गेट पूरे होने हैं, या जिला स्तर पर टार्गेट पूरे होने हैं। सरकार को इसका दायरा फिक्स करना चाहिए कि जिले में टार्गेट पूरे होने हैं, या तहसील पर होने हैं, या ग्राम पंचायत स्तर पर होने हैं। उनको आए दिन टरका देते हैं कि हमारे टार्गेट पूरे हो गये। जिनको एसडीओ चाहता है, अपने चहेते लोगों का या लेन-देन करके नाम जोड़ दिये जाते हैं। परन्तु अभी हमारे यहां जो व्यवस्था है, उसमें एक भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है।

इसी तरह से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 22.11.2017 से सोशल आडिट के निर्देश भी दिये गये हैं किन्तु पूरे प्रदेश में कोई सोशल आडिट नहीं हो रही है। ग्राम स्तरीय कमेटी सोशल आडिट नहीं कर पा रही है। जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर भी यह कमेटियां बनायी गयी हैं परन्तु आज तक इन कमेटियों के द्वारा न तो कोई मीटिंग हुई है, न इस तरह की कोई कार्यवाही की गयी है। माननीय सभापति महोदय, अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाये जाने तथा पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने हेतु सख्त निर्देश जारी किये जाएं। एसडीओ को प्राप्त अपीलों के संबंध में निस्तारण हेतु लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी योजना में सम्मिलित किए जाने की आपके द्वारा मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करता हूं। गरीब लोगों, गांव के पिछड़े हैं, वंचित हैं, ये लोग रोज-रोज दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और गरीबों की हाय लोगे तो जड़-मूल से इस सरकार को गरीब खोदेंगे। अभी पिछले तीन चुनाव के रिजल्ट भी इस बात को साबित करते हैं कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना विषय रखो। बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मेरा आपसे निवेदन है कि गरीबों की हाय आपको नहीं लेनी चाहिए। उपखण्ड अधिकारी को आपको निर्देशित करना होगा। एक समय सीमा तय करनी होगी कि इतने दिनों में आप या तो उसको सूचित करें कि आपका नाम नहीं जोड़ सकते और जो परिवार बड़े हैं, पैसे वाले हैं, जिनके ट्रैक्टर है, जमीन ज्यादा है, उनके नाम आपने जोड़ रखे हैं। गवर्नमेंट ने 2017 में आदेश कर दिये थे कि इनके नाम सर्वे कराकर काट देंगे। न तो उनके नाम हटाये जा रहे हैं, न गरीबों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इस तरह से खाद्य सुरक्षा के तहत अव्यवस्था हो रही है। हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा

(श्री घनश्याम)

को लागू किया जिसका आपने पूरी तरह से भट्टा बैठा दिया। आज गरीब दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप विराजें। आप रैस्पोंड करना चाहेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की भूमिका बनाकर अपनी बात रखी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इन्होंने कहा कि इनकी पूर्व अध्यक्ष के टाइम यह नियम बने और नाम जोड़े। अक्टूबर, 2013 में यह अधिनियम बनाया है। उस समय आपकी सरकार थी राजस्थान में, उस समय इनको चुनाव में जाने की जल्दी थी। उस समय अधिनियम के नियम बना कि शहरी क्षेत्र में तो 53 परसेंट और ...(व्यवधान) बात तो सुनिए आप।

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलते।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपने अपनी बात कही, मैंने सुनी। मैं भी अपनी बात कह रहा हूं आपके सामने। ग्रामीण क्षेत्र में 69 परसेंट नाम जोड़ने का कानून में प्रावधान किया, उसके तहत आपको नाम जोड़ने थे। उस टाइम तो चुनावों में वोट लेने के हिसाब से न तो इन्होंने पात्रता देखी, न कोई चीज देखी। राजस्थान में जहां 4 करोड़ 46 लाख लोगों के नाम जुड़ने थे, साढ़े पांच करोड़ नाम जोड़ दिये। उस समय अव्यवस्था ऐसी बनी कि किसी पात्र व्यक्ति को 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, पात्र व्यक्ति को यदि 5 किलो, जो अधिनियम में प्रावधान था, वह गेहूं भी देने की स्थिति नहीं थी। जब हमारी सरकार आयी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया कि निश्चित रूप से पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ने चाहिए। उसके तहत आज भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेटी बनी हुई है और उसमें प्रावधान है, जैसा माननीय सदस्य ने समय सीमा के लिए कहा है, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर राजस्थान प्रदेश को यूनिट माना गया है। उसके तहत आज की तारीख में भी राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश हैं, पात्र व्यक्तियों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है, गेहूं दिया जा रहा है। 4 करोड़ 42 लाख 92 हजार 855 लाभार्थियों को आज की तारीख में गेहूं दिया जा रहा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन यह है कि पात्र व्यक्ति कोई भी है...

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं आपकी हर चीज का जवाब दूंगा।

श्री सभापति: पहले आप विराजें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कोई भी पात्र व्यक्ति है उसको आप जोड़ दीजिए।

श्री सभापति: पहले आप विराजें। अंकित नहीं होगा। इनका वक्तव्य पूरा होने दें।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पात्र व्यक्तियों को गेहूं देने के लिए अपील करने का प्रावधान है। पहले यह अपील करने का प्रावधान एसडीएम साहब के पास था। लेकिन उसके साथ-साथ, उसका सरलीकरण करते हुए विभाग ने यह तय किया कि इसको एसडीएम के साथ-साथ, डीएसओ को भी अधिकृत किया। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में आपके विधान सभा क्षेत्र में, अभी आपने कहा कि मेरे यहां एक भी नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके टोडाभीम क्षेत्र में हमें 395 अपील प्राप्त हुई, 116 हमने स्वीकृत कीं, 162 दस्तावेज के अभाव में खारिज हुई, मात्र 117 शेष हैं। नादौती में 776 अपील प्राप्त हुई, हमने 280 सैंक्शन कीं, 440 में दस्तावेज नहीं थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें आज की तारीख में दो चीज़ें लगानी हैं। जिस पात्रता के आधार लाभार्थी अपना नाम जुड़वाना चाहता है वह पात्रता का दस्तावेज लगा दे। उसके साथ ही हमने इसमें यह भी सरलीकरण किया है कि यदि वह निष्कासन की श्रेणी में नहीं आता है तो अपनी एक अंडरटेकिंग दे दे। इन दो दस्तावेज के आधार पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो लक्ष्य है, जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग, क्योंकि ग़रीबों का हक है, ग़रीबों को निश्चित रूप से दो रुपये किलो का गेहूं NFSA योजना के तहत मिलना चाहिए। हम निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के गरीब लोगों को गेहूं बांटने का काम कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी पात्र व्यक्ति है, चूंकि राजस्थान को यूनिट माना है, इसमें न ही जिले को, न ही नगरपालिका, न ही पंचायत को। अगर कोई पात्र व्यक्ति है, एक नियमित

(श्री बाबूलाल वर्मा)

प्रक्रिया है जिसमें नाम जोड़ने का और नाम हटाने का काम निरंतर रूप से जारी है।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, श्री गोतम कुमार जी।

सरीपीपली से उठाखेड़ा के बीच जाखम नदी पर पुलिया का निर्माण

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ ज़िले की बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जिले में सरीपीपली और उठाखेड़ा गांव स्थित है, सरीपीपली एक पूरी पंचायत है। उसमें लगभग 4-5 हजार लोग निवासरत हैं। गांव जाखम नदी के उस पार है। बारिश में जब जाखम का पानी आता है तो वहां जाने के लिए मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। उस नदी पर 8-8 दिन तक, कभी तो 15-15 दिन तक भी पानी का उतार नहीं आता है। ऐसे में 15-15 दिन तक सरीपीपली के बाशिंदे दुनिया से कट जाते हैं। उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो न तो अस्पताल जा सकता है, न ही कहीं और जा सकता है। छोटी-मोटी जरूरतों का सामान भी नहीं मिल पाता। सरीपीपली बिलकुल इंटीरियर की पंचायत है, जंगल से लगी पंचायत है। 4-5 हजार लोग वहां निवासरत हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए, जब भी सदन में इस पुलिया के बारे में बात हुई तो मंत्रीजी ने हमेशा आश्वासन दिया कि इस बार करते हैं, इस बार करते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आज हमेशा की तरह आश्वासन नहीं देकर, घोषणा करें। इस बार बजट में, पीडब्ल्यूडी की डिमांड थी उस रिप्लाई में, यह पुलिया कहीं न कहीं रह गयी है। इस पुलिया की आज आप घोषणा करें।

जिस तरह से राजस्थान को सार्वजनिक निर्माण विभाग में तरह-तरह की सौग़ातें मिली हैं, हरेक को खुश किया गया है। हमारी मीसिंग लिंक की बात थी वह तो आपने पूरी की है। हमें सड़कें भी खूब सारी मिली हैं। लेकिन इस पांच साल के दौरान एक ही पुलिया मांगी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है, वहां के लोग पुलिया नहीं होने से बारिश के चार महीने परेशान रहते हैं। बारिश के बाद भी परेशान रहते हैं। बारिश के बाद हर साल, वह

(श्री गोतम कुमार)

पुलिया जर्जर अवस्था में होकर टूट जाती है, पुलिया टूटने के बाद वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है, उस पुलिया पर बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों की परेशानी को देखते हुए, उस पुलिया की आज ही घोषणा करके, शीघ्र ही स्वीकृति जारी कराने की कृपा करें। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस पुलिया का जिक्र किया है, यह पुल सरीपीपली और उठाखेड़ा, यह ग्रामीण रोड है। पूरे राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण हुआ है। नेशनल हाई वे, स्टेट हाई वे, एमडीआर, डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद सबसे नीचे की श्रेणी में ग्रामीण रोड है। उसी पर यह जाखम नदी पड़ती है। वर्तमान में वेंटेड काज-वे बना हुआ है। यह सही है कि सामान्य वर्षा के दरमियान तो इसमें यातायात चालू रहता है पर कई बार जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है, पिछली बार भी 10-15 फिट इसमें पानी आ गया। उच्च स्तरीय पुल निर्माण, इसकी लागत लगभग 5 करोड़ रुपये आएगी। चूंकि यह ग्रामीण स्तर है अत: उच्च स्तरीय पुल निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा कि पुल बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। आपको 15 किलोमीटर मिसिंग लिंक लिंक दी गयी है। आप वैकल्पिक रूप से अपनी अभिशंसा में अगर उस पुल को लेना चाहेंगे तो एकाध मिसिंग लिंक को कम कर देना। हम विभाग की तरफ से परीक्षण कराएंगे और परीक्षण कराकर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पुल का निर्माण हो। मैंने निवेदन किया न मिसिंग लिंक आपको दी गयी, उसमें दो मिसिंग लिंक कम कर दें। पाँच करोड़ रुपये का है, पांच करोड़ रुपये दे देंगे।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): मिसिंग लिंक से होगा नहीं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय। श्री प्रतापलाल जी भील।

गोगुन्दा के आदिवासियों को वनाधिकार पत्र

श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उदयपुर जिले की गोगुन्दा, कोटड़ा, झाड़ोल, खैरवाड़ा, सलूम्बर, गिर्वा तहसीलें हैं वह वन क्षेत्र में हैं। यहां के

(श्री प्रताप लाल भील)

आदिवासी वन क्षेत्र में रहते हैं। लंबे समय से संघर्ष करने के बाद भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया था। 2005 से 2008 वन अधिकार पत्र आदिवासियों को दिये गये थे। उसके बाद अभी तक कोई अधिकार पत्र नहीं दिये गये। उदयपुर ज़िले के उपखण्ड कोटड़ा व गोगुन्दा में आवेदन पैंडिंग है, अभी तक निस्तारण नहीं हुआ। उनके अलावा ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको वन अधिकार पत्र दे सकते हैं, वह भी इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं।

उसके अलावा, इस एक्ट में 2005 के पूर्व सड़क, आंगनबाड़ी या ग्राम पंचायत भवन है, विद्युत लाइन है, यह सारी चीज़ें इसमें समाहित करके सामुदायिक वन अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन एक भी ऐसा सामुदायिक अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वर्तमान में कुछ वन अधिकार पत्र बने हैं, वह एसडीओ कार्यालय में पैंडिंग पड़े हैं, उन लोगों को नहीं दिये गये हैं, जहां पर अभी तक वन अधिकार दिए जाने हैं। उनको वन अधिकार पत्र दिए जाएंगे, आगे इनकी क्या कार्यवाही है, आप बताने की कृपा करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह बात सही है कि भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया। उसी के अनुरूप राजस्थान में भी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत 13.12.2005 से वन भूमि पर जो निवास कर रहे थे, ऐसे वनवासियों को वन अधिकार पत्र दिए जाने का निर्णय लिया गया।

सभापति महोदय, इसी अधिनियम के अंतर्गत तीन कमेटियां अलग-अलग स्तर की बनी हुई हैं। पहली कमेटी है ग्राम स्तरीय वन अधिकारी समिति, दूसरी समिति है उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति और तीसरी समिति है जिला स्तरीय वन अधिकार समिति। इन तीनों समितियों में सत्यापन होने पर वन अधिकार पत्र जारी किया जाता है। माननीय सदस्य ने कोटड़ा, गोगुन्दा और झाड़ोल, विशेष तौर पर गोगुन्दा उप खण्ड की बात इन्होंने कही है।

गोगुन्दा उप खण्ड में माह जनवरी, 2018 तक कुल 2282 दावे प्राप्त हुए हैं। इन दावों में से उप खण्ड स्तरीय 852 दावे स्वीकृत भी हो गये हैं। इनमें 1430 दावे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत किये गये हैं। इसी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रकार जिला स्तरीय समिति के पास गोगुन्दा के 707 दावे स्वीकृत किये गये हैं और 82 दावे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अस्वीकृत किये गये हैं। जिला स्तर पर जो दावे स्वीकृत हुए हैं उसमें से 355 हैक्टेयर भूमि के वन अधिकार पत्र जारी कर दिये गये हैं। इसके पश्चात भी अगर माननीय सदस्य कोई बात लिखित में देंगे, आपकी जानकारी में होंगे कि इन तीनों समितियों में कहीं भी वन अधिकार के पात्रताधारी, जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, 13.12.2005 से पूर्व बसे हुए हैं, अगर ऐसे वनवासी वन भूमि पर निवास कर रहे थे और उनको अगर ये वन अधिकार पत्र नहीं दिये गये तो निश्चित तौर पर उनका गम्भीरता से परीक्षण करवाकर, माननीय सदस्य से पूरी जानकारी लेकर, समस्या का समाधान करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से वन विभाग के बारे में ही पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में कोटड़ा के एक जो हमारा काला मगरा गांव है, वहां पर आदिवासी किसान रहते हैं और 1969 में अलाटमेंट हो गया, खातेदारी हो गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह इत्तिला कहां से आयेगी। एक सरप्राइज्ड इत्तिला, तुरन्त कहां से लायेंगे।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): नहीं, नहीं, माननीय सभापति महोदय, वन विभाग में जो अलाटमेंट हो गये और वन अधिकार की जो जमीन दी, वह 2080 में दी। वन विभाग वाले उनको परेशान कर रहे हैं, जिनको खातेदारी में दे दी। फिर भी, उनके खाते होने के बाद में उनको जमीन दी, उसमें वे कब्जा कर रहे हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये। यह नया विषय है। यह विषय थोड़ा अलग है। (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यह मैटर वन विभाग का ही है।

श्री सभापति: विषय अलग है न। इस विषय का तुरन्त अभी सरकार कैसे जवाब देगी। आप मंत्री महोदय से मिल लेना, आपका पूरा समाधान करेंगे।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जी, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, प्रतिवेदन।

श्री राजपाल सिंह शेखावात, उद्योग मंत्री, भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (राज्य वित्त) सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2017

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राज्य वित्त) सदन की मेज पर रखता हूं।

आपत्ति

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद पेश करने पर

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, कल एप्रोप्रिएशन बिल हो गया, सब पास हो गया और आज माननीय मंत्री महोदय ने यह प्रस्तुत किया।

श्री सभापति: एक सैकण्ड आप विराजें। एक सैकण्ड मेरा निवेदन है। आप विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सुनिये, आप विराजिये एक बार। मैंने आब्जेक्शन नहीं उठाया। क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्थाएं कर दी थीं।

श्री सभापति: बस, मैं यही कह रहा था कि उन्होंने व्यवस्था कर दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ बात छिपाई गयी है। आज इसमें मुझे जानकारी में पता लगा है कि राज्य सरकार के जो अपने वित्त के मापदण्ड हैं, उनमें से एक पर भी खरी नहीं उतरी, इसलिये इसको छिपाया गया और आज प्रस्तुत किया गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कल भी जैसे मैंने निवेदन किया था। कल मैंने नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का राजस्व का प्रतिवेदन पेश किया था। तब मैंने इसका भी हवाला दिया था कि स्टेट फाइनेंसेज का प्रतिवेदन मैं आज रखूंगा। तब मैंने आपको लगातार कई वर्षो के बारे में बताया था। सी.ए.जी. की रिपोर्ट सी.ए.जी. तैयार करते हैं। सी.ए.जी. को सरकार केवल निवेदन कर सकती है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट सदन के सामने पेश करने के लिये जल्दी भेजें। गये छह-सात सालों का मैंने कल ब्यौरा दिया था। उस ब्यौरे में मैंने बताया कि सरकार को जिस दिन सी.ए.जी. की रिपोर्ट की रिसीट है, उस रिसीट और सदन में पेश करने में छह-छह, सात-सात महीनों की देरी हुई है। यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो हमने सदन में आज पेश की है, वह 26 तारीख को हमको मिली। 26 तारीख को मिलने के बाद में इस रिपोर्ट को हम कैबिनेट में ले गये। कैबिनेट की एप्रूवल के बाद गवर्नर साहब के 4 तारीख को साइन कराये। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर से हमने आथेंटिकेशन कराया और आथेंटिकेशन कराने के बाद आज यहां पर सदन के सामने पेश किया है। मैं समझता हूं कि गये एक दशक में सरकार को रिपोर्ट मिलने के बाद सदन में पेश करने के बीच में, एक हफ्ते के बीच यह पहली बार दस साल में पेश हुई है। मैं समझता हूं छिपाने का कोई कारण नहीं बनता।

बजट को पेश करते हैं, उस बजट के अन्दर, लगातार जब बजट पेश करते हैं, वैसे भी, माननीय सभापति महोदय, यह 2016-17 की रिपोर्ट है और जो बजट पेश किया गया था, वह 2016-17 के लिये पेश नहीं किया गया था। इसलिये राजस्थान के फाइनेंस की तस्वीर बजट से जो रिफ्लैक्ट होती है, और जिन्होंने लगातार बजटों का अध्ययन किया है, उनमें जो रिफ्लैक्ट होती है, उस रिफ्लैक्शन को रोकने की, बचाने की, छिपाने की, कोई गुंजाइश कहीं भी नहीं है, न तो यह कारण है। मैंने कल भी आपको कारण एक्सप्लेन किया था और कारण मैं आज भी बता रहा हूं। मैं समझता हूं राजस्थान के गये 10-12 सालों के इतिहास के अन्दर पहली बार सरकार को रिपोर्ट मिलने के एक हफ्ते के अन्दर सरकार ने यह सदन के अन्दर पेश की है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय श्री धीरज जी गुर्जर।

याचिका

भीलवाड़ा में जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर हेतु आबंटित भूमि का पट्टा

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से जिला मुख्यालय भीलवाड़ा के जिला एवं सैशन न्यायालय परिसर हेतु आबंटित भूमि का राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख शीघ्र जारी करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री भागीरथजी चौधरी।

अंराई पर संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में छात्रों की प्रवेश क्षमता में बढ़ोत्तरी

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अंराई पर संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में प्रवेशार्थी छात्रों की क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 करने की स्वीकृति जारी करने एवं अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदिन दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017, माननीय गुलाबचन्दजी कटारिया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: संशोधन के सम्बन्ध में, माननीय श्री नन्दकिशोरजी महरिया। माननीय श्री नन्दकिशोरजी महरिया। (अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 8, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री गुलाबचन्दजी कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट। कोई माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बोलने चाहें, तो बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी पारित करने के लिये बोलें, उसके बाद बोलेंगे।

विधेयक का पारण

श्री सभापति: इसके बाद, ठीक है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: हां, आप, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017, जो प्रवर समिति ने भेजा है, इसका तो स्वागत करता हूं। यह पारित भी होना चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान की एक राजनीतिक परम्परा रही है कि हम राज्य की पुलिस में राजनीतिक कारणों से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मैं सदन की मर्यादाओं, नियमों से बंधा हुआ हूं कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कभी भी सदन के पटल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम राजस्थान की इन परम्पराओं को कायम रखें। इस बिल का मैं समर्थन करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह जो हम बिल लाये थे, THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2017, 23 अक्टूबर को जब सत्र शुरू हुआ, लाए और सबकी राय बनी थी कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए। हमने इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया ओर सुपुर्द करने के बाद इस सदन के सभी वरिष्ठ सदस्यों को, जिसमें सभी पार्टी के लोग थे, उनको इसमें सदस्य बनाकर इस पर खंडश: पूरा विचार हुआ। मैं सोचता हूं कि प्रत्येक बिंदु पर बहुत ही गहनता से, आप स्वयं भी उस कमेटी के मैम्बर थे, अपन विचार करके और उसमें जहां कहीं भी समिति को यह लगा कि यह चेंज करना चाहिए था, वह हमने चेंज किया है।

इस सारे के पीछे जो हेतु है, वह केवल एक ही था। वह हेतु यह था कि न्याय में देरी नहीं हो। जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। जो लोग जेल में बंद हैं, कई बार हमारे पास चालानी गार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण से उनको हम पेशी पर उपस्थित नहीं करवा सकते। राजस्थान का हमारा जो पेशी का एवरेज आता है वह 52 प्रतिशत आता है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनमें 80 परसेंट भी है, 90 परसेंट भी है पर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 30 परसेंट का है। अब जो अंदर बंद है, उसको न्याय मिले, इसके लिए बराबर हाई कोर्ट का भी आग्रह है कि इसको किसी तरह से जल्दी कर दें और इसके कारण से इस वीडियोग्राफी से भी पेशी सम्भव की जा सकती है ताकि एक तो जो अंदर बंद है, उसकी सुरक्षा हो।

कई बार राजस्थान में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि कोर्ट में भी गोली चल गयी, या कोर्ट में उनके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना हो गयी, या वह लाते समय भाग गये, या कुछ भी जो है, वह एक तरह से चले गये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इस सुरक्षा की दृष्टि से भी इसके लिए यह आवश्यक है। दूसरा क्या है कि जो अधिकारी पेशी पर जाकर अपने गवाह, जो पेशी पर गवाही देनी है, उसमें भी कई बार वह उपस्थित नहीं हो सकता और उसके कारण से उसकी जगह पर उसका सब-आर्डिनेट जाए ताकि कम से कम इस न्याय की प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाया जाए। मैं सोचता हूं कि इन दो ही उद्देश्य से हम इसको लाए और लगभग सबकी सहमति, जब प्रवर समिति बनी है तो मैं सोचता हूं कि सदन की सहमति है।

माननीय सदस्य ने जो एक विषय उठाया पुलिस के ऊपर कि किसी प्रकार की कोई ऐसा बदला लेने की भावना से कोई अगर पुलिस कार्यवाही करती है, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मुकदमा तो कोई भी दर्ज करवा सकता है, उसको तो मैं ना नहीं कह सकता हूं पर मुकदमा का फैसला वही होगा जो सच होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी किंतु-परंतु नहीं लगे, जो सच है वह सच है। लगाने के लिए तो कोई भी आरोप लगाकर अपनी बात कह सकता है, मैं सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई बदले की भावना के आधार पर या पुलिस कोई बदले की नीयत से यह काम नहीं करेगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित किया गया।

माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी।

परिनियत संकल्प

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): राजेन्द्रजी, आप खड़े नहीं होंगे? मुझे रोकने के लिए खड़े नहीं होंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, ठीक है। धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप तो स्वयं ही रुकेंगे अपने आप।

श्री सभापति: अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी। माननीय सभापति महोदय, भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत यह विधान है कि यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान सभा या उसके अनमोदन का संकल्प पारित कर देती है तो यथास्थिति संकल्प के पारित होने पर यह विधान परिषद द्वारा संकल्प के सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परिनियत संकल्प जो है वह स्टेट्यूटरी मोशन है और यह संविधानिक व्यवस्था है।

इस संवैधानिक व्यवस्था में प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला सदस्य अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। सरकार की ओर से उसका जवाब दिया जाता है। फिर जो प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, वह माननीय सदस्य अपनी बात कहता है, उसके बाद मतदान होता है और उसके बाद में जो बिल है वह पारित होने के लिए आता है इसलिए मैं अपने संविधान प्रदत्त तीनों अधिकारों का आज के दिन प्रयोग करना चाहूंगा क्योंकि इसमें इस विधेयक से मैं भावना के रूप से जुड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार बिल लेकर आयी है, यह आर्डिनेंस लेकर आयी है, यह आर्डिनेंस संविधान के खिलाफ है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। यह अध्यादेश राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। यह अध्यादेश गुर्जरों के आरक्षण के भी खिलाफ है और यह अध्यादेश अन्य जातियां-ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ और अनारक्षित मुस्लिम जिनके आरक्षण की हम मांग करते हैं, उनके अधिकारों के भी खिलाफ है। इससे गुर्जर समाज को एक परसेंट आरक्षण तो प्राप्त होगा ही नहीं, सरकार की किरकिरी होगी।

(13.55 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधान सभा की मजाक उड़ेगी और सरकार जिस ढंग से काम करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 3.2.2017 को सर्वोच्च न्यायालय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

द्वारा दिये गये स्टेटस-को के आदेश का यह अध्यादेश उल्लंघन करता है, नम्बर एक।

नम्बर-दो, 9.12.2016 को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश का भी उल्लंघन करता है। इस आदेश में हाई कोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण मानकर निरस्त कर दिया गया था, उसी के आधार पर आप यह एक परसेंट का आरक्षण का बिल लाये तो उस पर कार्यवाही रुकेगी। दिनांक 9.5.2017 को सर्वोच्च न्यायालय में जिन 1252 एस.बी.सी. अभ्यर्थियों को अस्थाई नियुक्ति देने के आदेश दिये थे जो आज तक अस्थाई हैं और आगे भी अस्थाई हैं, उनकी सेवाएं भी इससे समाप्त हो जाएंगी और इस एक वर्ष के पीरियड में जो बचा है आपने, जो एक परसेंट का आप अध्यादेश लेकर आए हो और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ था, उसके बीच में जो पीरियड गया है, उस पीरियड में भी जितनी नियुक्तियां हुई हैं वह सारी की सारी नियुक्तियां अवैध होंगी क्योंकि यह रैट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, एक।

इसी प्रकार से यह भी पहली बार ही मैं देख रहा हूं कि एक ही जाति को इसमें तीन वर्गों में रखा गया है। ओ.बी.सी. में है, एस.बी.सी. में है और एम.बी.सी. में है। कौन ऐसा विद्वान आपके पास वकील आ गया, कौन ऐसा अटार्नी जनरल आ गया, कौन ऐसा एडवोकेट जनरल आ गया जो आपको यह राय दे कि गुर्जर ओ.बी.सी. में भी है, गुर्जर एस.बी.सी. में भी है और गुर्जर एम.बी.सी. में भी है?

आप यह किस प्रकार का कानून सदन में लाना चाहते हैं? एक परसेंट का पहले सरकार द्वारा अधिसूचना के द्वारा आरक्षण दिया हुआ था। अगर आपको एक परसेंट देना ही था तो आप अधिसूचना के द्वारा दे सकते थे। आपको आर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत से आंदोलन हुए हैं, जिनमें आरक्षण के आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन यह गुर्जर आंदोलन था, इस गुर्जर आंदोलन में काफी लोगों की जान गयी है, शहादतें हुई हैं। उसके बाद हमने उनको 5 परसेंट आरक्षण देने का तय किया और वह तब किया था तब 68 परसेंट आरक्षण हो गया था। हमने उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स का आरक्षण रखा, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण रखा, ओ.बी.सी. का आरक्षण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रखा, विशेष ओ.बी.सी. का आरक्षण रखा और उसके बाद में ई.बी.सी. इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ और जो आरक्षण में मुसलमान नहीं आते, उनका करके एक आरक्षण का बिल हिन्दुस्तान में सबसे पहले राजस्थान की विधान सभा में पारित किया था। उसके बाद में क्या प्रक्रिया चली, तीन बार इस विधेयक को हम राजस्थान की इस विधान सभा में लेकर आये।

(14.00 बजे)

तीनों बार ही यह विधेयक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपास्त कर दिये गये। उसके बाद में फिर वही प्रक्रिया अपनायी जा रही है। मैं समझता हूं कि यह अध्यादेश लाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और अध्यादेश के बदले अधिनियम बनाने की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 आज लाया गया है। यह अधिनियम 2017 की धारा 10 में संशोधन करने के लिये सरकार लेकर आयी है। गुर्जरों को आसानी से आरक्षण मिल जाए, यह हम सब चाहते हैं। लेकिन 2008 में जो आरक्षण विधेयक आया था, उसमें कुल 68 परसेंट आरक्षण हो गया था, 2010 में हमने जो दिया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और आरक्षण वापस 49 परसेंट हो गया। मई, 2010 में फिर एक प्रतिशत प्रशासनिक आदेश से गुर्जरों को आरक्षण दिया गया। इसके साथ-साथ ओ.बी.सी. में भी उनको आरक्षण दिया गया। यह विशेष आरक्षण था एक परसेंट का और बाकी ओ.बी.सी. में भी भाग ले सकते थे। 16.10.2015 को गुर्जरों को वापस 5 परसेंट आरक्षण देने का यहां पर प्रस्ताव आया। तब मैंने यह कहा था कि यह प्रस्ताव रिजेक्ट होगा। सदन की प्रक्रिया में आज भी मौजूद है। यह प्रस्ताव गया और दु:ख की बात यह है कि राज्यपाल महोदय के दस्तखत होने से पहले ही इस पर स्टे हो गया। भंडारी साहब की कोर्ट ने 9.12.2016 को इसको खारिज कर दिया, खारिज ही नहीं किया, इसके साथ-साथ इसरानी आयोग, जिस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया था, उस पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कुल आठ आक्षेप लगाकर उस सारी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। रिपोर्ट मानी ही नहीं जाएगी। जब वह रिपोर्ट ही नहीं मानी जाएगी, आयोग को ही खारिज कर दिया तो आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किस मुंह से इस बिल को लेकर आये। सरकार जैसे-तैसे करके पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट को अब एम.बी.सी. का बिल लेकर आयी। अब आप इसमें विसंगति देखिये। इसमें यह कहा गया है कि उनको ओ.बी.सी. में भी आरक्षण मिलेगा। एक तरफ गुर्जर ओ.बी.सी. में है, फिर इनको एक परसेंट आरक्षण मिलेगा, वह एम.बी.सी. में है और फिर इस बीच में जो 1252 हैं, वह एस.बी.सी. में है। अब गुर्जर कोई भी जाएगा सर्टिफिकेट लेने के लिये, तो माननीय मंत्री महोदय ने कुछ दिन पहले बताया था कि उनको ओ.बी.सी. का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जब उनको ओ.बी.सी. का ही सर्टिफिकेट मिलेगा तो एस.बी.सी. की नौकरी खारिज होगी कि वह गुर्जर है। गुर्जर की जाति तो बदली नहीं। अब फिर एम.बी.सी. का उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यह माननीय मंत्री महोदय ने अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में कहा है। जब उनको एम.बी.सी. का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो एक परसेंट में वह क्या करेंगे? और उनको स्पेशल ओ.बी.सी. आप कह नहीं सकते, क्योंकि हाई कोर्ट ने रोक रखा है। इनमें से कोई भी आदमी अगर हाई कोर्ट में चला जाएगा किसी ओ.बी.सी. वर्ग में से और यह स्ट्रक-डाउन हो जाएगा। इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम मन से गुर्जरों को आरक्षण देना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं, आप एक परसेंट की अधिसूचना जारी कर दें। आरक्षण मिल जाएगा, और न वह लिटिगेशन में जाएगा। आप इसको लिटिगेशन का अंग क्यों बना रहे हैं? आप इसको कंटैम्प्ट की स्थिति तक क्यों ले-जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। यह किस कारण से कर रहे हैं?

पिछले सत्र में सरकार के मन में चोर था। सैक्शन-3 और 4 में लिखा कि सरकार जो उचित समझेगी, उतना आरक्षण गुर्जरों को देगी। बिल लेकर आयी तो बिल में पांच परसेंट नहीं लिखा। इस बात का भय था मन में, कि पांच परसेंट लिख देंगे तो 55 परसेंट हो जाएगा और 55 परसेंट होगा तो स्ट्रक-डाउन होगा। तो सैक्शन-3 और 4 में तो लिख दिया कि सरकार की जितनी मंशा होगी, उतना देगी, लेकिन जो प्राक्कथन था, उसमें लिख दिया कि हम उनको पांच परसेंट आरक्षण देंगे। मतलब गुर्जर भी राज़ी हो जाए, कानून भी पास हो जाए और हाई कोर्ट में भी नहीं जाएं। लेकिन यह गया और पांच परसेंट खत्म हो गया। अब इस धारा-10 में वापस संशोधन ला रहे हैं और एक परसेंट करके उसको वहां रखना चाहते हैं। लेकिन यह मामला यहां तक सीमित नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला राज्य में आगे तक जा रहा है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इसकी कुछ बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं सदन से विनीत आग्रह करता हूं कि समझें कुछ लोगों के मन में क्या आग है। आज अपन कह दें कि 50 परसेंट आरक्षण है, लेकिन 50 परसेंट आरक्षण नहीं है। ई.बी.सी. वर्ग के बच्चों को केवल 12 परसेंट में आरक्षण में उनको भाग लेने का अधिकार है। आज ब्राहमण, बनिये, राजपूत, कायस्थ और बचे हुए मुसलमान, जो आरक्षण में नहीं है, वह केवल 12 परसेंट में भाग ले सकते हैं और एक में सिंधी भी हैं। वह केवल 12 परसेंट में भाग ले सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, सरकार ठीक कर दे मुझे। सरकार वैसे मुझे ठीक करने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी सरकार चाहे तो मुझे ठीक कर सकती है, मैं ठीक होने के लिये तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो प्रकार का आरक्षण है, एक वर्टिकल है, एक होरिजेंटल है। होरिजेंटल में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वर्टिकल 50 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये, यह न्यायालयों का हस्तक्षेप है। अब वर्टिकल में 50 परसेंट ओपन है, 21 परसेंट ओबीसी को है, 16 परसेंट शिड्यूल्ड कास्ट को है, 12 परसेंट शिड्यूल्ड ट्राइब को है, एक परसेंट एम.बी.सी. को है। इस प्रकार टोटल 100 परसेंट हो गया। अब होरिजेंटल में आ जाइये। होरिजेंटल में जो 50 परसेंट बचा, उसमें से 30 परसेंट महिलाओं को, जिसमें एक तिहाई विधवा तथा परित्यक्ताओं का है, 12.5 परसेंट भूतपूर्व सैनिकों का है, 7 प्रतिशत अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये है, 2 परसेंट स्पोर्ट्स कोटा में है, 3 परसेंट जो दिव्यांग हैं, जिनको हम 4 परसेंट कर रहे हैं, वह है। यह आरक्षण सामान्य नौकरी में है, जाति का इसमें आधार नहीं है और न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब ई.बी.सी. की अधिसूचना आपने जारी नहीं की। अगर आप ई.बी.सी. को देना चाहते हैं तो होरिजेंटल रिजर्वेशन का अगर 14 परसेंट का उनको कर देते तो बचे हुए 50 परसेंट में उनको 14 परसेंट मिल जाता और इसमें कोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं करता, जैसे अन्य में नहीं किया है। यह कोर्ट में चैलेंज भी नहीं होगा।

अब जो स्थिति बचती है, ई.बी.सी. को वर्तमान में वास्तव में कितने पद उपलब्ध होते हैं। 50 सामान्य में है, 21 ओबीसी में है, 16 एस.सी. में है, 12 एस.टी. में है, एक एम.बी.सी. में, 100 परसेंट हो गया। 30 परसेंट महिलाओं का, 15 पद, 25 परसेंट शेष 13 पद योग 28 पद, कुल पद रहे 22, और 22 में से भी एस.सी., एस.टी., ओबीसी के जो एम.बी.सी. के लोग हैं, जो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैरिट में आते हैं, वह 10 के करीब संख्या में आते हैं तो 12 प्रतिशत बचा, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिये, कायस्थ, सिंधी और मुसलमान, जो आरक्षित नहीं है, इनके बच्चों को केवल 12 परसेंट में भाग लेने का अधिकार है और 88 परसेंट आरक्षण आपने कर दिया।

अब आप देखिये, गुर्जरों में यह भावना आएगी कि यह जो वंचित वर्ग है, इस वर्ग वंचित में क्यों नहीं आएगी। यह कहेंगे यहां सदन में भी, कि हमने आयोग बना दिया है, आयोग की कार्यवाही चल रही है, आयोग वहां तक जाएगा। अब आयोग रिपोर्ट कर देगा तो भी आप कानून को लागू करोगे तो उस कानून का भी वही हश्र होगा, जो इस कानून का हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप तो कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई कानून की नहीं है। न गुर्जरों की लड़ाई कानून की है, न राजपूतों की है, न ब्राह्मणों की है, न बनियों की, न वंचित वर्ग के लोगों की है। उनके न्याय की लड़ाई है, न्याय और कानून की लड़ाई में फर्क है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया ही जानती है कि न्याय की लड़ाई क्या है और कानून की लड़ाई क्या है। कुछ वर्षों पहले जब मार्टिन लूथर किंग ने काले लोगों को सत्ता में भागीदारी दिलाने का आंदोलन चलाया था, उस समय वहां की फैडरल कोर्ट ने गैर-कानूनी घोषित कर दिया कि नहीं हो सकते। बहुत-से लोग मरे और अंत में जब वहां की कांग्रेस ने पास किया कि नहीं, कालों को भी अधिकार है वोट देने का, चुनाव लड़ने का और जीतने का, तो ओबामा दो बार वहां का राष्ट्रपति बना। जो कानूनन लड़ाई गलत थी, वह न्याय की लड़ाई में ठीक हो गयी। ब्रिटेन में 1926 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और जब महिलाएं प्रीवी कौंसिल में गयीं, लड़ाई लड़ीं और जीत गयीं तो मारग्रेट थैचर अब दूसरी महिला प्रधान मंत्री बन गयी। तो गैर-कानूनी था, पर न्यायिक था। इसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका में गोरे राज करते थे, काले लोगों को जाने ही नहीं देते थे। तो काले लोगों ने लड़ाई लड़ी नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, वह जेल में रहे। डरकर, हारकर गोरों की सरकार को फैसला करना पड़ा।

काले लोगों को वोट का अधिकार देना पड़ा और नेल्सन मण्डेला वहां का राष्ट्रपिता बन गया। ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं। ओबीसी का भी उदाहरण था, शिड्यूल्ड कास्ट का भी उदाहरण था। यहां शिड्यूल्ड कास्ट को भी न्याय नहीं मिला। 1951 में जब शिड्यूल्ड कास्ट के लिए कानून बना, आरक्षण का संशोधन हुआ तो कम्युनल अवार्ड के नाम से सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दिया, 1951 में, जब पूना पैक्ट हुआ महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेड़कर के बीच में, जिसमें आरक्षण की व्यवस्था हुई। उसके आधार पर जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया और भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने रखा और शिड्यूल्ड कास्ट को आरक्षण दिया गया। अगर संविधान में वह संशोधन नहीं होता, कानून की लड़ाई तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हार गये। शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग भी कानून की लड़ाई हार गये थे लेकिन संसद ने उनको न्याय दिया और आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगो को आरक्षण मिला हुआ है।

ओबीसी का जब आरक्षण आया तब भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। उसमें तो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट थी। उसमें तो यहां तक था कि मण्डल कमीशन जब लागू हुआ तो ईबीसी वर्ग के बहुत से बच्चे जल गये थे, मर गये थे। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया लेकिन संसद ने न्याय किया, उनको न्याय मिल गया और ओबीसी को आरक्षण प्राप्त हो गया। ओबीसी के आरक्षण का और दायरा बढ़ा, जब ओबीसी में किसान वर्ग को शामिल किया गया कमेरूओं के साथ-साथ। तब भी स्ट्रक डाउन हुआ। उच्च शिक्षा में गया तो भी स्ट्रक डाउन हुआ और प्रमोशन में आरक्षण का जब गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया लेकिन अटल बिहारीजी वाजपेयी के टाइम पर पार्लियामेंट ने उसको फिर न्याय दिया। यह लड़ाई को न्याय की लड़ाई है और बार-बार कानून लाकर इसको कानून की लड़ाई बना रहे हो। यह बड़े दु:ख की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अध्यादेश का वापिस लिया जाना चाहिए और गुर्जरों को आप एक परसेंट आरक्षण दें लेकिन राजस्थान के सारे काम के साथ समग्र चिन्तन करें। आज हमारी सरकार है यहां पर। हमने हमारे सुराज संकल्प में 14 परसेंट आरक्षण के लिए कहा। वेंकैया नायडूजी जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां पर जयपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि इनको आरक्षण देंगे। आज हमने साढ़े चार साल इसमें बर्बाद कर दिये। अगर इसमें संविधान संशोधन करना है तो क्या आपत्ति हैं? अगर हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए कर सकते हैं, हम ओबीसी के लिए कर सकते हैं, विशेष ओबीसी के लिए कर सकते हैं तो इन्होंने क्या पाप किया है? क्या जन्म लेना पाप है? या यह पाप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है कि ये जातियां 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती रही हैं। यह पाप है तो इस पाप की सज़ा आप जरूर दीजिए। वर्ना तो आप आज रोक नहीं सकते। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, लोक सभा में आपको बहुमत प्राप्त है, राजस्थान की विधान सभा में बहुमत प्राप्त है और कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं करती।

यहां तक कि शिड्यूल्ड कास्ट को सबसे ज्यादा रिप्रजेन्ट करने वाली पार्टी मायावती भी कहती है कि ईबीसी को आरक्षण दिया जाए और यहां तक कि अभी मद्रास हाई कोर्ट का फैसला हुआ है कि यह अन्याय है कि सवर्ण जातियों के गरीबों को आप आरक्षण नहीं दे रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 'सवर्ण' शब्द ठीक नहीं है, 'जनरल कास्ट' बोलना चाहिए। शास्त्रोक्त भी ठीक नहीं है। सवर्ण वह है जो चारों वर्णों में किसी भी वर्ण में, शिड्यूल्ड कास्ट भी सवर्ण है, शिड्यूल्ड ट्राइब भी सवर्ण है, ओबीसी भी सवर्ण है और हम भी सवर्ण हैं। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण में है, वह सवर्ण है। सवर्ण होने का दावा कोई हमारा ही नहीं है। क्योंकि अस्पृश्य जिसके साथ नहीं था। अब जाट, गुर्जर, यादव, माली, खाती, कुम्हार, नाई कोई अस्पृश्य नहीं थे। ये सब सवर्ण में हैं, तो सवर्णों को आरक्षण मिल चुका। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि ये जो कानून है, इसको आप टुकड़ों में लाकर, न गुर्जरों के साथ न्याय कर रहे हो, न ईबीसी के साथ न्याय कर रहे हो। आज मैं बहुत साफ-साफ यहां कहना चाहता हूं कि अगर गुर्जरों को आरक्षण देना है तो आप पांच परसेंट आरक्षण दीजिए और संविधान में संशोधन कराना हो तो कराइये लेकिन मुझे जवाब दीजिए। साढ़े चार साल निकल गये। संविधान संशोधन के लिए भारत सरकार को आपने कितनी बार लिखा। नाइन्थ शिड्यूल्ड में डालने के लिए आपने भारत सरकार को कितनी बार लिखा? प्रधान मंत्रीजी 08 तारीख को आ रहे हैं, क्या प्रधान मंत्रीजी के सामने आप यह प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं? कहिए कि राजस्थान में आग लग रही है। इस आग को बुझाने के लिए, सारे देश की आग को समाप्त करने के लिए आप कानून बनाइये और हम इसमें साथ हैं। कौनसी पार्टी आपका विरोध कर रही है? मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूं। मैं जन्मा हूं। जन्म लेना किसी के हाथ की बात नहीं है, ईश्वर के हाथ की बात है लेकिन जातीय आधार पर चिन्तन गलत है। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में कहा था और आज भी मैं पुस्तक लेकर आया हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भारत की जब संविधान सभा बनी थी, उसमें 87 परसेंट हिन्दू थे। मैंने अपनी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में सबके नाम लिखे हैं। 87 परसेंट हिन्दू थे और 13 परसेंट मुसलमान थे क्योंकि उस समय संयुक्त भारत की जनसंख्या में 13 परसेंट मुसलमान थे और आज विभाजन के बाद वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान भारत में भी 14 परसेंट मुसलमान हैं और 84 परसेंट हिन्दू हैं। उस संविधान सभा में 13 परसेंट मुसलमान शामिल थे और 87 परसेंट हिन्दू थे। 87 परसेंट हिन्दुओं में 84 परसेंट अकेले ब्राह्मण थे संविधान सभा में। अगर जातीय भेदभाव होता तो ब्राह्मण अपने लिए आरक्षण कर लेते। तो जनप्रतिनिधि को जातीय आधार पर चिन्तन नहीं करना चाहिए और जातीय आधार पर कोई जनप्रतिनिधि अगर चिन्तन करेगा, वह जनप्रतिनिधि रहने लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन इस बात से डरकर कि उस जाति में पैदा हुआ है, उस जाति की बात नहीं रखेगा तो भी अन्याय करेगा।

इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन जातियों को सज़ा नहीं दें। कुछ पालतू लोगों को बुलाकर जिनका जातियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उनको बुलाकर मंत्रीजी बात कर लेते हैं। उनको तीन महीने का टाइम दे देते हैं। इन पालतू लोगों से बात करना आप बन्द कर दीजिए। पार्टी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा के ऊपर जाएं। आप तय करें कि गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण दें, 14 परसेंट उनको दें। इसका संविधान में संशोधन कराएं और संविधान में संशोधन कराने में सक्षम नहीं हों तो मैंने दूसरा प्रस्ताव रखा है, आज बताएं मुझे कि वर्टिकल के बजाय 50 परसेंट में 14 परसेंट होरिजेन्टल आप उनको आरक्षण दे दें। अगर वह भी आप नहीं देना चाहते हैं तो जितनी वैकेन्सीज निकाल रहे हैं, जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप कानून बनायेंगे और कानून को रिजेक्ट कराएंगे, तब तक उनके लिए 14 परसेंट सीटें बुक करके रख दें। अगर वह भी नहीं करना चाहते तो आप अधिकतम सीमा अधिरोपण का कानून लाओ। उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम है कि सैन्ट्रल लॉ में भी राज्य संशोधन कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वह लॉ आफ लैण्ड है। तो इसमें संशोधन करने का राज्य सरकारों का अधिकार है और संशोधन करके उसको नाइन्थ शिड्यूल्ड में डलवा दो। अगर ये सारे ही काम नहीं करते हो और यह एक परसेंट की अधिसूचना लाकर सदन को गुमराह करना चाहते हो, गुर्जरों को गुमराह करना चाहते हैं, ब्राह्मण, बनिये, राजपूत, कायस्थ और बचे हुए मुसलमानों को, मुसलमानों को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता, उनको ओबीसी में आरक्षण मिल गया और जो बचे हुए हैं, उनको हमारे साथ ही आरक्षण लेना पड़ेगा। उनको आप छोड़ नहीं सकते कि उनको तो नहीं मिलेगा मुसलमान हो, इसलिए। इन सबका इलाज यही है कि 68 परसेंट आरक्षण किया था, उस बिल को मान्यता दिलवाएं, संविधान में संशोधन कराएं या अधिकतम सीमा अधिरोपण का कानून बनाएं, या हॉरिजेन्टल रिजर्वेशन करें, तभी समस्या का समाधान होगा। यह एक परसेंट आरक्षण का एमबीसी का कानून रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा। सरकार की फिर मिट्टी में मिलेगी। आन्दोलन होंगे, लड़ाई होगी, फिर लोग पटरियों पर जाएंगे। क्यों इस खेल को खेल रहे हो? एक सिम्पल अधिसूचना के द्वारा एक परसेंट तो मिल जाएगा लेकिन इससे तीन बड़े नुकसान हैं। ओबीसी वाले कहेंगे कि इनको ओबीसी में नहीं ले सकते, एमबीसी में। एसबीसी के नाम से 1252 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ेगी।

एम.बी.सी. का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो जैसे होता है न धानका और धानक, जो चाहे वह उसको शिड्यूल्ड ट्राइब का सर्टिफिकेट दे देता है और जो न चाहे नहीं देता है। इस लड़ाई की आग में गुर्जरों को झोंकने से कोई फायदा नहीं है और इन ब्राह्मण, बनिये, राजपूतों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का अधिकार नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। और अगर सरकार यह करेगी तो मैं गांव-गांव तक जाऊंगा, मैं आज बता देता हूं। आप चाहे तो मुझे पार्टी से निकाल देना और आप चाहो तो मुझे विधान सभा से भी निकाल देना लेकिन यह अन्याय मैं नहीं करने दूंगा कि जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा और जिन्होंने 40 साल तक आपका समर्थन किया उनकी छाती पर मूंग दलकर आप उनका अपमान करो, उनका शोषण करो, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

अत: मैं यह चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेंस है इसको निरस्त किया जाए और एक परसेंट की अधिसूचना जारी की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे पर बड़े भावपूर्ण तरीके से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज लम्बा-चौड़ा भाषण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी साक्षी रहे हैं, 2008 में जो सबसे पहले 69 परसेंट का आरक्षण का बिल लेकर आये, उस समय माननीय सदस्य ही लेकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आये थे, आप राजस्थान के शिक्षा और विधि मंत्री थे, उस समय आपने क्यों नहीं सुझाव दिया कि संविधान में जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक यह लागू नहीं किया जाएगा?

सबसे पहले 14 परसेंट इकोनोमिक बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने की बुनियाद का जो पहला बिल आया उस बिल को पायलट करने वाले वाला व्यक्ति आज अगर सदन में कहे कि मैं गांव-गांव में जाऊंगा, ढाणी-ढाणी में जाऊंगा, आपने उस वक्त में जब बिल लेकर आये तब ज्वाइंट रेस्पोंसिबिलिटी के रूप में हम सरकार में काम करते हैं, कांस्टीट्यूशन में एक तरह से बाध्यता है, उस समय यह राय नहीं दी।

आज मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के दूसरे मामले के बाद में जब आरक्षण की सीमा तय कर दी, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार का कमिटमेंट है। धन्यवाद देना चाहिए मुख्य मंत्रीजी को, एक बार नहीं, हम 2008 में बिल लेकर आये, 2015 में बिल लेकर आये और उसके बाद 2015 के बिल के आधार पर ओ.बी.सी. कमीशन पर जितने 17-18 मामलों के अन्दर टीका-टिप्पणी की गयी थी, क्वांटिफिएबल डेटा की बात कही गयी थी, उस पर वापस अध्ययन करके और उसके पश्चात् वापस यह बिल लेकर आये हैं।

इसलिए आज एक साल के अन्दर, जब यह बिल रहा, 1254 गुर्जर समाज के बच्चों को विभिन्न पदों में पहली बार नौकरी मिली है इस राजस्थान के अन्दर इस बिल के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रस्ताव रखा है, बड़ा भावपूर्ण प्रस्ताव आपने रखा है, भावनाओं के साथ रखा है।

मैं कहूंगा अगर इसी पृष्ठभूमि को हम जरा सात साल पहले ले जाएं, सात नहीं अगर दस साल पहले जाएंगे 2007 में 2008 में, जब 2008 का इसका बिल आया था उस समय की अगर भावनाओं पर जाएंगे तो सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक स्वयं अपने शब्दों पर देखेंगे, आज जिन चीजों को कर रहे हैं, विधि मंत्री के नाते आप रख रहे थे उस समय इन विषयों का आपने ध्यान नहीं दिया।

राजस्थान की सरकार 2008 में पहली बार इस बिल को लेकर के

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आयी। एक साल तक, उस समय सरकार बदल गयी थी, केवल राज्यपाल महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए वह रखा रहा और बाद में उस पर कानून बनाया गया, 2009 में उसका नोटिफिकेशन निकला। यह बिल लम्बी कानूनी प्रक्रिया में चलता रहा। 2010 में फिर कोर्ट ने अपना आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्वांटिफाइड डैटा एकत्रित करने के बाद ही कोई बिल लेकर के आएं।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ही चीज में दो विषयों को उठाने का प्रयास किया, आपने दो चीजों को साधने का प्रयास किया है। जहां एक तरफ से इस संशोधन विधेयक की कमियों को इंगित करने का काम आप कर रहे हैं, वहीं दूर तक कहीं राजनीतिक एक अपने परिलक्ष्य को भी इसमें साधने का प्रयास कर रहे हैं।

दूसरी बात जो आपने कही आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, ई.बी.सी. के लिए आरक्षण की बात। पहली बात तो आपने 14 और 05 का, जिसको आप कहते हैं कि अलग-अलग लेकर आने की बात, 14 और 05 का बिल आप ही लेकर आये थे और उस समय विधि मंत्री के नाते से आपकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया, उसको आपने सरकार में पास कराकर रखने की बात की।

2010 में जो कोर्ट ने कहा, उस समय कोर्ट का यह स्पष्ट आदेश था कि इस पर क्वांटिफाइड डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर राज्य सरकार उसका नोटिफिकेशन निकाले और नोटिफिकेशन निकालने से पहले उसको एग्जिक्यूट करने से पहले एक महीने का पब्लिक नोटिस दे। दुर्भाग्य है कि केवल ओ.बी.सी. के लिए या एस.बी.सी. के लिए कमीशन 2010 में बन गया, उसके आधे पार्ट को पूरा करने का काम किया। 14 परसेंट जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग का पक्ष था, उसके लिए आयोग का गठन ही उस समय की सरकार ने नहीं किया।

2010 की उसकी रिपोर्ट आने के बाद 2012 में उस समय के ओ.बी.सी. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की जस्टिस इसरानी कमीशन की रिपोर्ट और उसके बेस के ऊपर इसको आरक्षण का नोटिफिकेशन निकालकर देने की बात हुई। वह फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ और कोर्ट ने उसको 50 परसेंट तक सीमित रखने की बात की, लेकिन उसमें एक परसेंट का निकालने की बात की और उस समय भी, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है कि जनरल, ओ.बी.सी. और एस.बी.सी. तीनों बैनिफिट लगातार, 2012 से लेकर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

2015 तक लगातार चलते रहे। यह पहली बार सरकार ने नहीं किया है कि इसको बैनिफिट देने की बात सरकार कर रही हो। सरकार की एक ही मंशा है, जिस प्रतिबद्धता के साथ हमने अपने घोषणा पत्र को इस विषय में रखा था कि गुर्जर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इनके आरक्षण की हमारी प्रतिबद्धता है, देने की बात करेंगे। उसी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए लगातार हम इस काम को करते रहे।

इसलिए पहली बार 2008 के बाद, आज कांग्रेस के जो सदस्य बैठे हैं, पूरे पांच साल का टर्म रहा, लेकिन 2015 से पहले कोई किसी प्रकार का इसके ऊपर कानून लाने की बात नहीं हुई। जो 2015 में, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जिस ओ.बी.सी. कमीशन की रिपोर्ट, जिसके आधार पर 2016 में स्ट्रक-डाउन किया है, उसमें भी उस समय के जस्टिस इसरानी कमीशन को चैलेंज किया था, उसको स्ट्रक-डाउन करने का काम किया।

2016 में हम बिल को लेकर आये और 2016 के बिल के आधार पर, क्योंकि सरकार की मंशा यह नहीं थी बिल लाकर केवल अपना राजनीतिक हित साधने की। हमने कहा लगातार बात करते हुए जिस पक्ष को, जिस उद्देश्य को लेकर सरकार इस बिल को लेकर आयी है, सरकार ने कहा है कि उनको लाभ भी पूरा मिलना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने स्ट्रक-डाउन किया तो राजस्थान सरकार ने एस.एल.पी. फाइल की। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर था 03.02.2017 का, दो आर्डर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसमें आपरेटिव पोर्शन पढ़ रहा हूं "We deem it appropriate to direct the appellant(s) to maintain status quo obtaining as on today." आपने भी पढ़ा, इसमें आपने इसका उल्लेख किया है "The admissions so made to the educational institutions and appointments so made by the State shall not be disturbed pending final hearing of the matter. We also make it clear that no fresh admissions and appointments shall be made pursuant to this interim order." इससे सरकार भी एग्रीव्ड थी। हमने कहा हम जिस चीज को लेकर के आये हैं और इस बीच में जिन लोगों के पाइप लाइन में, जिसने एप्लीकेशन दे दी और इस आर्डर के स्टे के कारण से उनको अपाइंटमेंट नहीं मिले, सरकार ने कहा कि उनका पक्ष बनता है, उसने जिस समय कानून था, कानून था इस कारण से एप्लाई किया, उसने परीक्षा दी, इंटरव्यू दे दिया, केवल उसको अपाइंटमेंट लैटर नहीं मिला, ऐसे 1252 थे। सरकार जो एस.एल.पी. में गयी थी उसमें एप्लीकेशन, इंटरिम आर्डर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

लगाया, अपनी इंटरिम एप्लीकेशन लगायी। उस एप्लीकेशन में फिर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया, उस आदेश में सरकार को लिबर्टी दी कि आप सुपरन्यूमरेरी पोस्ट क्रियेट करके इनको अपाइंटमेंट दे सकते हैं। मैं उसका भी आपरेटिव पोर्शन पढ़ देता हूं, "All the posts originally advertised shall be filled up strictly in accordance with law i.e. without applying the provisions of THE ACT."

"The State is at liberty to appoint the above mentioned 1252 candidates belonging to the "special backward classes" to the various posts on a temporary basis by creating supernumerary posts in different categories, if so advised. However, any appointment so made shall not confer any right on such candidates for any appointment on permanent basis in the eventuality of the instant appeals being dismissed."

अब इसमें सरकार का बड़ा, हमने कहा हम सुपरन्यूमरेरी पोस्ट करते हुए किसी भी, क्योंकि सरकार के ध्यान में यह विषय था कि अगर 1252 पोस्टों को इस तरह दिया जाएगा तो जनरल कैटेगिरी के जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके हितों पर कहीं हैम्पर होगा। इसलिए सरकार ने कहा हम सुपरन्यूमरेरी पोस्ट क्रियेट करेंगे, उनके अधिकार बने रहेंगे और इसके कारण से जो पोस्ट क्रियेट होंगी, एक्चुअल देखा जाए तो कुछ पोस्टों पर जनरल के हमारे जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, जो एप्लाई कर रहे थे, उनको भी इसका लाभ देने का किया और उसको उसका लाभ मिला भी।

तो इस तरह, इस एक्ट के माध्यम से केवल 1252 नहीं, कुल मिलाकर के इस एक्ट के आने के बाद 1389 लोगों को सरकार की नौकरियां मिली हैं जितनी भी इसकी लाइफ रही उस लाइफ के बाद। लेकिन सरकार ने कहा कि हम 2016 के इस कानून के बाद, स्ट्रक-डाउन होने के बाद जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने ओ.बी.सी. कमीशन की रिपोर्ट को स्ट्रक-डाउन कर दिया, क्वेश किया और हमारे उस नोटिफिकेशन को स्ट्रक-डाउन किया तो सरकार ने फिर दूसरी एक हाई पावर कमेटी बनायी जस्टिस एस.के. गर्ग की चेयरमैनशिप में, उस हाई पावर कमेटी की रिकमण्डेशन, फिर उसके बाद ओ.बी.सी. कमीशन की रिपोर्ट, हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 10.07.2017 को सब्मिट की और 17.10.2017 को ओ.बी.सी. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सब्मिट की। ओ.बी.सी. कमीशन और हाई पावर कमेटी, दोनों ने अपनी रिकमण्डेशन में इस बात को कहा है, मोर बैकवर्ड मानने का कहा है। अत: आयोग द्वारा पांचों जातियों, एक - बंजारा, बालदिया, लबाना, दो -

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया, तीन - गूजर/गुर्जर, चार - राईका, रैबारी (देबासी) एवं पांच गडरिया, गाडरी, गायरी को.के अन्य पिछड़ा वर्ग में काफी अधिक पिछड़ा होने एवं उनके घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जाति होने के कारण पृथक से वर्गीकृत करने की अभिशंसा की जाती है। इसके आधार पर सरकार ने अपना एक एमबीसी बनाने की बात की, उस एक्ट को यहां विधान सभा में सबने सर्वसम्मति से पारित किया। उसमें भी जब हाई कोर्ट में चेलेंज हुआ और हाई कोर्ट ने इंटरिम पीरियड में ही, जब नोटिफिकेशन नहीं निकला था, राज्यपाल की कंसेंट भी नहीं आयी थी, वैसे तो एक सब्जैक्ट आफ डिबेट हो सकता है कि क्या जब तक कोई कानून नहीं बने, राज्यपाल की एसेंट नहीं मिले, तब कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफियर करके किसी प्रकार का आर्डर पास कर सकता है। लेकिन क्योंकि अभी हम केवल लिमिटेड इश्यू पर हैं, इसलिए उस आर्डर के खिलाफ भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि आप 50 परसेंट की जो इंदिरा साहनी में सीलिंग दी है, उसके अंदर-अंदर ही आप आरक्षण दे सकते हैं।

तो सरकार ने दो काम किये, एक तो 1 परसेंट की अधिसूचना निकालने की बात की। उस 1 परसेंट की अधिसूचना को हमने 21.12.2017 को एडमिशंस और एपान्टमेंट्स, दोनों के नोटिफिकेशंस निकाले और उसके बाद उसमें जब नीचे एग्जिक्यूशन में कई तरह की दिक्कतें आने लगीं तो उसका भी कारिजेंडम निकालने का काम सरकार ने किया। किसी तरह की कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानियों को कारिजेंडम निकालकर क्लियर करने का काम किया। जहां तक माननीय सदस्य ने 3 कैटेगरी में लाभ देने की बात की है, जैसा मैंने कहा कि 2010 के बाद 2012 से 2015 तक भी इस तरह के तीनों बैनिफिट- जनरल का, ओबीसी का और एसबीसी को यहीं राजस्थान सरकार के आदेश से मिले हैं।

दूसरी एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, कई बार हम करते हैं जनरल कैटेगरी में महिला के लिए आरक्षण और जनरल कैटेगरी में महिला और महिला के बाद फिर विधवा के लिए भी आरक्षण। एक ही तरह के तीन-तीन प्रावधान हम एक को देने की बात कई बार करते हैं। इस तरह की स्थिति में हम मानते हैं इस बात को कि कोई समाज बहुत अधिक अति रूप से पिछड़ा हुआ है, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट भी है तो उसको हम कैसे बैनिफिट दे सकते हैं, कैसे उसके अपलिफ्टमेंट का काम कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

था उसके अपलिफ्टमेंट का काम। उसको बनाने की बात हमने की है। तीसरी बात, केवल इतना ही नहीं कि एसबीसी, आज एमबीसी को आरक्षण एक विषय है, आरक्षण के साथ-साथ वैलफेयर भी एक पार्ट होता है, जिसके कारण से हम सोशल स्टेटस को भी बढ़ाने का काम है। दूसरा, बाकी चीजों के माध्यम से भी हम सामाजिक स्तर को बढ़ाने की बात करें, सरकार ने उसको भी देखा।

हमने कहा कि चाहे अलग-अलग स्कीम बनाकर उनको आरक्षण देने का विषय रहा होगा, स्कूटी देने का विषय रहा होगा, आवासीय विद्यालय बनाने का, कहीं छात्रावास बनाने का, अनुप्रति योजना का, उसी प्रकार हमने गुरुकुल योजना के लाभ देने का, डिफरेंट स्कीम्स में बैनिफिट देकर कैसे हम इनका और अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, वह भी लगातार करने का काम सरकार ने किया और करोड़ों रुपये इसके ऊपर लगातार वैलफेयर करने की बात की है। जहां तक आपने कहा कि 9th शिड्यूल की बात है, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य काफी विद्वान हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अब 9th शिड्यूल को रिव्यू करने का पावर भी, ये कोयलों के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सरकार के पास से चला गया। केवल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सरकारें न उसको जोड़ सकती हैं, न घटा सकती हैं, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, अब नया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का।

केशवानंद भारती का जो जजमेंट था, उसके बाद यह कोयलों का जजमेंट आया, उस 9th शिड्यूल में भी सरकारों की पावर गयी और अब कोर्टों में है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करने की बात, उसमें एक बात रही है। जहां तक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात है, एक तो जहां बिना कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दे सकती, इस तथ्य को पूरा सदन जानता है। जब तक आधार नहीं हो तो किसी प्रकार के आरक्षण की बात नहीं कर सकते, हमारी प्रतिबद्धता है। उसको बनाने की बात की, हमने कहा कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न तरह की वैलफेयर एक्टिविटीज भी चलनी चाहिए।

बिना किसी और के रिकमंड किये हुए आज राजस्थान की सरकार ने शायद पहली बार एक तो राजस्थान के सभी छात्रावासों में इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 10 परसेंट सीटों को रिजर्व करने का काम किया, अनुप्रति का लाभ देने की बात की। इनमें से जो आरएएस, आईएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग की परीक्षा देना चाहते हैं बच्चे, जो कंपीटिशन के लिए

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

तैयारी करना चाहते हैं, 100 बच्चों का एक छात्रावास जयपुर में और 100 कोटा में बनाने की बात की। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें जिनके माता-पिता की आय 5 लाख रुपये से कम है, उनको फीस का आधा पैसा देने की भी सरकार के द्वारा स्कीम चलायी गयी।

अभी हाल में मुख्य मंत्रीजी ने दो बातें और कही हैं, 276 करोड़ रुपये केवल छात्रवृत्ति आर्थिक पिछड़ा वर्ग को देने के लिए बजट में प्रावधान करने का काम किया। इसके साथ-साथ सुंदर सिंह भंडारी के नाम से योजना बनाकर उसके माध्यम से इस वर्ग को 50 हजार तक ऋण देने की बात भी माननीय मुख्य मंत्री ने की।

सरकार की मंशा यह है कि जहां हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, सबके हित की बात करते हैं, वहीं इस बात को हम भी मानते हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग में भी अगर हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से काफी असमानता है और उस कारण से काफी लोगों को जरूरत है कि उनके अपलिफ्टमेंट की बात की जाए और क्योंकि कानूनी चक्करों के कारण उसमें विलम्ब हो रहा था, इसलिए सरकार ने इसकी प्रतीक्षा किये बिना इनके वैलफेयर के लिए जितनी चीजें हो सकती हैं, उनको बनाने की बात की है।

पूरे कानून के जितने प्रावधान होते हैं, उन सबका परीक्षण करने के बाद लीगल रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने 1 परसेंट के आरक्षण की बात की है। हो सकता है किसी को कष्ट हो कि 1 परसेंट के आरक्षण के साथ ओबीसी में आरक्षण क्यों है, लेकिन ये प्रावधान पहले भी सरकारों में किये गये हैं। उन्हीं चीजों को आज देकर सरकार यह चाहती है कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जिसमें इन पांचों समाजों को जोड़ने की बात है, उनका अपलिफ्टमेंट हो और सरकार अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपरोक्ष रूप से जो मैंने बातें कही हैं, वे सब स्वीकार कर लीं। मंत्री महोदय जी के भाषण के बाद अब यह बात स्पष्ट हो गयी कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में संशोधन कराने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है कि 50 परसेंट ही आरक्षण रहे। इसका अर्थ साफ है कि एमबीसी को

(श्री घनश्याम तिवाडी)

जो 1 परसेंट आरक्षण दे रहे हैं, उसके लिए सारी रचनाएं की जा रही हैं। इसको स्वीकार करने के बाद में 14 परसेंट आरक्षण की जो बात थी, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, बचे हुए मुस्लिम और सिंधी समाज को आरक्षण देने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। सरकार ने यह भी बता दिया कि 9th शिड्यूल का क्योंकि अब जुडिशियल रिव्यू होना प्रारम्भ हो गया है, इसलिए 9th शिड्यूल में इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार ने यह भी बता दिया कि हम संविधान संशोधन के लिए भी नहीं जा रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा आपसे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी की बात पर आने से पहले जो अभी सर्वोच्च न्यायालय का आपने पढ़ी, न्यायालय का पढ़ने के बाद में 1252 लोगों का भविष्य हमेशा के लिए आपने समाप्त कर दिया गुर्जरों का, जो आज सर्विस में हैं। साफ लिखा है, "The State is at liberty to appoint the abovementioned 1252 candidates belonging to the "special backward classes" to the various posts on a temporary basis by creating supernumerary posts in different categories, if so advised. However, any appointment so made shall not confer any right on such candidates for any appointment on permanent basis in the eventuality of the instant appeals being dismissed." मतलब, आपने एसबीसी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है एमबीसी का लाकर, इसलिए जो 1252 एसबीसी के हैं, वे हमेशा के लिए समाप्त हो गये। इस अध्यादेश के जारी होते ही इन 1252 की सर्विस हमेशा-हमेशा के लिए खतम हो गयी, एक।

दूसरी बात, यह जो 14 परसेंट वाला है, तीसरा आपने जवाब नहीं दिया, मैंने कहा था कि आरक्षण वर्टिकल भी है और होरिजंटल भी है। अगर सरकार की मंशा है, सरकार देना चाहती है, सुंदर सिंह भंडारी जी के नाम से आपने ऋण शुरू कर दिया, ऋण करने से क्या होता है? ऋण देता है बैंक। बैंक डूबी पड़ी हैं। बैंक ये ऋण दे ही नहीं रही हैं और 50 हजार के ऋण में कोई क्या कर लेगा? लड़ाई कर रहा है कोई आरक्षण की और उसको कर्जे की बात कर रहे हो आप, तो न तो वर्टिकल-होरिजंटल आरक्षण के बारे में आपने कहा, और ये तीन का कैसे मिलेगा, उदाहरण भी कैसा दिया- एक महिला, सामान्य में आती है, वह महिला विधवा में भी आ गयी, फिर महिला तो विधवा हो जाती है, पुरुष विधवा हो जाएगा क्या?

एक माननीय सदस्य: पुरुष विधुर होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, विधुर होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उनको तो पेंशन ही नहीं देते आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो उसको ओबीसी, वह एक कैटेगरी है। ओबीसी, एसबीसी और एमबीसी, ये तीन कैटेगरी कर रहे हो आप। आपको 1 परसेंट आरक्षण देना है तो अधिसूचना से दे सकते हो आप, पहले भी दे रहे थे। अशोक गहलोत साहब की सरकार के टाइम पर जब ये बिल रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने अधिसूचना से दे दिया और 1 परसेंट में नौकरी लगी। वह आप 1 परसेंट ही तो दे रहे हो, फिर उसको लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट का 4-4 कोर्टों का उसके अंदर करा रहे हो, क्यों करा रहे हो आप इस बार का?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा कि आप लेकर आये, हां आप सही कह रहे हैं, मैं लेकर आया। मैं लेकर ही नहीं आया, मैंने सीकर से इस आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन ले जाकर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला। वाजपेयी जी से मिलकर ईबीसी कमीशन हिन्दुस्तान में सबसे पहले बना और मुझे सौभाग्य मिला कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के रूप में मैंने सबके सामने बिल पास किया। राजस्थान की विधान सभा ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उसको स्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसके टुकड़े कर दिये। 13 महीने तक, शीलेन्द्र सिंह जी राज्यपाल थे, उनके दस्तखत नहीं होने दिये। फिर ओबीसी का अलग और इनका अलग करके उन्होंने टुकड़े कर दिये। वह 5 परसेंट भी टुकड़े करने के बाद में भी रिजेक्ट हो गये।

इसलिए आज स्थिति यह है कि यह कानून की लड़ाई की परिभाषा समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यह लड़ाई कानून की नहीं है, न्याय की लड़ाई है और सरकार के दरवाजे पर ये लोग न्याय मांग रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया कालों का, गोरों का, सबका और न्याय की लड़ाई को कानून की लड़ाई से मत जोड़िये। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे बनाये हुए कानून पर फैसला करते हैं और राजनीतिक निर्णय राजनीतिक दलों को लेना पड़ता है। यह निर्णय आपको, हमको लेना पड़ेगा कि ब्राह्मणों, राजपूतों, बनियों, सिन्धियों और गरीब मुसलमानों के इन गरीब बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने क्या पाप किया है हिन्दुस्तान में पैदा होकर? यह न्याय की लड़ाई है। ये 80 गुर्जर वहां गोलियां खा-खाकर मरे हैं तो इनको 5 परसेंट देना, यह न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई का फैसला न्याय

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की लड़ाई से होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैंने जो यह परिनियत संकल्प पेश किया है, इस परिनियत संकल्प को पारित किया जाए और इस अध्यादेश का समाप्त किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट आपका आपकी आज्ञा लेना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विवेचना सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने की, आपकी भावना सिर्फ यही थी संदेश यह चला जाए कि 14 परसेंट आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो बात है और जिस बात की संकल्पना सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुन्धरा जी ने की, मुझे वह समय याद है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं की। वेंकैया नायडू जी ने की, नहीं की वसुन्धरा जी ने। वसुन्धरा जी तो हमेशा खिलाफ रही हैं, आज भी खिलाफ हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह समय याद आ रहा है, शायद माननीय सदस्य साथ होंगे या नहीं होंगे, माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मुख हम शिष्टमण्डल लेकर गये जिसका मैं भी सदस्य था और पहली बार....

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यहीं पार्क प्लाजा होटल में। कोई व्यक्ति अगर यह कहे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पार्क प्लाजा होटल में वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष थे, अटल जी दिल्ली में थे और यहां पब्लिक मीटिंग में घोषणा कर चुके एसबीसी आयोग की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं निवेदन करूं, मैं दो मिनट में निवेदन कर दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गलत तथ्य कैसे बोलेंगे दो मिनट में आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उस शिष्टमण्डल का मैं भी हिस्सा था और पहली बार माननीय वसुन्धरा जी के कहने पर देश में वी.पी. सिंह कमीशन बना कि आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान कर उनको किस प्रकार आरक्षण दे सकते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने 14 परसेंट आरक्षण देने की बात में कोई दरवाजे बन्द नहीं किये हैं। दरवाजे वहां बन्द हो जाते हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय का इन्दिरा साहनी और दूसरे मामलों के अन्दर 50 परसेंट की...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): न्याय की लड़ाई मांग रहे हैं, अपना बहुमत है, 21 राज्यों में है, लोक सभा में है, राज्य सभा में है, संविधान संशोधन क्यों नहीं करते हैं अगर देना चाहते हो तो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप जो बात कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज रिट पिटीशन है, मैं आपकी आज्ञा से रिट पिटीशन पढ़ना चाहूंगा, यह है एसएलपी/सी/303936/2017, यह आज भी सुप्रीम कोर्ट में पैण्डिंग है। यह सब्जैक्ट टू डिसीजन आफ द रिट पिटीशन है। आपने कहा कि आपने 1212 पदों को समाप्त करने की बात कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी गुर्जर समाज को 5 परसेंट आरक्षण मिले, हमने जो बिल पास किया उसकी विधिवेत्ताओं के साथ मिलकर हर कदम पर लड़ाई लड़ी है और आज भी कह रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर जो आज रिट पिटीशन पैण्डिंग है, राज्य सरकार पुरजोर तरीके से जिस मन्शा के साथ हम बिल लेकर आए उसी अनुसार काम करेंगे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार जो आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग है इसको वर्ग के आधार पर रिकग्नाइज करने का काम किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। पहली बार अलग-अलग योजना, जिनका जिक्र माननीय मंत्रीजी ने किया, आज तक कई सरकारें आयीं, कई सरकारें चली गयीं पर आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को किसी प्रकार की सुविधा पुंज देने का काम किसी ने नहीं किया। आज चाहे सुन्दरसिंह भण्डारी योजना हो, चाहे अनुप्रति योजना हो, कितने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ शैक्षिक तौर पर विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अन्दर उनको अलग से आरक्षण मिले और हमने एक तरह से 14 परसेंट आरक्षण की बुनियाद इस राजस्थान में रख दी है। इसलिए आप जो कह रहे हो और आप चाहते हैं रिकार्ड में यह बात चली जाए कि सरकार ने 14 परसेंट आरक्षण की बात जो सुराज संकल्प में कहीं थी उस बात से सरकार हट रही है। सरकार कटिबद्ध है और उन सारे वैधानिक तरीकों को देखकर किस प्रकार से हम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वास्तविक रूप में आरक्षण दिला पाएंगे इसके लिए कोशिश करेंगे। 5 परसेंट आरक्षण गुर्जर सहित चारों जातियों को दिलाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपने सर्वसम्मति से यहां फैसला करवाया था। सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। आपने कहा था कि गुर्जरों को आरक्षण देंगे और ब्राहमण, शूद्र और मुसलमान को तो आप एकदम काट रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो आप?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे शब्दों को कहीं घुमाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पूरे वक्तव्य में हमने मान लिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मन्शा सरकार की नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): घूम तो आप रहे ही हो, मैं थोड़े ही घुमाता हूं। आप हमेशा घूमते रहते हो, आदत है आपकी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप करो चिंता इस बात की। क्योंकि आप वरिष्ठ हैं और कुछ मर्यादाएं हैं इस कारण से कुछ चीज हम न बोलें तो ठीक है, वह अच्छी बात रहेगी। उसमें सरकार की मन्शा बड़ी स्पष्ट है कि इसमें जैसे ही रिपोर्ट आने के बाद जो आरक्षण का विषय है उसको तुरन्त, जो संकल्प है हमारा उस संकल्प को पूरी तरह पारित करके हम आरक्षण के नोटिफिकेशन निकालेंगे। जहां तक आपने सुपरन्युमरेरी पोस्ट की बात तो यह पहली बार राजस्थान में नहीं हुआ। देश के और हाई कोर्टों ने भी और इसी तरह मेडिकल के एडमिशंस हुए थे, मेडिकल के एडमिशंस में सुपरन्यूमरेरी पोस्ट क्रियेट करने के बाद उन एडमिशंस को रेगुलराइज करने का काम किया है। ऐसे प्रीसीडेंस इसी देश में हैं, इसी जुडीशियल सिस्टम के आधार पर है। इन सब चीजों के आधार पर हमने लाभ देकर गुर्जर सहित इन पांच जातियों के बच्चों को लाभ देने की बात की है। वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है तो यह पहली बार हुआ है। पहली बात तो मुझे ध्यान है कि जयपुर में सी-स्कीम में पार्क प्लाजा होटल में मीटिंग हुई थी बीजेपी की। वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष थे, जिसमें सब कार्य समिति के आये थे, घनश्याम जी भी साथ थे, राजेन्द्र जी और हम सब गये थे और जाकर भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई ने, वसुन्धरा जी उस समय मुख्य मंत्री थीं उस समय इस बात को करने की बात की थी कि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बनाया जाए, उसकी रिपोर्ट ली जाए और उनको आरक्षण देने की बात की। इसकी सबसे पहले देश में शुरूआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान यूनिट के माध्यम से शुरूआत हुई है। देश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को एक वर्ग मानकर उसको लाभ देने की कोई शुरूआत हुई है तो आज मैं कह सकता हूं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के सभी 750 छात्रावासों में इन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 10 परसेंट सीट का आरक्षण देने का काम किया। मैंने कहा और उसको दोहराने की बात है तो आज इनके लिए 276 करोड़ का प्रावधान, जिसमें छात्रवृत्ति की बात है। हमारे भी मन में वेदना होती थी जब किसी ब्राहमण, वैश्य, राजपूत, सिंधी, पुरुषार्थी समाज का ऐसा कोई बालक आता था और कहता था कि फीस के पैसे नहीं हैं तो किसी समर्थवान से कहकर कहते थे कि इसकी फीस में सहायता करो। आज मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में उस सामान्य वर्ग की या उस आर्थिक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति की पीड़ा को समझकर इसमें स्कालरशिप की जो घोषणा की है, निश्चित रूप से आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और पढ़ाई होगी।

इसी तरह अनुप्रति की बात होगी, राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की बात होगी तो यह पहली बार राजस्थान में हुआ है कि पिछड़ा वर्ग को मानकर उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कई योजनाएं देने की बात की गयी है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पढ़े-लिखे लड़कों को, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दी क्या आपने? कब दिया आपने? सिर्फ चुनावी भाषण देकर चले जाते हो। कब पैसा दिया? आपने दिया क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ। दिस इज नाट अलाउड। बैठ जाएं आप। एक मिनट विराज जाएं। इस सम्बन्ध में अगर आप अपने श्रीमुख से फर्माना चाहें तो आप थर्ड रीडिंग पर फर्मा देना न। फर्स्ट रीडिंग में जिनके हैं वे आ जाएंगे। एक मिनट आप ध्यान से सुन लें।

प्रश्न यह है कि श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को प्रख्यापित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक-4) को स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां पक्ष जीता, उपाध्यक्ष महोदय। हां पक्ष जीता, मैं मेरा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। एक वोट भी है तो भी, एक वोट का भी मैं विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि सरकार ईबीसी, इकोनोमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी के अधिकारों का हनन कर रही है और गुर्जरों के अधिकारों का भी हनन कर रही है इसलिए मेरा यह स्वीकार किया जाए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जो प्रस्ताव है वह एमबीसी का है, ईबीसी का नहीं है। इस पूरे प्रस्ताव में ईबीसी का विषय नहीं है और ईबीसी, एमबीसी की आड़ पर कहीं और गोलियां चलाने के काम, इसलिए यह प्रस्ताव भी एमबीसी का है, ईबीसी के लिए प्रस्ताव नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। 2008 से 2013 में भी मुझे यहां विधायक के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दूसरी बार भी आप सबके बीच में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमने देखा है कि जब-जब सत्र

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

चलते हैं, आरक्षण की बातें होती हैं, बिल लाये जाते हैं, आर्डिनेंस लाये जाते हैं और सर्वसम्मति भी बनती है। जब भी चार साल में कोई भी बिल गुर्जरों को आरक्षण देने का आप लाये, हमने उसमें पूर्ण सहमति प्रदान की है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गये जिनको किसी की चिंता नहीं, न गुर्जरों की चिंता है, न ओबीसी की है, न ईबीसी की है, न सवर्णों की है। केवल आपसी नूरा-कुश्ती और आपसी नूरा-कुश्ती...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पांच साल तक रहे बीच में और आरक्षण का मामला आपके सामने भी था, आपने क्या किया? आप पांच साल का तो बताओ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): कुछ नहीं किया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हां, नहीं मरवाया है। हमने एक ही काम किया कि हमने मरवाया नहीं एक ही। आपने कह दिया। आपने कह दिया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ। आप विराजो। विराजो। मैं बता रहा हूं ना क्या किया। हमने 17-0 पर आपको उप चुनावों में निपटा दिया और पंचायत चुनाव और निकाय चुनावों में भी आपका सूपड़ा साफ कर दिया। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने तो हमारा सूपड़ा साफ किया है पर गुर्जर समाज को मिलने वाले आरक्षण के बारे में आपने पांच वर्ष तक क्या किया? यह तो बता दो। (व्यवधान) आप तो गुर्जर ही हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका परमानेंट इलाज अब की बार हो जाएगा। हमने यह किया है। (व्यवधान) ये दो चीज ही तो याद करके आये थे महीने-बीस दिन से, उनको ही नहीं बोलने दे रहे हो तो फिर कब बोलेंगे? इतना-सा ही तो ध्यान रहा है। यह हाउस को तो आर्डर में लाओ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये झगड़ रहे हैं आपस में, उप मुख्य सचेतक और माननीय सदस्य। ये घूम रहे हैं, टहल रहे हैं जैसे बगीचे में घूमने के लिए आये हैं। इतना सीरियस बिल है...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपको सपने में भी उप मुख्य सचेतक दिखता है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...इतना सीरियस बिल है जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, उसके ऊपर अगर हम इतने ही गम्भीर नहीं होंगे तो फिर चर्चा क्या कर लेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का वातावरण हमने देखा है, उससे दो चीजें हमें समझ में आयीं कि या तो सबको, सब जातियों को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार जान-बूझकर आपस में नूरा-कुश्ती लड़ रही है और या इनमें इतने मतभेद हैं, इतने मतभेद हैं कि उन मतभेदों का खामियाजा प्रदेश की सवा सात करोड़ जनता उठा रही है। इनको इसके लिए 163 का बहुमत नहीं दिया था कि आप इस तरीके से आपस में नूरा-कुश्ती लड़ो। इस तरह से झगड़े करो...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): नूरा-कुश्ती क्या होती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नूरा-कुश्ती यह होती है, आप तो नींद ले रहे थे। वह बोल रहे थे और कर रहे थे न घनश्यामजी तिवाड़ी साहब और संसदीय कार्य मंत्रीजी और हमारे अरुण चतुर्वेदी जी, सामाजिक न्याय मंत्री जी, ये जब कर रहे थे तो आप नींद ले रहे थे, वर्ना आपको पता लग जाता, नूरा-कुश्ती क्या होती है। (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम कहां ले जाना चाहते हैं। आपकी सवा चार साल से इस प्रदेश में सरकार है। आप जब भी बिल लेकर आये, हमने आपका सर्वसम्मति से समर्थन किया क्योंकि हमारी पार्टी यह चाहती है कि गुर्जरों को पांच परसेंट आरक्षण अलग से मिलना चाहिए। आप एसबीसी का लेकर आये, हमने सहमति प्रदान की। पिछले सत्र में जब गुर्जरों के लिए आरक्षण का बिल लेकर आये थे तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस वैल में आये थे और हमने कहा था। आपको शब्द याद है तो दुबारा संसदीय कार्य मंत्रीजी, शायद आप ज्यादा ध्यान रखते हैं इस बात का, सामाजिक न्याय मंत्रीजी तो हैं ही। हमने कहा था, आप गुर्जरों के साथ में धोखा कर रहे हो। आप गुर्जरों के हितैषी नहीं हो। +++ आप दुबारा ढंग से, केन्द्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पांच परसेंट आरक्षण इस तरीके से नहीं मिलेगा। यह हाई कोर्ट में जाएगा, निरस्त होगा यह बिल और आप दुबारा कहोगे तो यहां चिल्ला-चिल्लाकर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर एक साल तक, 2008 में आपने और हमने दोनों ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मिलकर सर्वसम्मति से, यह यदा-कदा मौके आते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सर्वसम्मति से कोई बिल पर, कोई प्रस्ताव पर, संकल्प पर सहमति बनती है। 2008 के अंदर जो बिल आया, उसमें सर्वसम्मति से पास हुआ और उसके बाद में एस. के. सिंहजी ने, क्या करवाया आपने? एक साल, 11 महीने 18 दिन तक क्या करवाया आपने? वह सवाल आपसे गली-गली में गुर्जर का बच्चा पूछ रहा है और इसीलिए आपको मजबूरी से, एक नौसिखिया व्यक्ति को अपनी पार्टी का मुखिया बनाना पड़ा कि गुर्जरों के लोगों को किस तरह आप गुमराह कर सकें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारा मुखिया नौसिखिया नहीं है। सवा चार साल से आपका सूपड़ा साफ कर रहा है। 20 उप चुनावों में हमारे मुखिया ने आपको दो में समेटकर रख दिया, फिर भी आपकी अक्ल ठिकाने नहीं आयी तो मुझे कुछ नहीं कहना। आप घबरा रहे हो। आप गुर्जरों के +++ भी हो। गुर्जरों के धोखेबाज भी हो और यह नूरा-कुश्ती लड़कर आप क्या दिखाना चाहते हो? गुर्जरों के हितैषी बनना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं तो यह चाहता हूं कि आपके नेता जरा गुर्जर आरक्षण पर दो शब्द तो कहीं बोलें। आज तक राजस्थान के अंदर गुर्जर समाज पूछ रहा है, दो शब्द और आप भी उनकी तरफ से दो शब्द बोल दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी मुखिया गुर्जरों की समधन हैं। क्या गुर्जरों को न्याय दे पायीं सवा चार साल में?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसीलिए दो बार बिल लेकर आयीं। राजस्थान के इतिहास में दो बार, एक नहीं, दो बार...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपकी मुखिया जो हमारी समधन बनीं, +++ (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...दो बार बिल लेकर आयीं। तीन बार बिल लेकर आयीं। इसीलिए तीन बार बिल लेकर आयीं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और राठौड़ साहब, अगर आपको इतना शौक है तो हमारा... इम्तिहान ले लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और इसीलिए 1,300 से ज्यादा बच्चे आज नौकरियां कर रहे हैं। 1,300 से ज्यादा बच्चे आज नौकरी कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जो बिल है न राठौड़ साहब, यह इन गुर्जरों को...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पहले हमारी मुख्य मंत्रीजी ने आरक्षण दिया माननीय डोटासराजी, उसके बाद में लागू नहीं किया और जब आपका राज आया, तब लागू हुआ और उस समय में वह स्टे कैसे हुआ? आपने प्रभावी पैरवी नहीं की। गुर्जरों को मूर्ख बनाते रहे और गुर्जरों के वोट लेने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते रहे। पांच साल में आपने कौनसी पैरवी की? स्टे क्यों हुआ? सबसे पहले आपके राज में स्टे हुआ। हमारी सरकार ने तो बिल लाकर बिल पास किया और आपकी सरकार आयी तब आपने लागू किया और लागू करते ही पहले स्टे हुआ। आपने कौनसी पैरवी की वहां पर? और फिर उस समय दोनों जगह आपका राज था। आपका दिल्ली में राज था। आपके वहां पर मंत्री भी थे। आप चाहते तो आप दोनों जगह बात को लागू करवा सकते थे? अब आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि ये दोनों जगह सरकार आपकी है। दोनों जगह सरकार आपकी भी थी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे चलेगा?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कालू लालजी, राजस्थान का गुर्जर समाज... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को विवाद मत बनाओ। इस कौम को यदि न्याय देना है तो...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): धीरज जी, आपको सुनना पड़ेगा। धीरज जी, यह पहलवानी और दादागीरी की जगह नहीं है। यह आपकी दादागीरी की जगह नहीं है, बैठो आप। आपको मालूम है, सत्य बात है कि आपके टाइम में स्टे हुआ। आपने उसकी कोई पैरवी नहीं की और यह स्टे होने के बाद भी आप केवल घड़ियाली आंसू बहाते रहे। (व्यवधान) आपने कोई पैरवी नहीं की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके मंत्री असक्षम हैं क्या? आप सक्षम थे तभी आपको मंत्री नहीं बनाया। आप जवाब दे रहे हो मेरी बात का। आप जवाब देने लायक ही नहीं हो। आप तो मंत्री जीरो हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): जबकि हमारी सरकार आई। (व्यवधान) कोई बात नहीं, मंत्री नहीं बनाया तो। आप तो यह बताओ कि आप दुबारा बिल क्यों नहीं लाये पांच साल तक? (व्यवधान) आप दुबारा बिल लाकर अगर यह तय करते और वापस देते तो हम मानते कि आप गुर्जरों के हितैषी हो। हमने नहीं मरवाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका तो सत्ता पक्ष के लोगों की हाजिरी करने का काम है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मरवाना ही आपका उद्देश्य है क्या? नहीं मरवाया इसलिए यह कोई एहसान है? हर आदमी कहता फिरेगा कि देख, मैं आपको नहीं मार रहा हूं, यही एहसान है। यह कोई बात है। यह कोई तर्क है आपका?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या करना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन वाला रिकार्ड होगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आप भी विराज जाओ, आप भी विराज जाओ। पहले इस बात का मनन कर लें कि किसको तो बोलने की अनुमति दी गयी, कौन-कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस अभिप्राय से बोल रहा है, कहां किस दिशा में आप इस पूरी बहस को ले जाना चाहते हैं? हम किसी भी व्यक्ति को किसी सामाजिक क्षेत्र की जाति से जरूर पुकारते हैं, लेकिन हमारे लिए, इस सदन के लिए समस्त मानव जीव आदर के पात्र हैं। आपकी आपस की बहस से ऐसे लग रहा है कि आपने उसको खण्ड-विखण्ड करके उस मानव जीव को किसी एक श्रृंखला में लाकर खड़ा कर दिया और आपस में बहस करने लग गये जैसे आप कहीं बाहर बाजार में बैठकर कोई आपस में बहस कर रहे हों।

पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, क्यों न इसे एडजोर्न कर दिया जाए? इनको बाहर ले जाइये। जरा इनको कह दीजिये, जो इनकी नूरा-कुश्तियां करवाना चाहते हैं, बाहर करवा दीजिये न एक बार। यहां तो कम से कम संवैधानिक दायरे में कुछ ऐसी बातों का विवेचन हो, कुछ ऐसी बातों की बहस हो, जिस पर हम कहीं न कहीं किसी दिशा में जाकर कहीं एक सकारात्मक निर्णय ले सकें। सरकार की मंशा और नीयत बिलकुल साफ है पारदर्शिता की तरह।

(15.00 बजे)

It is transparent, it is clear and it is crystal clear that they want to do something. The treasury benches want to do something. You can raise your

(श्री उपाध्यक्ष)

queries. यह सदन उस queries को सैटल करने के लिए ही है। The Minister together including the Minister concerned will try and satisfy. लेकिन, हम अतीत के झरोखों से ऐसे-ऐसे प्रकरण ले आते हैं और वर्तमान को उससे पल्लवित करना चाहते हैं। व्यवस्थाओं के अधीन रहते हुए हम भविष्य को सकारात्मक परिस्थिति में पैदा करना चाहते हैं। क्या यह उचित है कि इस प्रकार की हम आपस में बहस करें?

आदरणीय सदस्यों, आप बड़े सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के, तो सम्मान लायक तो अपने आपको रखें। समाज में असमानता को दूर करने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप भी सामाजिक प्राणी हैं। आप तो सम्मानजनक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें। जिससे उस रास्ते पर, उस दिशा में और उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। श्री गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी थी। इसलिए, मैं बोल रहा था लेकिन कहीं मुख्य सचेतक महोदय को यह वहम हो गया कि इनके अलावा कोई आरक्षण का विशेषज्ञ हो नहीं सकता और इतने ही विशेषज्ञ हैं तो आप सरकार में बैठे हैं, गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण सवा चार साल में क्यों नहीं दे पाये? ये जनता पूछना चाहती है आपसे। आप विराजो, काहे के लिए नीली बत्ती छप-छप करा रहे हो, लाल तो मोदी जी ने छीन ली और अब नीली को छप-छप करा रहे हो, आप।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पिछली बार जब यह बिल आया था तो सभी माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय के प्रवचन सुनने का मौका मिला था और हमने बार-बार यही निवेदन किया था कि आप ये बिल लाकर गुर्जरों के साथ में धोखा कर रहे हैं। उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनको 5 परसेंट आरक्षण, 50 परसेंट से ऊपर जा रहा है, इसलिए आप नहीं दे सकते हो।

हमने यह भी सुझाव दिया था कि केन्द्र में आपकी सरकार है, यहां आपकी सरकार है। आप प्रधान मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के संबंध ठीक कराकर इसको नौंवी अनुसूची में डालकर गुर्जरों को आप आरक्षण 5 परसेंट दे दीजिए, जो 50 परसेंट से ऊपर जाने वाला था, आप नहीं कर पाये।

अभी तिवाड़ी जी कह रहे थे कि ई.बी.सी. का इन्होंने बिल पेश किया।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप, आपने क्या किया सवा चार साल से केवल और केवल सब जातियों को गुमराह करने का काम किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी कहती हैं, सदन की नेता कहती हैं कि 'सर्वजन हिताय:' हमारी सरकार, सबको साथ लेकर, सवा सात करोड़ की जनता को सबको साथ लेकर, सबके हित के लिए काम कर रही है। ये सबका हित सवा सात करोड़ का तो पता नहीं, 159 उनको भी साथ लेकर, आप एक निर्णय के ऊपर नहीं पहुंच पाये, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती।

आप अपने माननीय सदस्यों को बुलाकर पार्टी मीटिंग में समझा सकते हैं, जो चीज आपको अपनी पार्टी में करनी चाहिए, उसमें यहां तमाशा बनाते हैं और तमाशा बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम, यह सरकार कर रही है। यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी ने अभी मेरे से पूछा था कि आपकी पार्टी के मुखिया क्या करेंगे, थोड़ा-सा बताइये। मुखिया तो मुखिया की जाने लेकिन मुझे जो दूरदृष्टि के हिसाब से दिख रहा है, ये जो गुर्जरों के साथ में जिस प्रकार से आप धोखा कर रहे हैं आपस में नूरा-कुश्ती लड़कर। हमारे मुखिया के नेतृत्व में निश्चित रूप से आपकी सरकार की आखिरी कील ठोकने का काम, ये गुर्जर आरक्षण का बिल करेगा। क्योंकि, सबको पता लग गया कि आप केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण दे नहीं रहे हैं, आपकी आदत पड़ गयी छेड़खानी करने की, बरगलाने की आपकी आदत पड़ गयी।

पटवार परीक्षा थी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पटवार परीक्षा में आपके सलेक्शन बोर्ड, जो आपका कर्मचारी चयन बोर्ड बना हुआ है, उसमें आपने एक ऐसा राइडर डाल दिया कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, वो केवल ओबीसी तक सीमित रहेंगे, 50 परसेंट जनरल को आपने दे दिया। उसका परिणाम यह हुआ जो रिजल्ट आया, उसमें ओबीसी के बच्चे जो होशियार थे, मेधावी थे, उनकी मैरिट ऊपर रख दी और जनरल की मैरिट नीचे चली गयी।

आपने देखा होगा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपकी सरकार ने वहां कहा हम इनको बराबर कर देंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं समझता हूं पटवारी भर्ती हो सकती थी, लेकिन आपने जान-बूझकर, छेड़खानी करके और उनको तीन साल तक वहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लटकाये रखा।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने देखा होगा 2016 आरएएस का मामला था। यहां फिर आपने जान-बूझकर आरपीएससी में गड़बड़ी करायी, ओबीसी की मैरिट लिस्ट ऊपर गयी प्री में, और जनरल की नीचे आयी। आपने कहा हम तो यही करेंगे, ओबीसी अपने कोटे में रहे, जनरल कोटा जो है 50 परसेंट में रहेगा, आपको और लोगों को वापस सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और ये डिले भी हुआ। आपको दुबारा ये आदेश मिले कि ओ.बी.सी. को आप किसी भी सूरत में जनरल से ज्यादा मैरिट में नहीं ले जा सकते।

ये आप सम्पूर्ण जातियों के साथ में धोखा करने का काम कर रहे हैं। आप बेरोज़गारों के साथ में एक क्रूर मजाक कर रहे हैं, उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। आपने 15 लाख का वादा किया था नौकरी का और हम पर आरोप लगाये थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ये कोर्टों में ले गये, नौकरी को ले गये, आरक्षण को ले गये और इसकी वजह से ये नौकरी नहीं दे पाये, अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो हम सब मामलों को सैटल करके, इन बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दे देंगे।

गुर्जरों का मामला 70-70 गुर्जर शहीद हो गये थे, आपकी सरकार के समय में। उनके आंसू पोंछने का काम नहीं कर सके, रोजाना बुलाते हो, कभी कहते हो मुकदमे वापस ले लेंगे, कभी कहते हो आरक्षण दे देंगे, कभी कहते हो 1 परसेंट दे देंगे, कभी कहते हो 5 परसेंट दे देंगे, कभी कहते हो एसबीसी में 1 परसेंट दे देंगे, कभी 1252 को बाहर करवा रहे हो, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, कभी नीचे जा रहे हो, कभी घनश्याम जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, कभी आप उन पर लगा रहे हो, ये क्या है?

ये तमाशा देखने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को 163 का मैन्डेट नहीं दिया था। हम आज भी कहते हैं, बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, जिस दल से मैं आता हूं, हम यह चाहते हैं कि गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण अलग से मिले, लेकिन आप नाकाम रहे, ये किसकी नाकामी है? चार महीने, छह महीने, सात महीने का काम है, उसके बाद में तो इधर आना है, उधर आना नहीं, तो जो चीज आप वादा करके आये थे, वह कर नहीं पाये।

मुझे यह कहते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफ करना मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करता, लेकिन हमने न्यूज पेपर्स में पढ़ा है, सुना है कि +++ ये चुनाव लड़ने के लिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, सदन के सदस्य नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): आरक्षण के नाम पर व्यक्तिगत नाम लेकर के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, विश्व अध्यक्ष हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आरोप लगाने का काम रह गया और कोई काम ही नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपकी मर्जी से ही बोल दो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, दे रहे हैं न, आसन की व्यवस्था मानेंगे, हम।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको यही पता नहीं है, कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए, एक-एक मिनट। आप सब विराज जाओ। अगर, हम डेलिबरेट किसी इश्यू पर कर रहे हैं, कहां आवश्यकता है कि हम इधर-उधर की, कहीं से टिप्पणी उठाकर और उसको सदन में लाकर, उसको प्रमाणित करने की कोशिश करवाएं।

अगर किसी की आलोचना करना ही मेरा ध्येय है तो स्वविवेक से स्वयं की आलोचना कर लो। आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सिद्ध पुरुष हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे तो किसी से इस बात का प्रमाण लेना नहीं है। इस आसन पर जो बैठता है, स्वसिद्ध है वह। इसलिए किसी के मन में अगर यह शंका हो तो वह भी मिटा ले और अभिव्यक्ति करने वाले सदस्य को यह सावधान रहना चाहिए कि जब हम किसी पर उंगलियां उठाते हैं न, और यह आजकल थ्री-डी का जमाना है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): इनको सर, आनन्द की अनुभूति होती है।

श्री उपाध्यक्ष: 4X4=16 अपनी तरफ होती हैं। इसलिए जिन माननीय सदस्य का जो इस सदन के नहीं हैं, उनके जो नाम का उच्चारण हुआ है वो भी और उससे लगा हुआ जो कथन है उसको भी अंकित नहीं किया जाएगा और मैं सबको हिदायत देता हूं, सब सम्माननीय सदस्यों को हिदायत देता हूं कि इस प्रकार की किसी भी अभिव्यक्ति से परहेज करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन हमारी शंकाएं थीं। हमने अपनी बात कही। आपकी पार्टी को चलाने वाले बहुत ही प्रमुख नेता हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण आ जाए। मेरी मंशा केवल इतनी थी कि मंत्री महोदय यह साफ तो कर दें कि क्या इनकी पार्टी और सरकार इस आरक्षण को समाप्त करने जा रही है या और मजबूत करने जा रही है। जब समय आये तब कह देना नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार 1255-52 जो भी एसबीसी के विद्यार्थी हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हो न, एक बार स्वयं उसको पढ़ लो ढंग से, बार-बार जिनके बारे में आपने कहा है उन सम्माननीय व्यक्ति के वक्तव्य को भी पढ़ लो और उसके बाद बार-बार जो उनका वक्तव्य आया है उसको स्पष्ट रूप से कर दो। बार-बार कहा है अनुसूचित जाति/ जनजाति इन सबके आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए हम और मजबूत करने का और नीचे तक सबको लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने की बात करेंगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सनसनी फैलाना काम है इनका। वास्तव में सनसनी फैलाते हैं हाउस को कैप्चर करने के लिए और कुछ भी नहीं है। इस तरह के नाम लेने का इस हाउस में मतलब क्या है।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो इनके ऊपर से निकल गये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक्सपंज कराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से इर्रिलेवेंट बोल रहे हैं बिल के बिलकुल कहीं नजदीक तक भी नहीं है। अध्ययन है नहीं, केवल खड़े होकर सदन का समय जाया कर रहे हैं और सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। यह बिलकुल निन्दनीय बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका भी अंकित नहीं हो रहा है। विराज जाओ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप इस बिल के ऊपर अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोले। आप सारा इधर-उधर ही घूमते रहे हो, आप बिल पर आओ न, बिल के बारे में बोलो तो-तो समझ में आये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप तो रोज ही ऐसे ही बोलते हो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप अध्ययन तो करते नहीं हो और इधर-उधर उकसाने का काम करते हो, ऐसा उकसाने का काम मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल पर घनश्याम जी बोल गये, कोई शंका रह गयी क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): उसको कह दो न वैसा का वैसा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उनके खिलाफ एक्शन लेने में सक्षम हैं क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं तो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, नहीं तो ले ही लेता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो उनकी बातें मानने में सक्षम हैं क्या?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप बोलो न बिल पर। आपने अध्ययन किया तो बिल पर बोलो पता लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप न उनकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं न डिनाई कर रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने तो कह ही दिया न। आपने तो कह ही दिया न कि मेरा कुछ नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) आपको चुनकर भेज रही है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी आये बोलते जाओ इस हाउस में। केवल सनसनी बटोरने के लिए, अख़बार में छपने के लिए कुछ भी बोलते जाओ, यह बिलकुल गलत बात है, अक्षम्य है यह। ऐसे नहीं चल सकता।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि वी.पी. सिंह जी जब प्रधान मंत्री थे, तब इन्होंने देश भर में आग लगायी थी आरक्षण के खिलाफ। उस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आज आपके शीर्ष पुरुषों के लिए ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जब माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है कि कुछ भी अंकित नहीं होगा, तो आप क्यों नंबर लेने के लिए बोल रहे हो?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नंबर तो आप लेना चाहते हो। क्या किया आपने 2013 तक? 2008 से 2013 तक आपकी सरकार थी क्या किया आपने? बताएं इस सदन को।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): केवल सनसनी फैलाना ... (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): शर्म आनी चाहिए। आप मिसगाइड कर रहे हो समाज को और बताऊं आपको हमने 22 परसेंट दिया है। कम नहीं किया, एक परसेंट बढ़ा है 22 परसेंट किया है। 21 ओबीसी का और 1 परसेंट एक्स्ट्रा 22 दिया है। आपने कभी सोचा तक नहीं, हमने सोचा है। 22 परसेंट कर दिया। 22 परसेंट अधिकार दिया हमने पांच जातियों को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चलो सर, आपने वह वाक्य तो एक्सपंज कर ही दिया, अब मुझे पता लग गया कि तीन लोग आरएसएस के प्रमुख समर्थक हैं। (व्यवधान) खूब बैठे हैं तो फिर सब क्यों नहीं बोले उस वक्त?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप राष्ट्र भक्ति के विरोधी हो क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राष्ट्रभक्ति हममें कूट-कूटकर भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी में भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया था। आपकी पार्टी का तब उदय ही नहीं हुआ था।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस विचाराधारा को लेकर चलता है उसका अगर थोड़ा-सा अक्षांश भी समझ जाओगे ...(व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): आप तो ढोंग करने वाले हो, आजाद कराने वाले देशभक्त थे। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): कांग्रेस ने देश के दो टुकड़े करने का काम किया था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया देश को ...(व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): सबको गुमराह करके छोड़ दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने देश के दो टुकड़े का काम किया था ...(व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): आपने आजादी से लेकर अब तक जितने टाइम भी राज किया सबको गुमराह करने का काम किया। ..(व्यवधान) आजादी के 67 साल के बाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान) जन्मदिन मनाने गये थे वो भी पाकिस्तान ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपके नेताओं ने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी है। अंग्रेजों के पक्ष में बोले हो आप।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डोटासरा जी, मुझे एक चीज बताइये कि लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधान मंत्री थे, कांग्रेस से ही थे न? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, पण्डित नेहरू ने किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था और आप उनका अपमान कर रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमने कभी अपमान नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस देश का बंटाधार कर दिया इंदिरा गांधी ने ...(व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): देश के किसी महापुरुष का हमने अपमान नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके प्रधान मंत्री थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा मां की संज्ञा दी थी और आप उनके योगदान और बलिदान को भुलाने का काम करते हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अटल जी ने क्या कहा वह भी बता देता हूं। अटल जी ने कहा कि इंदिरा जी इस देश की प्रधान मंत्री हैं और आज हमारे देश की नेता हैं, प्रधान मंत्रीजो देश का नेता है। आज अपने चरित्र को देखिये। जब आपके नेता बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाकर इस देश के नेता और देश के चरित्र के बारे में किस प्रकार की बातें करते हैं उस चीज को भी समझिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1923 में सेवा दल बना और 1925 में बनी आरएसएस और 1925 में जब आरएसएस बनी तब आपके संस्थापक सदस्य 1923 के अन्दर सेवा दल के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के अन्दर ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और जिस राष्ट्र की आप बात करते हो उस राष्ट्र हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया और आपकी पार्टी के नेताओं ने देशभक्तों के खिलाफ गवाही दी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सेवा दल नहीं था उस समय कांग्रेस की बात करो तो। आपको याद भी है कि नहीं कुछ। सेवा दल था ही नहीं उस समय।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सेवा दल 1923 में बना 1925 में बनी आरएसएस। मुझे पूरी जानकारी है, महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठ जाओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): और कांग्रेस पार्टी नहीं थी, राजनीतिक पार्टी नहीं थी। आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन था। कांग्रेस, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबने काम किया। आपकी बपौती नहीं है। गांधी जी ने क्या कहा था? आप समाप्त करो कांग्रेस को जिससे भ्रष्टाचार मिटे। वह नहीं किया इसलिए देश बर्बाद हो गया आपके कारण से।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): वह समय था जब कांग्रेस क्रांतिकारी दल था। आज नकली कांग्रेस के हैं ये तो जो आप बोल रहे हो। ओरिजिनल कांग्रेस तो वह थी जिसमें सबने लड़ाइयां लड़ीं और देश को आजाद कराया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ये असली-नकली की कैसे बात कर रहे हैं, आपके पास कोई पैमाना है?

श्री रामपाल (बारां-अटरू): हां, है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस तरह की बात नहीं कर सकते आप।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): उनकी बदौलत हो आप तो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस तरह की बात आप हाउस में नहीं कर सकते कि नकली और असली कौन हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने पांच मिनट पहले व्यवस्था दी है। यह क्या व्यवस्था हो रही है सदन में?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ये हीरालाल जी कांग्रेस में थे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पण्डित नेहरू जी ने यह कहा था जब देश आजाद हुआ और परेड में आरएसएस के लोग गये हमारे कार्यकर्ता, अगर मेरे पास ऐसी सेना हो तो मैं इस देश को बदल सकता हूं। आप नेहरू जी के समर्थक नहीं हो क्या? नेहरू जी ने कहा था कि अगर मेरे पास ऐसे कार्यकर्ता हों तो मैं इस देश को बदल सकता हूं। आप किस आरएसएस की बात करते हो, जिसकी नेहरू जी ने बड़ाई की थी। लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम कराया क्या जब मरे थे? पोस्टमार्टम कराया क्या? एक साधारण आदमी होता है उसका पोस्टमार्टम होता है। बड़ी भर-भर के बातें करते हो कांग्रेस की।

श्री उपाध्यक्ष: क्या हुआ? आप लोग थक गये क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके रौद्र रूप को देख करके ये सब चुप हो गये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अलावा और बिल से इतर जो भी आब्जर्वेशंस हुए हैं आपकी रूलिंग के बाद आपके निर्देश के बाद, मेरा निवेदन है कि उन सबको रिकार्ड से हटाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान्, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं वहां से तो हटा दूंगा लेकिन इस वातावरण को कैसे हटाऊं?

I am in pain to say, it's such a serious Bill. हम सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं और बहुत स्पष्ट हो रहा है, मतलब जो भी सुन रहा है, देख रहा है, हम सबको यह मालूम है कि हम किस दिशा में इस बहस को ले जाना चाहते हैं। जिस समाज के व्यक्तियों के लिये आप जरा भी संवेदनशील हैं, कृपा करके उनके हित की कोई बात कीजिए। आप स्वयं के हितों की बात करना थोड़ी देर के लिये बंद कर दीजिए। और यह सदन इस प्रकार से चला

(श्री उपाध्यक्ष)

रहे हैं जैसे आप स्वयं ही सेनापति हैं, आप स्वयं ही सैनिक हैं, आप ही आक्रमण कर रहे हैं और आप ही अपने आप को वाहवाही दे रहे हैं। व्यवस्था क्या होती है, कहीं परिष्कार के रूप में आपके सामने उदाहरण पेश करें क्या? अगर इतना ही खड़े होकर बोलने का है न तो आसन आपको खड़े-खड़े ही खड़ा कर देगा और फिर बैठने की अनुमति नहीं देगा। जब इतनी ही अतीत से बात लेकर आते हो तो आप विद्यालय में भी गये होंगे और जो ज्यादा नटखट होता है, उसको खड़ा क्यों किया जाता है? तो आपको खड़ा करें और इस सदन की कार्यवाही के अंत होने तक आपको खड़ा ही रखें। (व्यवधान) बात दोनों तरफ ही बराबर है। अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और आदरणीय आपको भी, आप जिस बिल पर या जिस विधेयक के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, कृपा करके अब तो वहां तक आ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का सम्मान करते हैं। अनुमति नहीं दी न इन्होंने, अभी तो टोका है। आपको खड़े रखेंगे 8 बजे तक फिर क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, मंत्री महोदय हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय तो सर्किट हाउस के हैं न।

श्री उपाध्यक्ष: आसन मंत्री महोदय को अनुमति प्रदान कर रहा है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (सामान्य प्रशासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूं। मैं पिछले सत्र में भी था यहां और आज जो गुर्जर आरक्षण पर सहानुभूति बटोरने की बात करते हैं, हमारा इनका आमना-सामना भी हुआ था। मैं इस सदन से निलंबित भी हुआ हूं गुर्जर आरक्षण में। आज भी जिस तरह से हमने पैरवी की और पहली बार एसएलपी में जाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर 1252 को नियुक्ति दिलाने का काम किया है। चूंकि मैं समाज का व्यक्ति हूं और आज भी सब कमेटी में हूं, इसलिए इस गुर्जर आरक्षण पर गुर्जरों के प्रति ज्यादा सहानुभूति बताने की और इस समाज के मामले में किसी को ज्यादा खिल्ली उड़ाने की यहां पर इजाजत नहीं मिलनी चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो भी वक्तव्य है, उसको आप फर्मा लें, एक चीज जो आपने एक्सपंज

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करायी, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली थी, मैंने मंत्री महोदय से उसके स्पष्टीकरण के लिये वह बात कही थी, उसके अलावा अगर मेरा एक वर्ड भी किसी जाति के प्रति असम्मान की बात या जो बिल है, उसके अलावा कोई बात हो तो आप रिकार्ड से हटा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों ने, मंत्रियों ने गुर्जर आरक्षण के बिल पर उनके हितों पर विपरीत प्रभाव डालने के लिये जिस प्रकार की छींटाकशी की, अपने वोटों को मजबूत करने के लिये जो छींटाकशी की, लोगों को भ्रमित करने के लिये जो छींटाकशी की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले यह कहा था कि हम सब चाहते हैं, सर्वसम्मति से यह बिल तीन बार पारित हुआ है। तीन बार सर्वसम्मति से बिल पारित होने के बावजूद, केन्द्र में और राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, आप बहुत ही बुद्धिमान और वरिष्ठ मंत्री होने के बावजूद, सांगानेर से आने वाले आपके माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ, अनुभवी और बुद्धिजीवी होने के बावजूद क्या आपने गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण दिया? नहीं दिया। इस बिल पर यही बात चल रही है कि आप एक परसेंट आरक्षण देने का जो बिल लाये हैं, यह बिल कानूनी रूप से फिर कोर्ट में खारिज होगा और एसबीसी में जो आरक्षण हमारे गुर्जर भाइयों को मिल रहा था, वह भी नहीं मिलेगा। एमबीसी का आरक्षण भी नहीं मिलेगा और वापस वह कि वह स्थिति जब 70 गुर्जर शहीद हुए थे अपनी मांग के हक को लेकर, उससे पहले जो स्थिति थी कि ओबीसी में ही गुर्जर रहेगा, वह स्थिति क्या वापस नहीं आ जाएगी? बात इतनी सी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और हम आज भी कहते हैं कि यह बिल हम सब, हमारे दल के लोग सर्वसम्मति से पारित कराएंगे। लेकिन हमारा कहने का अधिकार है और मेरा नाम पुकारा है, मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये इसलिए निवेदन किया है कि आज की तारीख में भी इस समस्या का हल, यह जो आप एमबीसी का एक परसेंट आरक्षण गुर्जरों को देने का बिल लेकर आये हैं, उससे उस समस्या का हल नहीं होगा। क्योंकि हम रोजाना देखते हैं कि जब आपके पास गुर्जर नेता अपने समाज की आरक्षण की मांग को लेकर आते हैं, आप उसके मैम्बर भी हैं, भड़ाना साहब भी हैं, बहुत सम्मानित मंत्रीगण हैं, तब भी बात यही होती है कि हमें 5 परसेंट चाहिये और आप उनको मीठी लालीपाप देकर रवाना कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि वह मीठी लालीपाप खा खाकर गुर्जर समाज इतना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

उकता जाए कि दुबारा यहां प्रदेश में किसी समाज के आरक्षण की मांग को लेकर पूरे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़े और कहीं कोई पुलिस की गोली का शिकार दुबारा कोई हमारा नौजवान, कोई नागरिक नहीं हो। इसलिए हम अपनी बात कह रहे हैं कि आप बार-बार उसी को घुमा रहे हैं। कभी 5 परसेंट का ला रहे हैं, कभी बिना परसेंटेज की बात कर रहे हैं, कभी ओबीसी को ऊपर ले जा रहे हैं, कभी जनरल के बराबर ला रहे हैं। ईबीसी, जिसके लिये सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अगर आप इतना ही है कि वह ला ही नहीं सकते तो फिर स्पष्ट कर दीजिए। एक बात पर स्पष्ट कर दीजिए कि नवीं अनुसूची सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारी केन्द्र की सरकार कर नहीं सकती। इसलिए जो आरक्षण की व्यवस्था आज की तारीख में है, वही आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी और पैरवी करने पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसके मुताबिक हम कर पाएंगे। कम से कम आपका और हमारा सब का राजनीतिक गोल करना तो बंद हो जाएगा। अगर यह मानते हैं कि यह राजनीतिक गोल करने का माध्यम बन गया है, तो राजनीतिक गोल कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार तो नहीं है। हमारे पास बहुमत नहीं है, हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि जिस वर्ग को अगर सरकार आरक्षण देना चाहती है, चाहे वह एमबीसी हो, गुर्जरों का हो, चाहे आर्थिक पिछड़ों का हो, उसमें हम आपके साथ में पहले भी खड़े थे, जब हमारे घनश्याम जी तिवाड़ी विधि मंत्री थे, तब भी हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद में भी जब दो दफा बात आई तो हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। हम इस लड़ाई को इस स्तर तक नहीं ले जाना चाहते कि इसमें राजनीति की रोटियां सेके और हमारे प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग उसका शिकार हो या हमारे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वह इसका शिकार हों। लेकिन इसका शिकार कर कौन रहा है? जब हमारा समय आ गया तो हमें बताना पड़ेगा कि सवा चार साल से आप सबको मीठी लालीपाप दे रहे हैं और वह न निगलते बन रही है, न उगलते बन रही है। उसमें न तो मिठास है और न अंदर जा रही है, न फेंका जा रहा है क्योंकि देखे अब ही स्वाद आ जाए, अब ही मीठा हो जाए। जैसे गुर्जर समाज सोच रहा है कि इस सरकार को हमने बहुत अच्छे वोट दिये थे, 163 का मैनडेट सभी लोगों ने दिये थे, गुर्जरों ने भी दिये थे। एससी ने भी इतना शानदार आपको समर्थन दिया था। निश्चित रूप से आपका दायित्व बनता था, आपका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

धर्म बनता था कि इस समस्या को केन्द्र में आपकी सरकार से बात करके इसको निपटाते। लेकिन आप निपटाने की बजाय अटका भी रहे हैं, आपस में विद्वेष भी फैला रहे हैं, समाजों में जहर घोलने का काम भी कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक पार्टी व्हिप भी होती है। अगर किसी बिल को आपको पारित कराना है और अपनी पार्टी को एकजुट रखना है तो आप व्हिप जारी करते।

आपने व्हिप भी जारी नहीं किया। कोई कैसे भी गोल करे, कोई कैसे भी बोले, यह शुरूआत आपने की है, हमने नहीं की है और मेरा शौक भी नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल ही हमें यहां पर सम्मानित किया गया तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के लोग गौरवान्वित हुए कि कोई हमारी बात रखता है और मुझे चाहे जैसी बात करने का शौक भी नहीं है। अब मैं थोड़ा और ज्यादा संजीदा होने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन आप बीच में सारे के सारे ही खड़े हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, जैसे आपने सवा चार साल में गुर्जर आरक्षण को तार-तार करने का काम किया। वैसे ही इस बिल के ऊपर जब हम लोग बोलने लगे, तब ही सदन की मर्यादाओं को तार-तार करने लग गये। आपने थोड़ा तो सोचा होगा कि मंत्री महोदय ने जैसा भी बना, जवाब दिया। सांगानेर से आने वाले विधायक महोदय, जो बहुत वरिष्ठ हैं, संसदीय परम्पराओं और विधेयकों का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर आप गोल करने लग गये, उन्होंने अपनी बात कही तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपसे कम है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ विधायक आप हो, मैं नहीं हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भी बन सकते थे, लेकिन कुछ कारण रह गये। हम वादा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम चेष्टा करेंगे। आपकी विद्वता का लाभ भी लेंगे। आपको सम्मानित कराने के लिये भी निवेदन करेंगे। निश्चित रूप से, ...(व्यवधान) आप अपने विधायक के लिये ताली नहीं बजा रहे हो। आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अगर हम सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, आप ताली बजाकर हंसी व खिल्ली उड़ा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप दिल्ली जाते-जाते पीछे कहां अहमदाबाद की तरफ

घूम जाते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि बड़े गहन विचार-विमर्श के बाद, आज कोई जल्दी नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप तीन महीने के लिये जनमत जानने के लिये, मैंने इसलिए निवेदन किया है कि हम सब दुबारा बैठें, सब पार्टी के लोग बैठें और सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं। इतने विद्वान अफसर हैं, जिनका दिल्ली में भी लाभ लिया जा रहा है, उनको भी बुला लें। यहां पर भी बहुत विद्वान बैठे हैं। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत बुद्धिजीवी हैं। निश्चित रूप से उन सब की राय लें, फिर हम साथ चलेंगे। आपके मुखिया जी और आपकी तो प्रधान मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं। वर्ना आप 9वीं अनुसूची का प्रस्ताव अगर आप भेजते तो वे स्वीकार कर लेते। इस काम में हम भी साथ चलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस काम में हम भी साथ चलेंगे, लेकिन इन गुर्जरों के साथ अन्याय मत करो आज इस आरक्षण के फेर में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में दो बातें निवेदन करूंगा कि हमारे जो पूरे प्रदेश के बेरोजगार हैं, वे इस बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वे इस चक्की में पिसते जा रहे हैं। आर.ए.एस. की भर्ती दुबारा निकलनी थी, विभिन्न पदों की भर्तियां निकलनी थीं, वे इसीलिए नहीं निकल रही हैं कि जब तक आपका गुर्जर आरक्षण का मामला सैटल नहीं हो जाता, तब तक आप वे वेकेंसियां निकाल दोगे तो आपको गुर्जरों के वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने रोक रखा है, आपके ऊपर वीटो लगा रखा है। अगर उसको लाओगे, तो आप ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे कह रहे हैं कि 5 परसेंट आरक्षण दो। आप कभी कह रहे हो कि 1 परसेंट दे रहे हैं, कभी एस.बी.सी., कभी ई.बी.सी., कभी एम.बी.सी.। इसलिए मैं तो इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज निश्चित रूप से समय आ गया है। सवा चार साल से आपने जो संस्पेंस बना रखा है, उसको खतम करने का काम करें।

(15.34 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

इस बिल से तो इन गुर्जरों को 1 परसेंट का आरक्षण भी एम.बी.सी; में नहीं मिलेगा। जो एस.बी.सी. आरक्षण मिला हुआ है और जो पदों पर तलवार लटकी हुई है, उस तलवार से उनका 1 परसेंट, 1200 के समथिंग का भी गला कट जाएगा। मेहरबानी करके, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर...

(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप यह कहना चाहते हैं कि आप 1 परसेंट के विरोध में हैं और वह नहीं मिलना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे से बुद्धिमान व्यक्ति अगर मुझे टोके तो मुझे कोई एतराज नहीं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं। आपसे कई गुना ज्यादा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने आपको कब कहा? आप जबर्दस्ती उकसा रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपने कैसे कह दिया? आपने मेरे टोकने पर यह कैसे कह दिया कि बुद्धिमान मेरे से ज्यादा हो। आप चाहे जहां शास्त्रार्थ कर लें।

श्री सभापति: दोनों विराजें। कृपया वक्तव्य पूर्ण करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने आपके लिये नहीं कहा, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि मेरे से कोई बुद्धिमान व्यक्ति टोके तो मुझे अच्छा लगता है।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजें। आप अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाप्त कर देता हूं। सभापति महोदय, आप तो खुद वकील हैं। जैसा हाल आपने सवा चार साल से गुर्जर आरक्षण का बना रखा है, वैसा हाल मेहरबानी करके इस सदन का तो मत बनाओ। इन गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण दो और इस बिल को जनमत जानने के लिये तीन महीने के लिये परिचालित कीजिए। फिर सब बैठकर विचार कर कि कैसे आरक्षण मिले और बेरोजगारों को कैसे जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरियां मिले, इस बात की व्यवस्था कीजिए। आपने मुझे समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: हीरालाल जी, अब बताएं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, ये बात बार-बार हमारे भड़ाना जी ने कही, ये इसको तूल दे रहे हैं, खाली वोटों की हवा।

श्री सभापति: आप किस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? पहले बताएं।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं संसदीय परम्पराओं पर बोलना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापति: वह आसन का काम है। आप विराजें।

श्री हीरालाल (निवाई): 2008 में आप भी थे, जब यह पास किया था तो आपकी सरकार बनी। केन्द्र में भी आपकी सरकार बनी, तो क्या किया, यह बताओ? हमने उस समय पास किया। माननीय सभापति महोदय, उस समय आप भी थे।

श्री सभापति: हीरालाल जी विराजें। सुखराम जी, इस तरह से नहीं। अपन एक-दूसरे का रैस्पैक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम तो आसन का रैस्पैक्ट करते हैं, लेकिन सभापति महोदय, इसीलिए तकलीफ हो रही है कि इनकी मंशा में खोट है और हमने सदन में मंशा के खोट को जाहिर कर दिया है। इनके मधुमक्खी लड़ने लग गयी, तो इसका मैं क्या कर सकता हूं।

श्री सभापति: विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कोई भी माननीय सदस्य बोलें, बिल पर बोलें, यह समझ में आता है। बिल के इधर बोले तो आप उसको...

श्री सभापति: बिल के अलावा कोई अलाउ नहीं होगा, विराजें। आप विराजें, कोई नोट नहीं होगा। माननीय सदस्य, श्री धीरज गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि एक कौम, जिसके पक्ष में आज घुमा-फिराकर बात करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके मुद्दे के ऊपर किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बार-बार इस विषय को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधि जो इस सदन में चुनकर आते हैं, वे सिर्फ किसी एक कौम के बेटे बनकर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन रगों में जो खून दौड़ रहा है, वह खून गुर्जरी के दूध से बना हुआ है, वह खून हमें इस बात का एहसास

(श्री धीरज गुर्जर)

कराता है कि यह कौम आपके सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहती है।

आप जो बार-बार एस.बी.सी., ओ.बी.सी., एम.बी.सी. की बात करना चाहते हैं और 1 व 2 परसेंट की बात करना चाहते हैं, मैं इस सदन के अंदर साफ कर दूं कि इस कौम ने अपने 72 वोटों की बलि इसलिए नहीं दी थी कि आप लोग हमें 1 परसेंट का लालीपाप दे दें। हम आपसे यह मांग करते हैं और मैं आपसे यह मांग करता हूं कि जिस कौम में मैंने जन्म लिया वह कौम आपसे यह मांग करती है कि अगर हमें देना है, हमने पहले एस.टी. के अंदर आरक्षण मांगा था, लेकिन हम उस मांग से पीछे हट गये, क्योंकि आप लोगों ने एक चाल चली कि गुर्जर और मीणाओं को लड़ाकर इस राजस्थान की साम्प्रदायिक सद्भावना को खराब कर दिया जाए। हमारी कौम ने अपने 72 बेटों की बलि देने के बाद इस बात का निर्णय किया कि हम राजस्थान की सद्भावना को खतम नहीं करना चाहते। उसके बाद आपने जब हमें रास्ता बताया कि हम आपको 5 परसेंट आरक्षण देंगे और हम लोग उस 5 परसेंट आरक्षण के लिये तैयार हो गये थे।

मैं आज पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास की पहली कौम, जिस कौम ने अपने खून से राजस्थान की धरती को लाल करने का काम किया और किसलिये किया? आपकी गोली का शिकार, आपकी बर्बरता का शिकार, आपके अत्याचार का शिकार, आपके अन्याय के शिकार क्यों हुए? क्योंकि हमारी कौम ने आपसे सिर्फ एक मांग की कि हमें भी अधिकार दीजिए। हम आपके सामने याचक नहीं हैं। हम आपके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। हमारी वह कौम है, जिस कौम ने हिन्दुस्तान की धरती को आजाद कराने के लिये धन्ना कौतवाल के रूप में लड़ाई शुरू की थी। हम वह कौम हैं, जिस कौम के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक करने का काम किया था। हम वह कौम हैं, जिस कौम का शासन आसाम से लेकर अफगानिस्तान था और जिस कौम का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्र गान के अंदर आता है। इस कौम के आगे वीर लगता है, उस कौम को आपने खिलवाड़ का विषय बना दिया। हमने आरक्षण इसलिए मांगा, क्योंकि इस देश के अंदर अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते, इस देश की रक्षा की लड़ाई लड़ते-लड़ते, इस देश पर आक्रमण करने वाले लोगों से लड़ते-लड़ते हमारी कौम ने अपना वैभव खो दिया और हमें मजबूरी में पहाड़ों पर जाना पड़ा। पहाड़ों पर

(श्री धीरज गुर्जर)

जाने के बाद जब यह देश और दुनिया आगे बढ़ गयी और हमारी कौम इस दुनिया के साथ कदम बढ़ाने में पीछे रह गयी, हमने एक मांग की कि हमको भी जीने का अधिकार है। हमारी कौम ने भी इस देश के लिए खून दिया है। हमने भी इस धरा के अंदर जन्म लिया है और हमारा बेटा भी कलेक्टर बनना चाहिए, हमारा बेटा भी एसपी बनना चाहिए, हमारे बेटे के हाथ में भी कलम आनी चाहिए। कलम के माध्यम से वह 39 कौम की सेवा करने का काम करे, लेकिन उसके बदले में आपने क्या दिया? आपने हमारे खून से इस राजस्थान की धरती को लाल कर दिया। पूरे देश में एक भी इतिहास नहीं है, जहां पर किसी एक कौम ने अपने अधिकार की मांग की और उस कौम को गोली खाने की बात मिली। मैं यह नहीं कहना चाहता कांग्रेस या बीजेपी, अभी न मैं कांग्रेसी के रूप में बात कर रहा हूं, न मैं बीजेपी के लिए बात कर रहा हूं, न मैं सत्ता की बात कर रहा हूं, न विपक्ष की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपसे न्याय की बात कर रहा हूं जो सांगानेर से आने वाले सदस्य ने कही कि न्याय, कोई भी कानून, कोई भी संविधान, कोई भी कोर्ट और यह पूरा तंत्र जनता की सेवा के लिए बना हुआ है। मानव से ऊपर कोई तंत्र नहीं है और वह मानव आपसे आज न्याय मांगता है। अगर हमारे को देना है तो ओबीसी के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण दीजिए वर्गीकरण करके क्योंकि पांच जातियों की संख्या आठ परसेंट से ज्यादा होती है। हमारी कौम को आप इस तरह दर-दर की ठोकरें खिलाना चाहते हो तो हमें आपसे आरक्षण की भीख नहीं चाहिए। हम आपसे यह कहना चाहते हैं, हमारा अधिकार है और आपने हमारा शोषण किया है। आपने हमारे खून से इस धरती को लाल किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार के कानों के अंदर यह बात डालना चाहता हूं आपने जो वादा किया था कि एसबीसी के माध्यम से जो पांच परसेंट का आरक्षण मिलेगा और जो भर्तियां आपने निकालीं, वह भर्तियां आज भी प्रक्रियाधीन हैं। उन प्रक्रियाधीन भर्तियों के अंदर हमारे बच्चों को आप एक परसेंट आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं। जो राजस्थान की हमारी प्रशासनिक सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अंदर जब ये भर्ती निकली थी, उस समय उसकी विज्ञप्ति के अंदर पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था और आज हमारी कौम के बच्चे को आप एमबीसी का एक परसेंट भी नहीं दे रहे हैं। जब मैंने स्थगन के माध्यम से यह मुद्दा उठाया था तब भी मैंने आपको यह

(श्री धीरज गुर्जर)

कहा था कि गंगानगर के अंदर, अजमेर के अंदर सैकिण्ड ग्रेड के जो आपके रिजल्ट निकले हैं, उन रिजल्ट में जब आपने एक परसेंट दिया, उप चुनाव के पहले, उन लड़कों को भी आपके जिला परिषद के सीईओ हैं, वह नौकरी देने से कतरा रहे हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपने हमको मजाक की वस्तु मान रखा है? क्या राजस्थान के गुर्जर का खून पानी हो गया है? अगर आपके दिमाग में यह गुमान हो कि हम आपके सामने याचना करेंगे या सिर्फ राजस्थान के अंदर पटरियां उखाड़ेंगे तो इस बात को याद रखना हमारे 72 आदमियों ने अपनी जान दी है और जरूरत पड़ेगी तो 720, 7020, हमारे सिर खतम नहीं होंगे लेकिन आपके हथियार खतम हो जाएंगे। इस कौम के साथ अन्याय करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे मांग करता हूं किसने कहा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर आप एसएलपी लगाएं? अगर आपका मन साफ था तो जिस अधिसूचना से पिछली सरकार एक परसेंट का फायदा हमको दे रही थी, वह एक परसेंट का फायदा आप लगातार देते रहते तो मेरी कौम को आपके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हमारा नौजवान बच्चा आज नौकरी करना चाहता है। 1252 की आप बात करते हैं, कभी कांग्रेस तारीफ करती है, कभी बीजेपी तारीफ करती है, इस कौम के साथ आप कब तक अन्याय करते रहेंगे? कब तक हमारे खून से राजस्थान की धरती के ऊपर आप होली खेलते रहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं हमको अगर देना हैं, अगर आपके मन में संविधान के अंदर रहकर काम करने की, आप बार-बार अटका देते हैं कि इस देश के संविधान के अंदर 50 परसेंट से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। इस देश के अंदर और भी प्रदेश हैं जिन्होंने 50 परसेंट की सीमा को लांघा है। बाहर आप कभी कह देते हैं कि नवीं अनुसूची के अंदर, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बात को पारित कर देगी, जब पूरा देश किसी बात के लिए एकमत हो जाएगा तो कोई ऐसी अनुसूची नहीं है जिसके अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर आपका मन साफ है, अगर आप गुर्जरों को आरक्षण देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ वोट बैंक नहीं बनाया जाए तो आप लोग हमारी कौम के बच्चों को आरक्षण देने के लिए हमारे इस आरक्षण को नवीं अनुसूची के अंदर डलवाएं।

मैं आपसे मांग करता हूं इस सदन के अंदर और यह मांग सिर्फ

(श्री धीरज गुर्जर)

बीजेपी के राज में नहीं, कांग्रेस राज के अंदर भी भीलवाड़ा की धरती के ऊपर आंदोलन किये थे और उन आंदोलन के मुकदमे आज भी हमारे ऊपर चल रहे हैं। आप हमको 50 प्रतिशत के अंदर आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते? हमारा जब संख्या बल है, गुर्जर सहित पांच जातियां, जो आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, नौकरी के रूप से, व्यवस्था के रूप से हर तरह से पिछड़ी हुई हैं तो हम आपसे मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार दीजिए। हमें आप इस काबिल बनाइए कि हम लोग नौकरी कर सकें। आप पचास प्रतिशत के भीतर हमको आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हैं? यह हमारा अधिकार है। हमने इस देश के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते अपने वैभव को खो दिया है। आज हमारा बच्चा इस बात की राह देखता है कि हमको न्याय मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपको टोकना नहीं चाहता पर ये 50 परसेंट के भीतर आरक्षण का प्रस्ताव अपने विधायक दल से पारित करवाकर लाओ, फिर विचार करते हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): धीरज गुर्जर अपने खून की आखिरी बलि दे देगा। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, धीरज गुर्जर अभी एक कौम का बेटा बोल रहा है और वह कौम का बेटा पार्टी के फोरम पर भी, पार्टी के अंदर भी, विधान सभा के अंदर भी, सड़कों के ऊपर भी इस मांग को दोहराएगा कि हमारी कौम को अगर न्याय देना चाहते हो आप तो हमारे को 50 प्रतिशत के भीतर आपको आरक्षण देना पड़ेगा। मैं तो आपकी बात बोल नहीं रहा था क्योंकि आप सदन में नहीं थे। संसदीय कार्य मंत्री अभी सिखिए और नौसिखिये की बात कर रहे थे, जिस पाठशाला में ये पढ़े हैं न उस पाठशाला का अध्यापक ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है, आप प्रस्ताव लाइए फिर देखते हैं क्या होता है? आप प्रस्ताव तो लाइए।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मांग आपकी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकार आपकी है। सरकार भी तो कुछ करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मांग आपकी है। आप इनकी मांग को ओथेंटिकेट कर रहे हो क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मेरी कौम के मामले में धीरज गुर्जर किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है। मैंने गुलामी की जंजीरें नहीं बांध रखी हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं इस कौम को आप लोगों ने राजस्थान के अंदर आरक्षण की आग लगाने का काम किया। इस कौम के खून से राजस्थान की धरती को आपने रंगने का काम किया। हमारी मांओं को, हमारी बहनों को विधवा और उनकी कोख उजाड़ने का काम आपने किया। इस राजस्थान के अंदर गुर्जरों और मीणों को लड़ाने का काम भी आपकी सरकार ने किया ताकि गुर्जरों के आरक्षण की मांग डायवर्ट हो जाए, बाकी उसी समय हम गुर्जरों को आरक्षण मिल जाता। इसलिए आप मेरा मुंह मत खुलवाइये। मैं कह रहा था हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके ऊपर भी टीका-टिप्पणी की गयी थी, नौसिखिये। जिस पाठशाला में माननीय संसदीय सचिव पढ़े हुए हैं, उस पाठशाला का टीचर तो हमारे अध्यक्ष जी के पास आकर रोज ट्यूशन लेता है और उनके सिखिए और नौसिखिये पर बात नहीं करनी चाहिए।

आज हमारी कौम की बात है, आज सवाल इस बात का है कि हमारे बच्चे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब एसबीसी लागू हुई और उस समय के अंदर जो भर्तियां निकाली गयीं, उन भर्तियों के अंदर जो पांच परसेंट का रिजर्वेशन किया गया, उस पांच परसेंट के रिजर्वेशन को आज आप एक परसेंट भी नहीं देना चाहते तो फिर यह बिल लाने का मतलब क्या है? आप घोषणा करो इस सदन के अंदर हम आपका स्वागत करेंगे फूलों की माला पहनाकर कि जो पांच परसेंट एसबीसी की भर्तियां थीं, जिन भर्तियों के माध्यम से नौकरी लगनी थी, उन भर्तियों के आधार पर आप एक परसेंट दे रहे हैं। सवाल मैं अब भी कह रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। इस कौम के लोग अबकी बार याचना नहीं, रण होगा और संग्राम सड़कों पर होगा, बहुत मार लिया हक आपने हमारा, जो नहीं मिला आरक्षण तो आपका पूरा-पूरा सफाया होगा। यह सफाया कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं, जो भी व्यक्ति इस सदन के अंदर बैठा है आपका अधिकार बनता है, इस सदन के अंदर जब हम आते हैं तो यह हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि जो न्याय मांगेगा, हम उसको न्याय देंगे। एक कौम पिछले 15-20 साल से अपनी मांग के लिए सड़कों पर है, एक कौम ने अपना

(श्री धीरज गुर्जर)

खून बहा दिया, उन बच्चों को आप नौकरी क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे हाथ में कलम आये, आप बार-बार बंदूक पकड़ा देते हैं, हम चाहते हैं हमारा बेटा कुर्सी के ऊपर बैठे, आप हमारे बेटे को बार-बार जेल के अंदर भेजना चाहते हैं। कहां गया आपका समझौता? आरक्षण संघर्ष समिति चिल्ला-चिल्ला कर यह कह रही है आपसे कि आपको एसएलपी लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। जब एक बार अधिसूचना मिल चुकी थी तो उस अधिसूचना के कारण आपको यह एक परसेंट का बिल लाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपका मन साफ है तो आप हमको आरक्षण दीजिए और वह आरक्षण पांच परसेंट दीजिए, ओबीसी के अंदर दीजिए, पचास परसेंट के अंदर दीजिए। ओबीसी में अगर तकलीफ है तो समाज के सब वर्गों को बैठाकर उनसे बात करो और पांच परसेंट आरक्षण हमको 50 परसेंट की सीमा के भीतर दो। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह हमारी न्याय की मांग है। आप हमारी कौम का इस तरह गला नहीं काट सकते। हमारे बच्चे नौकरी करना चाहते हैं। वे पढ़ना-लिखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज के अंदर उनको भी सम्मान मिले। हम देखते हैं... (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): पचास परसेंट के अंदर आप दो न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सत्ता में आप हो या हम हैं?

श्री सभापति: प्लीज धीरज जी।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सत्ता में आप हो या हम हैं। मैं मांग कर रहा हूं सदन के अंदर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। कोई इंटरफियर नहीं करेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पिछली बार सत्ता में थे, तो दे देते।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैं इस सदन के अंदर मांग करता हूं कि 2008 के अंदर पहली बार गुर्जरों को आरक्षण की मांग याद दिलाने का काम किसने किया था। आप बार-बार कहते हो गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या किया? हमने आपके जैसे किसी के खून से हमारे हाथ नहीं रंगे। हमने आप लोगों को सड़कों पर नहीं बैठाया। हमने एक भी गुर्जर पर लाठी भी नहीं चलायी और आपने, आरक्षण मांगा तो गोली चलायी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जन-प्रतिनिधि 36 कौम का होता है लेकिन अभी जो व्यक्ति बोल रहा है, वह मैं नहीं जो

(श्री धीरज गुर्जर)
मेरी रगों के अंदर खून बह रहा है, वह खून गुर्जरी के दूध से बना हुआ है, वह दूध बोल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं और अब भी कहता हूं जिस-जिस के अंदर गुर्जरी का दूध है न, उसको इस सदन के अंदर खड़े होकर, मदन जी बैठ जाओ...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अकेले ने पी लिया। इतने मोटे हो गये। अकेले पीकर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सुनिए, मिस्टर मदन राठौड, मैं अगर आपकी पांती का दूध पी लूंगा तो आपका पता नहीं लगेगा, यह ध्यान रखना। आप इस कौम की मांग को मजाक के अंदर मत ले जाओ। जिस दिन आपकी बहन विधवा होगी, जिस दिन आपके पड़ौस के अंदर जो मां रहती है, उसकी कोख सूनी होगी, उस दिन आपको इस दर्द का एहसास होगा।

आप हमारी कौम से खिलवाड़ करने का काम मत करिए। इस कौम ने अपना वैभव खो दिया इस देश के लिए, आप उस कौम को मजाक बनाना चाहते हैं। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे भीख नहीं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं। मंत्री महोदय, आप घोषणा करें कि एसबीसी की भर्तियां जिनमें 5 प्रतिशत दिया हुआ था, वह एसबीसी की भर्तियों का एक परसेंट क्या इस बिल के माध्यम से है, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसके अंदर आप हमें देंगे क्या?

दूसरी बात, हमारे ऊपर जो मुक़दमे दर्ज हुए थे और आपने समझौता किया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के समझौते के अलावा भी कई ऐसे मुक़दमे हैं जो सूचीबद्ध नहीं हुए हैं लेकिन बार-बार आपकी सरकार समझौता करती है। पुलिस वाले जाते हैं और दो-पांच को अरेस्ट कर लेते हैं, थाने में बंद कर देते हैं। न हम जेल जाने से ड़रते हैं, न हम मुकदमों से ड़रते हैं और न हम मरने से ड़रते हैं। लेकिन हम वादाखिलाफी से डरते हैं। हम पन्नाधाय के वंशज हैं जिसने अपने बेटे की गर्दन कटा दी लेकिन जिसका अन्न खाया था उससे वादाखिलाफी नहीं की थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमसे वादा खिलाफी मत करो। अगर हमसे वादाखिलाफी करेंगे तो आपका पता भी नहीं लगेगा। मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि हमको 5 प्रतिशत आरक्षण दीजिए। अभी सैकिण्ड ग्रेड की नौकरियां निकली थीं, जिन सैकिण्ड ग्रेड के अंदर आपने रिजल्ट जारी कर दिये, जिनको उसमें एक प्रतिशत नहीं मिला,

(श्री धीरज गुर्जर)

आप उनको कम से कम एक परसेंट का फायदा दीजिए। जो प्रकियाधीन भर्तियां थी, जिनकी विज्ञप्ति निकली, उस समय थी, आप एक परसेंट हमको दीजिए। यह एसएलपी का फंदे लगाने की जगह ओबीसी, एसबीसी और एमबीसी की जगह हमको 50 प्रतिशत के भीतर-भीतर आरक्षण दीजिए, वर्ना यह आरक्षण का ढोंग करना बंद कर दीजिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अब की बार आर और पार की लड़ाई होगी। यह कौम अपनी मांग के लिए या तो मर जाएगी या मार देगी, लेकिन अब इनके सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अब भी मौका है, आज सत्ता आपके पास है, कलम आपके पास है, कुर्सी आपके पास है, पावर आपके पास है, हमारा अधिकार हमें दे दो, वर्ना हमारे साथ यह ढोंग करना बंद कर दो।

मैं आपसे आज भी कहता हूं कि अगर आपके मन में नवीं अनुसूची के अंदर डलवाने की भावना है, या तो आप यह कबूल कर लें कि आपके प्रधान मंत्री जी कमजोर हैं, अगर आप यह मानते हैं कि आपके प्रधान मंत्री की छाती 56 इंच की है तो उस 56 इंच के व्यक्ति से कहिए कि हमारी इस मांग को नवीं अनुसूची के अंदर डालकर हमें हमारा अधिकार दें। मुझे आपसे यही बात कहनी थी। यह असत्य ढकोसले, मूर्ख बनाने के काम छोड़ दीजिए। हमें हमारा अधिकार दीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण), (संशोधन) विधेयक, 2018. इस बिल के माध्यम से और इस बिल के पीछे जो चर्चाएं हो रही थीं, अभी बीच में 1923 और 1925 की बातें आर्यी सेवा दल, कांग्रेस और सारा विषय आया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ...(व्यवधान) अभी तो देखो, आपको पार्टी में जवाब देना पड़ेगा। अभी से पूछने लग गये, अभी से धमकाने लग गये। अभी से धमकाने लग गये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय...

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अभी से ही धमकाने लग गये यह। (व्यवधान) सदस्य ने अपनी वेदना कही है। आपको क्यों चिंता हो रही है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम भारतीय जनता पार्टी की तरह गैर अनुशासित पार्टी नहीं हैं ...(व्यवधान) हमारे में इतना प्रेम है जिसकी मिसाल लोग देते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सभापति महोदय, डोटासरा जी धमका रहे हैं ...(व्यवधान) धीरज को। धीरज को धमकाने का अधिकार नहीं है आपके पास। (व्यवधान)

श्री सभापति: शंकरसिंह जी, एक मिनट विराजें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ऐसा कुछ नहीं ...(व्यवधान) जो मुझको धमका दें। हम तो यह मांग कर रहे हैं कि बीजेपी वालों के काले कारनामे कैसे सामने लाएं। (व्यवधान) अभी तो ऐसा कोई शेर ही पैदा नहीं हुआ जो मुझे धमका दे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह आये ना अभी आपके पास ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैंने बुलाया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नहीं, यह उठकर आये हैं ...(व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, मैंने सुना है, इनको कहा कि बाहर आ जाओ, यह क्या मतलब हो गया। (व्यवधान) माननीय सदस्य का यह गलत है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है कि मुख्य सचेतक बैठा हो तो उप मुख्य सचेतक

व्यवस्था का प्रश्न नहीं रख सकता।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रख सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं रख सकता।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): रख सकता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं रख सकता। आपके नियम नहीं चलेंगे, आप बैठो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री रख सकते है, या मुख्य सचेतक रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): व्यवस्था का प्रश्न कोई भी रख सकता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): +++ बने बैठे हैं। मुख्य सचेतक तो +++ बने बैठे हैं और उप मुख्य सचेतक रख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री से सलाह नहीं ली। इनको पूछा तक नहीं। अपनी अलग से सरकार चला रहे हैं ...(व्यवधान) हां, पहले समझाओ क्या रखना चाहते हैं। फिर किताब दो मुख्य सचेतक महोदय को, वह पढ़ेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाओ न। प्लीज, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान) आप आसन पर विराजमान हो।

श्री सभापति: आप बैठिए...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी माननीय सदस्य श्री धीरज गुर्जर द्वारा ...(व्यवधान) जोश-जोश में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह शब्द असंसदीय भी है और वर्ग संघर्ष पैदा करने वाले भी हैं, कि या तो मर जाएंगे या मार देंगे। यह हाउस है, यह कोई सड़क का संघर्ष नहीं है। इन शब्दों को एक्सपंज कराने का काम करें। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): संसदीय कार्य मंत्री मौजूद, मुख्य सचेतक मौजूद, क्या दोनों असक्षम हैं जो उप मुख्य सचेतक को

व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): खुली चुनौती देने का काम है ...(व्यवधान) वर्ग संघर्ष पैदा करने की स्थिति है।

श्री सभापति: आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति जी, इन शब्दों को एक्सपंज कराने का आप काम करें। इस तरह से हाउस में चुनौती देना। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): +++ बोला है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कोई भी सदस्य बोलेगा, कोई अंकित नहीं होगा। जो बिना परमीशन बोले कोई अंकित नहीं करना है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: आप विराजें पहले। क्या एक्सपंज कराना है, नहीं कराना है, यह आसन अच्छी तरह से जानता है। कृपया विराजें। हां बताएं।

श्री मदन राठौड़, (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के नियम 272 के 7 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें यह बहुत स्पष्ट है कि बोलने के पालनीय नियम जिसमें अभिद्रोहात्मक, राज द्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा। आपने जो शब्द कहे वह अभिद्रोहात्मक में आते हैं कि मैं मारूंगा और मरूंगा। यह शब्द आपने जो प्रयोग किये, यह अभिद्रोहात्मक में आते हैं, इसलिए आप ऐसा शब्द नहीं बोल सकते। मारूंगा और मरूंगा कहा। मारेंगे यह शब्द कहा, यह अभिद्रोहात्मक में आता है। इसलिए माननीय सदस्य को ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए, यदि किये हैं तो वह एक्सपंज करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। प्लीज, आप बैठ जाएं। मेरा आपसे रिक्वैस्ट है। मैं आदेश दूंगा जिसको देना है, मुझे पता है किसको क्या आदेश देना है। इसमें मैं अभी व्यवस्था दूंगा, आप अपना वक्तव्य जारी करें शंकरसिंह जी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: एक मिनट के लिए भी नो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: आप विराज जाएं। हां, शंकरसिंह जी।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से यह खेल हो रहा है, हम जिस प्रकार से आरक्षण देने के लिए दो-दो बार बिल लेकर आए हैं और आपने बाहर कांटों का जाल बिछाया। लड़ाई नहीं करते हुए भी दो वर्गों को लड़ाया। दो वर्गों में लड़ाई पैदा करने का काम किया। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: यह आसन अच्छी तरह जानता है किसको संबोधित कर रहे हैं। आप विराजें प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): गोविन्द सिंह जी, चिंता मत करिए। आपकी चिंता हम बाहर करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अभी एक बात आयी, निश्चित रूप से बड़े उत्साह के साथ जो बिल लाया गया है उसको पास होना ही चाहिए। एक माननीय सदस्य ने 1923 और 1925 की और सारी बातें कीं। प्रतिपक्ष पर 1925 क्या, 1920 क्या, 1919 में ले जाइये आज दिन तक जो प्रश्न चिन्ह लगते आये हैं उसके कारण से आपका डैप्रिशिएशन हुआ। डा. हेडगेवार निश्चित रूप से सेवा दल के सदस्य थे, इस बात को मानना पड़ेगा। वह इसलिए थे कि उस समय राष्ट्रवादी ताकत, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हां बोल रहा हूं। एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि आखिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज दिन तक प्रश्न चिह्न लगा। डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की हत्या का प्रश्न चिन्ह लगा, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या का प्रश्न चिह्न लगा, संजय गांधी की हत्या का प्रश्न चिह्न लगा, ललित नारायण मिश्र की हत्या का प्रश्नचिह्न लगा। और तो और, एक प्रश्न चिन्ह लगा, डाक्टर भीमराव अम्बेडकर को संसद में जाने नहीं दिया, उस बात का प्रश्न चिह्न लगा। इसलिये जनता ने आपकी यह हालत की।

इसके अलावा सरदार पटेल इस देश के प्रधान मंत्री होते, पूरी कांग्रेस, तय थी, लेकिन कुछ कूटनीतिज्ञों ने बनने नहीं दिया। अगर सरदार पटेल होते तो शायद देश का नक्शा अलग होता। यह आरक्षण की लड़ाइयों में आपको नहीं होना पड़ता। वे सबको न्याय देते। आपने आरक्षण की इस अंधी लड़ाई में सबको लड़ाया है। डाक्टर भीमराव अम्बेडकरजी ने कहा था कि अनुसूचित

जाति, अनुसूचित ...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया, आप बैठ जाएं। यह विषय आपका नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकरजी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को ऊपर लाने के लिये हमेशा इस बात को तय किया। लेकिन आपने क्या किया। उनको संसद में नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या था। कहीं-न-कहीं, एक समानता का अधिकार कैसे मिले, सामाजिक समरसता का भाव कैसे हो, इस बात को हम सोचें। यह सदन है, यहां मारने और मरने-मिटने वाली बात कहां आती है। यह सदन नियम बनाता है, उस नियम के बाद उसकी परिणति होती है कि कहीं-न-कहीं सभी समाजों में एक सामाजिक समरसता का भाव कैसे तैयार हो। इस बात की चिंता करनी चाहिये। आज माननीय सदस्य कहेंगे, मैं मारूंगा, मर जाऊंगा, यह सदन इसके लिये है क्या!

माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है, आखिर संवैधानिक सीमा 50 प्रतिशत है। सभी दल बैठकर इस बात का विचार करें। लेकिन जो आज यह बिल आया है, यह बिल कहीं-न-कहीं समाज को जोड़ने के लिये आया है। उस समाज को अधिकार देने के लिये बिल आया है। हमारी सरकार दो-दो बार इस बिल को लायी है। आज अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहेंगे; हम उस समाज के साथ न्याय करना चाहते हैं। उस समाज को अधिकार दिलवाना चाहते हैं। यह बेमतलब की बातें करके समाजों को झगड़ाने का और कहीं-न-कहीं झगड़े कराने का काम मत करो।

आ गयी स्थिति, एक छत्र पूरे देश में राज था। आज राज जाते-जाते गिनती के प्रदेशों में रह गये। अगर ऐसे ही लड़ाते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब शून्य हो जाओगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000;

श्री हीरालाल (निवाई): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये भी जो बात आयी, उसके लिये भी सभी को मिलकर सोचना चाहिये। सभी को समान अधिकार कैसे मिलें, मतलब जो

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

तबका अगर अभी दबा हुआ है तो उसको ऊपर उठाने का काम हम कैसे करें, यह चिंता करने का सरकार का और पूरे सदन का काम है। न कि इन वर्गों को आपस में, कि जो दबा हुआ तबका है और जो उठा हुआ तबका है, उनमें लड़ाई लड़ाने का काम सदन का नहीं हैं। सदन का काम है कि एक सामाजिक समरसता को लाते हुए सभी वर्गों को बराबर दर्जा दिया जाएं।

माननीय सभापति महोदय, इस बिल के लिये जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था, मैं उसे वापस लेने की इजाजत चाहूंगा।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, सदन में आज राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बारे में यह बताया गया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर एस.एल.पी. में पारित आदेशों का हवाला देकर 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को लांघने का हवाला दिया है।

सभापति महोदय, आरक्षण चाहे ओ.बी.सी. का हो, चाहे एस.बी.सी. का हो, इस सरकार के कार्यकाल में आरक्षण की मूल भावना से खिलवाड़ हुआ, जिससे आरक्षित वर्ग को नुकसान उठाना पड़ा। आरक्षण को लेकर आज देश के अन्दर राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा के अन्दर भी जाट आरक्षण आन्दोलन चला। उसमें 50 से ज्यादा जवान गोलियों का शिकार हुए। उनके घर उजड़ गये। महाराष्ट्र के अन्दर मराठा आन्दोलन चला। पटेलों ने गुजरात के अन्दर आन्दोलन किया और कई पटेल शहीद हो गये।

निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर गुर्जरों का जो आन्दोलन चला था, वह ऐतिहासिक आन्दोलन था। 72 से ज्यादा गुर्जरों ने शहादत दी और राजस्थान की वर्तमान सरकार को उस समय झुकाया था। मैं उस समय खुद भारतीय जनता पार्टी के अन्दर विधायक तो नहीं था, लेकिन भा.ज.पा. में होते हुए भी, गुर्जर भाई जहां गोलियों के शिकार हो रहे थे, हनुमान बेनीवाल उस

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जगह भी गया था। अभी जैसे हेमसिंहजी भड़ाना कह रहे थे कि गुर्जर समाज को ज्यादा कोई राजनीति नहीं करनी। लेकिन निश्चित रूप से धोखा हुआ है। दो बार आपने धोखा किया, और एक बार इनकी खुद की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी गुर्जरों को आरक्षण के मामले में धोखा दिया था। यहां राजस्थान के अन्दर आप थे। दिल्ली के अन्दर आपकी सरकार थी। नवीं अनुसूची के अन्दर अगर उस समय इस आरक्षण को डाल दिया जाता तो आज गुर्जरों के बच्चों को, इस तरह 1252 पदों पर जो तलवार लटकी है, सभापति महोदय, वह तलवार भी नहीं लटकती और आज हर बार, कब गुर्जर पटरियों पर चले जाएं, अभी आह्वान किया, आरक्षण संघर्ष समिति ने कि 25 दिन बाद, सरकार बार-बार, जब वे आह्वान करते हैं, सरकार जाती है। सचिवालय के अन्दर बैठक होती है। आप बुलाते हैं। आपकी बात मानते हैं। सरकार बार-बार इनको धोखा भी दे रही है। यह नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया होगा। लेकिन आपको पता है कि इस प्रयास का फल नहीं मिलने वाला है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अन्दर 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण होते ही अटक जाएगा। या तो आप ऐसी व्यवस्था करते, जो कई अदर स्टेट्स के अन्दर हुई है। नवीं अनुसूची के अन्दर उनके आरक्षण गये, जहां आरक्षण 72 प्रतिशत तक गया। लेकिन वहां नवीं अनुसूची के अन्दर उस आरक्षण को दिल्ली की सरकारों ने डाला।

सभापति महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से मंत्रीजी को यहां इतना ही कहना है कि आज गुर्जर समाज जो निश्चित रूप से शिक्षा के मामले के अन्दर बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और चारों जातियां इनके साथ, जो चार जातियां, रैबारी व अन्य तीन जातियां हैं, आज उनके बच्चे पशुपालन का काम करते हैं। सभापति महोदय, आप भी मारवाड़ से आते हो, हम भी मारवाड़ से आते हैं। अपने इलाके के अन्दर निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आज इन जातियों को आरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार को इसे सीरियस लेना चाहिये।

गृह मंत्रीजी यहां विराजे हैं। अब की बार, एक तो मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आपने गुर्जरों पर और आन्दोलन पर अभी तक गोली नहीं चलायी है। यह साढ़े चार साल का बहुत बड़ा धन्यवाद। अब आगे भी नहीं चलाएंगे, अब छह-आठ महीनों में किसलिये

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चलाओगे।

मैं मांग करुंगा कि एक प्रतिशत गुर्जर आरक्षण का जो आप बिल लेकर आये हो, इसको साहब, आप जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। आप इसके बजाय तो दिल्ली के अन्दर पैरवी करें। अब तो देश के अन्दर 21 राज्यों में आपकी सरकार बन गयी। दिल्ली में आपकी सरकार है। राजस्थान में दो-तिहाई से ज्यादा मैजोरिटी है। तो आप संविधान संशोधन वहां पर करवा सकते हैं, नवीं अनुसूची के अन्दर डाल सकते हैं। जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकार अपने अण्डर में लेने के लिये बिल ला सकती है तो नवीं अनुसूची में डलवाना मेरे हिसाब से आपके लिये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं, इस सरकार से कि गुर्जरों के साथ न्याय करें, 72 गुर्जरों ने इस राजस्थान के अन्दर शहादत दी थी। यह देश का बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। देश के अन्दर इस आन्दोलन की बहुत बड़ी चर्चा चली थी। इनके साथ न्याय होना चाहिये। मैं तो हमारे जहाजपुर से आने वाले विधायक, भाई धीरज गुर्जरजी, जिस तरह जोर से, जोश से भाषण दे रहे थे, निश्चित रूप से इनकी पीड़ा जायज है। क्योंकि मैं भी इनके इलाके के अन्दर गया था। हर कोई यही कह रहा है कि आप वहां पहुंच तो गये विधान सभा के अन्दर, लेकिन हमारे आरक्षण का क्या हुआ। गांव के अन्दर बैठा हुआ व्यक्ति जन-प्रतिनिधियों को कोसता है। निश्चित रूप से यह बात, जो कि हमारे हेमसिंहजी भड़ाना बोले थे। ये पिछली बार विपक्ष में थे, इस बार मंत्री बन गये। आप सबकी ड्यूटी बनती है, कांग्रेस और बी.जे.पी. के जितने भी मंत्रीगण, नेतागण, और साथ ही साथ, हम तो आपको इतना ही भरोसा दिलाते है कि गुर्जर इस बार राजस्थान के अन्दर आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा तो हमारा समाज भी गुर्जर भाइयों के साथ राजस्थान के अन्दर खड़ा मिलेगा। इतना भरोसा मैं गुर्जर समाज के लोगों को दिलाना चाहता हूं। मेरे इलाके के अन्दर तो गुर्जरों की कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसलिये मैं कोई पोलिटिकल फायदे के लिये नहीं कह रहा हूं। लेकिन किसान हैं, और आज भी आजादी की लड़ाई से लेकर, आज तक देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए, अगर हमारे रेजीमेंट के जवानों के साथ शहादत दी तो गुर्जर समाज के जवानों ने आजादी की लड़ाई से लेकर, आज तक की 1962, 1965, 1971 और

(श्री हनुमान बेनीवाल)
कारगिल की लड़ाई के अन्दर सीने पर गोलियां खाकर भारत माता की रक्षा की है।

माननीय सभापति महोदय, इस समाज को हमें मुख्य धारा के अंदर लाना पड़ेगा। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में आप लोग त्वरित कार्यवाही करें और बार-बार आप इस बिल को लेकर आ जाते हो।

माननीय सभापति महोदय, जब सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आप गये थे राजस्थान के अंदर तब आपने यह कहा था कि हम कम से कम बिल लाएंगे और जो फालतू के बिल हमारे हैं उनको हम खतम करेंगे। लेकिन आप तो आनन-फानन के अंदर इतने बिल ला रहे हो कि एक-एक दिन में चार-चार, पांच-पांच, सात-सात बिल पास करवा रहे हो। ऐसा कौनसा, साहब, क्या आपने यह तय कर लिया कि वापस नहीं आएंगे तो भाग-दौड़ के अंदर आप ऐसा कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इस राजस्थान के गुर्जर समाज के साथ न्याय करें।

माननीय सभापति महोदय, आरक्षण को लेकर दुबारा राजस्थान के अंदर कानून की स्थिति नहीं बिगड़े। धीरज भाई तो, आप चैक करोगे तो जितना गुस्सा इनको आ रहा, मुझे लग रहा है कि यह पिस्टल लेकर पक्के आए होंगे क्योंकि कह रहे थे न मार, पिस्टल लेकर आए हैं आज यह सदन, ऐसा लग रहा है। कह रहे थे न कि मार दूंगा या मर जाऊंगा, तो यह तो एक बार इनके गुस्से को देखते हुए कह सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिन कमी और खामियों की वजह से यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसको सदन में बार-बार उठाने के बाद केवल भ्रमित करने के लिए बिल चुनावी साल के अंदर आप लोग लाये हैं। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि यह बिल क्या है? लोग सोच रहे हैं कि आप तो हमेशा गुर्जर आरक्षण का ही बिल लेकर आते हो। लेकिन, अभी दे क्या रहे हो? 1252 पद हैं, उन पर भी तलवार लटक गयी तो मंत्रीजी, दिल्ली के अंदर आप जोरदार ढंग से इस मामले के अंदर पैरवी करें, निश्चित रूप से अगर आप चाहेंगे तो गुर्जर समाज का बहुत बड़ा भला होगा और हमारे लिए भी यह सबसे बड़ी खुशी की बात होगी।

अब की बार इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 25 दिन बाद हम पटरियों पर जा रहे हैं और आप यह जानते हो कि जब गुर्जर कोई बात कह

देता है तो उस बात से पीछे नहीं हटता है। यह पटरियों पर जाएंगे क्योंकि पहले भी ....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): बेनीवाल साहब, एक मिनट, कांग्रेस के जो हाथ में है, यह अपना मुख्य मंत्री का उम्मीदवार तो घोषित कर दें सचिन पायलट को, वह तो इनके हाथ में है अगर गुर्जर के हितैषी हैं तो यह तो करवा दें इनसे। उनको घोषित तो कर दो। (व्यवधान).

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज का ही नेता नहीं है 36 कौम का नेता है, कांग्रेस का अध्यक्ष है और हमने कभी .... (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): घोषित तो करो हिम्मत है तो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप लोग तो निकालो, आपके सात-सात दावेदार हो रहे हैं मुख्य मंत्री के। मुख्य मंत्री के आपकी पार्टी में ....(व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आप ओ.बी.सी. में पांच परसेंट दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मुख्य मंत्री की पीठ के अंदर छुरे मार कर हमसे हाथ मिला रखा है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): अगर आप इतने हितैषी हो तो घोषित तो करो। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जसवन्तजी, आपकी पार्टी के लोगों ने मुख्य मंत्री की पीठ में छुरे मारकर हमारे से हाथ मिला रखा है, मैं नाम बता दूंगा आप लोगों के यहां। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर पहले भी जातीय हिंसा का माहौल था। पिछली बार जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला था तो गुर्जर मीणाओं के अंदर जातीय हिंसा की स्थिति हो गयी थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन जातिवाद 2002 के बाद ही राजस्थान के अंदर आया था, उससे पहले कोई मुख्य मंत्री या नेता अलग-अलग समाजों की मीटिंग राजस्थान में नहीं लिया करते थे। हमने उप चुनाव के अंदर देखा, अभी राठौड़ साहब नाराज हो जाएंगे कि यह क्या कह रहे है? आप हर जगह गये, अलग-अलग समाज की अलग-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अलग मीटिंग ले रहे हो, क्या आवश्यकता पड़ गयी उसकी बताओ मुझे आप? जब आप अलग-अलग जातियों में जाकर अलग-अलग जातियों का बखान करते हो तो जातिवाद तो आप फैला रहे हो राजस्थान के अंदर। हमें तो आप धन्यवाद दो कि राजस्थान के अंदर जातिवाद को खतम करने के लिए हम लोग निकले हैं और निश्चित रूप से राजस्थान में जातिवाद को खतम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 2008 और 2013, यह 2015 के अंदर भी आप लाये थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपनी भद्द पिटी और 1254 जो नौकरियां थीं वह अटकी हुई हैं।

सरकार को मैं इस एक बात का तो धन्यवाद दूंगा कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों का जो आरक्षण आंदोलन चला था, उसमें जो तीन-चार दिन तक लोग पटरियों पर चले गये, आपने भी सहनशीलता रखी सरकार ने, वह लोग भी सहनशील बनकर डटे रहे। उसका रास्ता जिस तरह जाट आरक्षण भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आपने दिया, उसी तर्ज पर इस राजस्थान के गुर्जर समाज के साथ आप न्याय करें। 9वीं अनुसूची के अंदर गुर्जरों के इस आरक्षण को आप डालें। इस बार जिस तरह की घोषणाएं आपने बजट के अंदर की हैं और कल भी हमारे दबाव के अंदर राजस्थान के जवान और किसान के दबाव के अंदर आपने जो कर्ज माफी की 50 हजार, टोल-मुक्त कम से कम शुरूआत तो हुई कि आपने कुछ कहना तो शुरू किया, बाकी अब आगे और करेंगे। आप निश्चित रूप से किसानों का पूरा कर्जा भी, राजस्थान की जनता और किसानों की स्थिति देखकर माफ करोगे।

माननीय सभापति महोदय, एक मांग मैं यह करूंगा कि आज एस.बी.सी., ओ.बी.सी. के बच्चे हमारे कालेज के अंदर जैसे तहसील मुख्यालय, उपखण्ड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर आते हैं तो इनके लिए अलग से छात्रावासों की व्यवस्था सरकार करे। निश्चित रूप से समाज कल्याण के जो छात्रावास हैं, उनके अंदर ओ.बी.सी. का अलग से कोटा भी है, एस.बी.सी. का भी कोटा आपने तय किया लेकिन अगर पूरे छात्रावास इन लोगों के लिए अलग से करेंगे तो इन लोगों के बच्चों के साथ-साथ जो लड़कियां भी हैं उनका भी पढ़ने के लिए माहौल बनेगा। क्योंकि शहर में बच्चियों को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, रहने की व्यवस्था नहीं होती, इसकी वजह से गांव का आदमी अपनी बच्चियों को शहर के अंदर पढ़ाने के लिए नहीं भेजता।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरक्षण को लेकर जो सुझाव दिये थे, उन पर भी आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। वह आपकी ही चिंता कर रहे हैं सबसे ज्यादा। क्योंकि 2018 में चुनाव आ गया न तो वह भी सोच रहे हैं कि आपका एकदम से मामला गड़बड़ नहीं हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, इस आरक्षण बिल के चक्कर के अंदर कई भर्तियां अटक गयीं। आर.पी.एस.सी. की भर्तियां अटक गयीं, आपकी राजस्थान की अन्य जो सेवाएं हैं उनकी भर्तियां अटक गयीं तो मैं यह मांग करूंगा कि इसका निपटारा जल्दी हो। दिल्ली के अंदर आप मजबूत पैरवी करें और राजस्थान के गुर्जर समाज को न्याय दिलाएं।

पूरे राजस्थान का 36 कौम का जवान और किसान गुर्जर समाज के आरक्षण का पक्षधर है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम इनके साथ विधान सभा में भी खड़े मिलेंगे और आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान की सड़कों पर भी कंधे से कंधा मिलाकर गुर्जरों को आरक्षण दिलवाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इतना ही कहना था कि जो आप बिल आनन-फानन के अंदर लेकर आए हैं, तीन महीने के लिए अगर इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करके, फिर सर्वदलीय बैठक बुलाकर अगर इसको दिल्ली की तरफ ले जाते तो निश्चित रूप से इस बार आपको मुंह की नहीं खानी पड़ती, बार-बार बदनामी भी नहीं होती, यह मेरा आपके माध्यम से आग्रह है। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 आज सदन में पेश हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाह रहा हूं कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गये और 70 साल के अंदर इन समाजों को किस तरह से जो मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि आज आरक्षण की व्यवस्था है, पचास साल जिसने देश में राज किया हो, एकछत्र राज चलता रहा हो और वह

(श्री केसाराम चौधरी)
आज किस मुंह से कहते हैं कि आरक्षण का मुद्दा आज भी समाजों को झगड़ाने में, लड़ाने में अगर किसी का हाथ है तो वह बिलकुल कांग्रेस का है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से आज भी आरक्षण की जो व्यवस्था है, उस आरक्षण व्यवस्था में एस.टी. को 12 परसेंट, एस.सी. को 16 परसेंट और ओ.बी.सी. को 21 परसेंट आरक्षण मिला हुआ है। उसमें एक परसेंट, पचास परसेंट से शेष रहता है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.एल.पी. नम्बर- 30936/2017 में राज्य सरकार को प्रशासनिक या अन्य किसी रीति से आरक्षण का फायदा प्रदत्त करने के लिए कोई क्रिया-कलाप करने या निर्णय लेने का अवरुद्ध किया है, जिसका परिणाम कुल आरक्षण के पचास परसेंट को लांघने वाला होगा।

आपको और हम सभी को मिलकर चिंता करनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश और देश के लिए यह चिंता का विषय है कि हम आज भी देश की आजादी के 70 साल बाद जातिवाद के झगड़ों में पड़े हुए हैं और उससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। मरने और मारने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आ गयी है? देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, झगड़ों और टंटों से प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर इस आरक्षण व्यवस्था को किस तरह से ठीक किया जाए इस पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के 70 साल बाद भी आज मेरे क्षेत्र के नायक को केन्द्र सरकार दसवीं अनुसूची में एस.टी. का दर्जा देती है और स्टेट गवर्नमेंट 57वीं अनुसूची में उसको एस.सी. का दर्जा दे रही है। इस तरह के जो भेद हैं, यही कारण होते हैं कि जातिवादों में संघर्ष पैदा होता है। राजस्थान में नायक समाज का एक सरपंच बना था मेरे यहां कराड़ी में। कराड़ी में सरपंच जो बना, वह एस.टी. का सर्टिफिकेट लेकर सरपंच बन गया। जब उसकी शिकायत हुई तो उसको हटा दिया गया। वह व्यक्ति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने केन्द्र सरकार के रिजर्वेशन के अनुसार उसको एस.टी. का माना और वापस सरपंच वह ही बना।

इस तरह की विसंगतियां पैदा हुई हैं। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में भाट है, भील है, भोपा है, धानका है, इनमें कहीं तो सर्टिफिकेट एस.सी. का देते हैं, कहीं एस.टी. का देते हैं। इस तरह की जो विसंगतियां हैं, वह हम देश की

(श्री केसाराम चौधरी)

आजादी के 70 साल बाद भी उसको ठीक नहीं कर पाये। हमें उनको ठीक करना चाहिये ताकि छोटी-छोटी कौम, जो गांवों में रहती हैं, उन गांवों को इस आरक्षण का फायदा मिल सके। सच्चे मायने में जो एक परिवार, मेरे मारवाड़ जंक्शन के भोपा जाति के लोग, उनको एस.टी. का सर्टिफिकेट मिलता है और वही लोग अगर राणी में भोपों के घर ब्याही जाती है, उनके बच्ची जाती है तो उसको एस.सी. का सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसी विसंगतियां इस आरक्षण के अंदर हैं, उनको हम कैसे दूर करें। सभी लोग बैठकर इस आरक्षण के मुद्दे पर हम जाति-जाति से संघर्ष करवायेंगे, हम अपने आपस में लड़वायेंगे, ऐसे कानून को ठीक करने के लिये पार्टीवाद से ऊपर उठकर हमें चिंतन और सोच करनी होगी।

मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, कि जो आज इस विधेयक को लाकर, जो 49 परसेंट आरक्षण है और एक परसेंट बचा हुआ है, वह इसको देने का मन में भाव है। इस भाव की मैं सराहना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि किसी तरह से पीछे रहे गुर्जर, गाडोलिया लुहार, बंजारा, गडरिया और रैबारी इन पांच कौमों को, जो वास्तव में बैकवर्ड रह गयी हैं, पिछड़ी हुई रह गयी हैं, उनको स्पेशल दर्जा देकर राजस्थान की प्रगति की धारा में लाकर उनको जोड़ा जाए, शैक्षणिक व्यवस्था में उनको आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में उनको आरक्षण दिया जाए। इसके लिये जो बिल लेकर आये हैं, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि कुछ भी हो, उनको कुछ देने का मन में भाव तो है। मगर जिस तरह से कानून उसको अवरूद्ध करता है, उस कानून के अनुरूप हमें चलना होगा। मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाह रहा हूं आप कह दें कि आपकी सरकार आएगी तो क्या आप उनको 5 परसेंट का यह आरक्षण दे पाएंगे? घोषणा करो न। (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप बोलो। यह कहो न बहुमत में क्या होगी? 50 साल राज किया, उस समय तो कुछ कर नहीं पाये और अब कहते हैं कि हमारा राज आएगा। मुंगेरीलाल के सपने छोड़ो, आपका राज तो छोड़ो, पूरे भारत में सफाया होता दिख रहा है। एक-दो सीट लाकर अपने आपको इतरा रहे हैं। आप अपने आप में यह सोच रहे हैं कि हमारा राज आ जाएगा। राज आता तो ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में सफाया होता नजर आ रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप तो देखना, आपका पूरे

(श्री केसाराम चौधरी)

भारत में सफाया होगा। आप तो राजस्थान की बात कर रहे हो, आपका सफाया पूरे भारत में होगा। इस तरह की आप जो सोच लेकर चलते हैं, आपकी मंशा ऐसी है, आपने जातियों को आपस में लड़ाया है, आपने भाई-भाई को लड़ाया, आपने 50 साल तक देश में राज करके किस तरह की व्यवस्था पैदा की। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यह काम करके केवल राज लाने की चेष्टा की। हम राज के लिये नहीं...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह लड़ाने का काम, खून-खराबा करने का काम, आपका है। साम्प्रदायिक काम करने का, भड़काने का काम आपका है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कांग्रेस राज ने किया है। कांग्रेस सरकार जिस तरह से 50 साल तक लगातार राज करती रही। पांच साल, दस साल अगर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और अच्छा करने की चेष्टा कर रही है। राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रही है। आज जिस तरह से बजट रखा है, किसानों के लिये कर्जा माफी की है, यह इनको रास नहीं आ रही है। किसानों के लिये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बिल पर बोलें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपको टोल माफी की है। आपको वह भी रास नहीं आ रहा है। आपको मालूम है कि हमारा राज आने वाला है, कभी नहीं आएगा।

श्री सभापति: बिल पर बोलें आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, बिल पर ही बोल रहा हूं। यह बिल में विसंगतियां इन्होंने पैदा की हैं। माननीय सभापति महोदय, क्यों नहीं कहते कि जिस तरह से गुर्जरों के आरक्षण के लिये बिल लाये हैं, हम इससे भी बढ़िया बिल लेकर आएंगे और उनको पूरा का पूरा आरक्षण दे देंगे। 50 साल दिया नहीं और कहते हैं कि यह जो बिल लेकर आये हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): यह आग लगायी, इन्होंने लगायी है आग तो। शुरूआत इन्होंने की है, मारने-मरने की इन्होंने शुरूआत की है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कुछ न कुछ गुर्जरों को मिलता

(श्री केसाराम चौधरी)

है, उसके भी ये पक्षधर नहीं हैं। गुर्जरों को किसी तरह का कोई फायदा मिल जाए, उसके लिये भी यह पक्षधर नहीं हैं कि वह अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। सरकारी नौकरियों में नौकरी लग सके और इस तरह से राजस्थान की मुख्य धारा में जुड़कर राजस्थान का विकास हो सके। आप नहीं चाहते कि राजस्थान का किसी तरह से विकास हो। यह भारतीय जनता पार्टी है जो निश्चित रूप से हरेक जाति को साथ लेते हुए, 36 कौमों को साथ लेते हुए राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। इस बिल का समर्थन करते हुए मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, मैं उसको वापस लेने का आपसे अनुरोध करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य भंवर सिंहजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर आज चर्चा हो रही है। आज यह जो बिल सदन में लाया गया है और इससे पहले 2017 में भी यह बिल लाया गया था। माननीय सभापति महोदय, गुर्जर जाति के लोग पूरे प्रदेश में पिछले 15-20 सालों से आरक्षण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस जाति के 72 लोगों ने अपनी मांगों को लेकर शहादत भी दी है। माननीय सभापति महोदय, गुर्जर जाति से ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका जुड़ाव नहीं हो। सदियों से हमारा इस जाति से जुड़ाव रहा है। यह एक वीर जाति रही है, एक स्वाभिमानी जाति रही है, लेकिन समय के अनुसार इस जाति की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, वह कमजोर हुई है और जिसकी वजह से आज यह जातियां अपने आंदोलन के लिये संघर्ष कर रही हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, कब तक हम इस तरह से इस जाति के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? कभी ओबीसी, कभी एसबीसी, कभी एमबीसी, हम लगातार इन लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान किया जाए। केन्द्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति रखती हैं तो केन्द्र सरकार से बातचीत करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। जब-जब भी पहले आंदोलन हुए तो बहुत बड़े रूप में उग्र आंदोलन हुए। मैं समझता हूं कि देश के, प्रदेश के इतिहास में इस तरह के आंदोलन कभी नहीं हुए, इतने बड़े रूप में शहादत कभी नहीं दी गयी।

(श्री भंवरसिंह)
इनकी जो मांग है संवैधानिक मान्यता के अनुसार या हम इनको कहां तक लाभ दे सकते हैं, एक निर्णय पर हमें पहुंचने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगा, आज एस.सी. का आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है। निश्चित रूप से जो पिछड़ी हुई जातियां थीं, उनको संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके साथ-साथ जो अनारक्षित जातियां हैं, जो हमारे प्रदेश में हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जो गरीबी की रेखा से नीचे की स्थिति में आज आ रहे हैं, जिनका आर्थिक और पारिवारिक ढांचा दिनों-दिन कमजोर हुआ है, पिछले लंबे समय से, जिसमें ब्राहमण, राजपूत, राजपुरोहित, वैश्य, कायस्थ, सिंधी सहित वंचित मुस्लिम जातियां, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ऐसी अनारक्षित जातियों को ओबीसी में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग पिछले लंबे समय से चल रही है और राजस्थान विधान सभा में भी अनारक्षित वर्ग के लिये आर्थिक आधार पर 14 परसेंट आरक्षण का बिल पास किया गया।

सभापति महोदय, राजपूत, ब्राहमण, सिन्धी, वैश्य, मैं राजपूत जाति से आता हूं और सामान्य वर्ग की जो अनारक्षित जातियां हैं, इन जातियों में आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। चाहे इसमें केन्द्र सरकार से, राज्य सभा और लोक सभा में आपकी सरकार है और वहां पर संविधान संशोधन करवाकर संविधान की 8वीं, 10वीं अनुसूची में शामिल करवाया जाए। ये जो पिछड़ी जातियां हैं, अनारक्षित जातियां हैं, आर्थिक आधार पर इनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि इन सामान्य वर्ग की जातियों के बच्चे भी आगे नौकरियों में अपना स्थान प्राप्त कर सकें।

सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में परमार राजपूत और कृषक राजपूतों को ओबीसी में शामिल किया गया था। तत्कालीन हमारी सरकार के समय आदेश भी किये गये थे और उसके तहत कई जिलों में सरपंच, प्रधान आदि परमार और कृषक वर्ग के राजपूतों के सर्टिफिकेट बनाये गये। सरपंच, प्रधान आदि जीते, लेकिन 2014 के बाद आपकी सरकार बनने के बाद मंत्री महोदय, इन जातियों की ओबीसी की मान्यता समाप्त करके सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गयी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ओबीसी में परमार और कृषक, इन जातियों को ओबीसी में यथावत रखा जाए और उनको पूर्ववर्ती सरकार ने जो

(श्री भंवरसिंह)

लाभ दिये थे, वह चालू रखे जाएं।

सभापति महोदय, मैं हमारे क्षेत्र और प्रदेश की बहुत ही पिछड़ी हुई गरीब जाति नायक, जो कि राजस्थान के कई जिलों में निवास करती है, इस जाति के 60 साल के दर्द को आपके सामने बहुत कम समय में बताना चाहूंगा। भील, गरासिया, कोल आदि में से एक नायक जाति भी है। इन सभी जातियों को अनुसचित जाति के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुसूची में दर्ज किया गया लेकिन नायक समाज के लोगों की संस्कृति, रीति-रिवाज, पहनावा, परिधान, सब कुछ अनुसूचित जनजाति के अनुरूप है और भारत सरकार ने 2003 में ट्राइबल डिपार्टमेंट ने एक डाक्यूमेंट्री बनायी थी, उसमें डाक्यूमेंट्री में भी नायक जाति को अनुसूचित जनजाति मानते हुए प्रदर्शित किया गया था। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में 2008 में नायक जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत माना था। अब कुछ स्थानों पर इस समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। वहीं राज्य के कई जिलों में नायक जाति को अनुसूचित जाति माना जा रहा है। सभापति महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही परिवार के लोगों को कहीं अनुसूचित जाति...

श्री सभापति: यह आपका संशोधन नहीं है। आप थर्ड रीडिंग पर बोल सकते हैं। अभी नहीं बोल सकते। मेरी बात सुनें। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, यह मंत्री महोदय से संबंधित है और बहुत गरीब और पिछड़ी हुई जाति की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: सुन तो लो। थर्ड रीडिंग पर तो इसका स्कोप बड़ा हो जाता है। इस पर तो स्कोप छोटा है। आप उसी पर बोलें, जो आपने प्रवर समिति का भेजने का कहा है। (व्यवधान) सबसे एक ही रिक्वेस्ट है। आप संक्षिप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने बिल से बाहर जाकर बात की है और हमारे बीकानेर, जैसलमेर जिलों में नायक जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। नायक और भील एक ही जाति है लेकिन उदयपुर आदि जिलों में, जो मेवाड़ है, वहां नायक जाति के लोग भील लिखते हैं इसलिए उनको एसटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है

(श्री भंवरसिंह)

लेकिन बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिलों में नायक को अनुसूचित जाति में माना गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन यही करना चाहूंगा कि नायक आज सबसे पिछड़ी हुई और गरीबी रेखा से नीचे गयी हुई जाति है। इस जाति को अनुसूचित जनजाति के सर्टिफिकेट हमारे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि जिलों में रहने वाले लोगों के बनवाये जाएं और उनको मान्यता दी जाए।

सभापति महोदय, बीकानेर सहित प्रदेश की कई जिलों में अनुसूचित जाति के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही हैं।

श्री सभापति: नो, नो। बिल का इससे क्या लेना-देना है। प्लीज।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, आप सर्वोच्च हैं लेकिन मेरे से पूर्व के दोनों वक्ताओं ने तो कई तरह की राजनीतिक बातें कही थीं।

श्री सभापति: बिल से संबंधित राजनीति थी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं इन जातियों के हित और कल्याण से संबंधित सरकार से मांग कर रहा हूं और मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि बन्द छात्रवृत्तियों को चालू किया जाए।

सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओ में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि गुर्जरों के साथ न्याय किया जाए और जब तक इनकी मांग और समस्या का समाधान सम्मानजनक तरीके से नहीं होता है, तब तक इस बिल को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाकर केन्द्र और राज्य सरकारों से वार्तालाप कर समस्या का समाधान किया जाए। उसके बाद ही इस बिल को पारित किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर सदन में चर्चा चल रही है। अनेक माननीय विद्वान सदस्यों ने इसमें भागीदारी की है। जिस धारा को हम संशोधित कर रहे हैं, उसको एक साल पहले इसी सदन से आपने पास करवाया था। जो धारा संशोधित होने जा रही है, वह यह है:-

(श्री मानिक चन्द सुराना)

'अधिनियम अन्य विधियों का अल्पीकरण नहीं करेगा:- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगी। तथापि, इस अधिनियम के अधीन आरक्षण का फायदा ले रहे अति पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग के रूप में आरक्षण का फायदा लेने के हकदार नहीं होंगे।'

माननीय सभापतिजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वक्त भी सन् 2017 में यह लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गयी थी, आपने यह समझा कि हमने यह पास किया है, पांच प्रतिशत आरक्षण, और आरक्षण हो गया। इसलिए हमने चाहे गुर्जर है, चाहे बालदिया है, चाहे वे पांचों जातियां हैं, जिनको आरक्षण दिया है, अपन ने सोचा कि आरक्षण इनको तो मिल गया इसलिए इनको अपन ने प्रतिबन्धित कर दिया कि वह ओबीसी के लिए रिजर्व है, 21 परसेंट में यह काम्पीट नहीं करते हैं। अब जो हमारे बिलों का हश्र हुआ सभापति महोदय, हम सबसे पहला बिल लाये, राजस्थान शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेज, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज "(RESERVATION OF SEATS IN EDUCTATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) ACT, 2008" अपन एक बहुत बड़ा बिल लाये 2008 में, जिसमें अपन ने ओबीसी, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज और इकोनोमिकली बैकवर्ड क्लासेज, एसबीसी को पांच परसेंट आरक्षण दिया, ईबीसी को 14 परसेंट दिया और बिल पर उस वक्त भी सदन में बहस हई कि 50 परसेंट से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो पायेगा लेकिन अपन ने यह समझा कि हम एक राजनीतिक निर्णय कर रहे हैं। विधान सभा राजनीतिक निर्णय करने में सक्षम है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक निर्णय तो हमें ही करने पड़ेंगे। पर राजनीतिक निर्णय संविधान के दायरे में हो, ये भी तो विधान सभा को ही देखना है। हमने सन् 2008 में बिल पास किया। सभापति जी, जो रिट पिटिशन हुई थी इस एक्ट के खिलाफ, 22 फरवरी, 2012 को यह बिल खारिज हो गया। इस बात से आप खूब वाकिफ हैं। 2012 में यह खारिज हो गया, अपन 2015 में बिल ले आये। सभापति जी, 2012 में जब खारिज हुआ तब उसके मुख्य कारण ये थे "The said writ petition was decided vide order dated 22nd February, 2012. The State Government was directed to revisit sections 3 & 4 of the Act of 2008 as well as the Notification. The Division Bench found

(श्री मानिक चन्द सुराना)

that quantifiable date has not been collected to provide reservation beyond 50 percent. The Court observed that when five castes were falling in the category of other backward classes then why category of Special Backward Classes has been created to provide 5 percent reservation." कोर्ट ने कहा कि जब यह पांच जातियां जिनको आप एस.बी.सी. कह रहे हैं, यह सब अदर बैकवर्ड क्लासेज में हैं तो क्वांटिफिएबल डेटा नहीं है, वैरिफिएबल डेटा नहीं है, अपडेटेड डेटा नहीं है और इसलिए उन्होंने इस बिल को खारिज कर दिया।

अब अपन सीधा बिल ले आये 2015 में और बिल ले आये सीधा "RAJASTHAN SPECIAL BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCTATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) ACT, 2015" अब, सभापति जी, हमारे इस 2015 के एक्ट का क्या हश्र हुआ? ये एक्ट भी, जो रूलिंग मेरे सामने है उसके द्वारा यह 09.12.2016 को डिवीजन बैंच के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसमें इन्होंने यह कहा कि स्पेशल बैकवर्ड क्लासेज, अपन ने आई.डी.एस. से स्टडी करायी, इंडियन डवलपमेंट स्टडीज से, इस पर अदर बैकवर्ड क्लासेज ने स्टडी करके जो भी रिकार्ड उनके सामने रखा, हाई कोर्ट के सामने, उस सारे रिकार्ड को उन्होंने अविश्वसनीय बताया और हमारे इस एक्ट को खारिज कर दिया।

अब, सभापति महोदय, बार-बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये खारिज हो गया फिर अपन 2017 का बिल ले आये और 2017 के बिल में अपन ने जो प्रावधान सैक्शन 10 में किया, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं 81 जातियां ओ.बी.सी. में हैं और 81 जातियों के बारे में यह जो लेटेस्ट रूलिंग है हाई कोर्ट की, इस हाई कोर्ट की रूलिंग में ये डेटा है कि 2007 से 2012 इनके कितने लोग चुने गये। 2007 से 2012 में गाडिया लोहार-जीरो, राईका, रैबारी-एक, बंजारा/बालदिया-जीरो, गडरिया-जीरो, गुर्जर-सिर्फ आठ। निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं, वे इन्हें कोई न कोई विशेष लाभ देने के योग्य बनाते हैं। पर मूल मुद्दा यह है कि अपन ने एन.सी.बी.सी., नेशनल कमीशन फोर बैकवर्ड क्लासेज है, इस नेशनल कमीशन फोर बैकवर्ड क्लासेज ने सैक्शन 9 में प्रावधान है, सैक्शन 11 में प्रावधान है। सभापति महोदय, सैक्शन 9 में जो प्रावधान है, सैक्शन 9 में कोई भी यह शिकायत कर सकता है कि किसी भी पर्टिकूलर समाज का अण्डर इन्क्लूजन हो गया, ओवर इन्क्लूजन हो गया, मैं सैक्शन 9 पढ़ रहा हूं, "Functions of the Commission -

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) "The Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as a backward class in the lists and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate.

(2) The advice of the Commission shall ordinarily by binding upon the Central Government."

सैक्शन 11 क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सैक्शन 11 है, सभापति महोदय, "Periodic Revision of Lists by the Central Government" ऐसा का ऐसा प्रावधान अपने एस.बी.सी. में है, स्टेट कमीशन में है" The Central Government may at any time, and shall, at the expiration of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revision of the lists with a view to excluding from such lists those classes who have ceased to be backward classes or for including in such lists new backward classes."

सभापति जी, बैकवर्ड क्लासेज की देश में जो संख्या है, वह 52 परसेंट से अधिक है। 52 परसेंट की संख्या तब थी, आज से 20 साल पहले और संख्या अधिक है लेकिन रिजर्वेशन 21 परसेंट है। इसलिए यदि हमारी राजनीतिक शक्ति, हमारी पोलिटिकल एम्बिशन, वाकई में जो जातियां ओ.बी.सी. में लिस्टेड हैं, अब ओ.बी.सी. नहीं रहीं और जो सम्पन्न, जिनके एडीक्वेट आदमी सरकारी नौकरियों में आ गये हैं, यदि उन जातियों को एक्सक्लूड करने की हमारी कोई राजनीतिक इन्टेन्शन नहीं है तो, माननीय सभापति जी, न तो आप रिजर्वेशन गुर्जरों को और जो अन्य पांच जातियां उनके साथ हैं, उनको आज दे पाएंगे न कल दे पाएंगे।

सवाल यह है कि क्या हमने, मैं यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहा हूं, यह फैसला रामसिंह वर्सेज यूनियन आफ इंडिया, रिट पिटिशन नम्बर 274 आफ 2014, जब सात स्टेट्स में जाट समाज को रिजर्वेशन दिया गया और भरतपुर, धौलपुर के जाटों को भी रिजर्वेशन दिया गया, वह जब चेलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और उसमें जो उन्होंने सारे स्टेट्स के जाट रिजर्वेशन और भरतपुर, धौलपुर के रिजर्वेशन को निरस्त किया तब उन्होंने उसी में कहा "The percentage of the OBC population estimated at not less than 52% (Indra Sawhney) certainly must have gone up considerably as over the last two decades there has been only inclusions in the Central as well as State OBC Lists and hardly any exclusion therefrom. This is certainly not what has been envisaged in our Constitutional Scheme."

माननीय सभापति जी के माध्यम से मैं मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन

(श्री मानिक चन्द सुराना)

करूंगा जो भी जातियां रिजर्व्ड हैं, ओ.बी.सी. की लिस्ट में हैं, क्या आज तक हमने एक भी जाति को उससे बाहर किया? यह राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें लिखा है ...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन 21 परसेंट है और ओ.बी.सी. की लिस्ट में ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हैं?

श्री सभापति: आप थोड़ा सा विराजें। हां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को जल की आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यह हाई कोर्ट का फैसला है। 2001 से लगाकर 2012 तक "In all, 49275 appointments were made in various services since 01st January, 2001 till 30th September, 2012 and, out of it, 15278 posts were filled from OBC categories, which comes to nearly 30 per

(श्री मानिक चन्द सुराना)

cent of the total posts." सभापति जी, सरकार ध्यान से सुने "Whereas reservations to the OBC category is 21 per cent." आखिर जो जातियां ओ.बी.सी. में होते हुए सवर्ण जातियां साधारण काम्पिटिशन में है, ओ.बी.सी. में होते हुए साधारण काम्पिटिशन में आगे आ रही हैं।

निरंतर आ रही हैं और 21 परसेंट ही नहीं है, एक्चुअल रिजर्वेशन उनका 30 परसेंट है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धारा 9 और 11 की भावना है, ये सारे इन्क्लूजन हुए जातियों के और आज तक एक एक्सक्लूजन नहीं हुआ। मैं निवेदन करता हूं कि यदि स्टेट कमीशन फार अपर क्लासेज इस एक्सरसाइज को गंभीरता से करेगा, मैं किसी भी पर्टिकूलर जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, जिन भी जातियों का रिप्रजेंटेशन ओवर-रिप्रजेंटेशन है और उनकी संख्या से अधिक है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको हम जब तक एक्सक्लूड नहीं करते हैं, कहां से 5 परसेंट रिजर्वेशन दे देंगे? कोई एक्सक्लूड होगा तो कोई इन्क्लूड होगा। आपका आज 49 परसेंट, उसमें कुछ जातियां, जिनका ओवर-रिप्रजेंटेशन है, वे एक्सक्लूड होती हैं तो इन जातियों को 5 परसेंट रिजर्वेशन मिल सकता है।

सभापति जी, मैं इस आरक्षण की बहस को राजनैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से देखता हूं। जहां संविधान हमको रोकता है, या तो आप नवीं अनुसूची में आइए। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि आप इन जातियों की इतनी कमजोर स्थिति के लिए अलग से रिपोर्ट लेकर और उस पर 5 परसेंट रिजर्वेशन देकर नवीं सूची में डालिए, तब तो कोई संभव होगा और किसी भी जाति को एक्सक्लूड तो हम करेंगे नहीं और इनको भी 5 परसेंट रिजर्वेशन देंगे यह सम्भव होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिन जातियों का वह रिप्रजेंटेशन है, उनको उसमें से निकालें और जिनका अंडर-रिप्रजेंटेशन है, जैसे ये पांचों जातियां हैं, इनके रिप्रेजेंटेशन को यदि 5 परसेंट देना है तो एक तो रास्ता यह है कि एक्सक्लूड करें, दूसरा रास्ता यह है कि जो 5 परसेंट का बिल है, उसको नवीं अनुसूची में डलवाइए।

यदि यह सम्भव नहीं है तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप जो बिल लाए हैं, उसे तो मेरा समर्थन है। अभी जो स्थिति है कि 5 जातियों को सिर्फ 1 परसेंट रिजर्वेशन है, इसलिए उनको यह अधिकार जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपने दिया है, यह अधिकार आपको उस वक्त 2017 में भी छीनना नहीं चाहिए था और अभी भी जो आप अधिकार दे रहे हैं कि वे अन्य जातियों के आरक्षण में कंपीट करेंगे, उसका तो मैं समर्थन करता हूं, पर मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है कि स्टेट कमीशन फार बैकवर्ड क्लासेज में सैक्शन 9 और 11 की आप कड़ाई से पालना कराएं और पोलिटिकल बिल जब तक राज्य सरकार की स्टेट कमीशन के पीछे नहीं है, कोई भी नतीजा आने वाला नहीं है। कोई भी रिजर्वेशन नहीं, 5 परसेंट की हद तक हम दे नहीं पाएंगे। मैं समझता हूं कि जो भी मैंने सब्मिशन किये हैं, अधिकतर संवैधानिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किये हैं। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री महोदय और राज्य सरकार उचित से उचित कदम उठाएगी।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य नन्दकिशोर जी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति जी। राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर आपने बोलने का मौका दिया।

जो बिल आया है, उस पर काफी विद्वान सदस्यों ने 1 परसेंट, 5 परसेंट, 49 परसेंट, हर तरह से चर्चा की है और सबको यह पता भी है कि इसका असर क्या होना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे यहां चल रही है, जो व्यवस्था हमें संविधान ने, संसद ने, हमारी विधान सभा ने प्रोवाइड की है, वह क्या ठीक चल रही है? अभी जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं संविदा कर्मियों के नाम पर, अनियमित तरीके से जो भर्तियां प्रदेश में की जा रही हैं, उनमें गुर्जर ही नहीं, ओबीसी, एससी-एसटी ही नहीं, विधवा, विकलांग, सैनिक, सभी का आरक्षण मारा जा रहा है।

अभी पिछले दिनों हमारे यहां ग्राम पंचायत सहायकों की हजारों भर्तियां हुईं, उनमें किसी विधवा, किसी सैनिक को नहीं लिया गया, किसी एससी-एसटी को नहीं लिया गया, ओबीसी को नहीं लिया गया। हो सकता है कल को ये परमानेंट हो जाएं तो यह जो तरीका है भर्तियां करने का, यह संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 का स्पष्ट उल्लंघन है और बड़ा ही गलत तरीका है। इससे जो व्यवस्था हम लोगों ने ही दे रखी है, उसी व्यवस्था को

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी यह विषय उठाया था। माननीय कटारिया जी ने जवाब भी दिया था ये भर्तियां होने से पहले कि किसी भी हाल में इस तरह से नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी हुआ है। आरक्षण का जो प्रावधान है, उसे ईमानदारी से लागू किया जाए, चाहे खिलाड़ी हों या और कोई उसमें आरक्षित हों, संविदा पर लेने के बाद नियमित करने का जो है, यह सीधे तौर पर बैक एंट्री है। इसको तुरन्त प्रभाव से बंद करना चाहिए।

अभी हमारे सीकर में एक एडवर्टाइजमेंट निकला था। 122 पद थे उसमें ग्राम सेवक के। एक भी आरक्षण का पद नहीं था उसमें, कोई ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से हम देंगे तो या तो वह कोर्ट में अटक जाएगी या वह गलत भर्ती होगी। इन चीजों को रोकना चाहिए। आगे से जो भी संविदा पर या दूसरे तरीके से भर्तियां की जाएं, उनमें भी आरक्षण का ध्यान रखा जाए। अभी आरक्षित वर्गों के लिए कट-आफ, न्यूनतम सीमा, कई तरह के राइडर लगाए हुए हैं, जबकि आरएएस तक की परीक्षा में अपने यहां आधे नंबर वाली महिला आएएस बन गयी और छोटी भर्तियों में इन लोगों के राइडर लगाए हुए हैं, विकलांग हैं, एससी-एसटी हैं तो इनको वंचित करने का एक तरह से काम है।

सारे डाटा देखें और 1994 से लेकर 2004 तक के अगर सभी परिणाम नियमानुसार ही सफल किए जाएं तो डेढ़ लाख नौकरियां जो हैं, वे आरक्षित वर्ग की दूसरे वर्गों को मिली हैं या उनको वंचित कर दिया गया है। यह चीज उचित नहीं है लोकतंत्र में। ये नियम विरुद्ध जो भर्तियां की जा रही हैं, इन्हें तुरन्त प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए और जो की गयी हैं, उन पर भी विचार करना चाहिए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाए और गुर्जरों को न्याय दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 के संबंध में 8 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मैं कह सकता

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

हूं कि बहुत ही सारगर्भित बहस रही। कानून के बिन्दु और समाज का परिप्रेक्ष्य, इन सबके ऊपर मेरा भी मार्गदर्शन और ध्यान आकर्षित करने का प्रयास सबने किया।

आज जो संशोधन विधेयक आया, उसका मूल इंटेंशन, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सुराना जी ने जिस बात को इंगित किया है, सैक्शन 10 के एक पार्ट को हटाकर उसको संशोधित करने का है। जो मूल सैक्शन 10 का है "Nothing contained in this Act shall derogate from any other law for the time being in force. However, more backward class receiving the benefit of reservation under this Act shall not be entitled to receive the benefit of reservation as backward classes."

माननीय सभापति महोदय, यह सदन इस बात पर एकमत होगा कि हम सबने 2017 का जो विधेयक पारित किया था, सदन पूरा इस मत का था 5 परसेंट का एसबीसी के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक पारित किया, राज्यपाल महोदय की एसेंट के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 13.11.2017 को माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें एक इंटरिम आर्डर पारित किया। उस इंटरिम आर्डर की वजह से उसमें एक्जिक्यूशन की एक स्टेज आयी। उसके बाद में हाई कोर्ट में राजस्थान सरकार उसके ऊपर एसएलपी में गयी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक इंटरिम आर्डर देते हुए सरकार से कहा कि 50 परसेंट की सीलिंग तक आप आरक्षण दे सकते हैं।

यह जो सैक्शन 10 था, इसको लेकर जो बेसिक इंटेंशन इस सदन की थी, जिसको लेकर उस विधेयक को पारित किया था कि 5 परसेंट आरक्षण दिया जाए, अगर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश के बाद 1 परसेंट का आदेश देते तो जो विभिन्न आयोगों ने, चाहे वह हाई-पावर कमेटी जस्टिस गर्ग की चेयरमैनशिप में हो या जस्टिस गोयल की चेयरमैनशिप में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट हो, उन सब में गुर्जर सहित इन पांचों जातियों को मोर बैकवर्ड मानते हुए रिपोर्टें दी गयी हैं जिनमें इसका उल्लेख भी बार-बार किया।

(17.00 बजे)

अगर केवल एक परसेंट देते हो तो सरकार जिस मंशा से लेकर आयी थी और सरकार जो चाहती थी वह मंशा पूरी नहीं हो पाती। भाव एक था कि हम ओबीसी सहित, ओबीसी में 21 परसेंट और एक परसेंट यह, ओबीसी के

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

साथ-साथ एक परसेंट का आरक्षण भी इन सबको दिया जाए। इसलिए एक अमेंडमेंट को लेकर हम आये जिसमें "Nothing contained in this Act shall derogate from any other law for the time being in force." केवल इतना पोर्शन रखने की बात थी। इसमें हम ओबीसी के साथ-साथ मोर बैकवर्ड क्लासेज का बैनेफिट भी दे सकते हैं।

कई सदस्यों ने इस बात को कहा कि कहीं इसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं निकला तो नोटिफिकेशन पहले दिसम्बर के महीने में हमने निकाला। फिर एग्जीक्यूशन में कुछ दिक्कतें आईं तो 27 फरवरी, 2018 को भी हमने उसका भी कोरिजेंडम निकालकर फील्ड में किसी प्रकार से जाति सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी करने की मंशा है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आये इसको एंश्योर करने के लिए क्योंकि सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि 5 परसेंट आरक्षण की जो बात सरकार ने की थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण एक कारण बचा और सरकार अब ओबीसी के साथ एसबीसी का आरक्षण देना चाहती है, वह लाभ पूरा मिले। उस लाभ में उसकी क्रियान्विति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको हम पक्का करना चाहते हैं जिसके लिए सरकार ने कोरिजेंडम निकालकर उसको भी दूर करने का पूरा प्रयास किया है।

कई सदस्यों ने इस बारे में चर्चा करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाये। अपने राजनीतिक प्रयास की बात आयी, कई लोगों ने कहा कि हम किस तरह की राजनीतिक चीज और कई इसमें अपने राजनीतिक स्कोर सैट करने की बात है, तो मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। कई बार अपने-अपने किसी सर्टेन सैक्शन को एक मैसेज देने के लिए कई चीजें बोलनी पड़ती हैं और वह बोलने की बाध्यता निश्चित रूप से हुई होगी। लेकिन आपने नाइंथ शिड्यूल की बात की तो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य विधि के विद्वान हैं और आप इस बात को जानते हैं कि केन्द्र सरकार के पास आज जो स्थिति है उससे पहले भी नाइंथ शिड्यूल में लगभग-लगभग कोई 1980 के आस-पास विभिन्न सरकारों के समय लोगों के रिप्रजेंटेशन आये, पर एक भी नहीं जुड़ा। मैं आज इस बात पर नहीं जाता, आज विपक्षी दल के सदस्य यहां बैठे हुए हैं, डोटासरा जी नहीं हैं, लेकिन उनकी भी सरकारें थीं तब भी नाइंथ शिड्यूल में नाम पिछले कई वर्षों से जुड़ने का है। अब तो जो नया जस्टिस कौल का डिसीजन आया है उस

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

डिसीजन के बाद तो सब्जैक्ट टू रिव्यू उसको कर दिया जुडिशियल रिव्यू और इसकी आने की सारी बात आ गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने जो 54 परसेंट किया उस 54 परसेंट को नाइंथ शिड्यूल में डाला, नाइंथ शिड्यूल में जाने के कारण से स्टे नहीं मिला और केवल सुनवाई हो रही है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह जो महाराष्ट्र का है और उसके पहले कर्नाटक के सारे मामले हैं, ये इन्दिरा साहनी से पहले के सारे फैसले हैं। अब तो नया जो जजमेंट आया है और नाइंथ शिड्यूल की जहां तक सरकार की मंशा है, सरकार ने जब बिल पारित किया था 2015 का, उस बिल को पारित करते ही तुरन्त केन्द्र सरकार को, आपका एक संकल्प भी पारित हुआ था, संकल्प 2008 में भी पारित हुआ था जब सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विधेयक रखा था जो पारित हुआ था, उस समय भी संकल्प पारित हुआ और बाद में भी संकल्प नाइंथ शिड्यूल के लिए केन्द्र सरकार को भेजा। बाद में जितने प्रयास होने चाहिए थे, वह भी अपनी तरफ से किये कि इसमें नाइंथ शिड्यूल में जोड़ने की बाध्यता है। मंशा एक ही है कि कहीं.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 1982 के बाद नाइंथ शिड्यूल में कोई भी एंट्री है क्या? 1982 के बाद नाइंथ शिड्यूल में कोई एंट्री नहीं गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप डालो न। अब तो अपना सारा राज है, दिल्ली में भी है, वहां भी है, 21 राज्यों में भी है तो उसमें क्या दिक्कत है? कराने में क्या है, कराना नहीं चाहते इसका मतलब आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, सन् 2014 तक दिल्ली में दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और 2014 से लेकर अभी वर्तमान में 2019 तक भाजपा की सरकार है। नाइंथ शिड्यूल में डालना भारत सरकार और पार्लियामेंट की मर्जी पर है। नाइंथ शिड्यूल में कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट होता है और नाइंथ शिड्यूल में जो भी चीज है वह डाली जा सकती है। सवाल यह है कि आपके दृष्टिकोण से भारत सरकार का दृष्टिकोण मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। दैट इज द इश्यू। आप यह जो 5 परसेंट देना चाहते हैं, उसको यदि भारत सरकार की सहमति है तो नाइंथ शिड्यूल में डालिये। उसके बाद अलग मुद्दा है कि वह जुडिशियल रिव्यू का

(श्री मानिक चन्द सुराना)
अधिकार है। माननीय, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, हमें मालूम है, पर आप उसको नाइंथ शिड्यूल में डालकर देखिये तो सही। हम चाहते हैं कि नाइंथ शिड्यूल में जाने से शायद जुडिशियल रिव्यू में मामला अटकेगा, महाराष्ट्र के पैटर्न पर स्टे नहीं होगा और मामले की सुनवाई होती रहेगी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सदस्य, राज्य सभा और लोक सभा के 2/3 बहुमत से नवीं अनुसूची में डलेगा तो बीजेपी का 2/3 बहुमत है क्या राज्य सभा में? आप ऐसे तर्क दे रहे हैं लॉ के आदमी होकर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सिम्पल मैजोरिटी से प्रस्ताव पास होता है और कोई राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर रहा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह प्रस्ताव कांग्रेस लाई है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस नहीं लाई, हम कांग्रेस के पीछे चलेंगे क्या? कांग्रेस ने तो आपातकाल लगाया था तो आप लगाओगे क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, नहीं लगाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो फिर?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): लेकिन ऐसी बात का कांग्रेस ने एक बार भी प्रस्ताव पास नहीं किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कांग्रेस ने तो यह बिल ही पास नहीं किया, हमने ही किया सबसे पहले बिल पास। हमने किया बिल पास सबसे पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस इश्यू पर आप बहुत डिटेल्ड लीगल ओपिनियन लें, सुप्रीम कोर्ट के कांस्टीट्यूशनल लायर से ओपिनियन लें। क्योंकि आज 21 राज्यों में राज है और लोक सभा में एब्सोल्यूट बहुमत है। सिर्फ भाजपा का बहुमत है और उसके बाद एनडीए का और भी बहुमत है इसलिए आज की राजनीतिक स्थिति अलग है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्योंकि यह इश्यू खाली विधान सभा में तय होने से नहीं होगा, यह कांस्टीट्यूशनल एक्सपर्ट्स आपको राय दें तो फिर मेरा निवेदन है कि आप इसको नवीं सूची में डालने की ओर अग्रसर हों।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, पहली बात तो राजस्थान सरकार

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

अपने राज्य के हितों को लेकर संकल्पित है। उन विषयों को, जिन लोगों के लिए अपनी बात कही, चाहे अपने चुनाव घोषणा पत्र की बात होगी या फिर सुराज संकल्प की बात होगी जिसमें दोहराया तो उसी इंटेंशन को लेकर हम तुरन्त, आज कांग्रेस के सदस्य डोटासरा जी और धीरज जी दोनों यहां पर नहीं हैं, मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कुछ बातें कही हैं तो हमें पृष्ठभूमि में थोड़ा जाना पड़ेगा। थोड़े से बैकग्राउण्ड में जाना पड़ेगा आज सबसे बड़ी चीज है कि 2008 में पहली बार गुर्जर सहित इन 5 जातियों और साथ में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का बिल लेकर आये, उसको विधान सभा में पारित कराया तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सरकार लेकर आयी। चाहे 1989 में मण्डल कमीशन आया और उससे पहले कालेलकर की रिपोर्ट, तो 1989 से लेकर 2008 तक के कालखण्ड में यह विषय कई बार उठता रहा। ज्यादा जोर से उठा होगा 2004-05 में लेकिन विषय बार-बार उठता रहा। कभी जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इस विषय को लेते हुए कि इनको लाभ देना है इस बात की चिंता की क्या जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। 2008 में लेकर आये, आज लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उन्होंने एक बात कही, पहले तो 2008 के उस बिल को यहां पारित होने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय के पास एक साल तक अटकाये रखा और गुर्जर सहित इन सब पांच जातियों को जो लाभ एक साल में और उन युवाओं के जितने अवसर नौकरी के थे, जिनको नौकरी मिल जाती, वह अवसर रोकने की बात की। आज कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है जनमत के लिए तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए तो क्या तीन महीने और इन सब समाजों को जो लाभ मिल सकते हैं उन लाभों को भी रोकने की मंशा रखते हैं? आज बड़ी-बड़ी राजनीतिक बात की गयी, सदन के अन्दर छाती पीट-पीटकर कहना कि मैं किस समाज से आता हूं, किस तरह की बात करता हूं लेकिन सदन के बाहर खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने कभी यह कहा हो कि हम सरकार में आये तो इनको ओबीसी का डिवीजन करते हुए 5 परसेंट का आरक्षण देंगे और बात करेंगे। आज भी मैं सदन में कह रहा हूं, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का विधायक दल पूरी तरह से प्रस्ताव पारित कर दे, कांग्रेस पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर दे कि ओबीसी का डिवीजन करके ओबीसी में से 5 परसेंट आरक्षण करेंगे...(व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप प्रस्ताव लाओ, हम समर्थन करेंगे इसका।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बैठिये आप, सुनिये। मैं आपकी बात को शांति से सुन रहा था। अभी तो शांति रखिये। आप थोड़ा धीरज रखो।

श्री सभापति: बैठ जाइये।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): धीरज सुनने का भी रखो। धीरज जी आ भी गये। हमने शांति से आपकी सब बातें सुनी हैं इसलिए आप सुनने का भी.... (व्यवधान)

श्री सभापति: बिना अनुमति के कोई बोले तो रिकार्ड नहीं होगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर इस तरह की कांग्रेस की मंशा थी तो कहीं किसी तरह का प्रस्ताव तो पारित करते कि हम आरक्षण देने की बात करेंगे। आज जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एसएलपी लगाने की क्या जरूरत थी। क्या आप चाहते थे कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिस गुर्जर सहित सब जातियों के लिए पूरा का पूरा आरक्षण बन्द कर दिया, जिस इसरानी कमीशन को आपने बनाया था उस इसरानी कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह क्वैश किया। क्वैश करने के बाद जो पूरा बिल बना था उसको क्वैश किया, तो उसको हम पूरी तरह से एसएलपी में नहीं जाते तो उसको इस तरह का लाभ दे देंगे? आज अगर सरकार एसएलपी में नहीं जाती तो बाद में ये 1252 लोग जो पाइप लाइन में थे उनकी नौकरी......

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। आपने अपनी बात कह दी। कोई नोट नहीं होगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं गयी होती तो ये जो 1252 लोग पाइप लाइन में थे गुर्जर सहित सब लोग, उनकी इंटरिम पीरियड की, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि इनको सुपरन्यूमरेरी पोस्ट क्रियेट करने के बाद नौकरी दें। यह केवल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं, दक्षिण के एक राज्य में मेडिकल में एडमिशन हुआ। मेडिकल के एडमिशन में सब सरकार ने सुपरन्यूमरेरी पोस्ट क्रियेट की, पद बढ़ाने के बाद वहां एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की उनको कन्करेंस

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

मिली और उसका एक्सेप्टेंस हुआ। उसी लाइन पर राजस्थान सरकार ने काम किया। एसएलपी पैण्डिंग है और अगर हम नहीं जाते तो उसको लाभ नहीं मिलता। एसएलपी में यह जो इंटरिम एप्लीकेशन है वह भी उस समय के उन एप्लीकेंट्स ने लगायी जो कहीं न कहीं पाइप लाइन में थे, जिन्होंने एप्लाई कर दिया था उस एक्ट के रहते हुए और जिनके इंटरव्यू हो गये थे केवल अपाइंटमेंट लैटर नहीं निकला था। उनकी उस एप्लीकेशन के सपोर्ट में राजस्थान सरकार के एडवोकेट्स खड़े हुए और उन्होंने प्लीड किया कि इनको इस तरह के बेनेफिट मिलने की बात होनी चाहिए थी। हमारे कई माननीय सदस्यों ने इसमें और कुछ विषयों को, भंवरसिंह जी भाटी ने जो मामला उठाया, वह विषय से संबंधित नहीं था लेकिन आपने कहा, तो मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा। यह कृषक परमार राजपूत समाज है। आप इस बात से अच्छी तरह से भिज्ञ होंगे कि ओबीसी कमीशन का 2012-13 में जो प्रपोजल भेजा उस समय की सरकार ने, वह केवल राजसमन्द जिले की तीन तहसीलों की जांच करने का भेजा था और भागते-भागते, जब 2013 में सरकार भाग रही थी तो सितम्बर के महीने में नोटिफिकेशन निकाल दिया सारे राजस्थान में लाभ देने का। राजस्थान सरकार ने फिर भी उसको नहीं रोका। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण से, माननीय उच्च न्यायालय को उसने चेलेंज किया और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आयी, उसके आधार पर रोक लगाने की बात की। तुरन्त राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने इस विषय को ओबीसी कमीशन को भेजा। पूरे राज्य के सर्वे की बात की और वह रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान की सरकार अपने मन्तव्य के हिसाब से उसमें आगे बढ़कर जो ड्यू रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर उस पर काम करने की बात शुरू करती। हमारी एक ही मंशा, जिसको कहा कि कहीं किसी भी प्रकार से इन सबको लाभ पूरा मिलना चाहिए। उसके साथ-साथ हमारी यह है कि कहीं ओबीसी और ओबीसी के साथ एक परसेंट का लाभ दिया जाये। इसको बढ़ाने के बाद और जो-जो बाधा थी, उनको देने की बात थी। एक तो आरक्षण है। फिर ईबीसी की बात कई और लोगों ने की। मैं कहना चाहूंगा कि आज आर्थिक पिछड़ा वर्ग का विषय सामने नहीं है लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आज... लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, 2010 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक इंटरिम आर्डर किया था कि जब तक क्वांटीफाइड डेटा नहीं आये, तब तक आप इसका नोटिफिकेशन नहीं निकाल

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सकते। मुझे नहीं कहना, लेकिन इसका जवाब आप अपने आपसे पूछ लें जो 2010 में दोनों के लिए था, इसमें एसबीसी के लिए भी था और ओबीसी के लिए भी था। आपने एसबीसी के लिए तो कमीशन बना दिया और ईबीसी के लिए कमीशन बनाने की बात थी, वह कमीशन ही नहीं बनाया। वह राजस्थान में हमारी सरकार बनने के बाद 2014 में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने कमीशन बनाया। कमीशन को मेंडेट दिया और उसके बाद कमीशन अब पूरे राज्य में उसकी जांच कर रहा है। जांच करने के बाद इनको भी आरक्षण को सुनिश्चित करने की बात हम निश्चित रूप से करेंगे, इस बात की आश्वस्तता है। जहां तक केवल आरक्षण नहीं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, नींद मत लीजिये। मतलब, सवा चार साल क्या कर रहे थे आप? यह तो बताओ कि सवा चार साल तक क्या कर रहे थे?

श्री हीरालाल (निवाई): 60 साल तक क्या कर रहे थे?

श्री सभापति: वह तब बताएंगे, जब आप बैठकर सुनोगे। बीच-बीच में बोलोगे तो बताया नहीं जाएगा। प्लीज।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बहुत सक्रिय सदस्य हैं। हमारा तो सवा चार साल पूछ रहे हो आप, 2010 में, मैं फिर से आपको उस बात को दोहरा रहा हूं। 2010 में आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती थी, कानूनी ड्यूटी बनती थी। इसमें यह था कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसके ऊपर क्वांटीफाइड डेटा इकट्ठा करने के बाद नोटिफिकेशन निकालें। अच्छा किया आपने, एसबीसी के लिए कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट भी आ गयी लेकिन आर्थिक पिछड़ा वर्ग में जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, पुरुषार्थी समाज, सिंधी समाज, कायस्थ समाज, ऐसे जितने समाज हैं, उन सब लोगों से क्या आपको वोट नहीं मिलते थे तो उनको लेने की बात, आपने उनके लिए कमीशन बनाने का ही काम नहीं किया। कमीशन की घोषणा कर दी, कांस्टीट्यूट नहीं किया। 2014 में राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने उस कमीशन को बनाने की बात की और कमीशन की रिपोर्ट आते ही, जिस बिल को सरकार ने पास करा रखा है, केवल नोटिफिकेशन बाकी है और नोटिफिकेशन इसलिए बाकी है, उस समय का राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश है कि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

क्वांटीफाइड डेटा के बाद ही इसका नोटिफिकेशन आप जारी कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, आज वैलफेयर के नाते भी देखें। मैं केवल और डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने भागते-भागते 10 आवासीय विद्यालयों की एसबीसी के तहत घोषणा की थी और उन 10 आवासीय विद्यालयों के लिए एक पैसे का प्रावधान बजट में नहीं किया। उनके लिए हमारी सरकार आने के बाद 10 के 10 आवासीय विद्यालयों को बनाने का, उनके लिए बजट प्रोविजन करने का काम किया तो इस सरकार ने किया। फिर चाहे छात्रवृत्ति का विषय होगा, गुरुकुल योजना में प्रवेश का विषय होगा, स्कूटी देने का मामला होगा, छात्रावास का विषय होगा। इन सबको देकर, कैसे इन पांचों समाजों के हम सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करें, इसको सुनिश्चित करने का काम किया।

आर्थिक पिछड़ा वर्ग का तो अभी आरक्षण का नोटिफिकेशन निकलने की बात है लेकिन उनके कल्याण के नाते से आज राजस्थान की सरकार, देश की शायद पहली सरकार है जिसने इस विषय में इस वर्ग को पूरी पहचान देते हुए, आज कहीं पर इनके छात्रवृत्ति का विषय है, इसके लिए 276 करोड़ रुपये का इस बजट में घोषणा की। लम्बे समय से मांग चल रही थी, कई वर्षों से मांग थी कि इन जनरल कास्ट के लोगों के लिए इनकी जो उम्र की सीमा है 35 साल से 40 साल बढ़ायी जाए और कल ही मुख्य मंत्रीजी ने फाइनेंस बिल के ऊपर जवाब देते हुए इस उम्र सीमा को 35 से 40 साल करने की घोषणा की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह आपने डिले इसलिए किया कि बेरोजगारों को नौकरी देनी पड़े। आप चार साल तक घुमाते रहे इस बात को, यह आप सबसे पहले भी तो कर सकते थे सरकार में आते ही।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): 22 करोड़ रुपये दिये हैं आवासीय विद्यालयों को।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह तो एक के लिए है अमरारामजी, एक आवासीय विद्यालय में है 22 करोड़ रुपये तो। आज हमसे तो प्रश्न कर रहे हो डोटासराजी, आप पांच साल सरकार में रहे थे और यह आर्थिक पिछड़ा वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व करता है। कई लोग कहते हैं कि हम उन वर्ग से आते हैं लेकिन हम समग्र समाज की बात

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

करते हैं और समरसता की बात करते हैं तो समग्र समाज की उन्नति को लेकर हम चलने की बात करते हैं। उसमें इस आर्थिक पिछड़ा वर्ग को भी हम इनमें जो पिछड़े हैं, उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। आज 35 से 40 साल हमने चार साल बाद तो किया। आपने तो पांच साल के पूरे कालखण्ड में चिंता नहीं की और आजादी से लेकर आपकी सरकार रही, आपकी सरकार में आपने छात्रावासों में कभी इन आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित करने का काम किया? कभी आपने अनुप्रति योजना में लाभ देने की बात की? कभी आपने इस बात को किया कि देश भर की संस्थाओं में जो इनकी फीस होती है, उसका आधा पैसा देने की बात सरकार करेगी? एक पहचान देकर उनको कैसे लाभ दिया जाए, बराबरी पर खड़ा किया जाए। एक इस तरह का अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन उनमें हैं, उसको डवलप करने की बात की तो इस चार-साढ़े चार साल में इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।

माननीय सभापति महोदय, केवल संक्षेप में, लम्बे समय तक बहस हुई है और पहले भी इस विषय के ऊपर बहुत चर्चा सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर हुई है। मैं सभी लोगों को एक ही आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस मंशा के साथ है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम इस बिल को लेकर आये, उन वर्गों को इसका पूरा लाभ मिले और इसीलिए पांच परसेंट की जो माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमें सीमा बांधी कि 50 परसेंट से नीचे ही देना है आपको तो इसलिए ओबीसी के साथ-साथ एसबीसी का भी लाभ, एमबीसी का लाभ भी इनको मिले एक परसेंट का, इसको सुनिश्चित करने के लिए लाये हैं और उसमें जो बाधा सैक्शन (10) थी, उस सैक्शन (10) के एक पार्ट को हम अमेंड करने का एक बिल लेकर आये और निश्चित रूप से आगे जाकर इस बिल की भावना को पूरा करने का काम करेगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस बिल को, संशोधित बिल को पारित करने की कृपा करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे प्रस्ताव को वापस लेता हूं। जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव दिया है, उसको वापस लेता हूं।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हम बोलेंगे थर्ड स्टेज पर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम भी बोलेंगे साहब।

श्री सभापति: वह थर्ड स्टेज आती है तब थोड़ा तसल्ली रखें। कम से कम थोड़ा सा, अब तो आप...

प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार। खण्ड 2 एवं 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान

(श्री अरुण चतुर्वेदी)
पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: अब माननीय किसी सदस्य को बोलना है? हां, माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, हम बोलेंगे।

श्री सभापति: हां, आप सबको मौका देंगे। सबको देंगे। अभी यह पारित होने के बाद आपका नम्बर आएगा। सारी माननीय सदस्य, थोड़ा रिक्वेस्ट है, जितना संक्षिप्त आप कर सकें, उतनी बात संक्षेप में कहें ताकि सबकी बात आ जाए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान पिछड़ा वर्ग... बहुत समय है सर।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर सदन में सुबह से चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सदन से, पहले भी मैं कहता रहा हूं, हर कोई आता है और आरक्षण की बात करता है

माननीय सभापति महोदय, मेरा यहां सवाल है कि इस देश में आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी थी? माननीय सभापति महोदय, इस पर बोलूं उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आरक्षण कोई भीख की व्यवस्था नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, न ही आरक्षण कोई खैरात में बांटी जाने वाली वस्तु है। माननीय सभापति महोदय, यह देश विविधताओं का देश है और कानून होते हुए भी यह व्यवस्थाओं का देश है। इस व्यवस्थाओं के देश में और देश को वर्गों में बांटकर, जातियों में बांटा और जातियों में बांटने के बाद माननीय सभापति महोदय, चौथे वर्ग की जातियों का शोषण इस देश में हुआ। शोषण के बाद में माननीय सभापति महोदय, इस देश के और इस राष्ट्र के संविधान के निर्माताओं ने इस बात पर विचार किया।

माननीय सभापति महोदय, हर कोई आता है और आरक्षण को भीख की तरह मांग कर खड़ा हो जाता है। मैं निवेदन यहां यह करना चाह रहा हूं

(श्री पूरणमल सैनी)

कि इस विविधताओं के देश में और जब अन्तिम पड़ाव ब्रिटिशों का इस देश पर चल रहा था। उस समय डा. बी.आर. अम्बेडकर ने ब्रिटिशों के शासन काल में आरक्षण की मांग की और उसके बाद साइमन कमीशन का गठन हुआ। पूरे देश में सर्वे करके लाया और तीन गोलमेज सम्मेलन इस देश में इसी बात के लिए बुलाये गये। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, लेकिन बाबा साहब डा. बी.आर. अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने समाज और देश, प्रदेश का इतिहास नहीं जानता, वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता।

पार्टी और दलों पर आरोप नहीं लगाते हुए मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब से इस देश में, भारत देश में आयी, तब से लगातार जब 1932 में ही शिड्यूल्ड की सूचियां बन गयीं, शिड्यूल्ड की सूचियां बन जाने के बाद शूद्र वर्ग की शेष बची 6743 जातियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की 81 जातियों को जिसमें शामिल कर लिया गया। उन जातियों से जो शेष जातियां थीं, 1935 में अन्य पिछड़ा वर्ग का नाम अगर किसी ने दिया तो डा. बी.आर. अम्बेडकर साहब ने दिया, जो आजादी से पहले ही हो गया था।

माननीय सभापति महोदय, आजाद हो जाने के बाद इस देश पर और कांग्रेस के नेताओं में 1949 में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि 26 नवम्बर, 1949 हमारे देश की इतिहास की बहुत बड़ी तारीख है। मैं इसलिए इसको बार-बार इंगित करना चाहता हूं कि इस दिन हमारे देश के संविधान की सभा को कानूनी रूप देकर इसको अमलीजामा पहनाया गया था और हमारे देश के संविधान को...

श्री सभापति: टोकना नहीं चाहता आपको। निवेदन करूंगा वैसे विस्तृत ज्ञान है, आपका। आज वाले बिल पर थोड़ा-सा ज्ञान वितरित करें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गलती मेरी यह रही कि मैंने संशोधन नहीं मांगा। मेरे को समय दें, सर, प्रोटक्शन चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें विशेष बात रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन यह कर रहा था...

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि आरक्षण को भीख की तरह मांगने लग गये। मुझे नहीं लगा, ये उचित शब्द है। इसलिए इसको एक्सपंज कराया जाए, ये अधिकार की बात है, भीख की बात नहीं है।

श्री सभापति: हां, इसको ठीक कर लेना।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): नहीं-नहीं, माननीय, यह पार्लियामेन्ट में भी और जब माननीय सदस्यों...

श्री सभापति: कोई बात नहीं, विवाद का विषय ही नहीं है न। आप तो अपनी बात कहो न।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, 26 नवम्बर, 1949 हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि इस दिन हमारी संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया था और डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने उसी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डा. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा माने जाने प्रिएम्बल में सर्वेन्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राष्ट्र के स्वरूप की घोषणा की। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद समय-समय पर संशोधन आते रहे और 42वें संशोधन के माध्यम से इस देश के संविधान में सोशलिस्ट और सैक्यूलर शब्द भी जोड़ दिये गये....

श्री सभापति: मेरा पुन: निवेदन है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटरनिटी के मूल्यों के साथ भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार किया गया और इन तमाम बातों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ इस देश के अन्दर..

श्री सभापति: माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है। आपको परमिशन थर्ड रीडिंग पर दी गयी। थर्ड रीडिंग में, इस बिल के बारे में आओगे न...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): बिल पर ही आ रहा हूं न...

श्री सभापति: बिल कहां, आप तो सन् 1935 से शुरू हुए हैं, 1950 तक पहुंचे हैं, अभी तो।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अब सर, यहीं आ गया, 1935 में नहीं जा रहा। करने का बहुत बड़ा सपना इस देश के समक्ष रखा था और वह सपना माननीय सभापति महोदय, आज जो संशोधन विधेयक, 2018 सरकार सदन

(श्री पूरणमल सैनी)

में लेकर आयी है। इसके लिए हमने बहुत सारे माननीय सदस्यों के विचारों को सुना और बहुत सारे सवालों को इस सदन में उठते हुए सुना लेकिन इन तमाम सवालों के बीच में जो एक महत्वपूर्ण सवाल है माननीय सभापति महोदय, वह बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों से जुड़ा है और वह आरक्षण की उस व्यवस्था से जुड़ा है। हमारा यह देश मैंने पहले भी निवेदन किया कि विविधताओं का देश है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व विद्वान वक्ता के रूप में और माननीय मंत्री का कार्य भार देख रहे हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी ने अभी बताया कि हम 2008 में बिल लेकर आये थे। जब 2003 में सरकार बन गयी थी भारतीय जनता पार्टी की तो 2008 में इस बिल को क्यों लेकर आये थे? कोई बात नहीं, जब आप उठे तब सवेरा सही।

जब महामहिम राज्यपाल ने उसको सिग्नेचर नहीं किये थे। उसके बाद जहां कहीं भी पैरवी करनी थी वह आप नहीं कर पाये, कोई बात नहीं, लेकिन मैं, आज की तारीख में आपने मुझे वहां तो जाने नहीं दिया। ये ही अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का बिल इस देश के संविधान में धारा 340 का अनुच्छेद करके समय-समय पर इस शूद्र वर्ग जातियों को आवश्यकता होगी, अकेली उनको ही नहीं, इस देश का कोई भी वर्ग और जाति, जब चाहे इस देश और प्रदेश की सरकारों से अपनी मांग कर पाएगा।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, सारी, मैं कभी हठ नहीं करता हूं, मेरी थोड़ी सी-बात। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यहां यह करना चाह रहा हूं कि इन गुर्जर सहित पांच जाति लुहार, बंजारा, गडरिया और रैबारी को अगर हमारे देश और प्रदेश की सरकार आरक्षण देना चाहती, हर बार कह देते हैं, जवाब में दे देते हैं।

मेरे पूर्व वक्ता विद्वान वक्ता के रूप में माननीय तिवाड़ी साहब ने भी यह कहा कि साहब, आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 14 परसेंट आरक्षण। इसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कु. मायावती जी ने उन सदनों में भी कहा और हम इस बात के पैरोकार हैं और उन महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो भी इस देश का पीड़ित आदमी है, चाहे वह किसी भी समाज

(श्री पूरणमल सैनी)

और वर्ग का है, उसको प्रोटक्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मेरा यहां यह निवेदन है कि बार-बार आप बिल लेकर आ रहे हो, इम्पोर्टेंट सवाल भी है माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जवाब दें...

श्री सभापति: सवाल पर तो आओ न।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि 2008 में बिल लेकर आ गये, फिर 2012 में आ रहे हो, फिर 2016 में 2017 में लेकर आये, अब मेरा सवाल यह है कि 2017 में जब आप बिल लेकर आये तो दुबारा इस बात से क्यों इस प्रदेश में अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हो। कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी नायक और नायका के लिए भी मैं इस सदन में लेकर आया था।

माननीय सभापति महोदय, व की व कंट्रोवर्सी और आप गुर्जर को आरक्षण, जो एक परसेंट देना चाह रहो हो, इसमें क्रिएट होगी। मेरी बात को गंभीरता से लें, कैसे होगी। माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले आज तक अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को जो आरक्षण मिला था, उसमें गुर्जर समाज आरक्षण का हक पा रहा था। आपने एसबीसी लाकर उनको 5 परसेंट देना चाहा, अपरिहार्य कारणों से आप असफल रहे और उनको दे नहीं पाये। कोई भी दल की सरकार रही होगी, लेकिन आज की तारीख में केवल 1 परसेंट जो इनको आप देना चाह रहे हो, उस 1 परसेंट में समस्या यह आएगी कि उस जाति के वे लोग, गुर्जर समाज के वे बच्चे लोग जो इसका फायदा लेकर 1 परसेंट का और कहीं नौकरी में चले गये तो उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में उनको रखा नहीं जाएगा, तो इस जाति के लिए बड़ी समस्या क्यों पैदा करना चाह रहे हैं। नायक और नायका के बीच में भी यही बड़ा सवाल है

श्री सभापति: ठीक, धन्यवाद। माननीय फूलचन्द जी भिण्डा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, इसमें निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि इसको गौर फर्माएं और माननीय मंत्री महोदय विद्वान हैं लेकिन यहां एक सवाल मेरा यह माननीय सभापति महोदय, गुर्जर सहित जिन ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ... एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, एक बात और मेरा निवेदन है कि आज तक हर जगह आरक्षण का प्रोविजन कर दिया और उसके बाद भी आरक्षण का प्रोविजन मेरे पूर्व वक्ता के रूप में जब ये कह रहे थे कि हर जगह, आज की तारीख में...

श्री सभापति: माननीय फूलचन्द जी भिण्डा।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): ... केन्द्र की नौकरियों में भी 18 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो पाया।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, आज गुर्जर सहित पांच जातियों के लिए ...(व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट। 2 मिनट तो दे दो न, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: पूरा मौका दिया।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): दो मिनट, दे दो माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: एक मिनट में कह दें, अपनी बात।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं बात यह कहना चाह रहा था।

श्री सभापति: हां, तो कहो न फिर।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): हां, कह रहा हूं न। आप यह कह रहे हो कि आरक्षण का जिन जातियों ने लाभ ले लिया उनको हटाया जाए, लेकिन मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आरक्षण दिये जाने के इतने वर्ष बाद भी आज की तारीख में अगर हम कहीं बात करें तो आज देश की क्लास वन की नौकरियों में दलितों की भागीदारी केवल 12 प्रतिशत पहुंच पायी है और यही नहीं अन्य पिछड़ी जातियों की भागीदारी केवल 5 प्रतिशत पहुंच पायी है। यहां तक कि निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो पिछड़ी और दलित जातियों की भागीदारी मुश्किल से कोई दो प्रतिशत हो पाई है।

श्री सभापति: ठीक है। धन्यवाद।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज तक चूक इसलिए हुई कि इसको कानून के रूप में नहीं लिया गया तो मैं मांग करता हूं

(श्री पूरणमल सैनी)

कि माननीय मंत्री महोदय, इस कानून को ज्यों ही पारित करें तो राजस्थान प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर और विभिन्न वर्गों को दिये गये आरक्षण की पूर्ण रूप से पालना हो। इसके लिए मेरी मांग है कि सरकार एक श्वेत-पत्र जारी करे। कानून को अगर कोई तोड़ेगा तो इसमें दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए यह मेरी मांग है।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय फूलचन्द जी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, काफी बहस हो गयी 1 परसेंट आरक्षण के विषय में, लेकिन मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के माननीय साथियों से कि आरक्षण 26 जनवरी, 1950 के संविधान में था और उस समय सोशली, इकोनोमिकली बैकवर्ड जो जातियां थीं उनका निर्णय एकमात्र किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। उस समय जनसंघ भी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, केवल कांग्रेस ने निर्णय किया। सोशली इकोनोमिकली बैकवर्ड कौनसी जातियां हैं यह इन्होंने तय किया। पहली बार 1980 के आस-पास में मण्डल आयोग कमीशन बनाया गैर कांग्रेसी सरकार ने और मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गैर कांग्रेसी सरकार ने वी.पी. सिंह जी के टाइम में। यह किस आधार पर कह रहे हैं, यह पाप तो इन्होंने किया है। गुर्जरों को वंचित किया तो इन्होंने किया। सोशली, इकोनोमिकली बैकवर्ड ये मानते थे तो ये क्यों सोते रहे 1992 तक। जब मण्डल कमीशन आया तब गुर्जरों को उसमें शामिल किया गया और भी ऐसी जातियों को शामिल किया गया। इस कारण से ये दोष देते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। यही नहीं इसमें सोशली, इकोनोमिकली बैकवर्ड दो शब्द थे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय घनश्याम जी तिवाड़ी को और माननीय वसुन्धरा जी को जिन्होंने इतने वर्षों बाद जो इकोनोमिकली बैकवर्ड लोग थे, इंडिया की सब सरकारों में अगर किसी ने चिन्ता की तो राजस्थान की सरकार ने की। उस समय के लॉ मिनिस्टर हमारे माननीय घनश्याम जी थे जिन्होंने इकोनोमली बैकवर्ड, दो शब्द हैं, सोशली एंड इकोनोमिकली बैकवर्ड ये दो बातों के लिए प्रोटक्शन चाहिए था संविधान में, इसको लागू किया। एक बात तो यह निवेदन है।

दूसरा अन्य पिछड़े वर्गों में नाम जोड़ने का और घटाने का जो काम है, वह कमीशन के माध्यम से होना चाहिए ऐसा कोर्ट ने कई बार कहा। मैं वर्तमान प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार इतने वर्ष बाद में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उन्होंने एक स्थायी पिछड़ा आयोग बनाया है जो सब बातों पर विचार करेगा। दूसरा अभी आंसू बहा रहे थे डाक्टर अम्बेडकर जी की बात करके हमारे माननीय सदस्य खेतड़ी वाले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बहस पढ़ी है क्या? आरक्षण के बारे में जो बहस की थी डाक्टर अम्बेडकर जी ने उसको पढ़िये पहले। क्या-क्या उन्होंने खतरे बताये थे, वे खतरे आज सामने आ रहे हैं। पढ़िये उस बहस को आप सब लोग। ऐसे ही चाहे जो बोल देते हैं यहां आकर।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं पढ़कर आया हूं इसीलिए बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: विराजें-विराजें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अभी जहाजपुर वाले माननीय सदस्य बोल गये। यों बांहें चढ़ा रहे थे। ये अस्सी जातियां बांहें नहीं चढ़ाएंगी क्या? इस प्रकार की बातें करते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): आपको खतरा लग रहा है। आपको बाबा साहब के नाम का खतरा लग रहा है इसलिए कर रहे हो आप। आप पढ़कर नहीं, उनकी बात को देखो।

श्री सभापति: विराजें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप इस मंच से किसको चैलेंज कर रहे हो? कौन-कौन सी जातियों में क्या-क्या है, क्या किसी ने चिन्ता की क्या? ये मायावती जी की चिन्ता कर रहे हैं इनसे पूछो कि वाल्मीकि समाज को कितना आरक्षण मिला? इसकी चिन्ता की क्या किसी ने?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): आप मान रहे हो पहले ...(व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ऐसे चाहे जैसे समाज को डिवाइड करने के लिए बोल देते हो, यह मंच मिला क्या डिवाइड करने के लिए, समाज को चेलेंज करने के लिए? मार देंगे, मर जाएंगे, यह चैलेंज है समाज को। इसका एक ही उत्तर है कि इकोनोमिकली जो बैकवर्ड लोग हैं चाहे वे एसटी में हैं, चाहे एससी में हैं, इस बात पर विचार करके कोई कमीशन बनना चाहिए, कोई व्यवस्था होनी चाहिए तब तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। परन्तु आरक्षण का लाभ प्रभावशाली लोग किसी जाति के हों, किसी समाज के हों, किसी वर्ग के हों, उनको मिलेगा...

श्री सभापति: धन्यवाद।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस कारण से अगर समाज का हम उत्थान चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हम जो भी इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं उनकी चिन्ता करें। उसके वर्ग में ही चिन्ता करें। ऐसा मैं निवेदन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण)(संशोधन) विधेयक, 2018 के बारे में जो विधेयक सरकार लायी है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है और आरक्षण की जो व्यवस्था है ये सामाजिक अधिकार है। जो समाज पिछड़ गये, जो वंचित रह गये आरक्षण से उनका एक संवैधानिक अधिकार है। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस तरह की बात सदन में नहीं करनी चाहिए। गलती से जो समाज पिछड़ गये उनको आज इस व्यवस्था में शामिल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती। लोगों को जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर हिन्दू-मुसलमान, मीणा-गुर्जर के नाम से लड़ाना चाहती है। मंत्रीजी, मेरी बात पर ध्यान दें।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, राजस्थान में मीणा और गुर्जर दो जाति इस आरक्षण की मांग से पहले बहुत प्रेम से और मौहब्बत से रहती थी जैसे राम-लखन थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको आरक्षण के नाम पर लड़ाया और गुर्जर जाति के, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको तो कहने का अधिकार नहीं है आपने तो मीणाओं को मंदिर में दर्शन करने नहीं दिया।

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने जहर का बीज बोया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपने मीणाओं को मंदिर में घुसने नहीं दिया। आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने जहर का बीजा बोया है। जातियों को लड़ाने का काम मत करो। आपने जहर का बीज बोया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): कांटा गुर्जर के चुभता था और दर्द मीणा के होता था। यह खाई आप लोगों ने खोदी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आज भी मेरे एरिया में चाहे मीणा हो या कोई भी जाति का हो, आपस में राखी के संबंध हैं। आपस में एक-दूसरे के राखी बांधते हैं और आपने जहर घोलने का काम किया है। आपने जातियों को लड़ाया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपने इस तरह का जहर फैलाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ...(व्यवधान) आप मंदिरों में दर्शन नहीं करने देते। आप आरक्षण की बात करते हो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आपने खून बरसाया है। खून की होली खेली है आपने।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, हमने खून नहीं बरसाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। आहौर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें। आप आसन को संबोधित करें और दो मिनट में बात खतम करें।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बिल को आप इस तरह से पारित करें। केन्द्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है और गुर्जर जाति को पांच प्रतिशत आरक्षण सरकार को देना चाहिए। आज रोज-रोज बिल ला रहे हैं, 2008 में बिल ले आये, 2015 में बिल ले आये, 2017 में बिल ले आये तो इन बिलों पर भी जनता विश्वास नहीं कर रही है। आज गुर्जर जाति अपने-आपको छला हुआ महसूस कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप अगर आरक्षण देना चाहते हो तो जनता के साथ धोखा मत करो और धोखा किया उसका परिणाम अभी तीन सीटों पर आ गये। आज पंचायत राज के परिणाम आये हैं उनमें भी आपने देख लिया है तो मेरा आपसे निवेदन है मंत्रीजी, इस तरह की धोखेबाजी नहीं करें। गुर्जरों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने की मैं मांग करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय शकुन्तला जी। दो मिनट।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो ही मिनट, पांच मिनट तो दें।

सम्माननीय सभापति महोदय, आसन पर जो बैठे हैं +++ ... (व्यवधान) सदन ने बैठाये हैं। सभापति जो बैठे हैं वो बुद्धिमान हैं उनके पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोक स्तम्भ लिखा हुआ है।

श्री सभापति: आप विराजें। पहले आप विराजें नीचे। पहले अपने शब्दों को वापस लें, मुझे सदन ने बैठाया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं वापस लेती हूं कुछ गलत बोला तो। सदन ने भेजा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह आसन का अपमान है। सदन का अपमान। इनको बाहर जाने के लिए कहिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपका नहीं है अपमान। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री सभापति: इन्होंने अपने शब्दों को विदड्रा कर लिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनको बाहर जाने के लिए कहिये आप। बाहर निकालिये इनको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, जो आसन पर बैठे हैं उनकी बुद्धिमत्ता पर क्या बैठे हुए सदन के सदस्यों को विश्वास नहीं है क्या?

श्री सभापति: आपको इसके लिए खड़ा नहीं किया है। इसकी इजाजत नहीं मिली है। हमारी बुद्धि पर नहीं, आप अपने पाइंट पर आइये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ये बीच में बोल रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बाहर निकालिये इनको।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं विषय पर बोल रही हूं, ये बीच में बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अपने विषय पर दो मिनट में बोलिये, नहीं तो मैं बैठने के लिए निवेदन करूंगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, ऐसे क्या धमका रहे हैं?

श्री सभापति: नहीं, विषय पर बोलिये आपको मौका दे रहा हूं न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आरक्षण का विषय चल रहा है जिसमें गड़रिया, लुहार, बनजारा, रैबारी, राईका, गुर्जर, इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। आरक्षण के नाम पर पहले पांच प्रतिशत दे दिया। बुलाकर बधाइयां दे दीं, अख़बार में छपवा दिया, फिर वापस कर दिया। अब जब सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, न एमबीसी का सर्टिफिकेट बन रहा है, न एसबीसी का बन रहा है, न ओबीसी का बन रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है यह।

सरकार किस तरह का छलावा कर रही है। वह छात्र कौनसा सर्टिफिकेट बनवाये, पांच वर्ष में कितनी बार नाटक कर दिया। अभी यह कमेटी बनाएंगे, सरकार आरक्षण देना चाहती है लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मंशा ही नहीं है। अगर मंशा हो तो सम्पूर्ण शासन है, राजस्थान में भी पूर्ण रूप में बहुमत है और देश में भी पूर्ण रूप में बहुमत है, तो क्यों नहीं 9वीं सूची में डलवाकर आरक्षण दिया जाए। 5 परसेंट देने का जो वादा किया था, उसे सरकार पूरा करे। बार-बार घोषणाएं कर देंगे, हम अभी बिल ला रहे हैं, अभी इस तरह का बिल लाएंगे और फिर वह सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं। अगर असमर्थ हैं तो मना कर दें कि हम आरक्षण नहीं देंगे, कम से कम छलावे में तो नहीं रहें। गरीब लोग, खेत खलिहान, पहाड़ों में रहने वाली जनता परेशान तो नहीं हो। वह रोजाना नौकरियों में चक्कर पर चक्कर काटते रहते हैं। अभी दे दिया एक महीने के लिये, आरएएस में नहीं दिया है। इस तरह का जो मजाक, जो मखौल बना रखा है, कहते रहते हैं आपने यह नहीं किया, हमने यह नहीं किया। सभापति महोदय, यह चिंगारी जलायी किसने, यह जलाना शुरू किसने किया, यह आपकी सरकार ने किया। एक बार नहीं, दो-दो बार किश्तों में मारा। आप उन मांओं के बेटों को ला सकते हो? उस औरत का सुहाग ला सकते हो आप? तो ऐसी लड़ाई की नौबत नहीं आये इसलिए आपको यह क्लियर करना होगा कि हमें देना है या नहीं देना है। रोजाना इस तरह के नाटक करा-कर आप छलावा कराते रहते हैं और कहते रहते हैं कि आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया, अब हमारा सम्पूर्ण शासन आ गया है।

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्पूर्ण शासन समय पर चला जाता है। फूल ज्यादा दिन खिला नहीं करते, मुरझाने में समय लगा नहीं करते और हाथ वह हैं जो उम्र भर चला करते हैं। आप समय का इंतजार करो, न जाने कहां उड़ जाओगे।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिए। माननीय सदस्य, केसाराम जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर देना है तो दें, असमर्थ हैं तो कह दें इस सदन के माध्यम से।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 आज सदन में लाया गया है, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने इस बिल को लाकर ऐसी जातियां गुर्जर, रैबारी, बंजारा, गाडोलिया लुहार, गाड़री, इन पांच जातियों को, कांग्रेस जो बात करती है, इसको बात करने का कोई अधिकार नहीं। आज उनको दिखाई नहीं देता कि गाडोलिया लुहार सड़क किनारे बैठा हुआ, अपने बाल बच्चों के साथ एक गाड़ी लेकर बैठा है, उसका विकास होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। राजस्थान की विकास की मुख्य धारा में जुड़कर वह आगे बढ़ना चाहता था। उसके लिये शैक्षणिक व्यवस्था या किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की, उसी की बदौलत वह आज पिछड़ा हुआ है और इसीलिए आरक्षण की मांग करता है। रैबारी समाज जो भेड़ बकरी चराते जंगल में घूम रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राज में चिंता की, उनके लिये स्कूल खोली, छात्रावास सहित स्कूल खोली और जो बच्चों को साथ में लेकर घूमते थे, उनके लिये मास्टर लगाने की व्यवस्था की। यह इनको 50 साल तक दिखाई नहीं दिया? माननीय सभापति महोदय, रैबारी जाति और बंजारा जाति, बंजारा जाति जो अत्यन्त पिछड़ी जाति है, आज की तारीख में वह लोग गांवों में अपने पोटले में कुछ लेकर बेचते हुए दिखाई देते हैं, इतने पिछड़े हुए रह गये। इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर इन शैक्षिक संस्थाओं में अपन उनको नौकरी ...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): एक मिनट, नौकरी देना चाहते हैं तो इनको पहले शिक्षित करना होगा। बिना शिक्षा के कैसा भी आरक्षण ले

(श्री केसाराम चौधरी)

आएंगे, अगर वह पढ़े लिखे नहीं हैं तो किस आधार पर उनको नौकरी या सरकारी संस्थाओं में सीटों का आरक्षण करके जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से उसकी सराहना करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन बैकवर्ड कास्ट के लिये, ओबीसी के लिये, एसबीसी के लिये यह जो व्यवस्था है, जयपुर में उनके छात्रावासों के लिये जमीन अलॉट करनी चाहिये। उन लोगों की पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिये और उनको शैक्षणिक स्तर पर पढ़ाने के बाद ही यह जो बिल ला रहे हैं सेवाओं में नियुक्तियां तभी होंगी जब वह पढ़े लिखे होंगे। उनकी पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिये, यह मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मनोज जी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आरक्षण का मुद्दा राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा हो गया है। इस गम्भीर विषय पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, सरकार कांग्रेस की हो सकती हैं लेकिन यह संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें किसी भी न्यायालय में या किसी भी संविधान में संशोधन की अगर बात आती है, जिस तरह से सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने बात कही, उन्हीं बातों का उच्चारण करते हुए कहना चाहूंगा कि संविधान की व्यवस्था है, संविधान में संशोधन की बात है, न्यायालय में विचार के लिये अगर कोई भी बिल अटकता है तो यह हमारे लोकतंत्र की, सदन की व्यवस्था है कि हमें इसको सही रूप से लागू करने की जरूरत है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस के सदस्य भी आरक्षण के बारे में बहुत बात कर रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह कहते हैं कि हम साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम साथ हैं, हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य घनश्याम जी कह रहे थे कि हमारी ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती भी अगर आपके साथ हैं तो फिर संविधान में संशोधन करने में दिक्कत कहां आ गयी। किस तरीके से हम इन न्यायालयों

(श्री मनोज कुमार)

का इंतजार करते रहेंगे, इस कानून का हम इंतजार करते रहेंगे। जब हम सारे दल एक साथ होकर इस देश को बचाना चाहते हैं, इन जातिगत समीकरण में लड़ाई को रोकना चाहते हैं तो हमें इस संविधान में संशोधन करने की बात पर विचार करना पड़ेगा। सर्वदलीय बैठक कर देश और प्रदेश की इस समस्या का समाधान करने की हमें जरूरत है। आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन कांग्रेस वालों की भी हिम्मत नहीं है, अगर यह सरकार 5 प्रतिशत आरक्षण नहीं देना चाहती है तो कल यह भी नहीं देंगे। यह भी यही बात कहेंगे कि हमारे कानून में अड़चन आ गयी, किसी प्रकार की न्यायालय की अड़चन आ गयी। मैं कहना चाहता हूं कि न्याय का विषय है, इस देश की जाति, धर्म को बचाना हमारा धर्म बनता है और हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिम्मेदारी दी गयी है। हम इस देश में इस तरह की व्यवस्था करें कि जिसको हमें आरक्षण देना है, नहीं दिया जा सकता है तो आप सर्वदलीय मीटिंग करके इसको रोकने की बात करें और दिया जा सकता है तो सब दल मिलकर संविधान में संशोधन करते हुए सब लोगों को लाभ देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण को रोकने का प्रयास है। एससी, एसटी के लोगों को जिस तरह से आरक्षण दिया, पीपीपी मोड और संविदा के नाम से आप इस बिल के माध्यम से रोकना चाहते हो। आप इन लोगों को पीपीपी मोड पर देकर, संविदा पर लेकर एससी और एसटी का जो आरक्षण है, विकलांगों का जो आरक्षण है, उसको भी रोकने का काम कर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, आर्थिक आधार पर पिछडा वर्ग को आरक्षण देने की अगर सरकार की मंशा है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आयोग को गठित करने की बात करें, राजपूत जाति को आरक्षण देने के लिये 6 जुलाई, 1999 में आयोग को सर्वे करने के लिये भेजा था। कांग्रेस की सरकार भी आकर चली गयी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आकर चली गयी, विधान सभा में मेरे प्रश्न का जवाब है कि जाति की बाहुलता के कारण हम इसका सर्वे नहीं कर पाये हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस सदन में हो नहीं सकती। जाति बहुलता के कारण 1999 से लेकर 19 वर्ष तक अगर आप नहीं कर पाये तो लोकतंत्र में इस ब्यूरोक्रेसी में आप किस तरह से नियंत्रित करेंगे, यह आपको करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं अभी

(श्री मनोज कुमार)

कांग्रेस के सचेतक महोदय गोविन्द सिंह जी कह रहे थे यह नूरा कुश्ती है। भारतीय जनता पार्टी वालों की नूरा कुश्ती की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती है। इस देश के लोगों के आपस के भाईचारे को खतम कर, इन लोगों को लाभ नहीं देकर, इन लोगों को लड़ाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, यह मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि यह कल आ जाएंगे तो यह भी इस नूरा कुश्ती में वहां बैठने के बाद इस आरक्षण के लाभ की बात नहीं करेंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): एक मिनट। यह नूरा कुश्ती इन दोनों पार्टियों की है इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोग कहते हो कि हम दलितों के संरक्षक हैं, सर्व समाज की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की देश में अगर प्रधान मंत्री बनेंगी तो हम संविधान में संशोधन करके आरक्षण लागू करने का काम करेंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय...

श्री सभापति: ऐसा है। आसन पैरों पर है। आप पहले विराजें। माननीय सदस्य, कृपया सुन लें फिर एक मिनट नहीं, दस मिनट बोलना है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, एक सवाल पूछना है।

श्री सभापति: मैंने उस वक्त ही आपको टोका था जब आप अपने प्रस्ताव पर बोले थे, तब आपने थर्ड रीडिंग का पूरा-पूरा बोल दिया है, इसलिए आपको अपर्चुनिटी नहीं मिल सकती। एक लाइन भी नहीं मिल सकती।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दर्शन सिंह जी, पूछना चाहते हैं।

श्री सभापति: कोई भी पूछ लो। दोनों में कोई पूछ लो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): साहब, इनके बाद मैं बोलूंगा। मुझे एक ही लाइन में बात बोलनी है।

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 का आज बिल लाया गया है। बिल के लिये तो मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप गुर्जरों को 1 परसेंट तो दे ही रहे हो, इसके साथ 4 परसेंट और जोड़ दें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। यह जो गुर्जर जाति है, वह आज भी अपने

(श्री दर्शन सिंह)

डांग क्षेत्र में रहती है और पशुपालन का धंधा करती है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए, 50 परसेंट के अंदर मिलना चाहिए और ऐसे गरीब लोग हैं, जिनको सुबह से शाम तक कई बार भोजन नहीं मिलता है। सभापति महोदय, ये गरीब गुर्जर हैं और गरीब गुर्जर रो देंगे, तो 2018 में सरकार को खो देंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो मुख्य सवाल उठाया कि आप बिल लाए और उस बिल में जो आप 1 परसेंट दे रहे हो, हम यही पूछ रहे हैं कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, सदन के अंदर नयी परम्परा क्यों डाल रहे हैं? थर्ड रीडिंग के अंदर फिर खड़े हो गये।

श्री सभापति: आप बिलकुल सही फर्मा रहे हैं। यह कायदे से सही नहीं है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं बोलते हैं, दो-दो बार बोलते हैं। यह गलत बोलते हैं।

श्री सभापति: दो-दो बार कोई नहीं बोलते। आप विराजें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं एक लाइन ही पूछ रहा हूं कि क्या जब विज्ञप्तियां निकलीं, उसके अंदर जो एस.बी.सी. की 5 परसेंट भर्तियां थीं, उन 5 परसेंट भर्तियों को आप अब जो आर.ए.एस. के रिजल्ट आ रहे हैं, क्या आप इन लड़कों को 1 परसेंट देंगे? मैं यह मेन बात पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराजें, हो गया न।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उसके अलावा, जो सैकिण्ड ग्रेड के रिजल्ट आये हैं। उप चुनाव के पहले रिजल्ट आया, उसमें आपने 1 परसेंट की। (व्यवधान) सैकिण्ड ग्रेड के रिजल्ट के अंदर मंत्री महोदय, आप देंगे?

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, नहीं। सुनिए, रुकिए। क्या गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण देंगे?

श्री सभापति: विराजें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्री महोदय, यह छलावा नहीं चलेगा। आपको गुर्जर समाज को आश्वासन देना पड़ेगा। आप मेरी सुनें। आप इस कौम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इतनी हैवी पर्सनैलिटी का दुरुपयोग मत करो।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, बिल पारित कराएं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हम यह पूछ रहे हैं कि जब एस.बी.सी. के अंदर... गुर्जरों के साथ छलावा नहीं चलेगा।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, बिल पारित कराया जाए।

(17.53 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि क्या एस.बी.सी. के लिये जो 5 परसेंट की विज्ञप्ति निकली थी, उन विज्ञप्ति के लोगों को आप 1 परसेंट आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, जो भी सैकिण्ड ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, उसके अंदर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इनके ऊपर आपकी नसीहत का कोई असर नहीं है। मतलब अभी आपने इतनी नसीहत दी है। इतना सब कुछ कहा, उसके बाद यह स्थिति है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्री महोदय, हम तो मरे हैं। हम पीड़ित हैं, ये शोषक हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ये पीड़ित दिखते हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मदन जी, हंसने की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कौम के साथ अन्याय हो रहा है और ये हमारा मुख बंद करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम मंत्रीजी से यह पूछना चाहते हैं कि जिस समय एस.बी.सी. की विज्ञप्तियां निकलीं, उस समय जिनको 5 प्रतिशत दिया गया था, इस बिल के माध्यम से क्या आप उनको 1 परसेंट देंगे? दूसरा, क्या आप गुर्जर समाज को 5 परसेंट आरक्षण देंगे?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, बिल पारित कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन)

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018, श्री अमराराम जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंह जी। Do you want to speak?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैंने जो परिचालित करने के लिये दिया है, मैं वापस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धीरज गुर्जर जी, on your seat, start speaking.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हुकुम, हमारे साथ तो सरकार ने छलावा कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: भंवरसिंह जी, श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सारी तैयारी मैं ही कर रहा हूं। मुझे हर पर बोलना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 सदन में लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य में विधिक प्रणाली में सुधार के नाम पर एक प्रचलित व अनावश्यक विधियों को हटाने के नाम पर सीलिंग कानून, कृषि भूमि अधिकतम सीमा के प्रावधानों का निरसन किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के प्रकरणों की जो वास्तविक स्थिति है, उसके आकलन का इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। प्रशासन में अधिकारियों की मिलीभगत से सीलिंग की भूमियों का अनावश्यक कब्जा करवाकर निजी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

व्यक्तियों और संस्थाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं एक प्रकरण का जिक्र करना चाहूंगा। पिछली बार एक सवाल के जवाब के अंदर नगरीय विकास मंत्री महोदय ने सदन में कहा था। सोडाला की जमीन का मामला था। आप द्वारा 'सोडाला की जमीन के संबंध में जो मामला उठाया उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाकर तीन माह में रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दूंगा', परन्तु आज तक कोई रिपोर्ट सदन में नहीं है। मंत्रीजी से मेरा निवेदन रहेगा कि उस मामले की जो रिपोर्ट है, वह जल्दी से जल्दी मंगा लें और इसमें क्या रहे? सदन में आपकी घोषणा के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं आयी तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं, उन पर कार्यवाही हो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा की गरिमा है कि सदन में जो घोषणा होती है, उसको सब लोग मानते हैं विधान सभा के अंदर यह बात की है तो निश्चित रूप से इस बात में वज़न है। नहीं, तो फिर यह वज़न खतम हो जाएगा। मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि इसके अंदर जहां निजी व्यक्तियों के स्वार्थ होते हैं, वहां अधिकारी गलत तथ्य पेश कर सरकारी भूमियों को निजी व्यक्तियों के पक्ष में विभिन्न न्यायालयों के प्रकरणों में दर्ज कर लेते हैं। हाई कोर्ट के निर्णयों तक को नजरअंदाज किया जाता है। हजारों बीघा भूमि पर आज भी तथाकथित भू माफिया ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है। जबकि इन भूमियों पर सीलिंग की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियां राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि रियासतों व जागीरदारों के समय हुई इस सीलिंग एक्ट की कार्यवाही को नजरअंदाज कर तथ्यों को छिपाया जाता है और पुन: उक्त व्यक्तियों को फायदा दिया जा रहा है। आनन-फानन में यह बिल लाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन था कि आज आप यह बिल तो लेकर आये हैं और सुराज संकल्प यात्रा के दौरान भी कहा था कि जो अनावश्यक बिल हैं, हम उनको खतम करेंगे। लेकिन आज भी कई ऐसे बिल आप गलत तरीके से लेकर आये। जैसे एस.आई.आर. (स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन) बिल आप यहां विधान सभा में लेकर आये थे, जिसके अंदर किसानों की जमीन कोरपोरेट जगत को दोगे और फिर वह उसकी कीमत तय करेगा। ऐसा गलत बिल आप पहले लेकर आये हो, उस बिल का निरसन आप करते, उसको खतम करते। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग गौशालाएं खोलना चाहते हैं, लेकिन मगरा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(18.00 बजे)

गैर-मुमकिन मगरा या आबादी की जमीन होती है, वह तो आप अलाट कर देते हो या नियमन कर देते हो। फिर गौशाला रजिस्टर्ड होती है, उसका अनुदान भी शुरू हो जाता है और उसका पट्टा बनने के बाद विधायक या एमपी उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हजारों बीघा गोचर जमीनें पड़ी हैं, गौशालाओं को अलाटमेंट के लिए नया कानून या नये दिशा-निर्देश राजस्थान की सरकार को जारी करने चाहिए। जिन गांवों के अंदर आबादी की जमीन नहीं है, गैर-मुमकिन मगरे नहीं हैं, वहां गोचर और आगोर की भूमि में से गौशालाओं के लिए भूमि का अलाटमेंट हो, ऐसा बिल राजस्थान की सरकार को लाना चाहिए। ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों के लोग गौशालाओं के अंदर अपना योगदान दे सकें। नयी गौशालाएं बना सकें और हम लोग एमएलए, एमपी भी गौशालाओं के विकास के लिए पैसा दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कस्टोडियन लैंड का जिक्र अभी मुख्य मंत्रीजी कल कर रहे थीं। ये कस्टोडियन लैंड का जिक्र, उनका कर रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। अगर कोई कस्टोडियन लैंड पर था, पाकिस्तान चले गये और पीछे रह गयी, जो कब्जाधारी थे उनको आपने कस्टोडियन लैंड दे दी। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर हजारों बीघा कस्टोडियन लैंड पड़ी है, नागौर के अंदर सैकड़ों बीघा कस्टोडियन लैंड है और उस पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया। किसी से बेचाननामा पुराना करा लिया और दस रुपये के स्टांप पर लिखा लिया और पचास साल से भू-माफिया उस पर काबिज हो गये। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़ रहे हैं जबकि कायदे से सारी कस्टोडियन सरकारी खाते के अंदर, सरकारी रेवेन्यू रिकार्ड के अंदर दर्ज हो जानी चाहिए। उसका मालिक यूडीएच, नगरपालिका, नगर परिषद नहीं है, आप के अधीन आती है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कस्टोडियन लैंड जो शहरी क्षेत्र के अंदर आती है, उस कस्टोडियन लैंड के बारे में भी, जब आप इस विधेयक पर बोलें, इसके बारे में भी कहेंगे तो निश्चित रूप से हजारों करोड़ों का फायदा राजस्थान की सरकार को होगा। हजारों बीघा जमीन कस्टोडियन की, जिस पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, वह आपके यहां होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर अभी आपने राजस्व आपके द्वार, न्याय आपके द्वारा, भामाशाह कई कैम्प लगाये। लेकिन राजस्व न्यायालय के अंदर गये थे तो कई किसान, मान लो पांच बीघा जमीन पर जिसकी 60 साल

(श्री हनुमान बेनीवाल)

से टीपी कट रही है, 10 बीघा पर टीपी है जिसकी, ऐसे हजारों प्रकरण अभी-भी पैंडिंग हैं। मेरा मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि आप इस मामले के अंदर कोई ऐसा निर्णय लें, जैसा निर्णय एक बार यहां पूर्ववर्ती सरकार के समय लिया था कि जिस खेत के रास्ता नहीं लगता तो उसके रास्ते के लिए नियम बनाये थे और निश्चित रूप से इससे बहुत किसानों को फायदा हुआ था। कई लोग रास्ता रोक लेते थे। उस कानून के आने के बाद रास्ते रुकने बंद हो गये। गांव के अंदर आपसी झंझट खतम हो गये। इसमें भी मैं मांग करुंगा जो किसानों गैर-मुमकिन मगरा या खातेदारी की जमीन पर काबिज है 50 साल, 60 साल या 40 साल से, उनका अलाटमेंट राजस्थान की सरकार किसानों को करे तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। मंत्री जी, जब जवाब दें तो मेरी इन बातों का भी ध्यान रखें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन था कि यह जो आप निरसन विधेयक लेकर आये हैं, इसको तीन महीने के लिए अगर जनमत जानने के लिए पहले परिचालित किया जाता। जनता की राय आ जाती, हम सब की राय भी आ जाती और उसके बाद आप इसको लाते तो हो सकता है कि एक साथ कई और बिल भी आ जाते। आप वैसे भी काफी बिल वापस लाना चाहते हों क्योंकि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान आपने कहा था कि हम कई बिल वापस लेंगे। लेकिन बिल वापस लेने का तो मैंने आज पहला ही देखा है। ज्यादातर तो आप नये-नये बिल ला रहे हो राजस्थान के अंदर। इतने बिल ले आये कि शायद संसदीय कार्य मंत्रीजी को ही याद नहीं होगा कितने बिल आ गये, पांच साल के अंदर। आपने पिछली सरकार से भी ज्यादा रिकार्ड बना दिया। मेरी मांग रहेगी इसे आनन-फानन में पास कराने से पहले जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर जी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 पर विचार चल रहा है, उसमें आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

कुछ चीजें और भी निरसन करने लायक हैं। सरकार द्वारा रास्तों की समस्या संबंधी अभियानों का संचालन किया गया। बहुत-सी सुविधा भी किसानों को मिली। किन्तु वर्तमान में काश्तकारों द्वारा अगर आपसी सहमति के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से कोई रास्ता समर्पण किया जाए और उस

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

समय वह भूमि रहन हो, चाहे 100 बीघा में 500 गज का ही रास्ता हो तो वह समर्पण नहीं किया जा सकता, उस पर रोक रहती है। काश्तकार आपस में मिलकर बड़ी भूमि में कोई छोटा-सा रास्ता अगर समर्पण करना चाहे तो वह भी एक नियम अगर राजस्व में बने तो किसानों को बहुत सुविधा होगी। रास्ता प्रयोजनार्थ यदि भूमि समर्पित की जाती है तो मोरगेज होते हुए समर्पण को स्वीकार करना चाहिए। सीमा जोड़ काश्तकार या खसरा सम्पूर्ण अथवा सह-खातेदारी में जो हजार वर्गमीटर तक की भूमि है, उसका अगर कोई कन्वर्जन कराता है तो कृषि दर में, स्थानांतरण की बजट में भी घोषणा की गयी है, इन परिस्थितियों को स्पष्ट थोड़ा करना पड़ेगा। इससे बहुत कंफ्यूजन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहा है।

कृषि ऋण के लिए जाने पर सर्वप्रथम बैंकों द्वारा भूमि को रहन कर लिया जाता है। अगर फिर उस पर थोड़ा-सा भी ऋण काश्तकार बढ़ाना चाहे तो दुबारा उसको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वापस से उसको रहन मुक्त, रहन कराना आदि ये सब जो प्रक्रिया है, उससे काश्तकार और सरकारी महकमा दोनों का समय जाया हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर कोई लोन बढ़ा रहा है या घटा रहा है और रहन पहले से हैं तो उसको इसमें छूट देनी चाहिए। इसके लिए डिपार्टमेंट को, सरकार को बैंकों को पत्र जारी करना चाहिए। कृषि भूमि मोरगेज है, उस समय उसका पार्ट अगर कोई कन्वर्ट कराता है, संपरिवर्तित कराता है, ट्रांसफर नहीं कराता है तो उसमें कुछ हद तक उसको छूट होनी चाहिए जिससे किसान को उसका लाभ मिल सके। इस बाबत भी कोई निर्देश जारी हो तो अच्छा है। संपरिवर्तन नियम संख्या 12 के अंतर्गत नामांतरण से संबंधित स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए काश्तकार अपनी भूमि का संपरिवर्तन कराने के पश्चात नामांकन कैसे करवाये, उसका बेचान होने के बाद क्रयकर्ता के नाम नामांकन कैसे करवाये, इसके भी स्पष्ट निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है। इसमें भी काश्तकार बहुत कंफ्यूज्ड है और डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज्ड है। शासन द्वारा जारी अधिसूचना 6 अक्टूबर, 2016 के तहत संपरिवर्तनशुदा भूमि का बेचान आदि से स्थानांतरण किये जाने पर नामांतरण किये जाने का प्रावधान तो किया गया है, किंतु इस अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह खसरा सम्पूर्ण अथवा चौथाई तक का बेचान जो नामांतरण योग्य है, वह किसी संपरिवर्तितशुदा में खरीदे गये भूखण्ड

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

का भी नामांतरण उसमें खोला जा सकता है या नहीं? यह स्पष्ट हो जाए तो लोगों को सुविधा होगी।

जोइंट खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि के विवाद होने पर राजस्व न्यायालय में सभी के ऊपर स्टे लगा दिया जाता है। उस स्टे के दौरान वे लोग चाहे विरासतनामा करना चाहे, चाहे बंटवारा करना चाहे, इन सभी से उनको वंचित कर दिया जाता है और राजस्व न्यायालय में वर्षों तक ये प्रकरण पैंडिंग रहते हैं। उससे कई परिवार प्रभावित होते हैं। राजस्व न्यायालयों में रास्ता बंटवारा, विरासत आदि के मामले में जो पैंडिंग प्रकरण रहते हैं, अधीनस्थ कार्यालय उनकी रिपोर्ट भेज देते हैं फिर भी वे पैंडिंग पड़े रहते हैं। अधिकारियों के स्तर पर लापरवाही होती है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और काश्तकारों को समय पर इसका लाभ मिल सके, इसलिए उन फाइलों और इस तरह के केसों की आडिट की अगर व्यवस्था हो जाए तो प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ रहेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दो सदस्यों ने इस भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 के बारे में जो अपने विचार रखे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं जो अनावश्यक है, जिनके कानून का प्रयोजन पूरा हो गया, उन विधियों का हम निरसन कर रहे हैं। इसीलिए ये प्रस्ताव लाया गया है। 483 विधियों का पहले से ही निरसन किया जा चुका है और अनावश्यक, जिनका कोई प्रयोजन नहीं रहा, कानून के अनुसार अब जो जनहित में नहीं है, खाली पुस्तक को बढ़ाये रखना, उन पुस्तकों में रखना इस हिसाब से हमने 800, 483 जो पहले से ही विधियों का हमने निरसन किया है और अब राजस्थान राजस्व विधियां अधिनियम, 1957, राजस्थान जोत-समेकन संक्रिया विधिमान्यकारी अधिनियम, 1960, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1966, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1979 ने अपना प्रयोजन पूरा कर लिया, इसी उद्देश्य और इन कारणों से ही हम ये विधेयक लाए हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार आयी है, हमने कई नवाचार किये हैं। आपने खुद ने इसको सराहा है, रास्तों के बारे में तो हमने, जो रास्ते पीढ़ियों से चल रहे थे, रिकार्ड में तरमीम नहीं थे, उन हजारों रास्तों को तरमीम कराया है।

(श्री अमराराम)

काश्तकारों की हितैषी सरकार है। यह सोच हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री जी की है, जिन्होंने पहली बार काश्तकारों की पीड़ा को समझा। यही नहीं चाहे लोन माफ की बात हो, चाहे बीगौडी माफ की बात हो, और भी काश्तकारों के कोई कार्य हो, चाहे बिजली की बात हो, ऐसे क्रांतिकारी कदम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने उठाये हैं। जो कानून अब प्रचलित नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन क़ानूनों को हमने समाप्त करने के लिए सदन से निवेदन किया। पहले भी कर चुके हैं। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से सदन को कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

अनुसूची, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1-अधिनियमन-सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 आज सदन में रखा गया है। ऐसे कानून जो समय की मांग के अनुसार निरस्त किए जाने लायक हैं, उन्हें निरस्त करते हैं, मैं इसके पक्ष में हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 1979, किसान की जोत पर रोक थी कि 75 बीघा से ज्यादा अगर कोई जमीन होगी तो सरकार उससे ऊपर की जमीन को सीलिंग में अवाप्त कर देगी। मेरे यहां जारडन के अंदर, भीखाराम और किशनाराम नाम के दो व्यक्ति थे, उनकी जमीन को सीलिंग में अवाप्त कर दिया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला उनके हक में हो गया, मगर अधिकारी लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसमें कोई न कोई अड़ंगा डालकर, अभी तक उनके खाते में दर्ज नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कानून होते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई रूलिंग दे ही नहीं सकता। उसने भी उसके पक्ष में, किसान के पक्ष में, इतने बीघा जमीन सरकार के खाते में डाली जाए, उसके बाद शेष जमीन है वह उनके नाम से दर्ज की जाए। मगर उसको भी यह कि हमें मार्ग दर्शन दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई मार्ग दर्शन देता है क्या? मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इन क़ानूनों के रहते हुए भी लोगों के काम नहीं होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: तहसील सब डिवीजन बताओ न।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): तहसील मारवाड़ जंक्शन, सब डिवीजन मारवाड़ जंक्शन।

श्री उपाध्यक्ष: पटवार सर्कल भी बता दीजिए, क्योंकि पकड़ लेंगे वह इसे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पटवार सर्कल जारडन, जारडन के अंदर किशनाराम और भीखाराम के नाम की जमीन थी। इसी तरह से खाड़ी के अंदर रेयत कृषि फार्म के नाम से सोसाइटी को जमीन अलाट हुई थी, 27 किसानों को अलाट हुई। उन किसानों की एडीएम खारिज कर देता है उस सोसाइटी में, जबकि उसकी आडिट हो रही है, मौके पर जमीनों पर काबिज है। आज भी वह लोग खेत बो रहे हैं। मगर ऐसे किसानों को उस जमीन से बेदखल करने की नीयत से एडीएम और आर.ए.ए. और फैसले देकर उनको किस तरह से हटाया जाए। मैं मांग करता हूं कि ऐसी सोसाइटियों में भी...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अब आप बैठो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक सज्जन और हैं। एक सदस्य और है जो बोलना चाहते हैं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट के मुक़दमे का हवाला दिया है, पटवार सर्कल और सब डिवीजन का कहा है मारवाड़ जंक्शन के अंदर, तो वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिलकुल उसी के अनुसार ही, नियमानुसार म्युटेशन भरा जाएगा। हम न्यायालय के आदेश का हमेशा सम्मान करते हैं। न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, अगर कोई नहीं करता है तो कंटेम्प्ट आफ कोर्ट चलता है, वह भी है। आपने सोसाइटी की जमीन के बारे में कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कृषि सोसाइटी आपके यहां ही नहीं है, हमारे बाड़मेर में भी दो-तीन ऐसी हैं। बंजारे लोगों की एक सोसाइटी बनी। उनके दादा बैठे हुए थे, वह दादा नहीं रहे। फिर उनके पिताजी, वह भी नहीं रहे। जो लोग लगातार बैठे हुए हैं उनके लिए नियमन का आदेश, नियमन कमेटी के आप भी मैम्बर हैं, चेयरमैन एसडीओ होता है, गांव का सरपंच होता है, प्रधान होता है, एक शिडयूल्ड कास्ट्स एक शिडयूल्ड ट्राइब्स का सदस्य होता है। इस प्रकार की कमेटी बनी हुई है। जो भूमिहीन आदमी है, जो काश्त कर रहे हैं...

श्री मदन राठौड़, (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप एक साथ जवाब दे देना।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ठीक। दे दिया न। मैं यही निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष: क्या हुआ? मंत्री महोदय, आप अपने आप में सक्षम हैं, इधर-उधर की बातों पर ध्यान न दीजिए। आपका पूरा उत्तर आने दीजिए। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें मंत्रीजी को।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मेरा यह निवेदन है कि नियमन की कमेटी बनी हुई है। हमने सभी क्लेक्टर्स को हमारे विभाग से पत्र भेज दिया है कि ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं और नियमन काबिल हैं, जो स्ट्रीप लैंड है, उसके बारे में भी निर्णय करें ताकि किसी प्रकार के विवाद राजस्व अभियानों में नहीं आए और वह अपने आपको खातेदार महसूस करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

श्री श्रीचन्द कृपलानी।

विधेयक पर पुनर्विचार

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक क अन्तर्गत लौटाये गये राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पुनर्विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 पर विचार प्रारम्भ हो रहा है। यह वह बिल है जिसको इसी सदन ने 7.4.2015 को पारित किया गया था। कान्करेंट सब्जैक्ट था, लिस्ट का विषय था, कई ऐसे अधिनियम, नियम थे, जो अन्य भारत सरकार के नियम थे, उनके कारण से इसको महामहिम राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 200 के तहत भेजा गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी प्रकार का एक प्रकरण राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 पुनर्विचार के लिए इसी सदन में आया था। यह भी कान्करेंट लिस्ट का सब्जैक्ट होने के कारण इनको महामहिम राज्यपाल महोदय के पास प्रस्तुत किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 200 के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय की कन्सल्ट के लिए भेजा।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने, चूंकि यह बाद में आब्जर्वेशन के लिये, भारत सरकार ने कुछ आब्जर्वेशंस किये, उन आब्जर्वेशंस के साथ, पुन: जब यह सदन में लौटाया गया, तब सदन में यह बहस चली थी कि इसको विचारार्थ लिये जाने पर इस पर विचार किया जाए, या इसको जैसे संशोधन के साथ मूव हुआ है, उसकी तरह पारित किया जाए।

मैं आपका ध्यान, उस समय अध्यक्षीय व्यवस्था, 09 अप्रैल, 2015 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम होगा कि कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की थी। उस समय मैंने भी यह बात कही थी। उस समय, उस बिल को, राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014 को जिस रूप में, संशोधित रूप में महामहिम राज्यपाल के आब्जर्वेशन के साथ यहां आया था, और प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया था, वह बिना बहस के पारित हुआ था। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि पहले भी इस प्रकार के प्रीसिडेंट हुए हैं, इस बिल को बिना बहस पारित करने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले जो बिल आपने पेश किया था, वह बिल्डर्स को लाभ देने के लिये उसमें जान-बूझकर लेकूना छोड़ा गया था। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसीलिये यह वापस लौटाया है कि आप जो बिल लाये थे, वह अधूरा था। उसके अन्दर आपकी मंशा ठीक नहीं थी। इसलिये आया है। इसलिये चर्चा का तो हक बनता है और चर्चा तो करेंगे। आज उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति ले करके हम चर्चा करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं हो सकती, इस सदन की परम्पराएं रही हैं। यह विधेयक एक बार सारी चर्चाओं के साथ पारित हो चुका। फर्स्ट स्टेज, सैकिण्ड स्टेज और थर्ड स्टेज में पारित हो गया। पारित होने के बाद में वे चीजें, जो संयुक्त सूची में थीं, उसके कारण से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कुछ संशोधन वहां से प्रस्तावित होकर आये। वे संशोधन यहां पर प्रस्तुत हुए हैं। तो केवल वे संशोधन माननीय मंत्री प्रस्तुत करेंगे और संशोधित रूप में यह बिल पास होगा। अब केवल वाचन की जो सैकिण्ड स्टेज है, उस पर तो इस पर कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, थर्ड स्टेज पर भी डिस्कशन का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि, वह सारे संशोधन, जो हमारे पास आ गये हैं, उनमें और अधिक संशोधन हम कर नहीं सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि जो पूर्व में व्यवस्थाएं दी गयी हैं, वे व्यवस्थाएं ठीक हैं। बाकी तो आसन की जो इच्छा हो, वैसा करें।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी को कुछ फर्माना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उस समय जो बात थी, उस समय मैंने यह कहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस आसन से जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि जब कभी भी इस प्रकार के विधेयक में, जो कानकरेंट लिस्ट में होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के यहां से आपत्ति आती है और उसके अनुसार जब भी संशोधन होता है तो चूंकि मूल विधेयक में लम्बी-चौड़ी बहस हो चुकी होती है, इसलिये यहां तो सिर्फ मूव करना होगा। माननीय प्रभारी मंत्री इसको मूव करेंगे। इस पर बहस नहीं होगी।

इस पर व्यवस्था आयी है। इस पर सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है। बहस कहां करा रहे हैं, बहस नहीं होगी। इस प्रकार की सदन की परम्परा नहीं है। इसलिये इसको सीधा पारित कराएं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज दोनों एक हो गये, व्यवस्था में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सही बात पर मैं इनके साथ हो जाता हूं। और जो मैं बात कहता हूं, उसमें तो साथ नहीं होते। इनकी आदत है कि सही पर साथ नहीं होते, और मैं सही में साथ हो जाता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कम से कम इस बिल के आने से आपके मतभेद तो दूर हुए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप अभी बोलेंगे?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): नहीं, इन्होंने आरोप लगाया, उसका जवाब दूंगा मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उस वक्त मंत्री नहीं थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी आपने आरोप लगाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं। जो बिल लाया गया था, उसकी मंशा पर सवाल उठाये हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी आपने आरोप लगाया कि बिल्डर्स को फायदा देने के लिये यह बिल ... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, बिलकुल सही लगाया है। जिस वक्त आप मंत्री नहीं थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपने पढ़ा है इसको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं पढ़कर ही आता हूं। आपसे ज्यादा पढ़कर आता हूं, मंत्री महोदय, आप कृपा करके, उस वक्त आप मंत्री नहीं बने थे। (व्यवधान) आप मंत्री थे ही नहीं उस वक्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उस समय सिर्फ आब्जर्वेशन यह था कि यह जो अमेंडमेंट बिल है, इसके साथ मूल बिल सर्कुलेट किया कि नहीं किया। इस बार, चेयर के आदेश से मूल बिल भी हमने समय पर सर्कुलेट कर दिया और जो अमेंडमेंट किये जाने थे, वे भी सर्कुलेट कर दिये। उस वक्त सिर्फ इतनी-सी आपत्ति थी कि मूल बिल भी इसके साथ आये, ताकि पता लग जाए कि क्या-क्या संशोधन हुए हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, एकाध ही हैं। (व्यवधान) मैं हूं न, मेरा नाम है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष: मोशन मूव कर दिया न, You have already moved the Motion? पुनर्विचारार्थ का तो कर दिया न?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): जी, हां।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को पुनर्विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुनर्विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-3, प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-3 में-

(i) विद्‌यमान उप-खण्ड (घ) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए;

(ii) विद्‌यमान उप-खण्ड (ड.) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 27" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 26" प्रतिस्थापित की जाए;

(iii) विद्‌यमान उप-खण्ड (च) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 14" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 13" प्रतिस्थापित की जाए;

(iv) विद्‌यमान उप-खण्ड (ठ) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 25" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 24" प्रतिस्थापित की जाए;

(v) विद्‌यमान उप-खण्ड (ड) हटाया जाए;

(vi) विद्‌यमान उप-खण्ड (ढ) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख", जहां कहीं भी आई हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए और विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 12" के स्थान पर अभिव्यक्ति 11" प्रतिस्थापित की जाए; और

(vii) विद्‌यमान उप-खण्ड (ढ) से (ब) को क्रमश: (ड) से (फ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के उप-खण्डों को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड-4 में-

(i) विद्यमान उप-खण्ड (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 6 में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, और" हटायी जाए;

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिनियम की धारा 6 में अन्यथा यथा-उपबंधित के सिवाय, और" हटायी जाए; और

(iii) विद्यमान उप-खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, वे स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-5, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विधेयक के खण्ड-5 के आरम्भ में आई विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 6 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए" हटायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-5 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-6, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विधेयक का विद्‌यमान खण्ड-6 हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-6 को विलोपित किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-6 विलोपित किया गया।

खण्ड-7, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विधेयक के खण्ड-7 में-

(i) विद्‌यमान खण्ड 7 को खण्ड 6 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए; और

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-7 को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-8, प्रभारी मंत्री।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ न कुछ बिल में है। आसन भी अटक रहा है और माननीय मंत्री महोदय भी अटक रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं कहां अटक रहा हूं? आप भटक रहे हो थोड़े से।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत क्लिष्ट भाषा का उपयोग हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पुनर्संख्यांकित क्लिष्ट नहीं है, साहब, पुनर्संख्यांकित क्लिष्ट नहीं है, पुनर्संख्यांकित का मतलब, संख्या बदल गयी।

श्री उपाध्यक्ष: जिनको संस्कृत का सम्पूर्ण ज्ञान है उनके लिए तो क्लिष्ट नहीं है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए सम्भव नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वैसे यह काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन न मंत्री पद दे रहे हो और न आसन दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री महोदय, खण्ड 8...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उनकी अगर मंशा होती न, तो लड़ाई नहीं कर सकते। एक रोटी के टुकड़े के लिए मरते हैं न, ...(व्यवधान). वह लड़ते नहीं है। हां, वह समझ लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह बात सही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): विधेयक के खण्ड 8 में-

(i) विद्यमान खण्ड 8 को खण्ड 7 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये; और

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (8) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 9" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 8" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 8 को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-9, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): खण्ड 9 में- विधेयक के विद्‌यमान खण्ड 9 को खण्ड 8 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-9 को पुनर्संख्यांकित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-9 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-10, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-10

विधेयक के विद्‌यमान खण्ड 10 को खण्ड 9 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-10 को पुनर्संख्यांकित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-10 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

अध्याय 3, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्याय-3

विधेयक के अध्याय 3 के विद्‌यमान शीर्षक में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "और घोषणा प्रस्तुत करना" हटायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अध्याय-3 के शीर्षक में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अध्याय-3 का शीर्षक संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

अध्याय-3 का शीर्षक संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-11, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-11-

(i) विद्‌यमान खण्ड 11 को खण्ड 10 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए;

(ii) विद्‌यमान उप-खण्ड (1) और (2) को हटाये जाएं;

(iii) विद्‌यमान उप-खण्ड (3) और (4) को क्रमश: उप-खण्ड (1) और (2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए और इस प्रकार यथा पुनर्संख्यांकित उप-खण्ड (1) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 12 के अधीन, अपार्टमेंट विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 11 के अधीन, अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए; और

(iv) इस प्रकार यथा पुनर्संख्यांकित विद्‌यमान उप-खण्ड (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 14" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 13" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-11 को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

अध्याय-4, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्याय-4-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

विधेयक के अध्याय 4 के विद्‌यमान शीर्षक में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अध्याय 4 के शीर्षक में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि अध्याय-4 का शीर्षक संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

अध्याय-4 का शीर्षक संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-12, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-12-

(i) विद्‌यमान खण्ड 12 को खण्ड 11 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए;

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए;

(iii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 13", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 12" प्रतिस्थापित की जाए; और

(iv) विद्‌यमान उप-खण्ड (6) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 27" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 26" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-12 को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

खण्ड-12 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-13, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-13-

विधेयक के खण्ड 13 में-

(i) विद्‌यमान खण्ड 13 को खण्ड 12 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए;

(ii) विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेख", जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेख" प्रतिस्थापित की जाए;

(iii) विद्‌यमान उप-खण्ड (2) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट विलेखों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपार्टमेंट अंतरण विलेखों" प्रतिस्थापित की जाए; और

(iv) विद्‌यमान उप-खण्ड (3) में, विद्‌यमान अभिव्यक्ति "धारा 12" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 11" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 13 को पुनर्संख्यांकित किये जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, वह स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-13 संशोधित रूप में स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-13 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-14, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 14-

विधेयक के विद्‌यमान खण्ड 14 को खण्ड 13 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 14 को पुनर्संख्यांकित किये जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-15, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 15 को खण्ड 14 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-15 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-15 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-16, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 16 को खण्ड 15 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 16 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-16 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-16 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-17, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 17 को खण्ड 16 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-17 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-17 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-17 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-18, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 18 को खण्ड 17 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-18 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-19, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 19 को खण्ड 18 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-19 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-19 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 19 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-20, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 20 को खण्ड 19 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-20 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-20 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-20 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-21, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 21 को खण्ड 20 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-21 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-21 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-21 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-22, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 22 को खण्ड 21 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-22 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड-22 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-22 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-23, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 22 को खण्ड 21 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 23 ही तो है, 22 नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं वही तो बोल रहा था, आपने 22 क्यों कहा?

विधेयक के विद्यमान खण्ड 23 को खण्ड 22 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-23 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 23 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-24, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड-24 को खण्ड 23 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 24 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-24 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-24 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-25, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 25 में, -

(i) विद्यमान खण्ड 25 को खण्ड 24 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए,

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट विलेख', जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट अंतरण विलेख' प्रतिस्थापित की जाए,

(iii) उप-खण्ड (2) के विद्यमान पैरा (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 7' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 6' प्रतिस्थापित की जाए,

(iv) विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 12', जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 11' प्रतिस्थापित की जाए, और

(v) उप-खण्ड (2) के विद्यमान पैरा (viii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 16' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 15' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-25 को पुनर्संख्यांकित किया जाने सहित, जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी बिना अनुमति के माननीय मंत्री महोदय ने पानी पी लिया।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, जल के लिए तो हमने अनुमति दी थी।

प्रश्न यह है कि खण्ड-25 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-25 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-26, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 26 को खण्ड 25 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-26 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-26 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-26 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-27, प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 27 को खण्ड में,-

(i) विद्यमान खण्ड 27 को खण्ड 26 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए, और

(ii) विद्यमान उप-खण्ड (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 12' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 11' प्रतिस्थापित की जाए और इसके अंत में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, हटायी जाए।" (व्यवधान)

विहित ही लिखा है। विहित ही तो बोला है। आप तो संस्कृत के ज्ञाता हो साहब। हम तो अनपढ़ आदमी हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में करवा लो न साहब। लंबा टाइम लगे तो अध्यक्षजी के चैम्बर में हो जाए। अध्यक्षजी के पास बुलवाकर मंत्रीजी से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जैसे यह क्रिकेट में रनर दूसरा लेते हैं, वैसे कोई दूसरा मंत्री नहीं पढ़ सकता क्या? थोड़ी दिक्कत तो हो रही है मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-27 को पुनर्संख्यांकित किया जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-27 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-27 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक में विद्यमान खण्ड 28 को खण्ड 27 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-28 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 28 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक में विद्यमान खण्ड 29 को खण्ड 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए, और विद्यमान उप खण्ड (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट विलेख' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट अंतरण विलेख' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-29 को पुनर्संख्यांकित किया जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-29 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 30 को खण्ड 29 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-30 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-30 संशेधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 30 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 31 को खण्ड 30 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-31 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-31 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 31 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आसन को जितनी बार उठक-बैठक करनी पड़ेगी, उसका जुर्माना यूडीएच को भरना पड़ेगा। आसन से इतनी उठक-बैठक किसी भी मंत्री ने आज तक नहीं करायी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी तो बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड-32

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 32 को खण्ड 31 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-32 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(स्वीकृत)

खण्ड-32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय विधेयक के विद्यमान खण्ड 33 को खण्ड 32 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-33 को पुनर्संख्यांकित किया जाने का जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-33 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-33 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 34 को खण्ड 33 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए, और

विद्यमान उप खण्ड (2) में:-

(क) विद्यमान पैरा (घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 8' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 7' प्रतिस्थापित की जाए,

(ख) विद्यमान पैरा (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:- '(ङ) वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा और धारा 11 की उप धारा (5) के अधीन अपार्टमेंट अंतरण विलेख पर पृष्ठांकन का प्ररूप और रीति',

(ग) विद्यमान पैरा (च) हटाया जाए,

(घ) विद्यमान पैरा (छ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट विलेखों' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'अपार्टमेंट अंतरण विलेखों' और विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 13 के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 12' प्रतिस्थापित की जाए,

(ङ) विद्यमान पैरा (ज) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 14' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 13' प्रतिस्थापित की जाए,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(च) विद्यमान पैरा (झ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 14' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 13' प्रतिस्थापित की जाए,

(छ) विद्यमान पैरा (ञ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 25' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 24' प्रतिस्थापित की जाए,

(ज) विद्यमान पैरा (ट) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 26' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 25' प्रतिस्थापित की जाए,

(झ) विद्यमान पैरा (ठ) हटाया जाए।

(ञ) विद्यमान पैरा (ड) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 27' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 26' प्रतिस्थापित की जाए,

(ट) विद्यमान पैरा (ढ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 27' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 26' प्रतिस्थापित की जाए,

(ठ) विद्यमान पैरा (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ड), (ढ), (ण), को क्रमश: पैरा (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) और (ड) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड 34 को पुनर्संख्यांकित किया जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-34 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के विद्यमान खण्ड 35 को खण्ड 34 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाए, और

इसी प्रकार यथा पुनर्संख्यांकित खण्ड 34 के उप खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति 'धारा 34' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'धारा 33' प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-35 को पुनर्संख्यांकित किया जाने सहित जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड-35 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015 संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.59 बजे, शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुरवाटी के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

208. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में वतर्मान में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कितने-कितने पद सृजित हैं व उनमें से कितने पद भरे हुए हैं तथा उन पर कौन-कौन कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? स्वास्थ्य केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 96 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त संस्थानों में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण करने वाले चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त तथा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने का प्रयास किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विषय संकायों में रिक्त पद

210. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कौन-कौनसे विश्वविद्यालयों में किन-किन विषयों के संकायों में कितने-कितने पद रिक्त हैं? विश्वविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों में विषयों के संकायों के पद रिक्त होने के कारण यू.जी.सी. द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों में रिक्त विषयों के संकायों को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है? यदि हां, तो इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों में कौन-कौनसे संकाय समाप्त होना प्रस्तावित हैं? सरकार द्वारा उक्त संकायों को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 18 विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों/संकायों में प्रोफेसर के 248, एसोसिएट प्रोफेसर के 473 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 842 पद रिक्त हैं। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है)

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में भूमि अवाप्ति के लम्बित प्रकरणों को निरस्त करने की कार्यवाही

212. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 2013 लागू है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के हर जिले में ऐसे अनेक प्रकरण लम्बित हैं, जिनमें 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व अवाप्ति की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी आज तक खातेदार को न भुगतान हुआ, न कब्जा लिया गया और न ही कोई रैफरेन्स किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने प्रकरण हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के काश्तकार की ऐसी भूमि की अवाप्ति को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों व हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 दिनांक 01.01.2014 से लागू है। जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर सलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य में कुल 5 प्रकरण लम्बित हैं, जिनकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 में प्रावधान है, जिसके अनुसार कार्यवाही हेतु परिपत्र दिनांक 11.03.2014 जारी है, जो परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के दूधालेश्वर महादेव मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की योजना

213. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री शंकरसिंह रावत)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में दूधालेश्वर महादेव मंदिर काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं? क्या सरकार उक्त स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में टाटगढ़ अभयारण्य (वन क्षेत्र) में दूधालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जो पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। पर्यटकों की आवाजाही से स्थल स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

तिजारा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

214. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा की ग्राम पंचायत साहडोद, आलमपुर, साथलका, मिलकपुर गुर्जर व खिजुरीवास जो अब नगर परिषद भिवाड़ी क्षेत्र में सम्मिलित हैं, के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने का निर्णय लिया गया था। ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा राजस्व ग्राम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2014-15 की घोषणा में प्रदेश की समस्त ग्राम

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय में नगर परिषद् क्षेत्र के विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने का कोई भी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश की तर्ज पर सशक्त लोकायुक्त

215. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये गत चार वर्षो में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में उत्तराखण्ड या मध्यप्रदेश की तर्ज पर सशक्त लोकायुक्त लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, ईमानदार एवं भ्रष्टाचार रहित बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये-

1. सभी विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22-03-2017 को विभिन्न विभागों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है, आदेश परिशिष्ट-अ संलग्न है।
2. प्रत्येक विभाग के बाहर सूचना पट्ट प्रदशित किये गये हैं जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त को फोन/शिकायत कर सकते हैं।
3. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा इन चार वर्षो में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाये जाने वाले प्रत्येक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की है गत चार वर्षो (वर्ष 2014 से 2017 तक) में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 1695 प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं।

उक्त प्रकरणों में से कुल 664 प्रकरणों में चालान एवं 87 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, शेष 944 प्रकरण अनुसंधान की विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं।

(कार्मिक मंत्री)

(2) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत राजस्थान में लोकायुक्त का गठन किया गया है। केन्द्रीय लोकपाल अधिनियम, 2013 की भावनानुसार राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाओं पर कार्यवाही

216. श्री रमेश (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक गौ तस्करी की कितनी घटनाएं हुयीं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में उक्त अवधि में गौ तस्करों एवं पुलिस के बीच कई बार मुठभेड़ भी हुई है? यदि हां, तो कब-कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में गौ तस्करों एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ में किसी की मृत्यु भी हुई है? यदि हां, तो किस-किस की व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि गत एक वर्ष में उक्त घटनाओं में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक गौ तस्करी की घटनाओं के 676 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 1307 गौतस्करों को गिरफ्तार किया जाकर 9595 गौवंश बरामद किया गया है। उक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ के पृष्ठ संख्या 1 व 2 पर अंकित है।

(2) यह सही है कि राज्य में गौ तस्करों एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। विगत दो वर्षों में हुई मुठभेड़ की घटनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 की अवधि में गौ तस्करों एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ में केवल एक गौतस्कर तालिम पुत्र शरीफ मेव निवासी

(गृह मंत्री)

सालाहेडी थाना नूँह जिला मेवात (हरियाणा) की दिनांक 07-12-2017 को जिला अलवर में अरावली विहार थाने के क्षेत्र में मृत्यु हुई है।

(4) यह सही नहीं है। वर्ष 2016 में गौ तस्करी की घटनाओं के 350 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं जबकि वर्ष 2017 में 326 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्ष 2016 में मुठभेड़ की 11 घटनाऐं हुई थीं जबकि वर्ष 2017 में मुठभेड़ की 7 घटनाएं हुई हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ के गांवों को मगरा विकास योजना में सम्मिलित करने की योजना

217. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लगभग 85 गांव घाटा क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण पिछड़े हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के निर्देश पर जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त गांवों का सर्वे कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट में इन्हें 'मगरा विकास योजना' में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की गयी है? यदि हां, तो उक्त सर्वे कब एवं किस संस्था द्वारा किया गया? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर घाटा क्षेत्र के उक्त गांवों को मगरा विकास योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की 8 ग्राम पंचायतों के 83 गांव (ग्राम पंचायत अमरपुरा के 20, सादी के 4, अभयपुर के 14, पाल के 7, केलझर के 14, उदपुरा के 14, विजयपुर के 9 एवं नेतावलगढ पाछली का 1 गांव) घाटा क्षेत्र में अवस्थित हैं। ग्राम पंचायतवार गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी हां। जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त गांवों का मई, 2016 में विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से सर्वे कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2017 18 में मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट में से 1 प्रतिशत राशि प्रशासनिक मद के रूप में व्यय करने की सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। इस राशि का विस्तृत सर्वे, क्रिटिकल गैप्स चिन्हीकरण, तृतीय पक्ष मूल्यांकन इत्यादि हेतु उपयोग किया जाएगा। नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिलों द्वारा सर्वे कराने के बाद राज्य सरकार को प्रेषित प्रस्तावों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोकरण में ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

218. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ट्रोमा सेन्टर खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 एवं 15 के मध्य होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर पोकरण में ट्रोमा सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि, हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड अनुसार ट्रोमा सेन्टर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर स्थित होना चाहिए तथा दो ट्रोमा सेन्टर के मध्य न्यूनतम 100 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोकरण में निर्धारित मापदण्डों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ट्रोमा सेन्टर खोलने पर विचार किया जाएगा।

प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान के तहत हुए उद्योगों की स्थापना

219. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में रिसर्जेन्ट राजस्थान के तहत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कितने एम.ओ.यू. हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(2) उक्त हुए एम.ओ.यू. में से किन-किन निवेशकों ने अब तक प्रदेश में उद्योग स्थापित किये एवं उनमें कितनी राशि का निवेश हुआ तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला? इकाईवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिसर्जेंट राजस्थान सम्मिट-2015 के तहत 470 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त एमओयूज में से रुपये 11845.76 करोड़ के 62 निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन पूर्ण होकर स्थापित हो चुके हैं जिनसे लगभग 40,567 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 119 एमओयूज में क्रियान्वयन की प्रकिया जारी है जिनसे रु. 190691.99 करोड का निवेश एवं 63250 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। स्थापित उद्योयोगों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीदासर (सुजानगढ़) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

220. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार बीदासर में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सुजानगढ़ उपखण्ड पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बीदासर में निजी क्षेत्र में श्रीमती परमेश्वरी देवी महाविद्यालय संचालित है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर बीदासर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में सुजानगढ में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का 01 महाविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में 10 महाविद्यालय संचालित हैं, इनमें से 02 कन्या महाविद्यालय हैं।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर सुजानगढ़ उपखण्ड में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

बिलाड़ा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी

221. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) द्वारा बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में युवाओं को विभिन्न योजनान्तर्गत प्रशिक्षित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस संस्थान के माध्यम से किन-किन युवाओं को कब-कब प्रशिक्षित किया गया? वर्षवार, संस्थानवार, ट्रेडवार, योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षित युवाओं में से कई प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन युवाओं को कब-कब किस-किस प्रकार के स्वरोजगार उपलब्ध करवाये गये व नहीं, तो क्यों? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षित युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन युवाओं को कब-कब किस-किस प्रकार से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) द्वारा विगत तीन वर्षों क्रमशः 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) के अंतर्गत कुल 464 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा वर्तमान में 50 युवा प्रशिक्षणाधीन हैं। वर्षवार, संस्थानवार, ट्रेडवार, योजनावार प्रशिक्षित किये गये युवाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त 464 युवाओं को ELSTP योजनान्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया है। इस योजनान्तर्गत प्रशिक्षण पश्चात् वैतनिक रोजगार के अवसर

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण प्राप्त 464 युवाओं में से 128 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। रोजगार प्राप्त युवाओं की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभान्वित कराने का प्रावधान योजना में निहित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोमावाली (श्रीविजयनगर) को खसराबंदी से मुरब्बाबन्दी में सम्मिलित करने की योजना

222. श्रीमती सोना देवी (रायसिंहनगर): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले की तहसील श्रीविजयनगर का गोमावाली बारानी गांव आज भी खसराबंदी में ही सम्मिलित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को मुरब्बाबन्दी में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि तहसील विजयनगर का गोमावाली बारानी गांव आज भी खसरों में है। दिनांक 20.12.2016 को एल आर एक्ट की धारा 106 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अत: जिले में चकबंदी का कार्य धारा 106 का कार्य पूर्ण होने के बाद ही करवाया जाना सम्भव होगा। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में धरोहर संरक्षण की योजनाएं

223. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश कला एवं संस्कृति की धरोहर रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा जालौर जिले सहित प्रदेश में कला, संस्कृति के बढ़ावे और धरोहर संरक्षण के लिये कौन-कौन सी योजनाएं, कब से लागू की गयी हैं व उनमें से कौन-कौनसी क्रियान्वित हो गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि प्रदेश कला एवं संस्कृति की धरोहर है।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा जालौर जिले सहित प्रदेश में स्थित संरक्षित स्मारकों पर स्वीकृति अनुसार संरक्षण, जीर्णोधार विकास के कार्य समय-समय पर उपलब्ध बजट अनुसार करवाये जा रहे हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

जवाहर कला केन्द्र द्वारा जालौर जिले के लोक कलाओं यथा गैर, सकूर लोक नृत्य, के साथ-साथ मारवाड़ के लंगा, मांगरिणयार जांगडा-गायिकी, कालबेलिया, रम्मत, अग्निनृत्य, कुचामनी ख्याल, लोक-नृत्य मेवाड़ के आदिवासी गैरासिया, कथौड़ी, डांगड़ी, गवरी, लोक कलाएं ढूंढाड़ के लोकगायन घूमर, चरी, कालबेलिया अलगोजा, लोकनृत्य, मेवात के भंपग, खारी पन्डून का कड़ा, बमरसिया शेखावाटी के गीदड, चंग, चिड़ावी ख्याल, हाड़ोती के चकरी, सहरिया, तेजाजी, ब्रज के ब्रज-होरी, हेला ख्याल, नौटंकी, कन्हैया दंगल, पदगायन के लोक कलाकारों एवं कलारूपों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मंच उपलब्ध करवाया जाता रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रदेश की कला, संस्कृति एवं धरोहर को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिल्प मेलों एवं लोक-उत्सवों के अवसर पर लोक कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न कला रूपों के आडियो-विडियो प्रलेखन के माध्यम से संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिये जाने की दिशा में सतत् प्रयासरत है।

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर द्वारा प्रकाशित राजस्थानी भाषा की जागती जोत में जालौर जिले सहित प्रदेशभर के रचनाकारों द्वारा भी अपनी रचनाएं प्रकाशन हेतु भिजवाई जाती हैं। जागती जोत के मार्च एवं अगस्त अंक में जालौर निवासी लेखक श्री मीठालाल खत्री की रचना प्रकाशित हुई है।

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा समस्त प्रदेश में सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी संस्थाओं के माध्यम से संगीत, गायन, नृत्य नाटक आदि के कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित करती है। जिसमें प्रदेशभर के समस्त विधाओं के कलाकारों को मंच प्रदान करती है।

गत 60 वर्षों से संगीत, नृत्य एवं नाटक की योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है।

(राज्य मंत्री, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व)

भारतीय लोक कला मण्डल 1952 से ही कला व संस्कृति एवं कलाकारों को प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रदेश की कलाएं देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी कलाओं के द्वारा ख्याति निरन्तर अर्जित कर रही है।

जयपुर कथक केन्द्र द्वारा जयपुर घराने के शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्र द्वारा कथक नृत्य के उत्थान के लिये कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा और धरोहर संरक्षण के लिए कला, साहित्य, पर्यटन, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के स्तर पर प्रदत्त योजना में कार्य किये जा रहे हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्थाओं/ कलाकारों को समय-समय पर अनुदान दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना

224. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्तमान में आवश्यकतानुसार नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कहां- कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के खण्ड सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में ऐसे कितने स्थानों का चयन किया गया है, जहां नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में चयनित एवं बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

219. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में चयनित एवं बी.पी.एल. परिवारों को कितने विद्युत कनेक्शन किस-किस योजना के तहत जारी किये गये हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने कनेक्शन वर्तमान में चालू हैं एवं कितने कनेक्शन किस कारण से काट दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चयनित एवं बी.पी.एल. परिवारों के काटे गये विद्युत कनेक्शनों को पुन: जोड़कर नि:शुल्क बिजली देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत चार वर्षों में चयनित बी.पी.एल. परिवारों को जारी किये गये घरेलू विद्युत कनेक्शनों का जिलेवार व योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में उक्त बी.पी.एल. विद्युत कनेक्शनों में चालू एवं बकाया राशि होने के कारण विच्छेदित विद्युत कनेक्शनों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। चयनित बी.पी.एल. परिवारों के कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को पुन: जोड़ने के लिए उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि व अन्य औपचारिकताएं (कनेक्शन कटने की दिनांक से 2 वर्ष के अन्दर) पूर्ण करने पर कनेक्शन पुन: चालू कर दिया जाता है। विद्युत वितरण निगमों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं यथा 50 यूनिट प्रति माह उपभोग पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है व उससे ऊपर उपभोग पर भी राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित अनुदानित दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, जो उचित है। अत: नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद में सड़क के बीच लगे विद्युत पोलों को हटाने की योजना

220. श्री गोरधन (धोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में सड़कों के पास या बीच रास्ते में बिजली के पोल लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोलों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में व रास्तों पर बिजली के तार झूल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनको दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा सामान्यतया सड़क या रास्ते के बीच में विद्युत पोल खड़ा नहीं किया गया है/ जाता है। गौरव पथ के निर्माण, सड़क के नवीनीकरण या रास्ता चौड़ा करने में यदि कोई विद्युत पोल या लाइन रास्ते के मध्य में आ जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा आवेदन करने पर तथा नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में गांवों एवं रास्तों में ढीले तारों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत सही किये जाने का कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

झुन्झुनूं जिले में जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतें

221. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या जन अभाव अभियोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि वर्ष 2017 के नवम्बर व दिसम्बर माह में मुख्य मंत्री द्वारा झुंझुनूं जिले में विधान सभा क्षेत्रवार जन संवाद कार्यक्रम रखा गया था? यदि हां, तो क्या जनसंवाद के दौरान शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं? यदि हां, तो विभागवार प्राप्त शिकायतें एवं उन पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी तथा लम्बित शिकायतों के निस्तारण के लिए की जा रही कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नवम्बर-दिसम्बर, 2017 में मुख्य मंत्री द्वारा झुन्झुनूं जिले के जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जिले के 57 विभिन्न विभागों/कार्यालय की 677 लिखित तथा 182 मौखिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिसकी संख्या का विभागवार लिखित में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ठ-ए पर तथा मैाखिक की गयी शिकायतों का विवरण परिशिष्ठ-बी पर संलग्न है।

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए सभी विभागों/जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ दिनांक 15/12/2017, 23/12/2017, 24/12/2017, 25/12/2017, 29/12/2017, 09/01/2018, 29/01/2018, 02/02/2018 को समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर इनके निस्तारण की कार्यवाही की गयी। जिनमें से 308 लिखित तथा 110 मौखिक शिकायतों का निस्तारण आदिनांक तक किया जा चुका है। प्राप्त शिकायतों में से 110 लिखित शिकायतें निस्तारण होने योग्य नहीं हैं, शेष 186 लिखित शिकायतें पालीसी मेटर्स (लम्बी अवधि) से सम्बन्धित हैं। मौखिक 15 शिकायते निस्तारण योग्य नहीं हैं, शेष 57 शिकायतों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा रही है। लम्बित शिकायतों के निस्तारण के लिए समय-समय पर जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित कर इनके निस्तारण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर (उदयपुर) में कारागृह स्थानान्तरित करने की योजना

222. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगरपालिका क्षेत्र सलूम्बर में स्थापित कारागृह को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

नगरपालिका क्षेत्र सलूम्बर में स्थापित उप कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सहाड़ा में फसल खराबे का मुआवजा

223. डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा, रायपुर, हमीरगढ़ व

(डा. बालू राम चौधरी)

भीलवाड़ा में फसल खराबे का वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कितना-कितना मुआवजा किसानों को दिया गया? तहसीलवार, फसलवार, कृषकवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील सहाड़ा में फसल खराबे से प्रभावित किसानों को दिये गये कृषि आदान अनुदान का वर्षवार, तहसीलवार, फसलवार व कृषकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	तहसील	फसल	कृषकों की संख्या	राशि (लाखों में)
2014-15	सहाड़ा	रबी	697	15.33
2015-16	सहाड़ा	खरीफ	41223	1424.82
2016-17	सहाड़ा	-	0	0
2017-18	सहाड़ा	-	0	0

प्रदेश में पोक्सो एक्ट के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

224. श्री रमेश (सपोटरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बच्चों के विरुद्ध किये गये अपराधों में पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज लम्बित प्रकरणों के मामलों में प्रदेश देश में तीसरे नम्बर पर आ गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार की इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों में बाल अपराधों के लिये विशेष अदालतों की स्थापना करने की योजना है? यदि हां, तो अब तक कितने जिलों में ऐसी अदालतों की स्थापना की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार अब कब तक उक्त लम्बित प्रकरणों का निपटारा करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एनसीआरबी रिपोर्ट वर्ष 2016 के अनुसार बच्चों के विरुद्ध किये गये अपराधों में पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों के मामले में वे सात राज्य जिनकी जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक है, में राजस्थान की रैंक छठी है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) राज्य के समस्त जिलों में बाल न्यायालय संचालित हैं। पोक्सो एक्ट के तहत विशेष अदालतों की स्थापना विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.2(5)न्याय/2012 दिनांक 28-01-2013 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर (जिला) व जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधपुर (जिला) को क्रमश: जयपुर व जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के जिला एवं सैशन न्यायाधीशों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) पोक्सों एक्ट के तहत राज्य में दिनांक 01-01-2018 तक कुल 262 लम्बित प्रकरण हैं जिनके शीघ्र निस्तारण हेतु प्रयास जारी हैं। लम्बित प्रकरणों का जिलेवार/वर्षवार (2014 से 2017 तक) विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति गलियाकोट (डूंगरपुर) का भवन निर्माण

225. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार डूंगरपुर जिले की नवसृजित पंचायत समिति मुख्यालय गलियाकोट का भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंचायत समिति के भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति गलियाकोट के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नव सृजित पंचायत समिति भवन का माडल मानचित्र निर्धारित किया जा चुका है। विभागीय पत्र क्रमांक 2212 दिनांक 16.11.2015 द्वारा नव सृजित पंचायत समितियों के कार्यालय भवन निर्माण की राशि रुपये 2.00

(पंचायती राज मंत्री)

करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में राशि रुपये 100.00 लाख पंचायत समिति के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

भूमि का आबंटन होने के उपरान्त कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

(2) जी नहीं। नव सृजित पंचायत समिति गलियाकोट के कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मारवाड़ जंक्शन में शौचालय निर्माण की बकाया राशि का भुगतान

226. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शौचालय निर्माण के लिये बेसलाइन सर्वे किया गया था? यदि हां, तो पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में किये गये सर्वे की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के बेसलाइन सर्वे के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों के शौचालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नही, तो किन-किन व्यक्तियों का किस-किस पंचायत में भुगतान बकाया चल रहा है? क्या सरकार बकाया का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उन लोगों को भी भुगतान करने का विचार रखती है, जिनका नाम बेसलाइन सर्वे में नहीं था किन्तु उनके द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य कर लिया गया है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में बेसलाइन सर्वे किया है जिसका विवरण ग्राम पंचायत वार परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। (ग्राम पंचायत- सवराड़, सारण, राणावास, रड़ावास, सेहवाज, शेखावास, सिनला, सिरियारी, वौपारी, फुलाद, पांचेटिया, निम्बली माण्डा, मुसालिया, मारवाड़ जंक्शन, माण्डा,

(पंचायती राज मंत्री)

मलसाबावड़ी, खारची, कराड़ी, कन्टालिया, जोजावर, झिझांर्डी, जाणुन्दा, जाडन खालसा, ईसाली, हिंगोला खुर्द, हेमलियावास खुर्द, गुड़ा सुरसिंह, गुड़ा रामसिंह, गुड़ा केसरसिंह, गादाणा, दुदौड़, धुंधला, धनला, धामली, देवली आउवा, चौकडिया, चिरपटिया, चचाडिया, बोरनड़ी, बोरीमादा, भिमालिया, बिठूडा कलां, भगोडा, बांता, बासनी जोजावर, बारसा, बांसौर, आउवा)।

(2) जी हां। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में बेसलाईन सर्वे के अनुसार पात्र व्यक्तियों के शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुके हैं एवं लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जिन लाभार्थियों का भुगतान बकाया है उनकी सूची पंचायतवार परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सरकार उन लोगों को भुगतान का विचार नहीं रखती जिनका नाम बेसलाइन सर्वे में नहीं था। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर इस प्रकार के शौचालय निर्माण का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज के अधीन पांच विभागों में स्थानान्तरण व प्रतिनियुक्ति के नियम

227. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पांच विभाग पंचायती राज के अधीन रखे गये थे? यदि हां, तो उक्त विभागों में स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति के क्या नियम व मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को इस संबंध में प्राप्त अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इन पांच विभागों में स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति के संबंध में जारी आज्ञा दिनांक 02.10.2010 की छाया प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत के गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

228. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से जिला मुख्यालय व उपखण्ड मुख्यालयों तक आवागमन हेतु नरेगा योजना के तहत मिसिंग लिंक व कनेक्टिंग सड़कों का कच्चा निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सोजत में ऐसी कितनी सड़कें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार झूंठा से हरिपुर, शिवपुरा से पाचवां कला, हरयामाली ग्राम से गुडागंरी, खारीया सोड़ा से ममलाई नाडी, चण्डावल से देवली कल्ला व कुशालपुरा से सादों की प्याऊ व छितरिया से देवली व धंधेड़ी से रामासनी बाला ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सुरायता ग्राम से जाडन तक की सड़क को प्रधान मंत्री सड़क योजना में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत में पंचायत समिति सोजत में 669 तथा रायपुर में 83 ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत डामर सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है। चण्डावल से देवली कला डामर सड़क बनी हुई है, शेष सभी सड़कें मिसिंग लिंक कैटेगरी की क्षतिग्रस्त ग्रेवल सड़क है, उक्त सड़क पर डामरीकरण कार्य राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की लम्बाई 10 किमी है। जाड़न (2989) व सुरायता (2833) दोनों ग्राम अलग-अलग डामर सड़कों से जुड़े हुए हैं। अत: प्रधान मंत्री सड़क योजना के नोर्म्स में नहीं आता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चिकित्सकों की नियुक्ति

229. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रारम्भ से लेकर अब तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करवायी गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उपलब्ध करवायी गयी राशि में से राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मिशन के तहत अब तक कितने ऐलोपैथी व आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये चिकित्सकों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर अब तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर 2017 तक केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर अब तक 104 ऐलोपैथी चिकित्सक एवं 2037 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दी गयी है। जिलेवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किये गये चिकित्सकों का संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतिरिक्त निदेशक (आयुर्वेद) की नियम विरुद्ध पदोन्नति

230. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) का प्रथमत: किस पद पर एवं आर.पी.एस.सी. उत्तीर्ण करने के पश्चात् कब-कब एवं किस-किस पद पर पदस्थापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूलसिंह मीणा)

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद में नर्सिंग शिक्षक होने के बाद भी उक्त अधिकारी को सरप्लस होने के पश्चात् जिला आयुर्वेद अधिकारी के समकक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कब एवं किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नियमानुसार आयुर्वेद शिक्षक, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को एक से दूसरे कैडर में नियुक्ति या पदोन्नति नहीं दी जा सकती? यदि हां, तो वर्तमान अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) को तत्समय किस आधार पर जिला आयुर्वेद अधिकारी के समकक्ष पद पर पदस्थापन दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अधिकारी को जिला आयुर्वेद अधिकारी के समकक्ष पद पर पदस्थापन के पश्चात् उसकी वरिष्ठता किस आधार पर निर्धारित की गयी एवं वर्तमान में उक्त अधिकारी की वरिष्ठता क्या किस आधार पर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को जिला आयुर्वेद अधिकारी के समकक्ष पद पर नियुक्ति से काफी वर्षों पूर्व कार्यरत चिकित्सकों एवं आर.पी.एस.सी. उत्तीर्ण चिकित्सकों को, जो उक्त चिकित्सक से वरिष्ठ थे, को वरिष्ठता में नीचे कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियम के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त अधिकारी की नियम विरुद्ध उपरोक्त पदोन्नति को निरस्त कर पुन: नर्सिंग शिक्षक की वरिष्ठता के आधार पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान अतिरिक्त निदेशक (मुख्यालय) की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर में वरिष्ठाध्यापक पूर्व आयुर्वेद (विज्ञान) विषय के पद पर दिनांक 12.05.1994 को हुई थी। आदेश की प्रति संलग्न है। इसके पश्चात संस्कृत शिक्षा विभाग से आयुर्वेद विषय हटा देने के कारण श्री आनन्द कुमार शर्मा संस्कृत शिक्षा विभाग से अधिशेष हो गये और इनका समायोजन आयुर्वेद विभाग में विवेचक के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक प.1

(आयुर्वेद मंत्री)

(9)सा.प्र./3/95 दिनांक 09.01.1996 द्वारा अन्तर्लयन किये जाने पर राज्याज्ञा क्रमांक प.10(20)आयु./95 दिनांक 08.03.1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गयी। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-क पर सलंग्न है।

इसके पश्चात राज्याज्ञा क्रमांक प.10(123) आयु./99 दिनांक 01.07.2002 के द्वारा प्राध्यापक पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गयी। इसके पश्चात राज्याज्ञा क्रमांक प.10(123) आयु./99 दिनांक 15.10.2005 द्वारा प्राचार्य नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के पद पर पदोन्नत किया गया। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि श्री शर्मा की आयुर्वेद विभाग में प्रथम नियुक्ति समायोजन के द्वारा तथा अन्य पदों पर नियुक्ति विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पदोन्नति द्वारा हुई है।

(2) जी हां। यह सही है कि विभाग में प्राचार्य नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र के दो पद क्रमश: अजमेर व जोधपुर में सृजित थे। इनमें से प्राचार्य आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर का पद राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर को हस्तानान्तरित होने के फलस्वरूप इस पद पर पदस्थापित श्री आनन्द कुमार शर्मा को अधिशेष होने के कारण राज्यादेश क्रमांक प.10(10) आयु./2013 दिनांक 09.07.2014 के द्वारा वेतनमान, कार्य प्रकृति तथा योग्यता के आधार पर समतुल्य/समानित पद जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायनशाला पद समायोजित किया गया। यह समायोजन राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के शिड्यूल क्रमांक प.14(सां.प्र.)/03/78 दिनांक 20.05.1978 के बिन्दु सं.-5 अनुसार किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट ग पर संलग्न है।

(3) हां। यह सही है कि नियमानुसार आयुर्वेद शिक्षक, चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ को एक कैडर से दूसरे कैडर में नियुक्ति या पदोन्नति नहीं दी जा सकती। किन्तु अधिशेष होने पर राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के शिड्यूल क्रमांक प.14(सां.प्र.)/03/78 दिनांक 20.05.1978 के बिन्दु सं.-5 अनुसार अधिशेष कार्मिक का सबसे पहले समायोजन उसी विभाग में समकक्ष पद पर किये जाने का प्रावधान होने के कारण समकक्ष पद पर समायोजन कर पदस्थापित किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(4) उक्त अधिकारी का जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायनशाला पद पर समायोजन दिनांक 09.07.2014 को किया गया है। अधिशेष कार्मिक की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम, 1969 के नियम-15 में स्पष्ट प्रावधान वर्णित है। जिसके अनुसार अधिशेष कार्मिक की वरिष्ठता समायोजित पद पर कनिष्ठतम व्यक्ति के बाद जोड़े जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायनशाला पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारी दिनांक 01.04.2017 से पूर्व राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण आयुर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक 22191 दिनांक 26.12.2017 द्वारा 01.04.2017 को जारी होने वाली अस्थायी वरिष्ठता सूची में श्री आनन्द कुमार शर्मा का नाम वर्ष 2014-15 में समायोजित होने के कारण प्रथम स्थान पद दर्शाया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-च पर संलग्न है।

(5) श्री आनन्द कुमार शर्मा आयुर्वेद चिकित्सक पद पर पदस्थापित न होकर प्राचार्य नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदस्थापित थे। प्राचार्य का पद विभागान्तर्गत अधिशेष होने के कारण श्री शर्मा को वर्ष 2014-15 में जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी रसायनशाला पद पर समायोजित किया गया है। अत: श्री शर्मा की वरिष्ठता का निर्धारण समायोजन उपरान्त समायोजित पद की वरिष्ठता के आधार पर किया गया है।

(6) संबंधित अधिकारी की इस पद पर पदोन्नति नहीं हुई है अपितु समायोजन किया गया है। प्राचार्य पद विभाग में अधिशेष होने के कारण इनका समायोजन नियमानुसार हुआ है। अत: नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में प्राचार्य पद नहीं होने के कारण पुन: नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जायल के आयुर्वेद चिकित्सालयों में रिक्त पद

231. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में आयुर्वेद चिकित्सालय किस-किस गांव/पंचायत समिति में स्थित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. मंजू बाघमार)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों में किस-किस पद पर कौन-कौन चिकित्सक/कार्मिक पदस्थापित है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालयों में चिकित्सक/कार्मिकों के कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल, नागौर में कोई भी आयुर्वेद चिकित्सालय संचालित नहीं है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 12 राजकीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल, नागौर में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत चिकित्सक/स्टाफ का नाम सहित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल, नागौर में संचालित राजकीय आयुर्वेद औषधालयों में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ में खादी ग्रामोद्योग के नवीन भवन का निर्माण

232. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिले में रीको औद्योगिक क्षेत्र है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर उपखण्ड पर उद्योगों को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ में नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। हनुमानगढ़ जिले में 8 रीको औद्योगिक क्षेत्र निम्नानुसार स्थित हैं:-

1. हनुमानगढ़ प्रथम चरण (हस्ता.)
2. हनुमानगढ़ द्वितीय चरण (हस्ता.)
3. नोहर
4. पीलीबंगा (हस्ता.)
5. संगरिया (हस्ता.)
6. संगरिया द्वितीय चरण
7. भादरा (हस्ता.)
8. रावतसर (हस्ता.)

(2) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य में (जिसमें पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र रावताय उपखण्ड स्वत: ही शामिल है) उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि उद्यम सहयोगी नीतियों के माध्यम से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है ताकि राज्य में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित कर उद्योग स्थापित हो सके।

सम्पूर्ण राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 एवं एम.एस.एम.ई. सहायता योजना-2015 जारी की गयी है।

उद्यमियों को इन योजनाओं में पात्रता के आधार पर सहायता/ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(3) हनुमानगढ़ जिले में रीको क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग के लिए भवन निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजकीय महाविद्यालय कपासन व मण्डपिया में रिक्त पदों को भरने की योजना

233. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय कपासन व मण्डपिया में कितने पद किस-

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोनों महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय महाविद्यालय, कपासन व राजकीय महाविद्यालय, मण्डपिया में श्रेणीवार स्वीकृत, रिक्त, कार्यरत व कब से रिक्त हैं, का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(2) नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में नवीन विषय खोलने की योजना

234. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में वर्तमान में छात्रों को किन-किन विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में अन्य विषयों का भी अध्ययन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

बाड़ी में संचालित राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों को कला संकाय में अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृत व उर्दू विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है।

उक्त विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों को पढ़ाये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

235. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितने राजकीय महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(मास्टर मामन सिंह यादव)

(2) उक्त महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में 11 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। नवम्बर, 2017 में 01 नवीन राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।

बजट घोषणा वर्ष 2018-19 में बासकृपाल नगर (किशनगढ़बास) में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी है। अलवर जिले में कुल 13 राजकीय महाविद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अराजपत्रित वर्ग के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा शैक्षणिक वर्ग के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने की योजना

236. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी कितनी-कितनी निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में कब-कब व कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए न्यूनतम

(डा. किरोड़ी लाल)

मजदूरी में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.07.2017 को अधिसूचना जारी कर दिनांक 01.01.2017 से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कामगार हेतु निम्नानुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है-

श्रेणी कामगार	दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन रुपये	दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह रुपये
अकुशल	207	5382
अर्द्धकुशल	217	5642
कुशल	227	5902
उच्च कुशल	277	7202

(2) वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक न्यूनतम मजदूरी में निम्नानुसार बढ़ोतरी की गयी है-

वर्ष	श्रेणी कामगार	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी रुपये	प्रतिमाह मजदूरी रुपये	न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन की गई बढ़ोतरी रुपये
2013 प्रभावी दिनांक 1.1.2013	अकुशल अर्द्धकुशल कुशल उच्च कुशल	166 176 186 236	4316 4576 4836 6136	19 रुपये
2014 प्रभावी दिनांक 1.1.2014	अकुशल अर्द्धकुशल कुशल उच्च कुशल	189 199 209 259	4914 5174 5434 6734	23 रुपये
2015 प्रभावी दिनांक 1.1.2015	अकुशल अर्द्धकुशल कुशल उच्च कुशल	197 207 217 267	5122 5382 5642 6942	8 रुपये

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

वर्ष	श्रेणी कामगार	प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी रुपये	प्रतिमाह मजदूरी रुपये	न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन की गई बढ़ोतरी रुपये
2016 प्रभावी दिनांक 1.1.2016	अकुशल	201	5226	4 रुपये
	अर्द्धकुशल	211	5486	
	कुशल	221	5746	
	उच्च कुशल	271	7046	
2017 प्रभावी दिनांक 1.1.2017	अकुशल	207	5382	6 रुपये
	अर्द्धकुशल	217	5642	
	कुशल	227	5902	
	उच्च कुशल	277	7202	

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2018 से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने के आशय की अधिसूचना दिनांक 16.01.2018 को जारी कर अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कामगार की न्यूनतम मजदूरी क्रमश: प्रतिदिन रुपये 213 (5538/- प्रतिमाह), 223 (5798/- प्रतिमाह), 233 (6058/- प्रतिमाह), व 283 (7358/- प्रतिमाह) करने की मंशा है। उक्त श्रेणियों में प्रतिदिन रुपये 6/- की बढ़ोतरी होगी।

बेगूं में श्रमिकों का पंजीयन

237. श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2013 के पश्चात् श्रमिक कार्ड योजना के तहत कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया? तहसीलवार व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अन्तर्गत आने वाली पंचायत समितियों व नगरपालिकाओं में कुल 18142 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन वर्ष 2013 के पश्चात् किया गया है। जिनका पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतवार व नगरपालिकावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र व तहसीलवार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चूरू जिले की तहसीलों में रजिस्ट्री से आय

238. श्री खेमाराम (सुजानगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सुजानगढ़, बीदासर एवं उप तहसील सालासर क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनी रजिस्ट्री की गयी? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में की गयी रजिस्ट्रियों से सरकार को कितनी आय हुयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़, तहसील बीदासर एवं उप तहसील सालासर क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की गयी रजिस्ट्रियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है तथा तहसील सुजानगढ, तहसील बीदासर एवं उप तहसील सालासर क्षेत्र में उक्त अवधि में की गयी रजिस्ट्रियों का ग्रामवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-"ब", "स" एवं "द" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि के दौरान की गई रजिस्ट्रियों से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-"य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत बिमलपुरा (गोविन्दगढ़) में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की योजना

239. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) व **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत बिमलपुरा पंचायत समिति गोविन्दगढ़ तहसील चौमूं जिला जयपुर के किस-किस ग्राम में किस-किस खसरा नं. की कितनी-कितनी चरागाह/श्मशान भूमि के पास स्थित चरागाह भूमि पर किस-किस व्यक्ति का किस-किस वर्ष से अतिक्रमण है? उक्त भूमि से अब तक अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धीरज गुर्जर व श्री घनश्याम)

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम कानरपुरा में पूर्व एस.डी.एम. व पूर्व तहसीलदार चौमूं तथा सरपंच ग्राम पंचायत बिमलपुरा ने अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर कुछ अतिक्रमियों को तो बेदखल कर दिया तथा कुछ अतिक्रमियों की चिन्हित की गयी चरागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाकर अतिक्रमणकर्ताओं से चरागाह भूमि पर खेती बुआई करवाई गयी और आगे भी खेती करने हेतु बता दिया है? यदि हां, तो उक्त ग्राम में किस-किस अतिक्रमी को बेदखल किया और चिन्हित होने के बाद भी किस-किस अतिक्रमी के कृषि भूमि के सामने की चरागाह भूमि पर मेड़बंदी नहीं की गयी? वर्तमान में उक्त ग्राम की किस-किस खसरा नं. की चरागाह भूमि पर किस-किस व्यक्ति का कब्जा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त पंचायत के समस्त ग्रामों की चरागाह व श्मशान भूमि व उससे लगती चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बिमलपुरा में ग्रामों में अतिक्रमण की ग्रामवार, खसरा नम्बर की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिये दिनांक 19.09.2017 तय की गयी थी परन्तु तत्समय पीठासीन अधिकारी उप तहसील, गोविन्दगढ़ का पद रिक्त होने के कारण अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रकरणों में निर्णय नहीं हो पाने के कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अब उक्त अतिक्रमण को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर मौके से अतिक्रमियों को बेदखल किया जा चुका है।

(2) जी हां। वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत कानरपुरा की चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दिनांक 13.06.2017 को की गयी थी। मौका पर्चा की प्रति परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्राम कानरपुरा में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया और न ही अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

(4) उक्त पंचायत के ग्रामों की चरागाह व श्मशान भूमि से

(राजस्व मंत्री)

अतिक्रमण पाये जाने पर भू-राजस्व अधिनियम1956 की धारा 91 के तहत 05 प्रकरण दर्ज किये गये। उक्त प्रकरणों में बेदखली के आदेश पारित कर अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी उपखण्ड में प्रवासी पक्षियों के प्रवास स्थलों का विकास

240. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड क्षेत्र फलौदी एवं बाप में प्रवासी पक्षी साइबेरियन डेमोसाइल क्रेन अक्टूबर से फरवरी माह के मध्य प्रवास करने आते हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर? चिह्नित किये गये स्थलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में उक्त पक्षियों के प्रवास स्थलों को विकसित करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? किये गये प्रयास, कार्यों एवं व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपखण्ड क्षेत्र फलौदी के ग्राम खींचन एवं बाप के ग्राम रिण से मलार रिण तक में प्रवासी पक्षी साइबेरियन डेमोसोइल क्रेन माह सितम्बर से मार्च के मध्य तक प्रवास करने आती हैं।

फलौदी के ग्राम खींचन में चुग्गाघर एवं रातड़ी नाड़ी तथा उपखण्ड बाप में बाप रिण एवं ग्राम कानासर को चिन्हित किया गया है।

(2) सरकार द्वारा उक्त पक्षियों की प्रवास स्थली के विकास हेतु उपखण्ड फलौदी में निम्न कार्य किये गये हैं:-

1. विदयुत लाइनों से पक्षियों को घायल होने से बचाव के लिए चुग्गाघर एवं रातड़ी नाड़ी क्षेत्र की विदयुत लाइनों को भूमिगत करने हेतु वन विभाग द्वारा विदयुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर के माध्यम से राशि रुपये 41-89 लाख का कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. ग्राम खींचन में रेस्क्यू सेन्टर हेतु भूमि का आबंटन हो चुका है। रेस्क्यू सेन्टर का निर्माण बजट उपलब्धतानुसार कराया जायेगा।

3. ग्राम खींचन को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु भारत

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

सरकार के मेगा डैजर्ट सर्किट में राशि रुपये 264.37 लाख के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राम खींचन (फलौदी) जोधपुर में कुरजां पक्षियों की सुरक्षा हेतु रातड़ी नाड़ी के आगौर की तारबन्दी, बर्ड वाच टावर एवं कुरजां पाईन्ट तक रैम्प बनाने का कार्य राशि रु. 6.19 लाख के कार्य पूर्ण कराये गये है। तथा

वर्ष 2018-19 में खींचन, जोधपुर में पर्यटन विभाग को आबंटित 12 बीघा भूमि को (प्रवासी पक्षियों के बैठने की जगह) पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने हेतु प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

बाड़मेर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

241. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत चार वर्षों में बाड़मेर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मिनी माउण्ट हल्देश्वर महादेव एवं वीरवर दुर्गादास राठौड़ की कर्मस्थली सिवाना में सरकार द्वारा पर्यटन विकास की क्या कार्य योजना बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में पर्यटन के बढ़ावे हेतु राज्य योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में स्थित किराडू मंदिर के विकास हेतु वर्ष 2011-12 में राशि रुपये 49.54 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं।

तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत स्वदेश दर्शन योजना में मेगा डैजर्ट पर्यटन सर्किट की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृति हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है, जिसमें बाड़मेर जिले में निम्न पर्यटन विकास कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:-

- किराडू में विकास कार्य।
- बाड़मेर में पैट्रो ट्यूरिज्म के विकास कार्य।
- महाबार सैन्ड ड्यून्स में विकास कार्य।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं बाड़मेर में ट्रांस डैजर्ट एडवेंचर कार्य।

(2) वर्तमान में पर्यटन विभाग में प्रश्नगत उल्लेखित स्थलों के विकास हेतु कोई कार्य योजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सेठ आनन्दीलाल पोद्दार राजकीय मूक बधिर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं

242. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सेठ आनन्दीलाल पोद्दार राजकीय मूक बधिर विद्यालय, जयपुर में वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने शिक्षक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सेठ आनन्दीलाल पोद्दार राजकीय मूक बधिर विद्यालय, जयपुर में वर्तमान में 611 छात्र एवं 234 छात्राएं, कुल 845 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) उक्त विद्यालय में स्वीकृत एवं कार्यरत अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है -

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत
01	प्रधानाचार्य	01	01
02	व्याख्याता	11	05
03	व. अध्यापक	09	06
04	व. अध्यापक (विशेष)	18	10
05	अध्यापक (विशेष)	33	27

सवाई माधोपुर के विद्यालयों में रमसा के तहत कक्षा कक्षों का निर्माण

243. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(राजकुमारी दियाकुमारी)

क्या यह सही है कि प्रदेश के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रमसा के तहत कक्षा कक्षों का निर्माण/मरम्मत का कार्य कराया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में रमसा के तहत निर्माण/मरम्मत के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं उनमें से कितनी स्वीकृतियां, कितनी राशि की जारी की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रमसा के अन्तर्गत कक्षा-कक्ष आदि के निर्माण/मरम्मत की योजना है।

विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं स्वीकृति राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की नीति

244. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की कोई नीति बनाई गयी है? यदि हां, तो कब एवं क्या उक्त नीति की प्रदेश में पूर्ण रूप से पालना की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय चरणबद्ध रूप से खोलने की घोषणा की गयी थी, जिसकी पालना में वर्ष 2017-18 तक 5505, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये गये हैं। इनमें से सत्र 2017-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

18 में 205 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन 01.04.2018 से प्रभावी होगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की ग्राम पंचायत सबलपुरा, बबेरा तथा रसनाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर चरणबद्ध रूप से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।